चतुर्दश माला, खंड 21, अंक 9

गुरुवार, 3 अगस्त, 2006

12 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....60.....
Dated.....1 June 2007

(खण्ड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

रतन लाल रैना
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)
अंक 9, गुरूवार, 3 अगस्त, 2006/12 श्रावण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 166	2-41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 167 से 180	41-77
अतारांकित प्रश्न संख्या 1209 से 1376	77-268
सभा पटल पर रखे गए पत्र	269-272
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	272
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
(एक) पन्द्रहवां और सोलहवां प्रतिवेदन	273
(दो) विवरण	273-274
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन	274
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
अठारहवां प्रतिवेदन	274
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे और सातवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	275
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) शीतल पेयों में कीटनाशकों की कथित मौजूदगी के बारे में	276-304
(दो) दिसम्बर, 1999 में उड़ान संख्या आई.सी. 814 के अपहरण के संबंध में तत्कालीन विदेश मंत्री की कंधार यात्रा से संबंधित समाचार के बारे में	305-310

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित ! चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) असम के हेलकन्डी और करीमगंज जिले में रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा बड़ी लाईन के आमान परिवर्तन कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य 311

(दो) देश में एन.टी.सी. की बंद पड़ी मिलों को पुनः खोले जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल 312

(तीन) तमिलनाडु के मदुरै दूरसंचार जिले में टेलीफोन निर्देशिका प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 312-313

(चार) राजस्थान के अलवर जिले में थाना गाजी राजगढ़, रैनी, खैरताल, कठूमर तहसीलों को "राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना" के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव 313

(पांच) मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र में बीना रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे भूमि से अतिक्रमणों को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 313-314

(छह) मध्य प्रदेश में नीमच स्थित ऐल्केलॉइड फैक्टरी का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय 314

(सात) मंगलौर में एक पूर्णकालिक पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा 315

(आठ) कर्नाटक की नित्तूर, हुबली, गुब्बी तालुका और आसपास के क्षेत्रों में "गूनी" रोग को फैलने से रोके जाने की आवश्यकता

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया 315-316

(नौ) गुजरात के गांधीनगर में "फ्लोरोसिस" नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर का केन्द्र स्थापित करने हेतु स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा 316

विषय — कॉलम

(दस) मोहन बागान और भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा स्थापित फुटबाल अकादमी को एक मुश्त अनुदान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 316-317

(ग्यारह) कोयला क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री बंसगोपाल चौधरी 317-318

(बारह) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए अलग निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 318

(तेरह) बिहार के बांका जिले में चंदनऔर चीर सुखानिया नदियों के तटबंधों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव 318-319

(चौदह) वेल्लौर हवाई अड्डे का विकास किए जाने तथा इसे शुरू करने की आवश्यकता

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन 319

(पंद्रह) गैर-सरकारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद 319-320

(सोलह) उड़ीसा में नवपाड़ा रोड से बारगढ़ रोड तक बरास्ता पदमपुर प्रस्तावित रेल सम्पर्क को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य 320-321

(सत्रह) कंचनमलाई हिल्स में उपलबध लौह अयस्क के उपयोग को ध्यान में रखते हुए सेलम इस्पात संयंत्र का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई 321

(अठारह) उन अनुसूचित जातियों, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, को भी आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 322

असम राइफल्स विधेयक, 2006

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस. रघुपति 322-326

विषय कॉलम

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 326-323

श्री किरिप चालिहा 333-336

श्री टी.के. हमज़ा 336-337

श्री शैलेन्द्र कुमार 337-338

श्री गणेश प्रसाद सिंह 338-340

श्री सुग्रीव सिंह 340-342

श्री अजय चक्रवर्ती 342-344

श्री तापिर गाव 344-348

श्री डी. नरबुला 348-349

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 349-351

श्री वरकला राधाकृष्णन 351-357

खंड 2 से 168 और 1 357

पारित करने के लिए प्रस्ताव

उपज उपकर विधि (उत्सादन) विधेयक, 2006

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री शरद पवार 358

प्रो. रासा सिंह रावत 358-360

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 360-361

श्री सीताराम सिंह 361-362

श्री शैलेन्द्र कुमार 362-364

श्री बालासाहिब विखे पाटील 364-365

कुमारी ममता बैनर्जी 365-367

श्री प्रबोध पाण्डा 367-369

प्रो. एम. रामदास 369-372

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 372-373

श्री विक्रम केशरी देव 373-375

विषय कॉलम

श्री रामदास आठवले 375

श्री गिरिधारी लाल भार्गव 375-377

श्री सुधांशु सील 377-378

श्री रवि प्रकाश वर्मा 379-380

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 380-384

श्री पी.सी. थॉमस 384-386

खंड 2 से 5 और 1 387

पारित करने के लिए प्रस्ताव 387

स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री शरद पवार 388-389

प्रो. रासा सिंह रावत 389-390

श्री मधुसूदन मिस्त्री 390-391

श्री शैलेन्द्र कुमार 391-392

श्री रामकृपाल यादव 392-394

श्री ब्रह्मानंद पंडा 394-396

श्री विक्रम केशरी देव 396-397

श्री रामदास आठवले 397-398

चौधरी लाल सिंह 398-399

श्रीमती करूणा शुक्ला 399-403

खंड 2 और 1 403

पारित करने के लिए प्रस्ताव 403

नियम 193 के अधीन चर्चा

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कथित रूप से गायब हो जाने के बारे में न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग का प्रतिवेदन

श्री सुव्रत बोस 404-440

विषय कॉलम

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 441-442

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 442-448

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 449

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 449-452

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 3 अगस्त, 2006/12 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, पेस्टीसाइडस वाला मामला बहुत गम्भीर है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्नकाल के बाद आपको बोलने की अनुगति दूंगा। मैं पहले ही आपको वचन दे चुका हूं। आपको प्रश्नकाल के बाद बोलने का अवसर मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह बहुत गम्भीर मामला है ...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया मंत्री महोदय से सभा में उपस्थित रहने के लिए कहा जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आपको प्रश्नकाल के उपरान्त अवसर मिलेगा।

प्रश्न 161 - श्री सुनिल कुमार महतो

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिये। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं 59 मिनट के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, कृपया माननीय मंत्री महोदय से सभा में उपस्थित रहने के लिए कहें।...*(व्यवधान)* आप कृपया मंत्री महोदय को यहां आने के लिए कहें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें आदेश कैसे दे सकता हूं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 161, श्री सुनिल कुमार महतो

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा विज्ञापन देना

***161. श्री सुनिल कुमार महतो: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) टेलीविजन और अन्य प्रचार माध्यमों पर विज्ञापन देने पर भारी धनराशि खर्च कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) विज्ञापनों पर इतनी भारी धनराशि खर्च करने के क्या कारण है; और

(घ) इससे क्या लाभ हुए/होने की संभावना है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) ओ.एन.जी.सी., अपने व्यवसाय कार्यकलापों और सांविधिक अपेक्षाओं के भाग के रूप में, विभिन्न क्रियाकलापों और विषयों के विज्ञापनों पर खर्च करती है। इस कार्पोरेशन के क्रियाकलापों और प्रचलित बाजार दर के आधार पर जारी किए गए विज्ञापनों की संख्या और खर्च की गई धनराशियां वर्ष दर वर्ष भिन्न-भिन्न हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खर्च की गई धनराशि नीचे दी गई है:-

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपये)
2003-04	43.77
2004-05	26.00
2005-06	36.33

पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रव्य, दृश्य और प्रिंट मीडिया पर ओ.एन.जी.सी. द्वारा विज्ञापनों पर औसत कुल व्यय ओ.एन.जी.सी. के कारोबार का लगभग 0.08% था। अधिकांश विज्ञापन व्यय वित्तीय परिणामों, निविदा सूचनाओं, शेयर धारकों को सूचना और ब्रांड संवर्धनात्मक क्रियाकलापों पर किया गया है। ओ.एन.जी.सी. को होने वाले फायदे, सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन, पारदर्शिता और नैगम छवि र्मिाण के रूप में है। सापेक्ष दिखाई देने वाला फायदा 2003-04 में सार्वजनिक निर्गम के दौरान देखा गया जब यह एक घंटे से कम समय में अधिक उगाही कर गया था।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो: अध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रश्न को उठाने का उद्देश्य यह है कि मैं सरकार का ध्यान ओ.एन.जी.सी. द्वारा विज्ञापनों पर प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपए व्यय करने की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में ओ.एन.जी.सी. एकाधिकार वाली कम्पनी है, जिसका किसी के साथ कम्पिटीशन नहीं है और न ही उसे बाजार की जरूरत है, फिर भी उसके द्वारा विज्ञापनों पर 25 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। इस वजह से डीजल और पेट्रोल की लागत बढ़ती है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। क्या ओ.एन.जी.सी. द्वारा 25 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च करना ठीक है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री मुरली देवरा: महोदय, ओ.एन.जी.सी. द्वारा 0.08 प्रतिशत से भी कम राशि विज्ञापनों पर खर्च की जाती है। यह राशि भी जो खर्च की जाती है, वह खासकर टेंडर नोटिस पर, एनअल रिपोर्ट पर और दूसरी अनाउंसमेंट्स पर की जाती है। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह कम्पनी जो पैसा विज्ञापनों पर खर्च करती है, वह बहुत ही कम खर्च करती है। फार्च्यून 500 की यह एक कम्पनी है और इसका मार्केट कैप करीब 1,80,000 करोड़ रुपए का है इसलिए यह खर्च कोई ज्यादा नहीं है।

श्री सुनिल कुमार महतो: अध्यक्ष महोदय, लिखित उत्तर में दिया गया है कि अधिकांश व्यय परिणामों, निविदा सूचनाओं, शेयर धारकों को सूचना एवम् ब्रांडों के संवर्धनात्मक क्रियाकलापों पर किया गया है। इस पर खर्च करने से कम्पनी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये व्यय तो करने ही पड़ते हैं। लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा: ओ.एन.जी.सी. जो विज्ञापन देती है, उससे उसे फायदा होता है। कुछ फायदे मैं बता सकता हूं, जैसे सारे भारतवर्ष में उसके कार्यक्रमों के बारे में लोगों को पता लगता है। इसलिए मैं फिर माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इस कम्पनी का कोई भी विज्ञापन फिजूल में नहीं होता है।

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, ओ.एन.जी.सी. अपने उत्पाद का करोड़ों रुपया विज्ञापनों पर खर्च करने में सक्षम हैं, जैसा मंत्री जी ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे क्षेत्र में अंग्रेजों के जमाने का एक पेट्रोल डिपो है, जिसे बंद किया जा रहा है। कम्पनी कह रही है कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि इसे चालू रखें। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसका विज्ञापन से कोई लेना-देना नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: यह इसी से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय: कैसे सम्बन्धित है।

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, कम्पनी कहती है कि वह घाटे में जा रहा है इसलिए इसे बंद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। श्री गणेश सिंह, आप एक स्पष्टवादी सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि वर्ष 2003-2004, वर्ष 2004-2005 और वर्ष 2005-2006 में क्रमश: 43.77 करोड़ रुपये, 26.00 करोड़ रुपये और 36.33 करोड़ रुपये ओ.एन.जी.सी. ने विज्ञापन पर खर्च किये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ओ.एन.जी.सी. जब इतना पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहा है तो क्या वह कोई सोशल वर्क भी कर रहा है और अगर कर रहा है तो वर्षवार उस वर्क का ब्यौरा क्या है?

श्री मुरली देवरा: अध्यक्ष जी, मैं बड़े आदर के साथ माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ओ.एन.जी.सी. ऐसे काफी कार्यों को सपोर्ट करती है जो सोशल वर्क में आते हैं। उनकी फिगर्स तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन माननीय सदस्य को मैं लिखित में भेज दूंगा।

श्री जीवाभाई ए. पटेल: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार के फिजूल और अनावश्यक खर्च की जांच करेगी और इस पर कोई कमेटी बैठाएगी?

अध्यक्ष महोदय: माना नहीं है कि अनावश्यक है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आवश्यक हो तो आप इस मामले की छानबीन कर सकते हैं। परन्तु इसे मुख्य प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। हमें अपने नवरत्नों के संबंध में कोई संदेह नहीं करना चाहिए।

श्री मुरली देवरा: जी हां।

डा. बाबूराम मिडियम: महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या ओ.एन.जी.सी. ने इस बीच विज्ञापन एजेन्टों के माध्यम से विज्ञापन दिया है या सीधे विज्ञापन दे रही है?

श्री मुरली देवरा: वे स्वयं विज्ञापन देते हैं और डी.ए.वी.पी. के माध्यम से भी विज्ञापन देते हैं। इससे काफी बचत होती है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि एकाधिकार प्राप्त आयोग और इसी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विज्ञापन देने की वांछनीयता पर सरकार ने कोई विचार किया है, यदि हां तो इसका परिणाम क्या निकला है? क्या विज्ञापनों पर रोक लगा देने से व्यर्थ के खर्चों में कमी नहीं आयेगी और जिसका लाभ तेल की खुदरा कीमतों को कम करने में किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, उन्होंने दो प्रतिशत के बारे में कुछ कहा है। वह क्या है?

अध्यक्ष महोदय: मैं एजेन्ट बनने के लिए तैयार हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा: अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले कहा कि यह व्यर्थ का खर्चा नहीं है, यह बहुत जरूरी खर्चा है। यदि आप व्यर्थ के खर्चे का कोई उदाहरण बताएंगे तो हम उसे जरूर दूर करेंगे।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) को स्वायत्तता/शक्तियां प्रदान करना

***162. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) को और अधिक स्वायत्तता/शक्तियां प्रदान करने संबंधी डा. अर्जुनसेनगुप्ता की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ दल की सिफारिशों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों और उन पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) डा. अर्जुन सेनगुप्त की अध्यक्षता में तदर्थ विशेषज्ञ समूह (ए.जी.ई.) ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सशक्तिकरण के संबंध में विभिन्न अनुशंसाएं की हैं। सरकार ने नवरत्न, मिनीरत्न तथा अन्य लाभार्जनकारी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि करने से संबंधित ए.जी.ई. की कुछेक अनुशंसाएं स्वीकार कर ली हैं और तदनुसार अगस्त, 2005 में ही कार्यालय ज्ञापन जारी किए जा चुके हैं।

(ग) स्वामित्व के मुद्दों, भारत के महानियंत्रक एवं लेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षण, संविधान के अनुच्छेद 12 को लागू करना, संसद के प्रति दायित्व, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता प्रबंध के संबंध में तदर्थ

विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई ज्यादातर शेष सिफारिशें संवैधानिक/संसदीय प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए इनका गहराई से विश्लेषण करने तथा इन पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, ठीक एक वर्ष पहले - आज 3 अगस्त है - पिछले वर्ष 3 अगस्त को इस सभा में इसी विषय पर यही प्रश्न पूछा गया था। तब भी बिल्कुल यही जवाब दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: इसमें सुसंगतता है।

...(व्यवधान)

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: यह बताया गया है कि स्वामित्व के मुद्दे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा, संविधान के अनुच्छेद 12 को लागू किया जाना, संसद के प्रति जवाबदेही तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धन में सतर्कता आदि के संबंध में तदर्थ विशेषज्ञ समूहों (ए.जी.ई.) द्वारा की गयी शेष सिफारिशों की जांच की जा रही है। आज भी माननीय मंत्री महोदय ने वही जवाब दिया है सिर्फ इसमें यह जोड़ा गया है कि इसके गहन विश्लेषण एवं विवेचन की आवश्यकता है। इस प्रकार, मंत्रालय ने इस मुद्दे पर एक वर्ष पूर्व विचार किया था और इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इसका स्पष्ट जवाब देने का आग्रह करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले में अन्तिम रूप से विचार करके कोई निष्कर्ष निकालेंगे।

अध्यक्ष महोदय: कम से कम अब तो इसका गहन अध्ययन किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, सरकारी क्षेत्र का नियंत्रक और यह महालेखा-परीक्षक (सी.ए.जी.) के साथ संबंध, सरकारी क्षेत्र की वित्तीय शक्तियां तथा अन्य लम्बित पड़े मुद्दे भी काफी महत्वपूर्ण हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में परिचालित होने के बाद थे ये मुद्दे मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ इन मुद्दों के वापस आने में समय लगा। जैसे ही ये मुद्दे वहां से वापस आए तद्पोरान्त हमने इन मुद्दों पर मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श किया। इसके लिए श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह की नियुक्ति की गयी है।

सत्र के उपरांत, इस पर चर्चा की जाएगी - सौभाग्य से वह यहां उपस्थित हैं - और माननीय सदस्य द्वारा बताये गये महत्व के मद्देनजर कुछ निर्णय लिया जाएगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, मंत्री जी तो अभी भी यह बताने में असमर्थ हैं कि वे कुछ महीनों या दिनों में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसी विषय पर दो समितियों ने अपनी रिपोर्टें दे दी हैं परन्तु मंत्रालय इन दोनों रिपोर्टों पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। मंत्री महोदय सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक तथा अनुभवी एवं सक्रिय मंत्री हैं। इसलिए क्या वह यथाशीघ्र इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे अथवा इसके लिए कोई समय सीमा बतायेंगे कि कब तक इस पर रिपोर्ट दे दी जाएगी?

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, मैं कोई तारीख नहीं बता सकता। मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री इस मामले को देख रहे हैं। अतः इस मामले में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है सही निर्णय लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: इसे बहुत ही गम्भीरता से किया जा रहा है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु दुर्भाग्यवश इस जवाब बहुत ही हल्के-फुल्के ढंग से दिया गया है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात् प्रश्न पैदा होता है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को निपटाने में सरकार की जवाबदेही इस सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को न केवल स्वायत्तता देने बल्कि उन्हें कार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल दिया गया है। लोक उद्यम विभाग कई वर्षों से कार्य कर रहा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की जांच करने के लिए यदि मंत्रालय किसी अन्य समिति की आवश्यकता महसूस करता है तो इसका मतलब यह है कि सरकार को उनके कार्यकरण का पता नहीं है? इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं।

महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब मंत्री महोदय किसी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दें तो ऐसे ही नहीं कह देना चाहिए कि इसके बारे में एक समिति गठित की गई थी और उस समिति ने अमुक व्यक्ति की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह नियुक्त किया है। हमें एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पर्याप्त स्वायत्तता मिले। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचने के बजाय हम या तो उन पर नियंत्रण रखने के या निजीकरण के बारे में सोच रहे हैं। इसका दूसरा उपाय इन उपक्रमों को स्वायत्तता और कार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान करना भी सम्भव है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने समय में कोई ऐसा समुचित उपाय किया जा सकता है।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, लम्बित पड़े मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके दूरगामी परिणाम होंगे। सभा की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस विषय पर सभी सरकारी उपक्रमों की राय पृथक्-पृथक् है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इनमें कुछ उपक्रमों का कहना है कि वे यह देखेंगे कि ये मुद्दे क्या है। इनमें से एक सिफारिश यह है कि संसद के अनुमोदन से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हिस्से का अनुपात 51 प्रतिशत था उससे कम किया जा सकता है और संयुक्त उद्यम पक्षों का हिस्सा बढ़ाया जा सकता। यह राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के विपरीत है। इसके बावजूद भी कतिपय मामलों में, जहां कम्पनियों की आर्थिक स्थिति बदतर है, हम संयुक्त उद्यम या निजीकरण का प्रस्ताव कर रहे हैं परन्तु इसके लिए सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ कर्मचारी संघों से भी विचार-विमर्श की आवश्यकता है। उनके विचार भी पता चलेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निदेशक बोर्ड और प्रबन्धन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हों, निगरानी निकाय के अन्तर्गत एक संस्थागत व्यवस्था की व्यवस्था है। उसमें भी उन्होंने कुछ परिवर्तनों के सुझाव दिये हैं। कतिपय मामलों में उन्होंने कहा है कि न्यायालय में जाने के बजाय इस संबंध में राष्ट्रपति के निर्देश लिए जाने चाहिये। इससे वर्तमान में अपनायी जा रही न्यायिक प्रक्रिया का छोटा व सरल रास्ता निकालने में सहायता मिलेगी।

तत्पश्चात् कोई भी सरकारी अधिकारी वर्ष में केवल दो बार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में जाकर उसकी जांच कर सकेगा। इस समय इस पर प्रतिबन्ध है। इस तरह ऐसे बहुत से संवेदनशील मुद्दे हैं। इस संबंध में कुछ निर्णय लिये जा चुके हैं। माननीय सदस्य कुछ प्रतीक्षा करें। सर्वोच्च समिति इसकी जांच करेगी और हमने इस बारे में उदार सोच अपना रखी है। विभिन्न कर्मचारी संघों की राय, 21 प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा नवरत्न कम्पनियों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त हम इस बारे में कोई निर्णय करेंगे।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या आप इस संबंध में कोई समय-सीमा बता सकते हैं?

श्री संतोष मोहन देव: मैं कोई समय-सीमा नहीं बता सकता क्योंकि यदि मैं इसका अनुपालन नहीं कर पाया तो मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, डा. अर्जुन सेनगुप्ता समिति के अलावा एक और समिति है वह है डा. जे.जे. ईरानी समिति। डा. जे.जे. ईरानी समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक में यह टिप्पणी की गई थी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की परिधि से बाहर रखना चाहिए। इस बारे में अनेक संगोष्ठियां, चर्चाएं, विरोध इत्यादि हुए। तब से सरकार इस चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दिखा रही है। चुप्पी से प्रोत्साहित होकर सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और ये रिपोर्ट दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जे.जे. ईरानी समिति की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की परिधि से बाहर रखने संबंधी सिफारिशों और इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट जो कि ये प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और जो लम्बित हैं, के प्रश्न पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, यह ऐसा मुद्दा है जिस पर केंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। किंतु मुझे स्थिति का पता है इसलिए मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं। आज स्थिति यह है कि मंत्रियों का समूह उस प्रश्न के साथ-साथ इसकी भी जांच करेगा और उसकी अब जांच की जा रही है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और नवरत्न हमारे देश के गौरव हैं। यदि यह बात है तो इन कंपनियों में सर्वोत्तम नेतृत्व रखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है।

मेरा प्रश्न है, कि क्या सरकार केवल नौकरशाहों और सरकारी अधिकारियों पर ही ध्यान दे रही है अथवा क्या सरकार निजी क्षेत्र और इन कंपनियों में प्रबंधन व्यवसायिकों को रखे जाने पर भी ध्यान दे रही है?

इन कंपनियों में सदैव वित्त पोषण की समस्या रही है। सरकार को मंदीकरण का भय है और इसलिए इन कंपनियों को धन जुटाकर विस्तार करने की अनुमति नहीं दे रही है। क्या सरकार इन कंपनियों को घरेलू बाजार में और अंतरराष्ट्रीय बाजार में धन जुटाने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं। यदि उन्हें धन जुटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो वे दीर्घावधि में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे।

अन्त के 'इकॉनामिक टाइम्स' में एक लेख है कि घाटे में चलने वाली इकाइयों को वित्त पोषण से पूर्व अथवा किसी साझेदारी से पूर्व संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी। यदि यह बात

है तो यह कंपनियां और घाटे में चली जाएंगी और इसीलिए मुझे चिंता हो रही है।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, नवरत्न कंपनियों को पहले ही इस समिति की सिफारिशों के अनुसार शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। वे वाणिज्यिक बैंकों से अथवा अंतरराष्ट्रीय बाजार से 1,000 करोड़ रुपए तक धन जुटा सकती हैं। सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। यह उनकी एक मांग है और सरकार ने यह पहले ही पूरी कर दी है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है तो यह कंपनी कार्य मंत्रालय से संबंधित है। इसलिए, वही इस भाग का उत्तर दे पाएंगे।

श्री प्रकाश परांजपे: हम उसके लिए एक समय सीमा चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिये। मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है।

श्री प्रकाश परांजपे: महोदय, किंतु उन्हें कोई समय सीमा देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कह रहे हैं कि यथाशीघ्र?

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने समिति और विशेषज्ञों के समूह की कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। मेरा अनुपूरक प्रश्न इसी पर है। उन्होंने नवरत्न कंपनियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने को भी स्वीकार कर लिया है।

इसको ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री अथवा सरकार को जानकारी है कि लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों की बहुत सारी शिकायतें हैं कि उन्हें छोटी-छोटी चीजों के लिए भी निचले स्तर पर भी मंजूरी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शिकायत यह है कि निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लेने की स्वतंत्रता केवल कागजों पर है परन्तु वास्तविक व्यवहार में जो स्वतंत्रता उन्हें दी जानी चाहि ताकि वे निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा कर सकें वह सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: मेरा मानना है कि इन मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, मैं पिछले दो वर्षों से मंत्री हूं और एक भी निदेशक मंडल मेरे पास सहायता के लिए नहीं आया, ऐसा एक भी मामला नहीं है जहां मैंने हस्तक्षेप किया हो। यदि कोई मामला है तो मेरे ध्यान में लाइये और मैं इसका समाधान करूंगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: वे आपके पास आने से डरते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब यह मामला समाप्त हो गया है। यदि यह आप दोनो के बीच है तो इसे बाहर ही निपटाएं।

प्रश्न सं - 163 - श्री एस.के. खारवेनथन - उपस्थिति नहीं।

[अनुवाद]

विमान किराए में वृद्धि

***163. श्री अर्जुन सेठी:**

श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों ने कितनी बार विमान किराए में वृद्धि की है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों ने हाल ही में विमान किराए में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं और विमान यात्रियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) देश में मध्यवर्गीय लोगों द्वारा विमान यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) एअर इंडिया ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान किराए में कोई वृद्धि नहीं की है। वास्तव में, एअर इंडिया के नेटवर्क में औसत रूप से 2-3% की कमी आई है। ईंधन मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए, एअर इंडिया ने दिए गए मार्ग पर अन्य विदेशी विमान कम्पनियों के प्रचालन में लगाए गए मार्ग विशिष्ट प्रभार के समान ही जून, 2004 से ईंधन अधिभार लगाने में वृद्धि की है। यू.एस.ए., यू.के./यूरोप के मार्गों पर जून, 2004 से प्रभावित वृद्धि के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

यू.एस.ए.		यू.के./यूरोप	
जून, 04	अमरीकी डालर 14.00	जून, 04	अमरीकी डालर 9.00
अक्तूबर, 04	अमरीकी डालर 30.00	अक्तूबर, 04	अमरीकी डालर 20.00
मई, 05	अमरीकी डालर 50.00	मई, 05	अमरीकी डालर 30.00
जुलाई, 05	अमरीकी डालर 80.00	जुलाई, 05	अमरीकी डालर 45.00
फरवरी, 06	अमरीकी डालर 100.00	फरवरी, 06	अमरीकी डालर 55.00
जून, 06	अमरीकी डालर 125.00	जून, 06	अमरीकी डालर 65.00

इंडियन एयरलाइंस तथा एलायंस एयर घरेलू नेटवर्क में पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06) के दौरान घरेलू रुपए किराए में पांच बार संशोधन किया गया है। ब्यौरे निम्न अनुसार हैं:-

दिनांक	% वृद्धि
26 मार्च, 2003	15
21 जून, 2004	10
14 अक्तूबर, 2004	10
15 अप्रैल, 2005	12
18 अक्तूबर, 2005	10

ए.टी.एफ. मूल्यों में वृद्धि को प्रतिसंतुलित करने की दृष्टि से जो 1 मई, 2006 को प्रति किलोलीटर 41,950/- रुपए तथा 1 जुलाई, 2006 को 43,600/- रुपए प्रति किलोलीटर हो गया था, इंडियन एयरलाइंस ने निम्न प्रकार से ईंधन अधिभार लगाया है:-

(i) 4 मई, 2006 से घरेलू यात्रा के लिए रुपये किराए स्तर पर प्रति उड़ान कूपन पर 300/- रुपए था ईंधन अधिभार तथा अमरीकी किराए स्तर पर 6.80 अमरीकी डालर।

(ii) 7 जुलाई, 2000 से ईंधन अधिभार में संशोधन करके उसे बढ़ाकर 300/- रुपए से 500 तथा 6.80 से बढ़ाकर 11 अमरीकी डालर करना।

किराये/ईंधन अधिभार में वृद्धि के कारण हवाई यात्रा महंगी हो गई है। तथापि यह वृद्धि विशेष रूप से लागतों और यह प्रतिस्पर्द्धी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रैक्टिस के अनुरूप होता है।

(घ) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस वाणिज्यिक संस्थाएं हैं तथा इन्हें व्यवसायिक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना होता है। दोनों एयरलाइनों का सतत् यह प्रयास रहता है कि वे यात्रियों को ऑफर सेवा का दर्जा बढ़ाएं तथा अपने कारोबार में महत्व ला सकें। प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने के लिए, प्रतिस्पर्द्धा, मौसमीयता, पूर्ति और मांग समीकरण इत्यादि जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर बाजार प्रोत्साहन स्कीमें भी आरंभ करते हैं।

उपरोक्त वर्णित मार्केट कारकों के आधार पर, जो प्रकृति में बहुत अधिक गतिशील है, इंडियन एयरलाइंस ने समय-समय पर अल्प/दीर्घावधि प्रोत्साहन स्कीमें आरंभ की हैं। विशेष किराया/स्कीम आरंभ करना अब (i) इजी फेयर; (ii) गैर जांचे गए किराए; (iii) लीन सैक्टर प्रोत्साहन किराए; (iv) एक्सकर्शन किराए; (v) स्मार्ट बिजनेस क्लास कम्पेनियन ऑफर; (vi) क्लास एपार्ट फेयर; (vii) सामान्य हित ग्रुप रियायत - अंतर्देशीय सैक्टर; (viii) सुपर सेवर और (ix) स्पॉट फेयर।

एअर इंडिया ने एक कम लागत विमान कम्पनी, एअर इंडिया एक्सप्रैस अप्रैल, 2005 में आरंभ किया है। जो मध्य श्रेणी में जनता तथा साधारण वेतनों पर खाड़ी में रोजगार करते हैं, उन लोगों को किफायती और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने की दृष्टि से की गई है।

एअर इंडिया ने इस विशेष बाजार क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए यूरोप, यू.के. तथा यू.एस.ए. की यात्रा करने वाले विद्यार्थियों को विशेष रियायत प्रदान करती है। विशिष्ट अवधि के दौरान, एअर इंडिया वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष किराए जारी करती है जिसमें 10% के आसपास रियायत की पेशकश की जाती है।

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच विमान किराया देश में सबसे अधिक है। यदि यह सच है तो क्या राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां भुवनेश्वर से दिल्ली तक एपेक्स विमान किराया लागू करने की मांग कर रही हैं? मुझे बताया गया है कि हाल ही में मंत्रालय अथवा इंडियन कुछ सीटों के लिए एपेक्स किराये के लिए सहमत हो गए हैं। हालांकि मुझे यह पता नहीं है कि यह कितना सच है। महोदय, जैसा कि आपको पता है और जैसा कि माननीय मंत्री जी को पता है पर्यटक स्थलों में से एक उड़ीसा राज्य भी है। उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और मध्य वर्ग के यात्रियों को उड़ीसा की यात्रा करने में मदद करने के लिए मैं जानना चाहता हूं कि, क्या मंत्री जी कुछ सीटों के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विमान अथवा उड़ान के लिए एपेक्स किराया प्रणाली लागू करने पर सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब उन्हें उत्तर देने दो।

श्री अर्जुन सेठी: मेरा दूसरा प्रश्न यह है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह देश में सर्वाधिक है?

अध्यक्ष महोदय: तब आपने पहले ही दो प्रश्न पूछ लिए हैं।

श्री अर्जुन सेठी: जी नहीं।

श्री प्रफुल पटेल: मैं देश में विमान किरायों की थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। किसी भी एयरलाइन के किसी भी क्षेत्र के विमान किराये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते हैं। वस्तुत: सदस्य इस बात को मानेंगे कि इस प्रकार के रवैये और किरायों को नियंत्रित न किए जाने के कारण हम देश में विमान यात्रियों के नए प्रोफाइल मांग रहे हैं। गत दो वर्षों में देश में विमान यात्रा सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में से एक है। वास्तव में इस वर्ष घरेलू विमानन में एक ही वर्ष में 50 प्रतिशत का विकास दिखाई दे रहा है। हमने किरायों को नियंत्रित करने का कार्य नहीं किया इसलिए यह हो पाया है।

तथापि, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। कुछ क्षेत्रों में किराये अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में अधिक हैं। इस स्थिति की भी हम अनदेखी नहीं कर सकते। वस्तुत: जब हमारे ध्यान में दिल्ली-भुवनेश्वर मार्ग पर किराये की बात आई कि ये किराये अन्य किरायों से थोड़े अधिक हैं। मैं इससे सहमत हूं और मानता हूं कि शायद जिन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कम है उनमें किराये अधिक हैं। किंतु, हमारे सामने जो बात लाई गई उसको ध्यान में रखते हुए हमने एयरलाइंस से बात की और इस विषय में अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का प्रयास करते हुए इंडियन एयरलाइंस ने एपेक्स किराये लागू किए। एपेक्स किराया भी एक ऐसा मुद्दा है जहां प्रत्येक एयरलाइन के पास कुछ सीटें होती हैं जिन्हें वह रियायती मूल्य पर देती हैं। वे हर सीट रियायती मूल्य पर नहीं दे सकती। आखिकरकार व्यवसाय के अर्थशास्त्र का भी कोई औचित्य होना चाहिए कि किस मूल्य पर सीट बेची जाती है। तथापि, आने वाले दिनों में चूंकि विमानन में विकास हो रहा है इसलिए भुवनेश्वर में विमानन का विकेंद्रीकरण देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले यह कुछ प्रमुख शहरों और विशेषकर मुम्बई तथा दिल्ली के लिए ही जाता था। अब आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि कोलकाता सहित विमानन में बड़ी प्रगति दिखाई दे रही है। नए शहरों को जोड़ा जाएगा और मुझे आशा है कि कम किरायों की प्रवृत्ति सदस्य द्वारा की गई मांग को उचित ठहरायेगी।

अध्यक्ष महोदय: अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न कीजिये।

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपको वह मिल गया जो आप चाहते थे।

श्री अर्जुन सेठी: उन्होंने यह नहीं कहा कि "यह सबसे अधिक है"; इन्होंने कहा है "संभवत:।"

मेरा दूसरा प्रश्न यह है। विभिन्न विमानपत्तनों में विशेषकर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता इत्यादि में भीड़भाड़ के कारण पार्किंग व्यवस्था की विमानपत्तनों के पड़ौस अथवा निकट के क्षेत्रों में अनुमति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: यह इससे संबंधित नहीं है। आप विमानन के सभी मुद्दे नहीं उठा सकते, यह केवल विमान किरायों से संबंधित है।

श्री अर्जुन सेठी: दिल्ली-भुवनेश्वर मार्ग पर किराये इंडियन के एकाधिकार के कारण हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार और निजी विमान सेवाओं की अनुमति देगी ताकि प्रतिस्पर्धा हो सके और दिल्ली-भुवनेश्वर मार्ग पर किराये स्वत: ही कम हो जाएंगे।

श्री प्रफुल पटेल: माननीय सदस्य ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है अथवा मेरे मन की बात कह दी है और उन्हें पूरी जानकारी है कि भुवनेश्वर में भी अब केवल इंडियन एयरलाइंस ही परिचालन नहीं कर रही है बल्कि बहुत सी एयरलाइंस परिचालन कर रही हैं।

वास्तव में पूरे देश में एक नीति है जिसके अनुसार एयरलाइन्स किसी भी मनचाहे रूट पर चलने - किसी भी मन

चाहे मूल्य पर चलाने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कि मैंने कहा भुवनेश्वर में न केवल इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं हैं बल्कि अन्य एयरलाइंसों की सेवाएं भी हैं। मैं सभी निजी एयरलाइन्स का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि निजी क्षेत्र में जो एयरलाइन्स हैं वे भुवनेश्वर में भी प्रचालन में हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले दिनों में जो शहर हवाई मार्ग से जुड़े और वे शहर जो अभी हवाई मार्ग से नहीं जुड़े हैं में और अधिक हवाई सेवाएं देखने को मिलेंगी।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री सोहन पोटाई बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है श्री स्वाईं, कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: स्वाईं जी, मेरी अनुमति के बिना बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैंने आपकी पार्टी के एक और माननीय सदस्य का नाम पुकारा है। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: स्वाईं जी, कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि वरिष्ठ सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी? आप श्री अर्जुन सेठी की तरह एक कुशल वक्ता हैं वे पहले ही काफी अच्छी जानकारी दे चुके हैं।

अब, श्री सोहन पोटाई।

[हिन्दी]

श्री सोहन पोटाई: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा एक तरफ यह कहा जा रहा है कि एयर इंडिया ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किराये में कोई वृद्धि नहीं की है, वहीं दूसरी तरफ वे यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि 7 जुलाई, 2006 से निर्धारित दरों में संशोधन करके कुछ राशि बढ़ाई गई है जबकि लगभग दो वर्षों में 6 बार ईंधन की कीमत में वृद्धि हुई है तो क्या 6 बार इस प्रकार से संशोधन किया गया है तो स्वाभाविक रूप से किराये की दर बढ़ी है। इसी तरह से वहीं हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र में निजी कंपनियों के विमानों के किराए की दर अधिक है जबकि निजी क्षेत्र की विमान कंपनियां जो इससे ज्यादा बेहतर सुविधा देती हैं, उसके बावजूद भी उनका किराया कम है। ऐसा क्यों है? इसी प्रकार से जिस तरह से दिल्ली से भुवनेश्वर की दूरी अधिक है, उसका किराया अधिक है लेकिन दिल्ली से रायपुर की दूरी कम है, फिर भी उसका भुवनेश्वर से ज्यादा किराया क्यों है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने तो तय नहीं किया है।

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि किराये की दर किफायती और रीजनेबल होनी चाहिए, इस भावना से हम सभी सहमत हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईंधन की कीमतें जो विश्व बाजार में और पैट्रोलियम मंत्री मुरली भाई जी यहां बैठे हैं, उन्हें मुझसे ज्यादा बेहतर जानकारी है। अगर ईंधन की कीमतें जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, ए.टी.एफ. की कीमतें वर्ष 2004-05 में एवरेज कीमत 27500 रुपये प्रति किलो लीटर थी, अभी उसकी कीमत करीब 42,000 रुपये प्रति किलो लीटर है और उसके अलावा भी मैं कहना चाहूंगा कि एक तो ए.टी.एफ. की बेसिक कीमत ऊंची है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेशन की नीति में काफी वृद्धि हुई है। उसकी वजह से एक प्रकार से हम लगातार हर राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि हर राज्य सरकार से आप लोग भी थोड़ी विनती करें, हमें सहयोग करें कि अगर वे टैक्सेशन कम करें...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: आप स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चिंता मत कीजिए। आप एक अनुभवी सांसद हैं। चिंतित मत होइये। आप अपना उत्तर जारी रखिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, केन्द्र सरकार ने काफी नियंत्रण किया है। यह केवल आठ प्रतिशत है। यह पहले की तरह 16 प्रतिशत नहीं है...*(व्यवधान)* मैं किसी राज्य विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। सभी राज्य सरकारों से मेरा यह आग्रह है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, जब कोई प्रश्न पूछा जा रहा है आप अपना प्रश्न नहीं पूछ सकते। इस प्रकार आप सभा की कार्यवाही को बाधित नहीं कर सकते।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि सदस्य कराधान और मूल्य को सराहेंगे। माननीय सदस्य ने तेल अधिभार के बारे में कहा है। एयरलाइन्स ने मूल किराये में कोई वृद्धि नहीं की है, यह एक परम्परा है जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स तेल अधिभार लगाती हैं। एअर इंडिया के द्वारा विगत में ऐसा किया गया है। हम सभी इस बात से अवगत है कि हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन्स एअर इंडिया अथवा इंडियन को सरकार से प्रचालन के लिए कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाईं, हर प्रश्न पूछने पर आप खड़े मत होइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, उसका अच्छा उत्तर मिल गया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय सदस्य, श्री ब्रजेश पाठक से अनुपूरक प्रश्न पूछने को कहा है। श्री ब्रजेश पाठक के अनुपूरक प्रश्न के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि आम जनता के लिए कुछ सीटें सभी विमानों में सस्ते किराए की उपलब्ध रहती हैं लेकिन जब हम इंडियन एयरलाइन्स की खिड़की पर जाते हैं तो वहां पर सस्ते किराये की टिकट नहीं मिलती है। वहां कहा जाता है कि सस्ती टिकट उपलब्ध नहीं है लेकिन बाहर से ट्रैवल एजेन्ट कुछ पैसा अधिक लेकर सस्ते किराये की टिकटें उपलब्ध करा देते हैं। इस पर क्या मंत्री जी रोक लगाने का काम करेंगे?

श्री प्रफुल पटेल: आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो तो आप जरूर हमें दीजिए, लेकिन हम आपको इस संबंध में निश्चित करना चाहेंगे।

[अनुवाद]

महोदय, मूल बिन्दु मेरे विचार से पूरी सभा सहमत होगी कि हम किसी भी एयरलाइन्स के किसी भी क्षेत्र के किराये को नियंत्रित नहीं करते। तथापि मैं विषय से थोड़ा हटना चाहूंगा। माननीय सदस्यगण, जैसे श्री खारबेल स्वाईं और अन्य माननीय सदस्य एक विशेष क्षेत्र के संबंध में चिंतित थे। महोदय, उड़ीसा राज्य के आग्रह पर इस रूट पर हमने इंडियन एयरलाइन्स से अधिक किराया आरम्भ करने को कहा था। इसलिए उन्हें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि उनके आग्रह तथा आदेश को स्वीकार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री राम कृपाल यादव जी बोलेंगे।

यादव जी मैंने आपको इसलिए आमंत्रित नहीं किया है क्योंकि आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं परंतु एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया गुस्से में मत बुलाया कीजिए। बुलाइए तो प्यार से बुलाइए।

अध्यक्ष महोदय: हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, एकतरफा नहीं।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, आप तो हमारे पिता समान हैं। हम तो हमेशा आपका सम्मान करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आजकल के लड़के लोग पिता को भी मानते नहीं हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री राम कृपाल यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि ईंधन के अधिभार बढ़ने की वजह से हमें मजबूरन विमान यात्रा का किराया बढ़ाना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पर मजबूर हैं परंतु यदि कोई बिजनैस पॉलिसी अच्छे ढंग से बनाएं तो बहुत सारे विमान जिनमें पूरी सीटें भरती नहीं हैं, जिनमें यात्री नहीं जा पाते हैं, उनमें कम कीमत पर यात्रियों को ले जाया जा सकता है। जब प्राइवेट जहाज कम कीमत पर चला रहे हैं जैसे डक्कन एयर वगैरह, मैं इस संबंध में अधिक नहीं कहना चाहता। इस संबंध में क्या आपकी कोई पॉलिसी है? क्या आपने विचार नहीं किया है कि कम चार्ज करके अधिक से अधिक पैसेन्जर्स को सेवा दे सकें मगर विमान की पूरी सीटें भरकर जाएं। रेलवे ने इस तरह की पॉलिसी अपनाई है कि पैसेन्जर पूरे भरकर जाते हैं। क्या

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस तरह की कोई पॉलिसी आप अडॉप्ट करेंगे ताकि यात्रियों को भी लाभ मिले और वे सस्ती दर पर विमान यात्रा कर सकें तथा आपका व्यापार भी बढ़े। मंत्री जी कुशल व्यापारी भी हैं।

अध्यक्ष महोदय: महोदय, आप चाहते हैं कि सब रेल छोड़कर हवाई जहाज से जाएं? रेल में भी जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।

...(व्यवधान)

श्री प्रफुल पटेल: एक बात तो हमारे मित्र राम कृपाल जी स्वीकार करेंगे कि आजकल हवाई अड्डों के बारे में भी कहा जाता है कि वे रेलवे स्टेशन जैसे बन गए हैं और लालू जी ने रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों जैसा बनाने की योजना बनाई है। यह दामों में जिस तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, उसमें आप इतना तो स्वीकार करेंगे कि एक नया वर्ग जो आज तक हवाई जहाज में नहीं बैठता था, वह बैठना शुरू हुआ है और ब्रजेश पाठक जी ने जो कहा था, उसका भी उत्तर दे देता हूं कि इंडियन एयरलाइन्स ने स्पॉट फेयर्स की शुरुआत कर दी है कि आप एयरपोर्ट पर जाओ, सीट खाली होगी तो दूसरी विमान कंपनियों की टिकटों से भी सस्ती दर पर टिकट आपको मिल सकती है। आपने कहा और हमने आपको स्पॉट जवाब दे दिया।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, हवाई किराये में बढ़ोत्तरी खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे मलयालियों को अधिक प्रभावित करती है। मुंबई, पुणे तथा हैदराबाद की तुलना में केरल के तीनों हवाई अड्डों का किराया अधिक है।

ऐसा अधिकांशत: ओणम आदि त्यौहार के समय होता है।

अध्यक्ष महोदय: हां, आप क्या चाहते हैं?

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: उदाहरण के तौर पर कालीकट-शारजाह का किराया लगभग 10,000 रु. है। परन्तु त्यौहारों के समय यह 18,000 रु. होता है। मैं विशेष रूप से इस विषय पर आपका हस्तक्षेप चाहूंगा। सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी एयरलाइन्स खाड़ी के देशों से आने वाले भारतीय यात्रियों को लूट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? धन्यवाद।

श्री प्रफुल पटेल: मैं इस बात से प्रसन्न नहीं हूं, कि कोई संसद सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइंसों के लिए लूटने जैसे शब्द का प्रयोग करें...*(व्यवधान)* मैं इस विषय पर आपसे चर्चा नहीं करना चाहता। परन्तु आवश्यकता के समय सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन्स ही बचाव कार्यों में आगे आती हैं। हमें लेबनान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना था। किस एयरलाइन्स ने रात में ही अपनी उड़ानों को रद्द किया और लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला? इसलिए लूटने जैसे शब्द का प्रयोग न करें। मैं इसकी प्रशंसा नहीं करता हां हम किराया कम करने के इच्छुक हैं।

अध्यक्ष महोदय: शायद, 18,000 रु. के किराये के बाद भी सभी सीटें भरी हैं।

श्री प्रफुल पटेल: अपनी बात को न्यायसंगत ठहराने के लिए मेरे पास आकड़े नहीं हैं परन्तु मैं केवल इतना कह सकता हूं कि खाड़ी में कार्य कर रहे केरल राज्य के कामकाजी वर्ग की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एअर इंडिया इसका प्रयास कर रही है। डेढ़ वर्ष पूर्व ही एअर इंडिया ने कम लागत वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस नाम से एक सहायक एयरलाइन्स आरम्भ की है, जिसकी उड़ानें मुख्यत: केरल और खाड़ी के मध्य केन्द्रित हैं। यह एअर इंडिया की पूर्व सेवाओं का विकल्प है क्योंकि इसमें लागत कम है, जिस कारण से किराया कम हो गया है।

सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ विषयों पर मैं गौर करूंगा *...(व्यवधान)* मुझे उत्तर देने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया खड़े मत होइये। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ऐसे किसी भी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर न दें जिसको मैंने प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, किराए में बढ़ोत्तरी इतनी ज्यादा है कि जो मुंबई से दिल्ली का फेयर 5200 रुपए था, वह सात-आठ महीने में 7200 रुपए हो गया है। यह बात सही है कि फ्यूल का भाव बढ़ता जा रहा है। एक टिकट में 200-300 रुपए तक बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आजकल यह हो रहा है कि अगर हमें मुंबई से दिल्ली आना है और दिल्ली से मुंबई जाना है तो हमें दो घंटे या एक घंटा 50 मिनट का समय लगता है। ऐसा भी होता है कि हमें ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से ऊपर एक घंटा घूमाते हैं और फ्यूल भी ज्यादा लगता है। मेरा प्रश्न इतना ही है कि क्या ये ऊपर घूमाने का पैसा ज्यादा ले रहे हैं, इसका हमें जवाब चाहिए?

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, रामदास जी ने अपने अंदाज में जो पूछना था, वह पूछ लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको हम ज्यादा हवाई सेवा के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगाते।

[अनुवाद]

तेल पर लगाया जाने वाला अधिभार तेल की कीमतों पर आधारित है। मेरे ख्याल से चाहे कोई सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन्स हो अथवा निजी क्षेत्र की एयरलाइन्स हो वे इस प्रकार का अधिभार आर्थिक पक्षों को ध्याम में रखते हुए लगाना जारी रखेंगी।

महोदय, आपने कहा है जब तक बारी न आए उत्तर ना दिया जाए, फिर भी मैं केरल के अपने मित्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केरल और खाड़ी के मध्य न केवल एअर इंडिया एक्सप्रेस बल्कि हमने खाड़ी और केरल के मध्य अमीरात, कतर एयरवेज, एयर अरब तथा कुवैत एयरवेज की उड़ानों को भी अनुमति दी है जिसके कारण क्षमता में वृद्धि हुई है; प्रतियोगिता बढ़ी है; और जिस कारण से किराये में कमी हुई है।

अध्यक्ष महोदय: किसी और को बोलने दिया जाए और फिर कलकत्ता से।

[हिन्दी]

प्रश्न 164 - श्री जी. करूणाकर रेड्डी - अनुपस्थित

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

+

***164. श्री प्रभुनाथ सिंह:**

श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाई यातायात क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा के विनियमन के लिए कोई प्राधिकरण विद्यमान है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने एक स्वतंत्र विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ए.ई.आर.ए.) स्थापित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदी हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) हवाईअड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रारूप बिल के लिए अन्तरमंत्रालयी विचार-विमर्श प्रगति पर है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कुछ भी नहीं बताया है, केवल एक सादा कागज दे दिया है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या आपको यह जानकारी है कि विमान पत्तनम क्षेत्र में निरंतर प्रसार को देखते हुए विमान पत्तनम निर्देशालय को पुनर्गठित करने हेतु "एम.के. का" कमेटी का अनुमोदन प्राप्त है और इस अनुमोदन में प्रशासनिक एवं आर्थिक स्वायत्तता देने की बात की भी अनुशंसा की गई है?

अध्यक्ष महोदय, काव कमेटी की अनुशंसा के आलोक में क्या मंत्री महोदय विमान पत्तनों के पुनर्गठन का विचार रखते हैं?

श्री प्रफुल पटेल: सर, माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने काव कमेटी का यहां उल्लेख किया है। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि देश में जिस गति से हवाई सेवाएं बढ़ रही हैं उसमें सुरक्षा और तकनीकी तथा अन्य जो सुधार हो सकते हैं, उनके बारे में सुझाव देने के लिए हमने इस नई कमेटी का गठन किया था। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, इसमें से यह उत्पन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने एक प्रयास किया है और काव कमेटी के जो सुझाव हैं, उनमें से करीब-करीब बहुत सारे सुझाव माने गए हैं और जो बाकी हैं उनके बारे में और अध्ययन करने की जरूरत है। उसके लिए हमारी कार्रवाई जारी है। मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से काव कमेटी की रिपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, यदि प्रश्न का उत्तर आता है, तो उसमें से सप्लीमेंट्री निकलता है। चूंकि उत्तर ही नहीं आया, तो सप्लीमेंट्री उसमें से नहीं निकली। इसलिए मैं अपने मन से ही सप्लीमेंट्री पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: जब आपको सप्लीमेंट्री पूछनी ही नहीं है, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, पूछा गया अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: वे अप्रतिरोध्य हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप जानकारी दे रहे हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, जानकारी भी दे रहा हूं और प्रश्न भी पूछ रहा हूं। जहां तक मुझे जानकारी है वर्ष 2010 तक लगभग 4000 पायलटों की आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान में भी पायलट और इंजीनियरों की उपलब्धता में कमी है जिसके कारण तकनीकी दृष्टिकोण से हवाई जहाजों के उड़ान के टाइम बदले जाते हैं और रख-रखाव में भारी कमियां रहती हैं। दूसरी तरफ ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कुछ विदेशी मुल्कों के पायलटों को विभिन्न कंपनियों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 2010 तक जो डिमांड उच्च कोटि के इंजीनियरों और पायलटों की होगी उसके लिए आप क्या रास्ता निकाल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न इस प्रश्न के दायरे में नहीं आता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न, इसी के दायरे में आता है।

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: निश्चित रूप से, मैं आपसे सहमत हूं। यदि आप उत्तर जानते हैं तो उन्हें बता दें।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, वास्तव में यह अगले प्रश्न से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, मैं अगला प्रश्न लूंगा।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मुझे लगता है कि यदि आप दोनों प्रश्नों को सम्मिलित कर दें तो इस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं मिल जाएगा।

माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके मूल में है पायलटों की कमी। मैंने पहले भी इसका उत्तर देने का प्रयास किया था कि इसमें बहुत नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई है और पायलट कोई ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें रातोंरात किसी विमान का नियंत्रण सौंपा जा सके जब तक कि वे कुछ निर्धारित घंटों तक विमान उड़ाने का अनुभव प्राप्त न कर लें तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता और यह सुरक्षा के हित में भी है। हमारे डी.जी.सी.ए. तथा इंटरनैशनल सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

यहां कमी है। परन्तु हम इसे इस क्षेत्र की उन्नति की राह में नहीं आने देंगे और इसीलिए हमने एक निर्धारित समयावधि के लिए सुरक्षा जांच और डी.जी.सी.ए. तथा अन्य एजेंसियों द्वारा निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विदेशी पायलटों को भी इसकी अनुमति प्रदान की है।

[अनुवाद]

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पायलटों को देश में ही प्रशिक्षण अब बहुत आवश्यक हो गया है। विगत में ऐसी प्रगति और पायलटों का आउटपुट एक दूसरे के समान हुआ करते थे। किंतु अब देश में लगभग 15 से भी अधिक उड़ान प्रशिक्षण संस्थान हैं। हमारे पास फुर्सतगंज में आई.जी.आर.यू.ए. में भारत सरकार का अपना प्रमुख संस्थान है और दूसरा संस्थान महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। हमने लोगों को आगे आकर संस्थान की स्थापना करने हेतु बढ़ावा दिया है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होगी कि विदेश से आने वाले नहीं बल्कि स्वदेशी पायलटों की आपूर्ति बढ़ रही है। इसके अलावा, कोई भी विमान सेवा विदेशी पायलटों की सेवा नहीं लेना चाहती क्योंकि यह उन्हें महंगी पड़ती है। हमें अपने स्वयं के पायलट रखने का स्वाभाविक लाभ मिल रहा है और हम इस ओर प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम अगला प्रश्न भी इस प्रश्न के साथ जोड़ देते हैं।

[हिन्दी]

नागर विमानन क्षेत्र का विकास

+

*165. **श्री काशीराम राणा:**

श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नागर विमानन क्षेत्र के विकास हेतु कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं/की जा रही हैं;

(ख) इन योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना/परियोजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) प्रत्येक योजना/परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) प्रश्न के भाग (क), (ख) तथा (ग) के संबंध में उत्तर निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना की लागत	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	दिल्ली हवाईअड्डे की पुनर्संरचना तथा आधुनिकीकरण	7438.00	योजना को सार्वजनिक-निजी पद्धति के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है। संयुक्त उद्यम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इक्विटी 26% तक है। हवाईअड्डे को मई, 2006 में संयुक्त उद्यम को हस्तांतरित किया गया।
2.	मुम्बई हवाईअड्डे की पुनर्संरचना तथा आधुनिकीकरण	10015.00	योजना को सार्वजनिक-निजी पद्धति के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है। संयुक्त उद्यम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी 26% तक है। हवाईअड्डे को मई, 2006 में संयुक्त उद्यम को हस्तांतरित किया गया।
3.	बंगलौर में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण	1411.79	परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत बनाओ, प्रचालित करो और हस्तांतरित करो (बी.ओ.ओ.टी.) के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। ए.टी.सी.टॉवर, रनवे तथा टर्मिनल भवन, चारदीवारी तथा हवाईअड्डा सुरक्षा दीवार के लिए सिविल कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2008 के मध्य तक परियोजना के प्रचालनिक हो जाने की सम्भावना है।
4.	हैदराबाद में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण	1760.00	परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत बनाओ, प्रचालित करो और हस्तांतरित करो (बी.ओ.ओ.टी.) के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। वर्ष 2008 के मध्य तक परियोजना के प्रचालनिक हो जाने की सम्भावना है।
5.	विशाखापत्तनम हवाईअड्डे का विकास	159.00	कार्य प्रगति पर है और दिसम्बर, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
6.	अहमदाबाद हवाईअड्डे पर नए अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण	291.00	सितम्बर, 2006 तक कार्य को प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है।

1	2	3	4
7.	मुम्बई हवाईअड्डे पर टर्मिनल 1-बी का विस्तार एवं सुधार	107.00	कार्य प्रगति पर है, 90% कार्य पूरा हो चुका है।
8.	कोलकाता हवाईअड्डे पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के प्रस्थान ब्लाक का निर्माण	225.18	परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।
9.	त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डे पर नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का निर्माण	167.00	निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।
10.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र योजनाएं**		
क.	लीलाबाड़ी हवाईअड्डे पर नए टर्मिनल भवन, नियंत्रण टॉवर-सह-तकनीकी ब्लॉक, फायर स्टेशन, आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।	18.45	कार्य पूरा हो चुका है।
ख.	अगरतला हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन तथा वातानुकूलन का निर्माण, विस्तार तथा सुधार	27.61	कार्य पूरा हो चुका है।
ग.	अगरतला हवाईअड्डे पर रनवे का निर्माण तथा विस्तार, आइसोलेशन बे का निर्माण तथा संबद्ध कार्य	28.70	कार्य पूरा हो चुका है।
घ.	डिब्रूगढ़ हवाईअड्डे पर भूमि के अधिग्रहण सहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण	54.52	कार्य प्रगति पर है।
11.	सैटेलाइट नेवीगेशन एरिया ऑगमैन्टेशन सिस्टम (गगन परियोजना)	420.00	प्रगति पर है, 11वीं योजना अवधि के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है।
12.	(क) अमृतसर हवाईअड्डे का विकास	80.00	एयरोब्रिज को छोड़कर, शेष कार्य पूरा हो चुका है।
	(ख) अमृतसर हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन का मोड्यूलर विस्तार	80.00	पूर्व-अर्हता बोलियां आयोजित की जा चुकी हैं।
13.	35 गैर-मैट्रो हवाईअड्डों का विकास	6162.00	35 गैर-मैट्रो हवाईअड्डों का विकास कार्य वर्ष 2010-11 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।
14.	एअर इंडिया द्वारा 50 विमानों का अर्जन	30276.00	विमानों की डिलीवरी फरवरी, 2012 तक पूरी होनी है।
15.	एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड द्वारा 18 बी 737-800 विमानों का अर्जन	4339.00	विमानों की डिलीवरी अक्तूबर, 2009 तक पूरी होनी है।
16.	इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड द्वारा 43 विमानों का अर्जन	9890.00	पहले विमान की डिलीवरी अक्तूबर/नवम्बर, 2006 में तथा अन्तिम विमान की डिलीवरी मार्च, 2010 में अनुसूचित है।

1	2	3	4
17.	पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. द्वारा मध्यम श्रेणी के हेलीकाप्टरों का अर्जन	310.00	6 हेलीकॉप्टर अर्जित कर लिए गए हैं और अन्य तीन के अर्जन की प्रक्रिया चल रही है।
18.	इग्नुआ का स्तरोन्नयन ताकि अकादमी की क्षमता बढ़कर प्रतिवर्ष 100 पायलटों को प्रशिक्षित करने की हो जाए	70.14	6 ट्रेनर विमानों की डिलीवरी पूरी हो चुकी है। 11 अतिरिक्त विमानों को अर्जित किया जाना प्रस्तावित है। जहां तक रनवे, होस्टल भवनों के निर्माण आदि जैसी अवसंरचना के विकास/उन्नयन का संबंध है, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। 11वीं योजना अवधि के दौरान स्कीम के पूरी हो जाने की सम्भावना है।
19.	गोंदिया, महाराष्ट्र में उड़ान प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना	364.31	निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।
20.	एक एकल-इंजन तथा आठ मल्टी इंजन प्रशिक्षण विमानों की खरीद।	12.79	एयरो क्लब ऑफ इंडिया में विमानों की खरीद के लिए निविदाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष जी, यह अच्छी बात है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश के बहुत सारे एयरपोर्ट्स डैवलप करने के लिए और जो मैट्रो एयरपोर्ट्स हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए, माडर्नाइजेशन के लिए उन्होंने एक बहुत एम्बीशियस प्लान बनाया है, लेकिन यह एम्बीशियस प्लान होते हुए भी फंड्स के अभाव में, चाहे माडर्नाइजेशन का हो, चाहे अपग्रेडेशन का हो या डैवलपमेंट का हो, यह काम बहुत स्लो हो रहा है, बहुत ढीला हो रहा है। इसके लिए भी एक्स्ट्रा कास्ट लगती है, बहुत नुकसान इस देश के ट्रेड एण्ड बिजनेस को हो रहा है, पैसेंजर्स को हो रहा है। मैं आपके थ्रू यह जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा एम्बीशियस प्लान लेकर जब मिनिस्ट्री चल रही है, तब क्या इनफ फंड के लिए आपने कोई व्यवस्था की है या नहीं? जैसे अहमदाबाद इण्टरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां काम पूरा होना था, लेकिन अभी भी जवाब में कहा गया है कि 'सितम्बर, 2006 तक कार्य के निर्धारण की सम्भावना है।' मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तो वर्क सितम्बर महीने में एवार्ड होना है तो यह कब पूरा होगा, इसके लिए मंत्री जी क्या कुछ करेंगे? फंड्स के अभाव में सभी एयरपोर्ट्स में जो डिले हो रही है, इसके लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं?

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मुझे मालूम था कि काशीराम राणा जी क्वश्चन पूछेंगे और उन्होंने सूरत के स्लो काम का नाम न लेते हुए सूरत के बारे में इनडायरैक्टली पूछ लिया। सूरत में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ था, उसकी वजह थी कि कांट्रैक्ट के साथ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अहमदाबाद के बारे में पूछ रहे हैं और आप सूरत के बारे में बता रहे हैं।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मुझे पता है कि कोई और इसके बारे में पूछेगा। इसलिए, मैं इसे पहले ही ले रहा हूं। सूरत में छोटा सा विवाद था और उसे हल कर लिया गया है। चूंकि हम इसका दर्जा प्रारम्भिक योजना के स्तर से और आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए हम इसे ए-320 के परिचालन हेतु सक्षम बना रहे हैं। यह कार्य मार्च, 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा।

जहां तक अहमदाबाद विमानपत्तन का संबंध है तो वह स्वयं कह रहे हैं कि हम इस बात पर सहमत हैं कि हम सितम्बर, 2006 तक कार्य सौंप देंगे। इसे पूरा होने में दो माह से ज्यादा नहीं लगने चाहिएं। अहमदाबाद के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जो कि हमें किसी भी क्षण मिल सकती है। जैसे ही मंजूरी मिलती है हम कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

श्री काशीराम राणा: किंतु यह पूरा कब तक होगा?

श्री प्रफुल पटेल: यह चार माह में पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका सैकिण्ड सप्लीमेंटरी है तो पूछिये।

श्री काशीराम राणा: महोदय, जैसा जवाब दिया गया है कि दो महीने में काम हो जायेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि अहमदाबाद इण्टरनेशनल एयरपोर्ट का वर्क कब कमेंस होगा और कब कम्पलीट हो जायेगा? मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है, इसमें कहा गया है कि 35 नॉन मैट्रो एयरपोर्ट्स हैं, जिनको डैवलप करने के लिए माननीय मंत्री जी ने सुझाव दिया है कि 2010-2011 में वह सब पूरा होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैट्रो एयरपोर्ट को आप पी.पी. बेस के ऊपर माडर्नाइज कर रहे हैं, इन 35 नॉन मैट्रो एयरपोर्ट्स को आप किस बेस पर डैवलप करेंगे? क्या पी.पी. बेस पर करेंगे या कोई और सिस्टम आप इस्तेमाल करेंगे? इसके साथ-साथ नॉन मैट्रो एयरपोर्ट्स में सूरत आता है। यह अच्छा है कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया। सूरत बहुत बड़ा सिटी है, आज 40 लाख की वहां पोपुलेशन है, यह एयरपोर्ट जल्दी पूरा हो जाये, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने उत्तर दे दिया है। आप इसे दोबारा क्यों उठा रहे हैं? अन्यथा वह पुनर्विचार करेंगे। ऐसा मत कीजिए।

श्री प्रफुल पटेल: मैंने अहमदाबाद विमानपत्तन के बारे में पर्यावरण संबंधी मंजूरी की बात की थी तो यह कुछ दिन पूर्व ही यानी 31-7-06 को मिल गई है। अब हम तत्काल अगला कदम उठायेंगे और यथाशीघ्र कार्य शुरू करेंगे।

जहां तक 35 गैर-महानगरीय विमानपत्तनों का संबंध है तो मेरा कहना है कि हमने सम्पूर्ण देश में द्वितीय टियर शहरों की प्रगति को सुगम बनाने के लिए विशेष रूप से इस पर विचार किया है। हम सब मानते हैं कि मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तनों के लिए संयुक्त उद्यम की पहल करने का एक कारण था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इन कार्यों से मुक्त करना। इसलिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शीर्ष एजेंसी होगी जो इन 35 गैर-महानगरीय विमानपत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण करेगी। हमने यह भी सोचा है कि जब विमानपत्तनों का संचालन विमानपत्तन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करेगा तो इन विमान-पत्तनों के आस-पास के शहरों का भी विकास होगा। हम विभिन्न विकास कर सकते हैं जैसा कि हमने बड़े शहरों तथा बड़े विमानपत्तनों में देखा है। यह दूसरे माडल द्वारा किया जा सकता है जिसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है। किंतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानपत्तन विकसित करेगा।

श्री काशीराम राणा: महोदय, सूरत विमानपत्तन के बारे में बताईये।

अध्यक्ष महोदय: कृपया उस प्रश्न का उत्तर न दें। कृपया बैठ जाइये।

श्री अंजन कुमार एम. यादव - उपस्थित नहीं

श्री सर्वानन्द सोनोवाल।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, मैं असम में डिब्रूगढ़ विमानपत्तन का दर्जा बढ़ाने के बारे में एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं दर्जा बढ़ाने के लिए विशेषकर डिब्रूगढ़ विमानपत्तन के लिए नए टर्मिनल भवन के निर्माण और भूमि के अधिग्रहण हेतु 54.52 करोड़ रुपए देने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

अब स्थानीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारियों ने मुझे सूचित किया है कि धावनपट्टी के विस्तार हेतु भूमि का अधिग्रहण कठिन होगा क्योंकि वह विशेष भूमि भारतीय वायु सेना और भारतीय थल सेना से संबंधित है। इसलिए जब तक रक्षा मंत्रालय हमारी सहायता नहीं करता तब तक यह विस्तार विशेषरूप से धावनपट्टी के संबंध में प्रस्ताव संभव नहीं होगा। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर माननीय रक्षा मंत्री से विचार-विमर्श करें ताकि वे इस विस्तार परियोजना को वहां संभव बनाने की इजाजत दे सकें।

अध्यक्ष महोदय: अनुरोध कोई प्रश्न नहीं होता।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, हमने वहां कार्य शुरू करा दिया है। हमने धन स्वीकृत कर दिया है और कार्य प्रगति पर है। आपको भी इसकी जानकारी है।

जहां तक कुछ अन्य चीजों का संबंध है जिन पर भारतीय वायु सेना के साथ बात करनी है तो मैं निश्चय ही श्री प्रणब मुखर्जी - जो इस समय उपस्थित हैं - और वायु सेना के अन्य अधिकारियों के साथ बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास पानागढ़ विमानपत्तन के बारे में एक अनुरोध है।

श्री ए. कृष्णास्वामी: धन्यवाद, महोदय। चेन्नै विमानपत्तन का विस्तार और आधुनिकीकरण पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित है। मुझे पता चला है कि चेन्नै विमानपत्तन के विस्तार हेतु 1500 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी परन्तु लोगों ने उस भूमि को आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित कर लिया है। अब उन लोगों से भूमि खाली कराना बहुत कठिन है क्योंकि वे निरंतर इसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं।

मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

चेन्नै विमानपत्तन पर वायु यातायात को कम करने के लिए वहां विस्तार कार्य को तेज करने हेतु मंत्रालय का क्या प्रस्ताव है? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चेन्नै विमानपत्तन पर सम्पूर्ण भारत से बहुत अधिक यातायात आता है। क्या बंगलौर और हैदराबाद की तरह यहां भी एक नए अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण की कोई योजना है? इसका कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय सदस्य हरेक शहर के लिए यह प्रश्न पूछेंगे। इस प्रश्न के अंतर्गत यह कैसे पूछा जा सकता है।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, चेन्नै और कोलकाता विमानपत्तन दो प्रमुख विमानपत्तन हैं जो उन छः प्रमुख मेट्रो विमानपत्तनों में से हैं जिनका आधुनिकीकरण किया जाना है। वास्तव में हम इसके लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। मुख्य मंत्री ने भी मुझे इस बारे में लिखा है।

हमें पश्चिम बंगाल सरकार से भी पत्र मिला है। अवसंरचना संबंधी प्रधान मंत्री समिति को भी सूचित कर दिया गया है। हमें आशा है कि अगले कुछ माह में शीघ्र ही कोई समाधान निकल जाएगा ताकि देश के अन्य विमानपत्तनों के साथ कार्य समय पर शुरू हो सके और पूरा हो सके।

अध्यक्ष महोदय: यदि इसके लिए धन भी उपलब्ध हो तो।

श्री हितेन बर्मन: महोदय, मंत्री के उत्तर के अनुसार बागडोगरा विमानपत्तन सबसे महत्वपूर्ण विमानपत्तन है परन्तु बागडोगरा विमानपत्तन के विस्तार और उन्नयन के लिए कोई योजना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री हितेन बर्मन: बागडोगरा विमानपत्तन के विकास के लिए सरकार का क्या विचार है?

दूसरे कूच बिहार विमानपत्तन के लिए कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। मंत्रालय वहां विमानपत्तन कब प्रारम्भ करेगा?

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है - क्योंकि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है - बागडोगरा विमानपत्तन पर बहुत अच्छा टर्मिनल है। वहां की सुविधाएं पूरी तरह हमारी अपनी नहीं है उनमें रक्षा प्रतिष्ठानों की भी भागीदारी है। किंतु यदि माननीय मंत्री के पास ऐसा कोई सुझाव है कि हम वहां स्थिति बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं तो मुझे जानकर प्रसन्नता होगी।

जहां तक कूच बिहार का संबंध है तो यह पहले ही विकास के अग्रिम चरण में है। मुझे आशा है कि 2007 तक हम कूच बिहार तक उड़ान भर सकेंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय आप भी उस पर सवार होंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह हरेक शहर और हरेक नगर के लिए, जिसके लिए आप उनसे पूछें, प्रश्न-उत्तर सत्र नहीं हो सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री समिक लाहिरी: महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व खुले आकाश ओपेन स्काय की नीति घोषित की गई थी और उस समय सरकार ने 10 प्रतिशत की विकास दर की परिकल्पना की थी किंतु इसने हर चीज को पीछे छोड़ दिया। अब हमने 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच विकास दर्ज किया है। किंतु सभी महानगरीय विमानपत्तनों में भारी भीड़भाड़ है। इसलिए जब दसवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो सरकार ने इन विमानपत्तनों के विस्तार और उनकी क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया था।

मंत्री जी के उत्तर में हमने देखा है कि जहां तक सभी महानगरों में विमानपत्तनों के उन्नयन का प्रश्न है तो अधिकांश परियोजनाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं। कोलकाता, मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तनों सहित सभी महानगरीय विमानपत्तनों पर अभी भी भारी भीड़भाड़ है जिससे मूल्य वृद्धि भी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री समिक लाहिरी: मेरा प्रश्न है कि क्या आपके पास इन सभी परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई समयबद्ध योजना है। कोलकाता के मामले में आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया है हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्पष्ट तौर पर विमानपत्तन के आधुनिकीकरण के बारे में अपनी राय दे दी है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य कारणों की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरा आप इसे कब पूरा करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सहमत नहीं हो पा रहे हैं।

श्री प्रफुल पटेल: निश्चय ही सर्वाधिक भीड़भाड़ मुम्बई और दिल्ली में है। इस बात से इंकार नहीं है कि यदि अन्य विमानपत्तनों का भी समय रहते उन्नयन नहीं किया गया तो वहां भी निकट भविष्य में इसी तरह की समस्या होगी। इस बात से भी इंकार नहीं है कि कोलकाता, चेन्नै और अन्य विमानपत्तनों का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है। यहां तक कि अहमदाबाद, जयपुर, अमृतसर इत्यादि जैसे स्थानों पर भी ऐसी स्थिति है कि कुछ वर्षों में वहां भी इस तरह की समस्या पैदा होगी।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि समयबद्ध उन्नयन होना चाहिए। हम समयबद्ध उन्नयन पर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए, इन सभी 35 गैर-मेट्रो परियोजनाओं को एक साथ ही आरंभ किया जाएगा। कुछ मुद्दों पर तो माननीय सदस्य को ही हमारी सहायता करनी चाहिए। प्रत्येक विमानपत्तन पर आगे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे हैं। राज्य सरकारें इच्छुक हैं परन्तु कई बार उस ओर से भी विलंब होता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रक्रिया में सहायता करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, आपकी सिटी कौन सी है?

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मेरी यही सीट है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी सिटी पूछ रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: इलाहाबाद।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय नागर विमानन मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश आजादी की लड़ाई का केन्द्र बिन्दू रहा है और वहां केन्द्र और राज्य सरकार के ज्यादातर ऑफिसेज हैं। वहां एयर फोर्स का रनवे है। यही नहीं, सी.ए.टी.सी. का...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सिर्फ सिटी का नाम बता दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: पूरे हिन्दुस्तान में सबसे पहला विमान वहीं से उड़ा था। लेकिन इस बीच जनवरी से इलाहाबाद में अर्ध कुंभ मेला भी होने वाला है। वहां निजी, सरकारी या इंडियन एयरलाइन्स का कोई भी विमान नहीं है। वहां ज्यादातर देश-विदेश से सैलानी आते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देते हुए क्या वहां रनवे बनाकर विमान उड़ाने की आपकी कोई योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रत्येक शहर के लिए नहीं है। बहुत हो चुका।

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और श्री रेवती रमन सिंह, जिन्होंने नहीं बोला, दोनों इलाहाबाद के लिए मुझे बार-बार मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहां ज्यादा से ज्यादा विमान सेवाएं बढ़ें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक शहर के लिए एक अलग मांग रखी जा रही है। चौधरी लाल सिंह; आज कोई 'शून्य काल' नहीं है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, जम्मू एयरपोर्ट पर जहाज उतरता नहीं है बल्कि ऐसे गिरता है जैसे ब्लास्ट होता है। वहां रन-अप ही नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। जहां रन-अप नहीं है वहां क्या होगा।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां के एयरपोर्ट के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? आपने बहुत बार कहा है कि हम इसका रन-अप बढ़ाएंगे, इसकी फैसीलिटी देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे इस पर ध्यान देंगे।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: आप मेरे प्रश्न की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? यह क्या है?

अध्यक्ष महोदय: मुझे ध्यान है कि गत सत्र में मैंने नागर विमानन पर विशेष चर्चा की अनुमति दी थी, और प्रत्येक सदस्य ने केवल अपने शहरों के बारे में ही पूछा था।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे आपको जानकारी दे देंगे; वे आपको लिखकर भेजेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप इन्हें उत्तर भेज दें।

रेल वैगन विनिर्माण इकाइयां

***168. श्री जोवाकिम बखला:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की रेल वैगन विनिर्माण इकाइयों में उनकी काफी अधिक विनिर्माण क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम द्वारा कितने रेल वैगनों का विनिर्माण किया गया और संस्थापित क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(ग) इन इकाइयों में क्षमता का उपयोग बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा रेलवे वैगनों की विनिर्माण क्षमता तथा उत्पादन निम्नानुसार है:-

(एफ.डब्ल्यू. इकाई में)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम	वर्तमान विनिर्माण क्षमता	उत्पादन		
			2003-04	2004-05	2005-06
1.	बर्न स्टैंड्र्ड कम्पनी (बी.एस.सी.एल.)	5250	2190	2282	1982
2.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (बी.सी.एल.)	3000	1225	1000	1302
3.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि. (बी.डब्ल्यू.ई.एल.)	2200	285	440	702
4.	ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लि. (बी. एण्ड आर.)	450	265	390	285
	योग	10900	3965	4112	4271

वर्तमान विनिर्माण क्षमता की कम उपयोगिता के मुख्य कारण हैं:-

निशुल्क मैचिंग आपूर्ति मदों यथा-बोगी, काप्लर, व्हील, सेट, इस्पात एवं बेयरिंग की विलम्ब से तथा अपर्याप्त आपूर्ति; बाह्य विक्रेताओं से बोगी तथा काप्लरों की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी की कमी; रेलवे द्वारा खुला निविदा नीति अपनाने के कारण वैगन के मूल्य में अचानक गिरावट होना जिससे सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यम आदान मूल्य में वृद्धि से उच्च उपरिखर्च के कारण अप्रतिस्पर्द्धात्मक हो गए; मुख्य उपभोक्ताओं द्वारा सतत् आपूर्ति आदेश में कमी; आदि।

(ग) क्षमता उपयोगिता में सुधार लाने के लिए सरकार ने ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बी एंड आर) के लिए वर्ष 2005 में तथा ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बी.सी.एल.) के लिए वर्ष 2006 में पुनरुद्धार स्कीमों की मंजूरी दी है। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.) तथा भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बी.डब्ल्यू.ई.एल.) के लिए पुनरुद्धार स्कीमें प्रक्रियाधीन है। निशुल्क जारी महत्वपूर्ण मदों की आपूर्ति में सुधार करने तथा क्रयादेश बढ़ाने के लिए रेलवे के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

श्री जोवाकिम बखला: माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में

जो आंकड़े दिए हैं उनसे यह परिलक्षित होता है कि उत्पादन में कमी आई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उत्पादन क्षमता की तुलना में उत्पादन में बहुत तेजी से कमी आई है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि इसका मुख्य कारण प्रमुख उपभोक्ताओं की ओर से लगातार क्रयादेश न मिलना है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपूर्ति के इस अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव: हमें पर्याप्त क्रायदेश मिल रहे हैं। दुर्भाग्यवश, कारखाने रेलवे की मांग को पूरा करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं। हम पश्चिम बंगाल और बिहार से हमारे माननीय सदस्यों की सहायता ले रहे हैं। अब यह बेहतर हुआ है, मुझे आशा है कि यह और अधिक बेहतर होगा। मैं रेल मंत्री जी से मिला था। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि अब पर्याप्त मात्रा में क्रयादेश मिलेंगे। मैं मजदूर संघों से यह अपील करूंगा कि वे हमें सहयोग दें, जो कि वे दे भी रहे हैं, और उत्पादन को बढ़ाएं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अनाज घोटाला

***167. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना में हाल ही में एक अनाज घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खाद्य सामग्री की खरीददारी में अनियमितताएं बरते जाने की शिकायतें जुलाई, 2005 से सितंबर, 2005 की अवधि में मिली थीं। चूंकि यह एक प्रथम दृष्टया मामला था, इसलिए सेना मुख्यालय ने एक जांच अदालत द्वारा इसकी जांच करवायी।

(घ) और (ङ) मसूर साबुत, काबुली चना, संदलित जौ तथा पिसे चने की व्यवस्था कराने तथा उनकी आपूर्ति करने के संबंध में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य तथा कर्तव्य निर्वहन में कतिपय चूक/गलतियां उजागर हुई हैं। जांच अदालत ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर सक्षम प्राधिकारी ने सैन्य कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई शुरू किए जाने का निदेश दिया है।

होटलों को उद्योग का दर्जा

***168. श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में होटलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त दर्जा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से राजस्व अर्जन

***169. श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री सज्जन कुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कया रेलवे ने सुपर फास्ट मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में प्रोन्नत की गई/प्रोन्नत की जाने वाली मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से राजस्व अर्जित किए जाने के बारे में कोई आकलन किया है जैसा कि दिनांक 5 जुलाई, 2006 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रोन्नयन के लिए अब तक चुनी गई रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ग) ऐसी रेलगाड़ियों पर कितना और अधिभार लगाया गया है;

(घ) क्या यात्रा समय में कमी के अलावा ऐसी रेलगाड़ियों में यात्रियों को कोई और भी सुविधाएं दी जाती हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या हाल ही में प्रोन्नत की गई कुछ रेलगाड़ियों से सुपर फास्ट का दर्जा वापस लेने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 1-7-06 से अपग्रेड की गई 70 जोड़ी गाड़ियों की सूची संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ग) सभी सुपर फास्ट गाड़ियों (विगत की और मौजूदा) द्वारा यात्रा करने पर प्रति यात्रा वसूल किए जाने वाले अतिरिक्त अधिभार का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

श्रेणी	प्रति यात्री अधिभार
द्वितीय	10 रु.
स्लीपर	20 रु.
ए.सी. कुर्सीयान, प्रथम, ए.सी. 3-टियर और ए.सी. 2-टियर	30 रु.
ए.सी. प्रथम	50 रु.

प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के सीजन टिकट धारकों के लिए मासिक तथा तिमाही सुपरफास्ट अधिभार टिकट के लिए प्रभार क्रमशः 15 तथा 45 इकहरी यात्रा के सुपरफास्ट अधिभार के बराबर है:-

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1-7-2006 से चलाई गई सुपर फास्ट गाड़ियां

क्र. सं.	गाड़ी सं.	संशोधित गाड़ी सं.	प्रारंभिक/गंतव्य स्टेशनों सहित गाड़ी का नाम
1	2	3	4
1.	1423	2115	मुंबई-सोलापुर सिद्धेश्वर एक्सप्रेस
2.	1424	2116	सोलापुर-मुंबई सिद्धेश्वर एक्सप्रेस
3.	1403	2117	लोकमान्य तिलक (ट) मनमाड एक्सप्रेस
4.	1404	2118	मनमाड-लोकमान्य तिलक (ट) एक्सप्रेस
5.	1025	2125	मुंबई-पुणे प्रगति एक्सप्रेस
6.	1026	2126	पुणे-मुंबई प्रगति एक्सप्रेस
7.	1033	2133	पुणे-दरभंगा एक्सप्रेस
8.	1034	2134	दरभंगा-पुणे एक्सप्रेस

1	2	3	4
9.	1451	2143	नागपुर-गया दीक्षाभूमि एक्सप्रेस
10.	1452	2144	गया-नागपुर दीक्षा भूमि एक्सप्रेस
11.	1053	2147	श्री छत्रपति साहू महाराज (ट) निजामुद्दीन एक्सप्रेस
12.	1054	2148	निजीमुद्दीन - श्री छत्रपति साहू महाराज (ट) एक्सप्रेस
13.	1159	2175	ग्वालियर-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस
14.	1160	2176	ग्वालियर-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस
15.	1181	2177	हावड़ा-आगरा चंबल एक्सप्रेस
16.	1182	2178	आगरा-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस
17.	1469	2181	जबलपुर-जयपुर दायोदया एक्सप्रेस
18.	1470	2182	जयपुर-जबलपुर दायोदया एक्सप्रेस
19.	1273	2183	भोपाल-लखनऊ एक्सप्रेस
20.	1274	2184	लखनऊ-भोपाल एक्सप्रेस
21.	1267	2187	भोपाल-रीवा एक्सप्रेस
22.	1268	2188	रीवा-भोपाल एक्सप्रेस
23.	1449	2189	जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन महाकौशल एक्सप्रेस
24.	1450	2190	हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस
25.	4025	2225	आजमगढ़-दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस
26.	4026	2226	दिल्ली-आजमगढ़ कैफियत एक्सप्रेस
27.	4231	2231	लखनऊ-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस
28.	4332	2232	चण्डीगढ़-लखनऊ एक्सप्रेस
29.	3073	2331	हावड़ा-जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस
30.	3074	2332	जम्मू तवी-हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस
31.	3027	2333	हावड़ा-वाराणसी विभूति एक्सप्रेस
32.	3028	2334	वाराणसी-हावड़ा विभूति एक्सप्रेस
33.	3447	2335	भागलपुर-लोकमान्य तिलक (टी) एक्सप्रेस
34.	3448	2336	लोकमान्य तिलक (टी)-भागलपुर एक्सप्रेस
35.	3015	2337	हावड़ा-बोलपुर शांति निकेतन एक्सप्रेस

1	2	3	4
36.	3016	2338	बोलपुर-हावड़ा शांति निकेतन एक्सप्रेस
37.	3029	2339	हावड़ा-धनबाद कोलफील्ड एक्सप्रेस
38.	3030	2340	धनबाद-हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस
39.	3035	2341	हावड़ा-आसनसोल अग्निवीणा एक्सप्रेस
40.	3036	2342	आसनसोल-हावड़ा अग्निवीणा एक्सप्रेस
41.	3231	2351	हावड़ा-दानापुर एक्सप्रेस
42.	3232	2352	दानापुर-हावड़ा एक्सप्रेस
43.	4847	2479	जोधपुर-बांद्रा सूर्या नगरी एक्सप्रेस
44.	4848	2480	बांद्रा-जोधपुर सूर्या नगरी एक्सप्रेस
45.	4721	2481	नई दिल्ली-श्रीगंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस
46.	4722	2482	श्रीगंगानगर-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस
47.	5623	2507	एर्णाकुलम-गुवाहाटी एक्सप्रेस
48.	5624	2508	गुवाहाटी-एर्णाकुलम एक्सप्रेस
49.	5625	2509	बंगलोर-गुवाहाटी एक्सप्रेस
50.	5626	2510	गुवाहाटी-बंगलोर एक्सप्रेस
51.	5012	2511	गोरखपुर-त्रिवेन्द्रम राप्ती सागर एक्सप्रेस
52.	5011	2512	त्रिवेन्द्रम-गोरखपुर राप्ती सागर एक्सप्रेस
53.	5637	2513	सिकन्दराबाद-गुवाहाटी एक्सप्रेस
54.	5638	2514	गुवाहाटी-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस
55.	5221	2521	एर्णाकुलम-बरुनी राप्ती सागर एक्सप्रेस
56.	5222	2522	बरौनी-एर्णाकुलम राप्ती सागर एक्सप्रेस
57.	5090	2589	गोरखपुर-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस
58.	5089	2590	सिकन्दराबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस
59.	5092	2591	गोरखपुर-बंगलोर एक्सप्रेस
60.	5091	2592	बंगलोर-गोरखपुर एक्सप्रेस
61.	6601	2601	चेन्नै-मंगलोर एक्सप्रेस

1	2	3	4
62.	6602	2602	मंगलोर-चेन्नै एक्सप्रेस
63.	6523	2609	चेन्नै-बंगलोर एक्सप्रेस
64.	6524	2610	बंगलोर-चेन्नै एक्सप्रेस
65.	6205	2613	मैसूर-बंगलोर टीपू एक्सप्रेस
66.	6206	2614	बंगलोर-मैसूर टीपू एक्सप्रेस
67.	6039	2669	चेन्नै-छपरा गंगा कावेरी एक्सप्रेस
68.	6040	2670	छपरा-चेन्नै गंगा कावेरी एक्सप्रेस
69.	6033	2687	चेन्नै-देहरादून, एक्सप्रेस
70.	6034	2688	देहरादून-चेन्नै एक्सप्रेस
71.	7069	2689	चेन्नै-नागरकोइल एक्सप्रेस
72.	6080	2690	नागरकोइल-चेन्नै एक्सप्रेस
73.	6703	2693	चेन्नै-तूतीकोरिन पर्ल सिटी एक्सप्रेस
74.	6704	2694	तूतीकोरिन-चेन्नै एगमोर पर्ल सिटी एक्सप्रेस
75.	7001	2701	मुंबई-हैदराबाद हुसैन सागर एक्सप्रेस
76.	7002	2702	हैदराबाद-मुंबई हुसैन सागर एक्सप्रेस
77.	7005	2719	तेनाली-सिकन्दराबाद नागार्जुन एक्सप्रेस
78.	7006	2720	सिकन्दराबाद-तेनाली नागार्जुन एक्सप्रेस
79.	7021	2721	हैदराबाद-हजरत निजामुद्दीन दक्षिण एक्सप्रेस
80.	7022	2722	हजरत निजामुद्दीन-हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस
81.	7007	2727	विशाखापटनम-हैदराबाद गोदावरी एक्सप्रेस
82.	7008	2728	हैदराबाद-विशाखापटनम गोदावरी एक्सप्रेस
83.	7601	2729	पुणे-नादेंड एक्सप्रेस
84.	7602	2730	नादेंड-पुणे एक्सप्रेस
85.	7423	2733	तिरुपति-सिकन्दराबाद नारायणदरी एक्सप्रेस
86.	7424	2734	सिकन्दराबाद-तिरुपति नारायणदरी एक्सप्रेस
87.	7047	2737	काकीनाडा-सिकन्दराबाद गौतमी एक्सप्रेस

1	2	3	4
88.	7048	2738	सिकन्दराबाद-काकीनाड गौतमी एक्सप्रेस
89.	7053	2753	चन्नै सेंट्रल-हैदराबाद एक्सप्रेस
90.	7054	2754	हैदराबाद चेन्नै एक्सप्रेस
91.	7685	2785	काचीगुडा-बंगलोर एक्सप्रेस
92.	7686	2786	बंगलोर-काचीगुडा एक्सप्रेस
93.	7697	2797	काचीगुडा-चितूर वेंकटादरी एक्सप्रेस
94.	7698	2798	चितूर-काचीगुडा वेंकटादरी एक्सप्रेस
95.	8017	2827	हावड़ा-पुरुलिया एक्सप्रेस
96.	8018	2828	पुरुलिया-हावड़ा एक्सप्रेस
97.	8033	2833	अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस
98.	8034	2834	हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस
99.	8613	2835	हटिया-यशवंतपुर एक्सप्रेस
100.	8614	2836	यशवंतपुर-हटिया एक्सप्रेस
101.	8007	2837	हावड़ा-पुरी एक्सप्रेस
102.	8008	2838	पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस
103.	8253	2853	दुर्ग-भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस
104.	8254	2854	भोपाल-दुर्ग-अमरकंटक एक्सप्रेस
105.	8561	2861	विशाखाटनम-निजामुद्दीन लिंक एक्सप्रेस
106.	8562	2862	निजामुद्दीन-विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस
107.	8003	2863	हावड़ा-यशवंतपुर एक्सप्रेस
108.	8004	2864	यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस
109.	8311	2871	हावड़ा-संबलपुर इस्पात एक्सप्रेस
110.	8312	2872	संबलपुर-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस
111.	8603	2873	हटिया-दिल्ली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस
112.	8604	2874	दिल्ली-हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस
113.	8475	2875	पुरी-नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस
114.	8476	2876	नई दिल्ली-पुरी नीलांचल एक्सप्रेस

1	2	3	4
115.	8023	2883	हावड़ा-पुरुलिया रूपसी बंगला एक्सप्रेस
116.	8024	2884	पुरुलिया-हावड़ा रूपसी बंगला एक्सप्रेस
117.	8025	2885	शालीमार-आद्रा अरण्यक एक्सप्रेस
118.	8026	2886	आद्रा-शालीमार अरण्यक एक्सप्रेस
119.	8413	2893	भुवनेश्वर-संबलपुर एक्सप्रेस
120.	8414	2894	संबलपुर-भुवनेश्वर एक्सप्रेस
121.	9315	2913	इंदौर-नागपुर त्रिशताब्दी एक्सप्रेस
122.	9316	2914	नागपुर-इंदौर त्रिशताब्दी एक्सप्रेस
123.	9367	2919	इंदौर-जम्मू तवी मालवा एक्सप्रेस
124.	9368	2920	जम्मू तवी-इंदौर मालवा एक्सप्रेस
125.	9021	2921	मुंबई सेंट्रल-सूरत फ्लाईंग रानी एक्सप्रेस
126.	9022	2922	सूरत-मुंबई सेंट्रल फ्लाईंग रानी एक्सप्रेस
127.	9317	2923	इंदौर-नागपुर एक्सप्रेस
128.	9318	2924	नागपुर-इंदौर एक्सप्रेस
129.	9057	2929	वलसाड-वडोदरा एक्सप्रेस
130.	9058	2930	वडोदरा-वलसाड एक्सप्रेस
131.	9035	2935	बांद्रा-सूरत एक्सप्रेस
132.	9036	2936	सूरत-बांद्रा एक्सप्रेस
133.	9045	2945	सूरत-वाराणसी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस
134.	9046	2946	वाराणसी-सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस
135.	9271	2971	बांद्रा-भुवनेश्वर एक्सप्रेस
136.	9272	2972	भुवनेश्वर-बांद्रा एक्सप्रेस
137.	9777	2987	जयपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस
138.	9778	2988	ग्वालियर-जयपुर एक्सप्रेस
139.	9679	2989	मुंबई सेंट्रल-अजमेर एक्सप्रेस
140.	9680	2990	अजमेर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस

सशस्त्र बलों में भर्ती

*170. **श्री मो. ताहिर:**

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेना में अधिकारियों के कुल रिक्त पदों के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों में युवकों की घटती रूचि के बारे में कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए/किए जाने वाले सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ङ) सेना में अफसरों के रिक्त पदों की कुल संख्या लगभग 11,000 है।

आर्थिक प्रगति और नौकरी के नए अवसरों के खुलने से युवाओं के लिए रक्षा सेनाओं में नौकरी के अलावा अन्य विकल्प उपलब्ध हैं।

तथापि, युवाओं को सेना में नौकरी हेतु आकृष्ट करने के लिए सेना द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

(क) स्थायी कमीशन तथा अल्पकालिक सेवा कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए 2, 6 और 13 वर्ष की गणनीय सेवा के पश्चात् कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंकों में जल्दी पदोन्नतियां दिया जाना;

(ख) अल्पकालिक सेवा कमीशन का कार्यकाल 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष की सेवा किया जाना;

(ग) छवि प्रस्तुतीकरण और प्रचार अभियान चलाते रहना ताकि सेना में चुनौतीपूर्ण और संतोषप्रद कैरियर अपनाने के लाभों के प्रति युवाओं में जागरूकता उत्पन्न की जा सके;

(घ) रक्षा मंत्रालय के जन संपर्क निदेशालय द्वारा मीडिया के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना;

(ङ) तीनों रक्षा सेनाओं की वेबसाइटों पर कैरियर संबंधी सूचना उपलब्ध करना।

[अनुवाद]

निशक्त व्यक्तियों के लिए अभिगम्यता

*171 **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी भवनों में अभिगम्यता न होने और मौजूदा परिवहन प्रणाली ने निशक्त व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने से वंचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी भावी निर्माणों में निशक्त व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त डिजायन और अभिगम्यता संबंधी विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) यद्यपि, ऐसा कोई विशिष्ठ अध्ययन नहीं किया गया है कि जिससे यह पता चले कि शिक्षा रोजगार अवसरों की अभिगम्यता के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण की कमी प्रमुख अड़चनों में रही है, फिर भी इसे सामान्यत: ऐसी स्थिति कहा जा सकता है।

(ख) और (ग) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अधिनियम में अन्य मामलों के अलावा, रेलगाड़ियों एवं बसों और लिफ्टों में बाधामुक्त अभिगम्यता तथा लोक भवनों में ब्रेल और श्रवण संबंधी संकेतों का उल्लेख है। इस अधिनियम के अधिनियमन के अलावा, हाल के वर्षों में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और विश्वविद्यालयों को इनके भवनों/छात्रावासों में बाधामुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ii) शहरी विकास मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग उपविधियां बनाई हैं जिनमें बाधामुक्त निर्मित वातावरण के उपबंधों का उल्लेख है। ये दिशा-निर्देश और स्पेस मानक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अंगीकार करने के लिए परिचालित किए गए हैं। 10 राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों तथा 438 नगर पालिकाओं व स्थानीय निकायों ने मॉडल बिल्डिंग उपनियमों के अंगीकार करने की सूचना दी है।

(iii) समेकित विकलांग बाल शिक्षा योजना के अंतर्गत मौजूदा/नए स्कूलों में वास्तुशास्त्र संबंधी बाधाएं दूर करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(iv) दिल्ली परिवहन निगम को उन मार्गों पर विकलांग अनुकूल बस स्टैंड के निर्माण के लिए 1.04 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिन पर इस परिवहन निगम द्वारा विकलांग अनुकूल बसें चलानी शुरू की गई हैं।

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*172. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**

श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा अन्वेषण और उत्पादन संबंधी कार्यकलाप करने के लिए राज्यवार कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भूस्वामियों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार को मुआवजे के भुगतान में विसंगतियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) पिछले वर्ष (2005-06) तथा चालू वर्ष (2006-07 जुलाई, 2006 तक) के दौरान अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों को चलाने के लिए ओ.एन.जी.सी. द्वारा कुल अधिगृहीत भूमि का ब्यौरा और भूस्वामियों को भुगातन किया गया मुआवजे का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) ओ.एन.जी.सी. ने सूचित किया है कि मुआवजे के भुगतान में विसंगतियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि मुआवजे की दर में वृद्धि के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। संबंधित राज्यों के राजस्व विभागों की सिफारिशों के आधार पर ओ.एन.जी.सी. ने मुआवजे की दरों में संशोधन किया है और संशोधित दरों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान अधिग्रहीत भूमि और भुगतान किए गए मुआवजे का राज्यवार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य	वर्ष	अधिग्रहीत भूमि/ई एंड पी कार्यकलापों के लिए भुगतान किया गया मुआवजा	
			अधिगृहीत भूमि (किराए/पट्टे/स्थायी आधार पर (एकड़ में)	भुगतान किया गया मुआवजा (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	असम	2005-06	108.16	273.08
		2006-07 (जुलाई, 06 तक)	66.70	179.51
2.	त्रिपुरा	2005-06	92.97	102.43
		2006-07 (जुलाई, 06 तक)	122.39	238.25
3.	गुजरात	2005-06	920.90	1743.74
		2006-07 (जुलाई, 06 तक)	168.36	88.33

1	2	3	4	5
4.	आंध्र प्रदेश	2005-06	108.36	41.32
		2006-07 (जुलाई, 06 तक)	9.29	0*
5.	तमिलनाडु	2005.-6	93.37	272.93
		2006-07 (जुलाई, 06 तक)	14.97	47.97
6.	हिमाचल प्रदेश	2005-06	11.12	6.67
		2006-07 (जुलाई, 06 तक)	0	0
7.	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश	2005-06	0	0
		2006-07 (जुलाई, 06 तक)	17.46	12.72
8.	महाराष्ट्र	2005-06	0	0
		2006-07 (जुलाई, 06 तक)	0.52	0.09
9.	पश्चिम बंगाल	2005-06	8.48	21.03
		2006-07 (जुलाई, 06 तक)	0	0
10.	झारखंड	2005-06	88.38	93.67
		2006-07 (जुलाई, 06 तक)	20.45	239.27

[अनुवाद]

पेट्रोल/डीजल पर कर

***173. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के जून माह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने के सरकार के निर्णय से पहले ही कुछ राज्यों में इनकी कीमतें देश में मौजूदा औसत कीमतों से भी काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में तुलनात्मक कीमतें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से पेट्रोल/डीजल पर लगाए गए बिक्री कर में कटौती करके इनकी बढ़ी हुई कीमतों के कुछ हिस्से को वहन करने की अपील की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) जी, हां। बिक्री कर की दर, राज्य-विशेष के अवसूलनीय करों, रिफाइनरी से डिपो की दूरी के आधार पर मालभाड़ा प्रभारों और डिपो से खुदरा पंप बिक्री केन्द्र तक सुपुर्दगी प्रभारों

में अंतर के कारण पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न होते हैं।

(ख) राज्यों की राजधानियों में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य नीचे दिए गए हैं:-

पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य

(रुपये/लीटर)

राज्य की राजधानी	राज्य	पेट्रोल	डीजल
1	2	3	4
मुंबई	महाराष्ट्र	52.71	39.68
दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	46.85	32.25
चेन्नई	तमिलनाडु	51.83	35.51
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	51.07	34.96
भोपाल	मध्य प्रदेश	51.33	37.87
गांधीनगर	गुजरात	52.06	37.50
पणजीम	गोवा	48.44	35.35
रायपुर	छत्तीसगढ़	48.97	36.35
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	50.63	35.83
शिमला	हिमाचल प्रदेश	48.85	33.13
चंडीगढ़	चंडीगढ़	48.14	32.62
श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	50.13	33.93
देहरादून	उत्तरांचल	48.75	34.86
जयपुर	राजस्थान	50.76	35.21
अम्बाला	हरियाणा	46.80	32.33
जालंधर	पंजाब	52.13	32.21
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	53.28	36.00
त्रिवेन्द्रम	केरल	50.34	35.94
बंगलौर	कर्नाटक	55.15	37.51
पांडिचेरी	पांडिचेरी	45.78	33.81
रांची	झारखंड	47.99	35.15

1	2	3	4
पटना	बिहार	50.73	35.12
भुवनेश्वर	उड़ीसा	48.61	35.67
गुवाहाटी	असम	49.71	33.44
शिलांग	मेघालय	47.20	32.58

(ग) और (घ) जी हां। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों का आम आदमी पर अधिक प्रभाव न पड़ने देने के लिए राज्य सरकारों से किये गये इस अनुरोध पर कि वे पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर वृद्धिशील बिक्री कर न वसूल करें, दस राज्य सरकारों अर्थात् आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु (केवल डीजल), उत्तरांचल, मणिपुर और असम ने पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर घटा दिया है। इस प्रकार हाल की मूल्य वृद्धि का भार कम किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजसहायता प्राप्त रसोई गैस का वाणिज्यिक उपयोग

*174 **श्री रामदास आठवले:**

श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजसहायता प्राप्त घरेलू रसोई गैस का अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में रसोई गैस की कालाबाजारी के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) दोषी पाए गए वितरकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने राजसहायता प्राप्त रसोई गैस के वाणिज्यिक उपयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने अपने एल.पी.जी. वितरकों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों के विपथन के मामलों की सूचना दी है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों की अवधि 2003-04 से 2005-06 में और अप्रैल-जून, 2006 के दौरान घरेलू सिलेंडरों का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु विपथन के लिए ओ.एम.सीज द्वारा अपने विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम.डी.जी.) के तहत दंडित एल.पी.जी. वितरकों की संख्या निम्न प्रकार थी:

वर्ष	दंडित एल.पी.जी. वितरकों की संख्या
2003-04	13
2004-05	484
2005-06	517
अप्रैल, जून, 2006	40

ओ.एम.सीज द्वारा एम.डी.जी. के तहत कार्यवाही के अलावा राज्य सरकारों को भी घरेलू एल.पी.जी. के अवैध उपयोग के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है।

(घ) और (ङ) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों का विपथन/कालाबाजारी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं;

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रख्यापित एल.पी.जी. (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के अधीन ओ.एम.सीज के वितरकों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों का विपथन/कालाबाजारी वर्जित है। राज्य सरकारों को इस आदेश के प्रावधानों के अधीन दोषी वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होता है। राज्य सरकारों को अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों के विपथन के विरुद्ध कदम उठाने हेतु समय-समय पर सतर्क किया जाता रहा है।

(2) ओ.एम.सीज के अधिकारी वितरकों के गोदाम, सुपुर्दगी बिन्दुओं और मार्ग में भी औचक जांच करते रहते हैं

ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विपथन/कालाबाजारी न होने पाये। एम.डी.जी. के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडर का विपथन/चोरबाजारी सिद्ध हो जाने के मामले में वितरक के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है:-

(क) पहले अपराध के मामले में 20,000 रु. जुर्माना प्लस वाणिज्यिक दरों पर विपथन की गई एल.पी.जी. की कीमत।

(ख) दूसरे अपराध के मामले में 50,000 रु. जुर्माना प्लस वाणिज्यिक दरों पर विपथन की गई एल.पी.जी. की कीमत।

(ग) तीसरे अपराध के मामले में डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त कर देना।

[अनुवाद]

वैगनों की खरीद

*175. **श्री निखिल कुमार:***

श्री अधीर चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कुछ वैगनों की खरीद और वैगनों के डिजाइन में सुधार करने हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के संबंध में कुछ दूसरे देशों के साथ कोई वार्ता शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी रेलवे को वैगनों की आपूर्ति हेतु रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) जी नहीं। मालडिब्बों की खरीद के बारे में रेलवे ने किसी बाहरी देश से वार्ता शुरू नहीं की है। बहरहाल, बाहरी देशों के मालडिब्बों को अपनाने के लिए उनके डिजाइनों का अध्ययन किया जा रहा है बशर्ते कि वे उपयुक्त हों।

(ग) जी हां, निजी क्षेत्रों की कई कंपनियां रेलों को मालडिब्बों की सप्लाई करती हैं।

(घ) निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां जो रेलवे को मालडिब्बों की सप्लाई करती हैं, वे मैसर्स टेक्समैको लिमिटेड, कोलकाता, मै. बेस्को लिमिटेड, कोलकाता, मै. टीटागढ़ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता, मैसर्स मॉर्डन इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद, मै. हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता और मै. जेस्सप एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता इत्यादि हैं।

(ङ) यातायात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए मालडिब्बों की खरीद तथा उनके डिजाइनों में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है।

योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

*176. **श्री बिक्रम केशरी देव:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्यों में अत्याचार प्रवण संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए निदेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों 2003-04, 2004-05, 2005-06 और वर्तमान वित्त वर्ष 2006-07 (31-7-2006 तक) के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी केन्द्रीय सहायता और इसका उपयोग दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, हां। अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर परामर्श दिया जाता है जिसमें राज्य सरकारों से अत्याचार संभावित क्षेत्रों की पहचान करने का अनुरोध किया जाता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने अपने राज्य में अत्याचार संभावित/संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है।

विवरण

वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (31-07-2006 तक) के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता और इसके उपयोग का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07*
		जारी केन्द्रीय सहायता	उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता	जारी केन्द्रीय सहायता	उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता	जारी केन्द्रीय सहायता	उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता	जारी केन्द्रीय सहायता (31-07-2006 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	464.41500	433.46500	615.75500	328.29500	388.38325	अभी प्राप्त नहीं हुए	82.00
2.	बिहार	85.82000	29.28125	0	32.86250	13.00000	अभी प्राप्त नहीं हुए	–
3.	छत्तीसगढ़	30.09500	46.09000	71.74500	48.88000	46.3800	अभी प्राप्त नहीं हुए	12.000
4.	गोवा	0.72500	0.50000	1.00000	0.35000	0.10000	अभी प्राप्त नहीं हुए	–
5.	गुजरात	256.63792	253.43500	337.79000	279.83000	281.03000	287.17000	62.000
6.	हरियाणा	22.23000	18.37525	14.84450	13.35400	73.96025	99.92250	4.000
7.	हिमाचल प्रदेश	–	36.74572	37.00000	अभी प्राप्त नहीं हुए	–	अभी प्राप्त नहीं हुए	–
8.	झारखंड	–	8.54500	–	7.30500	–	अभी प्राप्त नहीं हुए	–
9.	कर्नाटक	–	300.62500	531.17350	493.14000	852.66150	अभी प्राप्त नहीं हुए	124.000
10.	केरल	43.69575	45.03250	30.39700	87.29036	117.52000	अभी प्राप्त नहीं हुए	22.000
11.	मध्य प्रदेश	1280.97000	517.94000	314.96500	774.38500	820.01000	अभी प्राप्त नहीं हुए	193.000

12.	महाराष्ट्र	150.40000	217.95601	343.49000	294.35944	426.86000	अभी प्राप्त नहीं हुए	35.000
13.	उड़ीसा	4.95000	0.08750	08.18000	2.08913	1.20000	4.70963	7.780
14.	पंजाब	40.43300	0	57.50000	शून्य	21.37500	97.93000	55.867
15.	राजस्थान	33.67844	54.28500	200.00000	84.32500	87.00000	127.89000	21.000
16.	सिक्किम	0.95000	0.95000	1.50000	1.25000	1.75000	1.87500	2.425
17.	तमिलनाडु	124.61000	184.62500	218.34000	172.57000	160.72000	अभी प्राप्त नहीं हुए	43.000
18.	उत्तरांचल	–	12.39500	22.00000	16.31250	37.00000	अभी प्राप्त नहीं हुए	4.000
19.	उत्तर प्रदेश	1030.22000	570.20450	610.70000	553.10500	414.10500	अभी प्राप्त नहीं हुए	138.000
20.	दादर व नगर हवेली	33.42000	32.39646	30.00000	30.00000	50.00000	49.36190	7.000
21.	पांडिचेरी	34.63000	30.88924	28.62000	31.26457	37.94500	36.36321	8.000
	कुल	3637.88011	2793.82343	3475.00000	3250.96750	3831.0000	705.22224	821.072

*वर्ष 2006-07 के लिए केन्द्रीय सहायता के उपयोग के आंकड़ों के बारे में वर्ष 2007-08 के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्तावों के प्राप्त होने पर ही, पता चल पाएगा।

नोट: अन्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए या तो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं या उन्हें जरूरत नहीं है।

एशिया सुरक्षा सम्मेलन

*177. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्री ने हाल ही में सिंगापुर में हुए एशिया सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले देशों का ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा क्या-क्या निर्णय लिए गए?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) रक्षा मंत्री ने 2 से 4 जून, 2006 तक सिंगापुर में आयोजित पांचवीं एशिया सुरक्षा शिखर वार्ता शंगरी-ला डायलॉग में भाग लिया जिसे लंदन के अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।

2. पांचवीं एशिया सुरक्षा शिखर वार्ता में आस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कम्बोडिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपीन, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर्लेस्टे, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और वियतनाम ने भाग लिया।

3. एशिया सुरक्षा शिखर-वार्ता, रक्षा मंत्रियों, उच्च स्तरीय रक्षा सैन्य अधिकारियों, रक्षा/सुरक्षा विचारकों और एशिया-पेसिफिक क्षेत्र के मीडिया का एक सम्मेलन है जिसमें राजनीतिक और सैन्य संबंधी मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है।

4. एशिया सुरक्षा शिखर-वार्ता के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया:-

(क) संयुक्त राज्य और एशिया में उभरती हुई सुरक्षा-संरचना।

(ख) भारत: विश्व-स्तरीय गतिविधियों में भाग लेने वाला एक उदीयमान राष्ट्र।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बलों की तैनाती।

(घ) समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना।

(ङ) सैन्य आधुनिकीकरण की चुनौतियां।

(च) 21वीं सदी में प्रति विद्रोहिता।

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं की निर्धारण।

(ज) क्षेत्रीय सुरक्षा समुदाय का निर्माण करना।

विमानपत्तनों पर सुरक्षा मानदण्ड

*178. **श्री उदय सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा हाल ही में अनेक विमानपत्तनों के सुरक्षा मानकों की जांच करने के लिए उनका निरीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सुरक्षा मानदण्डों में क्या विसंगतियां पाई गईं; और

(ग) देश में सभी विमानपत्तनों पर सुरक्षा मानदण्डों का पालन करवाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2006 के दौरान, नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के अनुबंध 14 में यथा निहीत संरक्षा मानकों तथा अनुशंसित परिपाटियों के साथ-साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के एयरोड्रोम मैनुअल में निहित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए ए.ए.आई. द्वारा प्रबन्धित 10 हवाईअड्डों का निरीक्षण किया। अवसंरचनात्मक खामियों से संबंधित कुछ सामान्य विसंगतियां पाई गईं, जैसे पर्याप्त बेसिक स्ट्रिप की अनुपलब्धता, रनवे एंड सेफ्टी एरिया (आर.ई.एस.ए.), की अनुलब्धता, एप्रन बचाव तथा अग्निशमन सेवाओं में संरक्षा लेनों की अपर्याप्तता, संरक्षा प्रबन्धन प्रणाली (एस.एम.एस.) आदि।

(ग) डी.जी.सी.ए. किसी एयरोड्रोम को लाइसेंस प्रदान करने से पहले, और साथ-साथ वायुयान नियमावली, 1937 में निर्धारित संरक्षा मानकों और डी.जी.सी.ए. की प्रक्रियाओं - जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों, प्रक्रियाओं तथा अनुशंसित परिपाटियों के अनुरूप हैं, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संरक्षा ऑडिट करता है। ए.ए.आई. भी अपने हवाईअड्डों को इकाओं के मानकों तथा मापदण्डों के अनुसार बनाए रखने का प्रयास करता है। जहां कहीं भी इन मापदण्डों से अनुरूपता व्यवहार्य नहीं होती, ए.ए.आई. एक अन्तर (डिफ्रैंस) फाइल करता है, जिसे विधिवत अधिसूचित किया जाता है। ए.ए.आई. के पास एक विमानन संरक्षा निदेशालय है जिसकी भारत के पांच उड़ान सूचना क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्थापनाएं हैं। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सभी संबंधित निदेशालयों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

पोतों पर हमले

***179. श्री विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-एशियाई समुद्र सीमा में पोतों पर हमलें की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे हमलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश की समुद्र सीमा में गश्त बढ़ाने की कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर अन्य एशियाई देशों के साथ भी चर्चा की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो आई.एम.बी.) के अनुसार भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र से लगे समुद्रों में समुद्री डकैती (पाइरेसी) की घटनाओं में विगत तीन वर्षों में कमी आई है। समुद्री डकैती की घटनाओं में कमी अधिकांशत: भारत सहित इस क्षेत्र के देशों की नौसेनाओं और तटरक्षकों द्वारा और अधिक गश्त किए जाने की वजह से हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हमलों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	भारत से लगे समुद्र	दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र से लगे समुद्र
2003	27	170
2004	15	158
2005	15	102

2. आई.एम.बी. ने समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती को "चोरी अथवा कोई अन्य अपराध करने के स्पष्ट इरादे से और उस कृत्य को करने के लिए बल प्रयोग करने के स्पष्ट इरादे अथवा क्षमता के साथ किसी पोत पर सवार होने अथवा सवार होने का प्रयास करने के कृत्य" के रूप में परिभाषित किया है। भारत से लगे समुद्रों में समुद्री डकैती संबंधी हमलों की जिन घटनाओं की रिपोर्टें मिली हैं, वे वस्तुत: लंगरगाह में पोतों पर रंग-रोगन, रस्सियां आदि चुराए जाने संबंधी छोटी-छोटी चोरियों की छिट-पुट घटनाएं हैं, जिन्हें आई.एम.बी. की उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार समुद्री डकैती संबंधी हमलों के रूप में सूचित किया गया है।

3. भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक भारत से लगे समुद्रों में पोतों और विमानों द्वारा नियमित रूप से गश्त लगाते हैं, जो पोतों पर समुद्री डकैती संबंधी हमलों को रोकने का काम करती हैं।

4. इस क्षेत्र में समुद्री संचार लेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य एशियाई देशों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। जापान में जून, 2004 में आयोजित एक बैठक में, पोतों पर समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए 17 देशों के तटरक्षकों द्वारा एशिया समुद्री सुरक्षा पहल 2004 (अमारसेक्टिव 2004) नामक संकल्प अंगीकार किया गया था। जापान द्वारा नवंबर, 2004 में एशिया में पोतों पर होने वाली समुद्री डकैतियों और सशस्त्र डकैतियों का मुकाबला करने के संबंध में एक क्षेत्रीय सहयोग करार का प्रस्ताव किया गया था। भारत सहित 12 देशों ने इस करार का अनुसमर्थन किया है।

5. भारतीय तटरक्षक ने समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई और समुद्री संचार लेनों की सुरक्षा के लिए दक्षिण कोरिया के साथ मार्च, 2006 में एक करार भी किया है।

6. इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ-साथ समन्वित गश्त के लिए भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के मध्य 2002 से तथा भारतीय नौसेना और थाईलैंड की नौसेना के मध्य 2005 में करार पहले ही लागू हैं।

7. भारतीय नौसेना और तटरक्षक तथा श्रीलंकाई नौसेना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपनी-अपनी तरफ नियमित रूप से गश्त लगाती हैं।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों हेतु कल्याण योजनाएं

***180. श्री मोहन रावले:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितनी प्रगति की गई;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ आबंटित धनराशि का समुचित और पूरा उपयोग किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) और (ख) जी, हां, ब्यौरे संलग्न विवरण, में देखे जा सकते है।

(ग) और (घ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए मंत्रालय की किसी भी योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/गैर-सरकारी संगठन-वार निधि निर्दिष्ट नहीं की जाती हैं। ऐसी योजनाओं, जिनमें राज्य सरकार/गैर-सरकारी संगठनों को निधि जारी की जाती हैं, में मांग के आधार पर आबंटन किया जाता है।

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं के मामले में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/इस संबंध में मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसी की सिफारिशों के आधार पर निधि जारी की जाती हैं। निधि का समुचित उपयोग, स्वीकृत परियोजनाओं के लेखाओं की लेखा-परीक्षा तथा वार्षिक निरीक्षण करके सुनिश्चित किया जाता है।

विवरण

2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान व्यय का विवरण

(राशि: करोड़ रुपए)

क्रम सं.	योजना	2003-04 व्यय	2004-05 व्यय	2005-06 व्यय
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता	3.00	3.00	2.50
2.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून	6.50	0.55	3.45
3.	राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई	7.50	5.86	6.15
4.	राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक	7.00	6.25	7.23
5.	शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	1.34	1.50	1.00
6.	राष्ट्रीय मानसिक मंदता संस्थान, सिकन्दराबाद	7.76	9.62	10.99
7.	राष्ट्रीय बहु-विकलांग संस्थान, चेन्नै	0.00	1.00	7.49
8.	मेरुदंड क्षति केन्द्र	2.50	2.62	2.98
9.	भारतीय पुनर्वास परिषद	2.09	2.01	2.86
10.	विकलांगों को रोजगार	0.25	1.54	0.00
11.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	0.00	1.00	5.00

1	2	3	4	5
12.	नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की योजना	2.53	10.04	13.75
13.	मिशन मोड में तकनीकी विकास परियोजनाएं	1.00	0.37	0.62
14.	दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना	71.00	67.31	66.80
15.	विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण (एडिप)	55.00	63.19	57.91
16.	दृष्टि, श्रवण और अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए तकनीकी केन्द्र	0.00	0.00	0.00
17.	नि:शक्त बच्चों के सहायतार्थ यू.एन.डी.पी. सहायता	0.35	0.29	0.00
	कुल	167.82	176.15	188.55

आंध्र प्रदेश में अन्य पिछड़ी जातियों को रियायती वित्त

1209. श्री एल. राजगोपाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछड़े वर्गों को रियायती वित्त प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश में वर्ष 2003-04 से लाभार्थियों की संख्या में भारी गिरावट हुई है और इसके साथ ही संवितरित राशि वर्ष 2001-02 के 204 करोड़ रुपए से कम होकर 2005-06 में मात्र 2 करोड़ रुपए हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं;

(घ) क्या वित्तीय सहायता की पहचान एवं संवितरण में "मलाईदार परत" की कोई भूमिका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ङ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, गरीबी रेखा के दुगुने से नीचे जीवन-यापन करने वाले पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से ऋण मुहैया कराता है। आंध्र प्रदेश में वर्ष 2001-02 के दौरान 20.40 करोड़ रुपए संवितरण की तुलना में यह राशि घटकर वर्ष 2005-06 के दौरान 2 करोड़ रुपए हो गयी क्योंकि पिछली बकाया राशि की अदायगी न करने के कारण राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां निधि आहरित नहीं कर सकीं। परिणामस्वरूप, लाभार्थियों की संख्या भी घट गई।

पवन विद्युत परियोजनाओं का प्रतिष्ठापन

1210. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड गुजरात और कर्नाटक में पवन विद्युत परियोजनाओं को प्रतिष्ठापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक क्रियाशील होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) जी हां। ओ.एन.जी.सी. ने रिपोर्ट दी है कि उनकी वर्ष 2007-08 की अवधि के दौरान 50 मैगावॉट की क्षमता वाली दो विद्युत परियोजनाएं विकसित करने की योजना है जिनमें से गुजरात और कर्नाटक दोनों में एक-एक परियोजना है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई योजना

1211. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों के लाभार्थ एक नई योजना आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

मान्यता प्राप्त रेल टिकट बुकिंग एजेंट

1212. श्री असादूद्दीन ओवेसी:

श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार मान्यता प्राप्त रेल टिकट बुकिंग एजेंटों की सेवाओं को समाप्त करने का है और क्या ये एजेंट अब शुल्क का भुगतान कर भारतीय रेलवे पर्यटक खान-पान संघ (आई.आर.टी.सी.ए.) के माध्यम से कार्य करेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित कदम से इन एजेंटों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और रेलवे द्वारा इन एजेंटों पर डाले गए भार का वहन इन एजेंटों से टिकट खरीदने वाले यात्रियों द्वारा वहन किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जी, नहीं। बहरहाल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अभ्यावेदन दिया गया है जिसमें मौजूदा रेल यात्री सेवा एजेंट (आर.टी.एस.ए.) नियम 1985 में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है जिससे आर.टी.एस.ए. रेलवे आरक्षण कार्यालय के माध्यम से आरक्षण न करवाके केवल इंटरनेट के माध्यम से आरक्षण करवाने के पात्र होंगे। इसी दौरान भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) के माध्यम से इंटरनेट पर टिकटों की बुकिंग के लिए आर.टी.एस.ए. को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से टिकट बुक करवाता है तो उसे आई.आर.सी.टी.सी. को विशिष्ट सेवा प्रभार का भुगतान करना होगा। आर.टी.एस.ए. के माध्यम से इंटरनेट पर किसी यात्री द्वारा टिकट बुक कराए जाने पर उसे द्वितीय/स्लीपर श्रेणी के टिकट के लिए प्रति टिकट 15/-रुपए का और अन्य श्रेणियों में प्रति टिकट 25/-रुपए का अतिरिक्त सेवा प्रभार का भुगतान करना होगा।

संचार की क्षणिक विफलता

1213. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24 जून, 2006 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थित हवाई यातायात नियंत्रण एवं प्रधानमंत्री के वायुयान के बीच संचार की क्षणिक विफलता हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस चूक का ब्यौरा एवं कारण क्या है;

(ग) क्या इस घटना की जांच का कोई आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री के विमान की लैंडिंग के अंतिम चरण के दौरान, नियंत्रण टावर पर उपलब्ध कराई गई विशेष रूप से नामित प्रचालनिक फ्रीक्वैंसी के माध्यम से संदेश दिया जा रहा था। विमान को केवल 9 सैकेंड की अवधि के लिए टॉवर ट्रांसमिशन प्राप्त नहीं हुए। यह संचार 4 मिनट तथा 40 सेकण्ड की अवधि तक सविराम रहा। यह घटना नियंत्रण टॉवर पर उपलब्ध कराए गए माइक में सविराम सम्पर्क की वजह से घटी जिसके कारण नियंत्रण टॉवर और विमान के बीच सम्पर्क में क्षणिक विफलता हुई।

(ग) और (घ) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रारंभिक जांच की गई थी। जांच के परिणाम की मुख्य बातें ये थीं कि किसी उपकरण में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी तथा नेविगेशन एड की मॉनीटरिंग नहीं की गई थी।

(ङ) जांच के नतीजों के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात दो एक्जीक्यूटिव्स को बर्खास्त कर दिया गया।

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी.वी.आई.पी.) के विमानों की हैंडलिंग से संबंधित सभी कार्मिकों को निर्देश पुनः उद्धृत किए गए हैं और कठोर अनुपालन हेतु अतिरिक्त दिशा-निर्देश परिचालित किए गए हैं।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्मारकों का समाप्त होना

1214. श्री रशीद मसूद: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित कुछ ऐतिहासिक स्मारक समाप्त हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्मारकों के समाप्त होने के पीछे भू-माफियाओं का हाथ है; और

(घ) यदि हां, तो इन ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) दिल्ली सहित देश भर के जिन 35 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों का पता नहीं चल सका उन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार) का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ग) तीव्र शहरीकरण, बहुमंजिली आवासीय तथा वाणिज्यिक भवनों का निर्माण, और विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन ऐतिहासिक स्मारकों के लुप्त होने का प्रमुख कारण है।

(घ) 1992 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की संरक्षित सीमाओं से 100 मीटर तक के क्षेत्रों को निषिद्ध क्षेत्रों के रूप में घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की है जहां खनन कार्यों पर प्रतिबंध हैं। इससे आगे 200 मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है जहां केवल महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तों और निबंधनों के अनुसार ही निर्माण/खनन कार्य की अनुमति दी जाती है।

विवरण

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची
जिनका पता नहीं चल सका

स्मारक/स्थलों के नाम

असम

1. सम्राट शेरशाह की बन्दूकें, ना - सादिया, जिला तिनसुकिया

अरुणाचल प्रदेश

1. पया के निकट ताम्र मंदिर के खण्डहर, जिला लोहित

दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)

1. दिल्ली स्थित शेरशाह सूरी का मोती दरवाजा, मौजा बाबरपुर बाजिदपुर, जिला नई दिल्ली
2. पूल चादर, मौजा चौकरी मुबारकाबाद, जिला उत्तर दिल्ली
3. अलीपुर कब्रिस्तान, अलीपुर शिविर ग्राउंड, जिला उत्तर दिल्ली
4. बाराखम्भा कब्रिस्तान, इम्पीरियल सिटी, जिला दिल्ली
5. कैप्टन मैक बारनेट तथा अन्यों का मकबरा जो किशनगंज पर आक्रमण में गिर गया, किशनगंज, जिला उत्तर दिल्ली
6. रेलवे स्टेशन के निकट तीन गुम्बदों वाला मकबरा, निजामुद्दीन, जिला दक्षिण दिल्ली
7. "राइट अटैक, लैफ्टीनेंट एफ. आर. मानसेल, आर.ई. डारेक्टिंग इन्जीनीयर, सं. I बैटरी-राइट, मेजर जेम्स ब्राइन्ड, आर.ए., कमांडिंग, आर्मामेंट फाइव 18-पाउंडर्स : एक 18 - इंच हॉबिटजर I टू साइलेन्स मोरी बेस्टन" अंकित सीज बैटरी का स्थल, पुलिस लाइन में हॉस्पिटल का पूर्व, जिला उत्तर दिल्ली।
8. "सं., II बैटरी-राइट, मेजर एडवर्ड काये, आर.ए., कमांडिंग आर्मामेन्ट टू 18 - पाउंडर्स; सेवन 8 - इंच हॉबिटजर, टू ब्रीच कश्मीर बैस्टन" अंकित सीज बैटरी का स्थल कर्जन हाउस का अहाता, जिला उत्तर दिल्ली।
9. इंचला वाली गुमटी, गांव मुबारकपुर कोटला, जिला दक्षिण दिल्ली।

10. सर्वेक्षण भूखण्ड सं. 167 के भाग में सम्मिलित जोगाबाई के नाम से प्रसिद्ध टीला, जामिया नगर, जिला दक्षिण दिल्ली।

11. प्लेटफार्म के दोनों प्रवेश द्वारों के साथ शमसी तालाब, महरौली, जिला दिल्ली।

12. कश्मीरी गेट के बाहर की ओर निकलसन मूर्ति, इसका प्लेटफार्म, इसके आस पास के उद्यान, मार्ग एवं अहाता दीवार, जिला उत्तर दिल्ली।

गुजरात

1. प्राचीन स्थल, सेजकपुर, जिला सुरेन्द्रनगर

2. ऐतिहासिक स्थल सं. 431 से 435, वडोदरा, जिला वडोदरा

हरियाणा

1. मुगल कोस मीनार, मुजेसर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा

2. मुगल कोस मीनार, शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा

जम्मू एवं कश्मीर

1. शीतला, नारद, ब्रह्मा तथा राधा कृष्ण की शैल नक्काशी, बसोहली, जिला कथूरा

2. शेर पर सवार देवा की शैल नक्काशी, बसोहली, जिला कथूरा

3. विश्वेश्वर तथा अन्य गुफा मंदिर, बसोहली, जिला कथूरा

कर्नाटक

1. प्रागैतिहासिक स्थल, कित्तूर, जिला मैसूर

राजस्थान

1. किला में लेख, नागर, जिला टोंक

2. बारहवीं शताब्दी का मंदिर, बारन, जिला बारन

उत्तरांचल

1. कुटुम्बरी मंदिर, द्वारहाट, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा

2. खेरा की बांदी, पुराना कब्रिस्तान, तहसील रुड़की, हरिद्वार

3. पैराटपट्टना के साथ स्थानीय तौर पर अभिज्ञात प्राचीन भवनों के अवशेष, ढिकुली, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल

उत्तर प्रदेश

1. बन्द कब्रिस्तान, कटरा नाका, तहसील बांदा, जिला बांदा

2. संडी खेडा नामक विशाल ध्वस्त स्थल, पाली, तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई

3. कब्रिस्तान, जालौन (बस स्टैंड), तहसील जालौन, जिला जालौन

4. तोपची बरकिल का मकबरा, रनगांव, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर

5. इमामबाड़ा अमिन-उद-दौला, लखनऊ, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

6. लखनऊ फैजाबाद रोड पर 3, 4 और 5 मील पर स्थित तीन मकबरे, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

7. 6 तथा 7 मील पर कब्रिस्तान, जहरैला रोड, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

8. गौ घाट स्थित कब्रिस्तान, लखनऊ, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

[अनुवाद]

हैदराबाद विमानपत्तन

1215. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हैदराबाद विमानपत्तन के घटिया निर्माण कार्य के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मदन महल रेलवे स्टेशन में सुविधाएं

1216. श्री राकेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर स्थित नवनिर्मित मदन महल रेलवे स्टेशन में आधारभूत यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त स्टेशन पर सुविधाएं प्रदान करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। मदन महल स्टेशन पर मानदंडों के अनुसार यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

1217. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अस्वच्छ पेशे में लगे अभिभावकों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए केन्द्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या योजना के अंतर्गत 2005-06 के लिए प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा रोका गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र का हिस्सा कब तक जारी किए जाने और प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) विभिन्न राज्य सरकारों को वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी और किसी भी राज्य का कोई प्रस्ताव रोका नहीं गया।

[हिन्दी]

दिहाड़ी मजदूरों को क्षतिपूर्ति

1218. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सड़क संगठन द्वारा नियोजित कुछ दिहाड़ी मजदूरों की काम करते समय मृत्यु हो गई अथवा शारीरिक रूप से अपंग हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या मजदूरों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान कितने मजदूरों को कर्मकार प्रतिकर का भुगतान किया गया; और

(घ) यदि किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी पात्र (579) मजदूरों को कर्मकार-प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) प्रशन नहीं उठता।

[अनुवाद]

गेल द्वारा विदेश में एल.पी.जी. संयंत्रों की स्थापना

1219. श्री के.सी. पल्लानी शर्मा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल (इंडिया) लि. को विभिन्न देशों में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुबंध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनुबंधों से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे की समय-सारणी में परिवर्तन

1220. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे रेलगाड़ियों के लिए समय-सारणियों में परिवर्तन लाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी, हां। जैसा कि 2006-07 के रेल बजट में घोषणा की गई थी, भारतीय रेल ने अखिल भारतीय समय-सारणी की नए सिरे से संवीक्षा करने का कार्य प्रारंभ किया है। प्रक्रिया के प्रथम चरण में, 140 गाड़ियों को सुपरफास्ट बनाया गया है। इन गाड़ियों का समय जुलाई-नवम्बर, 2006 प्रकाशन की समय-सारणी में दर्शाया गया है। प्रक्रिया के दूसरे चरण में, समय-सारणी की समीक्षा जारी है और उसका परिणाम दिसम्बर, 2006 में जारी की जाने वाली समय-सारणी में दर्शाया जाएगा।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षण

1221. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु तीन प्रतिशत आरक्षित पदों पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए पूर्णकालिक परियोजना निदेशक अथवा आयुक्त नियुक्त करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को व्हील चेयर प्रदान करने के लिए कोई नई योजना कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अवसंरचना के साथ 2-3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्णकालिक नि:शक्त व्यक्तियों के आयुक्त की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एकीकृत खाद्य कानून

1222. श्री के.एस. राव: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों और खाद्य उत्पादों के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और कृषि क्षेत्र में उच्च विकास का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कृषि-फुटकर व्यवसाय और उत्पादन को विनियमित करने के लिए एकीकृत खाद्य कानून अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कानून को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संसद में दिनांक 25-08-2005 को पेश "खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005" नामक समेकित खाद्य कानून, लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य हैं:- (i) खाद्य से संबंधित कानूनों को समेकित करना; (ii) खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने के वास्ते भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करना; (iii) मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य वस्तुओं के निर्माण, भण्डारण, वितरण तथा बिक्री और आयात को विनियमित करना; (v) बेहतर मानक निर्धारण और प्रवर्तन हेतु उपयुक्त पुनः तैनाती के जरिए बुनियादी ढांचा, जनशक्ति परीक्षण सुविधाओं का एकत्रीकरण करना।

[हिन्दी]

पुराने रेलवे पुलों की मरम्मत

1223. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने झारखंड में पुराने और जर्जर रेल उपरिपुलों की मरम्मत करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है; और

(ग) उन उपरिपुलों का ब्यौरा क्या है जिनका कार्य राज्य सरकार द्वारा धनराशि का अपना हिस्सा न दिये जाने के कारण पूरा नहीं हो सका?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण ऊपरी रेल पुलों की मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष निर्धारित अनुसूची के अनुसार विभिन्न स्तरों पर सभी रेलवे पुलों का निरीक्षण किया जाता है। यथाआवश्यक मरम्मतें की जाती हैं। वर्षा के मौसम के दौरान विशेष निगरानी रखी जाती है।

(ग) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

[अनुवाद]

निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं

1224. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का शीघ्र विकास सुनिश्चित करने के लिए रेल क्षेत्र में और अधिक धनराशि आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और क्षेत्र में तेजी से विकास करने के लिए और नई परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए भी अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे की कार्य योजना क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार गुजरात सरकार की ओर से निम्नलिखित चालू परियोजनाओं/नए प्रस्तावों को पूरा करने/शुरू करने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं:-

1. राजकोट-वेरावल-सोमनाथ लाइन का कोडिनार तक विस्तार।
2. गांधीनगर को अहमदाबाद-दिल्ली बड़ी लाइन के साथ जोड़ना।
3. हाजिरा पत्तन तक रेल संपर्क।
4. भावनगर-तारापुर नई लाइन।
5. सुरेन्द्रनगर-धांगधा आमान परिवर्तन।
6. वीरमगाम-मोहसाणा-पाटन-भिलडी आमान परिवर्तन।
7. भारुच-डहेज आमान परिवर्तन।
8. अहमदाबाद-बोटाड आमान परिवर्तन।
9. ढासा-जेतलसर आमान परिवर्तन।
10. ढासा-वेरावल आमान परिवर्तन।
11. अहमदाबाद-मुंबई के बीच अतिरिक्त रेलपथ।

2006-07 के दौरान सामख्याली-गांधीधाम (65 किलोमीटर) का आमान परिवर्तन और अदरेज मोती-गांधीनगर (10 किलोमीटर) तथा वेरावल-सोमनाथ (5 किलोमीटर) नई लाइनें पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

भारुच-सामनी-डहेज का आमान परिवर्तन 2006-07 के बजट में शामिल किया गया है।

2006-07 के दौरान नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण योजना शीर्ष के अंतर्गत गुजरात राज्य में अंशत:/पूर्णत: स्थित निर्माण कार्यों के लिए 266.88 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जबकि गत वर्ष 2005-06 के दौरान 184.35 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। इस वर्ष के दौरान नियोजित निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु यह राशि पर्याप्त समझी जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

1225. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अधिक संभावना को ध्यान में रखकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में ऐसे उद्योगों के विकास हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, नुसंधान एवं विकास कार्य में समर्थन, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीमें कार्यान्वित की हैं। सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कुल परिव्यय का 10% अलग से निर्धारित किया गया है। इस मंत्रालय की सामान्य योजना स्कीमों के तहत देय प्रोत्साहनों की तुलना में मिनी मिशन-IV के अंतर्गत नामित वित्तीय संस्थानों के जरिए क्रेडिट लिंक और बैक-एन्डेड वित्तीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत के 50% तक, उच्चतर स्तर की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा नए यूनिटों के संवर्धन के मामले में 4.00 करोड़ रुपये तक और यूनिटों के उन्नयन या आधुनिकीकरण के मामले में 1.00 करोड़ रुपये तक है।

चारमीनार के रख-रखाव पर खर्च

1226. श्री ए. साई प्रताप: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हैदराबाद में चारमीनार के रख-रखाव और देखभाल हेतु कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई;

(ख) क्या चारमीनार की वाहन यातायात के कारण निरंतर कंपन और प्रदूषण से पूरी तरह से रक्षा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हैदराबाद स्थित चारमीनार के अनुरक्षण तथा रखरखाव के लिए आवंटित/रिलीज धनराशि तथा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को स्मारक पर वाहनीय यातायात द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रभाव तथा प्रदूषण के प्रभाव का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था। राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने विभिन्न अवसरों पर चारमीनार के आस पास वाहनीय गति के कारण उत्सर्जित शोर तथा कंपनों के विस्तार पर तथा संरचना के विभिन्न स्तरों पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया था। राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान की सिफारिशों के आधार पर अपेक्षित संरचनात्मक मरम्मत तथा विकासात्मक कार्य किए गए हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार से वाहनीय यातायात को दूसरे मार्ग पर ले जाने तथा इसे पूर्णतया पैदल चलने वाले क्षेत्र में बदलने की संभावनाओं पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

वाहनों से निकलने वाले धुएं आदि ने कालिख तथा कोलतार के रूप में चारमीनार पर जमा होकर उसके बाहरी चूना पलस्तर को विकृत कर दिया है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रासायनिक शाखा द्वारा नियमित रूप से हटाया जाता है। इसके अतिरिक्त, चारमीनार के आस-पास की हवा में विलीन विविक्त पदार्थों के स्तरों को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान चारमीनार, हैदराबाद के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिए आवंटित/रिलीज धनराशि और किए गए व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(राशि रुपयों में)

वर्ष	आवंटित/रिलीज धनराशि	व्यय
2003-2004	23,25,000	13,36,312
2004-2005	17,00,000	16,94,399
2005-2006	8,07,600	5,75,491

रेलगाड़ियों में शराब परोसना/बेचना

1227. श्री सुबोध मोहिते: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोच अटेंडेंटों और पेंट्री वर्करों द्वारा नागपुर स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस और अन्य रेलगाड़ियों में विदेशी शराब परोसने/बेचने के मामले रेलवे के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) रेलगाड़ियों में ऐसे अवैध कार्यकलापों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी हां। 8-6-2006 को नागपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी सं. 2442 निजामुद्दीन बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूलित सवारी डिब्बे में निजी ठेकेदार के तहत कार्यरत बैड रोल सप्लायर से शराब की 6 बोतलें बरामद की गई थीं। इसी प्रकार, 18-7-2006 को नागपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी सं. 2441 बिलासपुर-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूलित सवारी डिब्बे में निजी ठेकेदार के तहत कार्यरत बैड रोल आपूर्तिकर्ता से शराब की दो बोतलें बरामद हुई थीं। दोनों ही बैड रोल आपूर्तिकर्ताओं पर रेल अधिनियम 1989 की धारा 144 के तहत मुकदमा चलाया गया है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए राजधानी गाड़ियों में औचक जांच करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को निर्देश जारी किए गए हैं।

गाड़ियों में शराब देने/बेचने को रोकने के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के अधिकारी औचक और अचानक जांचें करतेहैं और इस प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार निवारक कार्रवाई की जाती है।

दंकुनी लोकल ट्रेन की बारंबारता

1228. श्री सांताश्री चटर्जी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे, पूर्व रेलवे में दंकुनी लोकल ट्रेन की बारंबारता में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) वर्तमान में सियालदह दानकुनी लोकल की बारंबारता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एच.एस.-1/एच.एस.-2 हावड़ा-सियालदह लोकल को दानकुनी के लिए डायवर्ट कर दिया गया है और 1-7-2006 से डीके-597/डीके-600 सियालदह-दानकुनी लोकल के रूप में चल रही है। इस प्रकार, यह गाड़ी सियालदह तथा दानकुनी के बीच अतिरिक्त संपर्क बनाती है जोकि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थान के रूप में सेवा प्रदान करती है।

अहमदाबाद-जयपुर के बीच शताब्दी ट्रेन

1229. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अहमदाबाद से जयपुर तक शताब्दी ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में अतिक्रमण

1230. श्री सीताराम सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पहाड़गंज परिसर और इसके आस-पास फुटकर दुकानदारों और हॉकरों द्वारा रेलवे सुरक्षा बल की मिलीभगत से अतिक्रमम किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन हॉकरों और दुकानदारों द्वारा यात्रियों का उत्पीड़न किया जा रहा है जिसके कारण यात्रियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन दुकानदारों तथा रेलवे सुरक्षा बल कार्मिकों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष पहचान के साथ मिट्टी के तेल की बिक्री

1231. श्री संतोष गंगवार: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डीजल में राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल के अपमिश्रण को रोकने के लिए विशेष पहचान के मिट्टी के तेल की बिक्री करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष पहचान के साथ मिट्टी के तेल की बिक्री कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) का 1 अक्तूबर, 2006 तक पूरे देश में मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित प्रणाली में मिट्टी तेल में यह मार्कर ओ.एम.सीज के आपूर्ति स्थलों पर मिश्रित किया जाएगा। यह पता लगाने के लिए डीजल/पेट्रोल के नमूने लिए जाएंगे कि मार्क किए गए मिट्टी तेल

में कहीं अपमिश्रण तो नहीं किया गया है। अपमिश्रण का पता चलने पर ओ.एम.सीज द्वारा आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

कोयला गैसीकरण परियोजना

1232. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत और क्षमता कितनी है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक स्थापित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) गेल और कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) जमीन से ऊपर कोयला गैसीकरण परियोजना में संयुक्त रूप से भागीदारी करने के लिए चर्चा कर रही हैं।

(ग) गेल द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित परिसर की अनुमानित लागत लगभग 2400 करोड़ रुपये है। इस संयंत्र की क्षमता लगभग 5000 टन कोयला प्रतिदिन संभालने की होगी और यह लगभग 7.7 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन सिंथेसिस गैस का उत्पादन करेगा।

(घ) इस परियोजना का पूर्णता समय गेल के बोर्ड के अनुमोदन की तारीख से लगभग 36 महीने होगा।

भारत में एयरलाईन कंपनियों में कार्यरत विदेशी पायलट

1233. श्री नवीन जिन्दल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत की निजी और सरकारी एयरलाईन कंपनियों में कितने विदेशी पायलट कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय पायलट भारत में आने और यहां से जाने वाली किसी विदेशी एयरलाईन कंपनी में कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हेलीकॉप्टर पायलटों को विशेषीकृत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारत में अनुसूचित एयरलाइनों में कुल 398 विदेशी पायलट कार्यरत है जिनमें से निजी एयरलाइनों में 325 तथा सरकारी एयरलाइनों में 73 विदेशी पायलट कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार विदेशी एयरलाइनों में कार्य कर रहे भारतीय पायलटों के संबंध में लेखा-जोखा नहीं रखती है।

(घ) और (ङ) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि. (एच.ए.एल.) एक अनुमोदित फ्लाईंग प्रशिक्षण संस्थान है जो वाणिज्यिक हेलिकॉप्टर पायलट लाइसेंस स्तर तक पायलटों को हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण प्रदान करता है।

रेलवे स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं

1234. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व तट रेलवे ने भुवनेश्वर और कटक रेलवे स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं के सृजन हेतु वर्ष 2006-07 के दौरान किसी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा धनराशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) भुनवेश्वर में कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के संवर्धन के लिए पूर्व तट रेलवे द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित कार्यों को 2006-07 के बजट में शामिल कर लिया गया है और 2006-07 में प्रत्येक कार्य के लिए मुहैया कराया गया परिव्यय भी दर्शाया गया है;

(i) भुवनेश्वर - सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधाओं का संवर्धन। परिव्यय (2006-07): 1.40 करोड़ रुपए।

(ii) भुवनेश्वर - कोचिंग डिपो की अवसंरचनात्मक सुविधाओं का संवर्धन। परिव्यय (2006-07): 0.05 करोड़ रुपए।

कटक में गुड्स टर्मिनल सुविधा में सुधार का कार्य पहले ही प्रगति पर है। इसके लिए, वर्ष 2006-07 के दौरान 1.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) कार्यों की प्रगति के लिए रेलवे के पास पहले से ही निधि उपलब्ध है।

दमण और दीव में पर्यटन विकास परियोजनाएं

1235. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमण और दीव में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा दमण और दीव में इस संभावना के दोहन के लिए चलाई जा रही पर्यटन विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त परियोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पर्यटन मंत्रालय द्वारा दमण और दीव में पर्यटन के एकीकृत विकास हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:-

(लाख रुपयों में)

वर्ष 2003-04

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	एक गंतव्य के रूप में दीव का विकास	265.07
वर्ष 2004-05		
1.	दमण और दीव पर वाक थ्रू सीडी रोम्स और मल्टीमीडिया इंटरएक्टिव इन्फॉरमेशन क्योस्क का उत्पादन	5.00
वर्ष 2005-06		
1.	दीव में बस स्टैण्ड के सामने पार्क/ मनोरंजन केन्द्र का अवसंरचना एवं गंतव्य विकास	84.00
2.	विभिन्न पर्यटक स्थलों/भवनों/स्मारकों का प्रदीप्तिकरण	79.58
3.	अवसंरचना एवं गंतव्य विकास - चाइना मोजेक फिक्स करके दीव का सौन्दर्यीकरण	54.58
4.	दीव में बन्दर चौक का गंतव्य विकास	44.12

जगुआर विमानों की उड़ान क्षमता

1236. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के बीच शत्रु क्षेत्र में दूर तक घुसपैठ कर मार करने वाले जगुआर विमानों की उड़ान क्षमता और विलंबित उपयोज्यता को लेकर मतभेद हैं जैसाकि दिनांक 16 जून, 2006 के "द टाइम्स ऑफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में कितने जगुआर वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा जगुआर वायुयानों की उड़ान क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा भारतीय वायु सेना जगुआर बेड़े की उपयोज्यता एवं रख-रखाव संबंधी मामले से निपटने के लिए गहन तालमेल बनाकर कार्य करते हैं। जगुआर बेड़े की उपयोज्यता को बेहतर बनाने तथा उन्नयन संबंधी विभिन्न मामलों से निपटने के लिए भारतीय वायु सेना तथा हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड - दोनों सतत् प्रयास करते हैं।

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों तथा चालू वर्ष में आज तक दुर्घटनाग्रस्त हुए जगुआर विमानों की संख्या नीचे दी गई है:-

वित्तीय	दुर्घटनाग्रस्त हो गए विमानों की संख्या
2003-04	02
2004-05	03
2005-06	02
2006-07 (दिनांक 29-7-06 तक)	शून्य

(घ) हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय वायु सेना को उपलब्ध कराए गए जगुआर विमान पूरी तरह से उड़ान-योग्य हैं। अनुभवी परीक्षण पायलटों द्वारा इनकी भूमि पर और हवा में व्यापक परीक्षण करने के बाद भारतीय वायु सेना को इनकी आपूर्ति की जाती है। जब तक किसी विमान को पूर्णतः उड़ान-योग्य प्रमाणित नहीं कर दिया जाता, तब तक भारतीय वायु सेना उसे उड़ाती नहीं है। भारतीय वायु सेना द्वारा सभी बेड़ों की दुर्घटना-दर में कमी लाने का अनवरत प्रयास करना एक सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जगुआर के मामले में, अनुरक्षण संबंधी मुद्दों पर भारतीय वायु सेना के बेसों एवं हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की डिवीजनों की संयुक्त गुणता जांच तथा संक्रियात्मक एवं अनुरक्षण प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा करने के लिए जगुआर बेसों का निरीक्षण भी किया गया है।

अल्पसंख्यकों के अधिकार

1237. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश के कुछ भागों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली कोई घटनाएं दर्ज की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने कुछ शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का दर्जा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यों का उल्लेख राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(1) में किया गया है और इसमें किसी शैक्षिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देना सम्मिलित नहीं किया गया है।

विवरण

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ईसाई समुदाय के लोगों के उत्पीड़न संबंधी कुछ शिकायतें मिली हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के उत्पीड़न संबंधी मामलों की जांच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने की है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इसके अतिरिक्त 1-4-2006 से 31-7-2006 तक पुलिस अत्याचार, नौकरी संबंधी मामले, धार्मिक सम्पत्तियों पर अनधिकार कब्जा आदि से संबंधित 485 शिकायतें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को मिली है। शिकायतों के संबंध में रिपोर्टें मिलने पर शिकायतों के निवारण के लिए आयोग संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त सिफारिशें करता है।

[हिन्दी]

आर्थिक आधार पर आरक्षण

1238. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ देने के लिए वर्ष 2003 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री से अनुरोध प्राप्त हुआ था। अन्य व्यक्तियों/संगठनों से अन्य अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु मापदंड सुझाने, कल्याणकारी उपायों एवं शिक्षा और सरकारी रोजगार में आरक्षण की मात्रा की सिफारिश करने हेतु गठित किया गया है।

[अनुवाद]

अमृतसर में रेल उपरिपुल का निर्माण

1239. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को अमृतसर में वेरका और छेहरटा में दो रेल उपरिपुलों के निर्माण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में 28 मई, 2006 को माननीय सांसद ने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा है। जहां सड़क ऊपरि पुल (आर.ओ.बी.) की मांग की गई है उसकी सही स्थिति और समपार संख्या नहीं बताई गई है। बहरहाल, ऐसा पाया गया है कि निम्नलिखित यातायात घनत्व वाले वेर्का और चेहरता के आस-पास में 3 समपार है:

बी-27 किमी 508/3-4 अमृतसर-सानेवाल खंड 104076 गाड़ी वाहन इकाई (टीयूवी.) सी-5 किमी 0/8-9 अमृतसर-पठानकोट खंड 273462 टीवीयू. बी-20 किमी 517/18-17 अमृतसर-अटारी (चेहरता) 26594 टीवीयू. लागत में हिस्सेदारी के आधार पर समपार सं. बी-27 और सी-5 सड़क ऊपरी/निचले पुलों से बदलाव के लिए अर्हक हैं और बी-20 के बदलाव पर मौजूदा नियमों के तहत निहित शर्तों पर विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है। कुछ प्रारंभिक पूर्व-अपेक्षाओं को पूरा करते हुए ठोस प्रस्ताव की प्राप्ति पर इसकी जांच की जाएगी।

सशस्त्र बलों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न

1240. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यौन उत्पीड़न से असुरक्षा का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे छिटपुट मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

	2003	2004	2005	2006 (आज की तारीख तक)
सेना	शून्य	03	01	02
नौसेना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वायु सेना	शून्य	शून्य	02	शून्य
चिकित्सा, दंत और नर्सिंग सेवाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) और (घ) रक्षा बल, महिला सहित अपने कार्मिकों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करते हैं। महिला अफसरों के यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी घटना को गंभीरता से लिया जाता है और संबंधित सेवा अधिनियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियां

1241. श्री हितैन बर्मन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित काफी रिक्तियों को 'उपयोग न की गई' दर्शाकर उसे सामान्य कोटे में मिला दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रेषित किया जाए जब तक कि इन रिक्तियों को उन्हें पुनर्नियोजित करके न भर दिया जाए;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित विभागों को कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ग' पदों में 10 प्रतिशत और समूह 'घ' पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम और राष्ट्रीयकृत बैंक उन्हें समूह 'ग' में 14.5 प्रतिशत और समूह 'घ' में 24.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा, अर्द्ध सैनिक बलों में सहायक कमांडेंट की 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह रक्षा सुरक्षा कोर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए शत प्रतिशत पद आरक्षित हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और लोक उद्यम विभाग ने इस विषय पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय लोक उद्यमों को अनुदेश जारी किए हैं।

2. उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा लगाई है। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पहले ही 49.50 प्रतिशत है इसलिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण को प्रभावी बनाने के तरीके पर विचार किया था और यह निर्णय लिया कि इस विषय पर एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि भूतपूर्व सैनिकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वर्टिकल आरक्षण की तुलना में हॉरिजंटल आरक्षण उपलब्ध कराया जाए। दूसरे शब्दों में, भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध कराए गए आरक्षण के अधीन चुने गए भूतपूर्व सैनिकों को समुचित श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणी जिससे वे संबंधित हैं, उस श्रेणी के आधार पर 100 प्वाइंटों के रोस्टर में रखा जाना चाहिए। हॉरिजंटल आरक्षण की व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिक आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं होते हैं। तथापि, अप्रयुक्त रिक्तियों के उत्तरवर्ती भर्ती वर्षों के लिए अग्रेनीत करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की निगरानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जाती है जो इस विषय में नोडल एजेंसी है।

3. अधिकांश राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध करा रही हैं जो अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग राज्य सरकारों से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के वास्ते समय-समय पर अनुरोध करता रहता है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट

1242. श्री रशीद मसूद: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने विकलांग व्यक्तियों के उत्थान और उनकी उन्नति के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) जी, हां। यह रिपोर्ट सुगमता हेतु कार्यबल का गठन, नि:शक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति तैयार करने, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में नि:शक्तता पर नोडल अधिकारी का नामांकन और उच्चतर शिक्षा के पाठ्यक्रम में विकलांगता के संघटक को शामिल करने से संबंधित है। राष्ट्रीय नि:शक्तजन नीति को संबंधित मंत्रालयों और गैर-सरकारी संगठनों, कार्यकर्त्ताओं और विशेषज्ञों सहित अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ गहन विचार-विमर्श के पश्चात् तैयार किया गया है। यह उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है जहां हस्तक्षेप अपेक्षित है। नीतिगत दस्तावेज इस नीति में दिए गए कार्य बिंदुओं के कार्यान्वयन के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास भेज दिया गया है।

रेलवे स्टेशनों पर पैदल उपरिपुलों का निर्माण

1243. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रतलाम-नागदा-उज्जैन-भोपाल रेल लाइन पर उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए कोई पैदल उपरिपुल नहीं है;

(ख) क्या उक्त स्टेशनों पर पैदल उपरिपुल का निर्माण करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इनमें से उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जिन पर पैदल उपरिपुल के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ङ) इन पैदल उपरिपुलों का निर्माण कार्य कब से शुरू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रतलाम-नागदा-उज्जैन-भोपाल खंड पर असलौदा, बेरछा, बकतल, बोलाई, बाकानियाभोरी, जबरी, कालापीपला, कालीसिंध, मोहम्मदखेरा, नयीखेरी, पिंगलेश्वर, पंचावन, पीपलोदा, बगीस, परबती, पलसोदाम-करावां, फांदा, पीरुमरोद, सेहोर, तेजपुर, उनहेल, बेरावयाना, रूनखेरा, भाटीसुदा, चकरोड, किसोनी, शिवपुरा कुल 26 स्टेशनों पर उपरि पैदल पुल (एफ.ओ.बी.) उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

(क) और (ग) कालीपीपला और बरछा स्टेशनों पर एफ.ओ.बी. उपलब्ध कराने के लिए कार्य प्रगति पर है। मानदंडों के अनुसार, अन्य स्टेशनों पर उनकी श्रेणी के आधार पर एफ.ओ.बी. आवश्यक नहीं है।

(घ) कालापीपला और बेरछा पर एफ.ओ.बी. का निर्माण कार्य मंजूर किया गया है।

(ङ) एफ.ओ.बी. को 31-12-2006 तक पूरा करने की योजना है।

[अनुवाद]

जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता न दिया जाना

1244. श्रीमती मेनका गांधी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नामशूद्र, पोंदरा और माझी जातियों को अभी भी उनके संबंधित राज्यों की अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में कब तक मान्यता दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) नामशूद्र समुदाय असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट है। पोड़ और पोंदरा समुदाय को पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश, आंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में नामशूद्र, पॉदरा और माझी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास नृजाति संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया है। उड़ीसा के पोड़, पोंदरा समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव को भारत के महारजिस्ट्रार के पास उनकी अभ्युक्ति के लिए भेज दिया गया है।

तथापि, इस मामले में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि इस प्रस्ताव पर विभिन्न एजेंसियों से विचार-विमर्श अपेक्षित है।

रेल टिकट काउंटरों पर भीड़

1245. श्री एम. शिवन्ना: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली/पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटरों पर भारी भीड़ के कारण यात्रियों को टिकट लेने/खरीदने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटरों पर भीड़ को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे प्रमुख स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर भीड़ को कम करने हेतु कतिपय स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट प्रणाली (यू.टी.एस.) उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान किन-किन स्टेशनों पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान ऐसे काउंटर खोलने हेतु नियत किए गए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) नई दिल्ली और दिल्ली स्टेशन पर पर्याप्त बुकिंग का प्रबंध किया गया है। बहरहाल, इन स्टेशनों पर व्यस्तम अवधि के दौरान, भीड़-भाड़ को खत्म करने के लिए अतिरिक्त बुकिंग काउंटर खोले जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के सभी शेष स्टेशन और कुछ महत्वपूर्ण 'ङ' श्रेणी वाले सभी स्टेशनों जिनकी संख्या 806 है, पर 2006-07 में अनारक्षित टिकट प्रणाली के प्रावधान को स्वीकृत किया गया है। जोनल रेलवे-वार स्टेशनों के नाम की सूची संलग्न विवरण-I में है।

(ङ) और (च) भारतीय रेलवे पर यू.टी.एस. उपलब्ध कराने के समग्र लक्ष्य 425 स्टेशन से अधिक हो गया था। इसकी अपेक्षा 591 स्टेशनों पर ये सुविधा उपलब्ध थी। जोनल रेलवे-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

2006-07 में स्वीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली के स्थानों की रेलवे-वार सूची

मध्य रेलवे (85)

1. एरोली
2. आकुर्डी
3. अम्बरनाथ
4. एमबीवली
5. आसनगांव
6. अटगांव
7. बदलापुर
8. बारामती
9. बेगदेवाडी
10. बेलापुर
11. बेलापुर सीबीडी
12. भानडुप
13. भीवपुरी रोड
14. बायकुला
15. चेम्बुर
16. चिंचपोकली
17. चुनाभट्टी
18. कॉटन ग्रीन
19. करी रोड
20. देहू रोड
21. देवलाली
22. धुले
23. दिवा
24. डॉकी यार्ड रोड
25. गुरूतेग बहादुर नगर
26. घानसोली
27. घोराडोंगरी
28. घोरावाडी
29. गोवंडी
30. हिंगनघाट
31. इगतपुरी
32. जयनगर
33. कलवा
34. कामशेट
35. कंजूर मार्ग
36. कराड
37. कसारा
38. कसरवाडी
39. कासरवाड़ी
40. खादरवाली
41. खड़की
42. खंडेश्वर
43. खरदी
44. खारबार
45. किंग्स सर्कल
46. कोपरगांव
47. कोपरखैर्ने
48. लातुर
49. मालावाली

50. मलकापुर
51. मानखुर्द
52. मस्जिद
53. माथेरान
54. माटुंगा
55. मुल्लाई
56. मुम्बरा
57. मूर्तिजापुर
58. नाहुर
59. नान्दुरा
60. नेपानगर
61. नेरूल
62. परेल
63. रिये रोड
64. संघुर्स्ट रोड
65. सानपाड़ा
66. सस्वाद रोड
67. सतारा
68. सीवुड डार्वे
69. सेवाग्राम
70. सेवरी
71. शहद
72. शेलु
73. सियोन
74. ठाकुराली
75. तिलकनगर
76. टिटवाला
77. तुर्भे
78. उल्हासनगर
79. वडाला रोड
80. वड़गांव
81. वांझी
82. वाशी
83. वासिंद
84. विद्या विहार
85. विखरोली
86. विठलवाडी

पूर्व मध्य रेलवे (27)

87. अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन
88. बगहा
89. बनमनखी
90. बेगूसराय
91. बेतिया
92. भभुआ रोड
93. चकिया रेलवे स्टेशन
94. दलसिंह सराय
95. हसनपुर रोड
96. जनकपुर रोड
97. जयनगर
98. झंझारपुर
99. लहरिया सराय
100. मधुबनी
101. मोतिहारी
102. मुरलीगंज
103. नवगछिया
104. निर्मली

105. पारसनाथ
106. रफीगंज
107. राघोपुर
108. रक्सौल
109. सिमरी बख्तियारपुर
110. सिंगरौली
111. सीतामढ़ी
112. सुगौली
113. टोरी

पूर्व तट रेलवे (23)

114. अंगुल
115. बारंग
116. बारगढ़ रोड
117. बोबिली
118. छत्तरीपुत
119. छत्तरपुर
120. चिपुरुपल्ली
121. धेनकनाल
122. हीराकुंड
123. इच्छापुरम
124. जगदलपुर
125. जयपोर
126. कालुपाराघाट
127. कांटाभांजी
128. कोशिंगा
129. खरियार रोड
130. महासमुन्द
131. मनथेस्वर
132. नवपारा रोड
133. निराकरपुर
134. पारादीप
135. पार्वतीपुरम
136. पार्वतीपुरम टाउन

पूर्व रेलवे (200)

137. आदिसप्तग्राम
138. आगराद्वीप
139. अकरा
140. अम्बिका कलां
141. अरंघाता
142. अशोकनगर
143. अजीमगंज
144. बड़कुला
145. बाग बाजार
146. बाघाजतीन (एफ)
147. बगीला (एफ)
148. वग्नापारा (एफ)
149. बगुला (एफ)
150. बहारू (एफ)
151. बहिरखंड (एफ)
152. बैद्यबटी (एफ)
153. बैंची (एफ)
154. बैंचीग्राम (एफ)
155. बालागढ़ (एफ)
156. बलरामबटी (एफ)
157. बालीघाट
158. बामनगाछी

159. बानपुर
160. बंसबरिया
161. बराकर
162. बारानगर
163. बरहरवा
164. बरियारपुर
165. बरूईपारा
166. बशीरहात
167. बसुलडांगा
168. बी.बी.डी. बाग
169. बेगमपुर
170. बेहुला
171. बेलानगर
172. बलेरहाट
173. बेलमुरी
174. बेलूरमठ
175. भद्रेश्वर
176. भंडारटिकुरी
177. भसीला
178. विद्याधरपुर
179. बीरा
180. बीराटी
181. बीरनगर
152. बिसोरपारा कोडलिया
183. ब्रासब्रिज
184. बरा बाजार सर्कुलर
185. चकदह
186. चंपा पुकुर
187. चंपाहाटी
188. चंदनपुर
189. चांदपारा
190. दैनहाट
191. दक्षिण वार
192. दक्षिण बारासात
193. दक्षिण दुर्गापुर
194. डानकुनी
195. दियारा
196. देबिपुर
197. धामुआ
198. धापधोपी
199. धात्तरी ग्राम
200. धुलिया गंगा
201. दुएला
202. दुमुरदाहा
203. दुर्गानगर
204. दत्तापुकुर
205. ईडेन गार्डेन
206. फुलिया
207. गादे
208. गंगापुर
209. गंगपुर
210. गरीफा
211. घुतियारी शरीफ
212. गिरिडीह
213. गोबोरडांगा
214. गोबरा

215. गोचरण
216. गोपालनगर
217. गुमा
218. गुप्तीपाडा
219. गुड़प
220. गुरूदासनगर
221. गुसकारा
222. हबीबपुर
223. हब्रा
224. हालीसर
225. हरिपाल
226. हौवा रोड
227. हसनाबाद
228. हाजीगढ़
229. हुगली
230. हुगलीघाट
231. होतोर
232. हरिदायपुर
233. इच्छापुर
234. जगदल
235. जामताड़ा
236. जनई रोड
237. जंगीपुर
238. जौग्राम
239. झापनडंगा
240. जीरत
241. जोयनगर मोजिलपुर
242. कैकाला
243. काकद्वीप
244. कालिकापुर
245. कालीनारायणपुर जं.
246. कल्याणी घोषपाड़ा
247. कल्याणी सिलपंचल
248. कल्याणी सिमांता
249. कल्याणपुर
250. कमारकुंडू
251. कचरापाड़ा
252. कांकीनाडा
253. काशीनगर
254. खगराघाट
255. कमरगाछी
256. खानयान
257. खर्धा
258. कुल्टी
259. कुमारघुबी
260. कुंतीघाट
261. लेक गार्डेन
262. लक्ष्मीकांतापुर
263. लक्ष्मीपुर
264. लोकनाथ
265. मदनापुर
266. मधुसुदनपुर
267. मध्यमग्राम
268. मगराहाट
269. मझदिया
270. मझरग्राम

271. मझहरहाट
272. मलातीपुर
273. मल्लिकपुर
274. मंडारहिल
275. मंकुंडु
276. मासाग्राम
277. मथुरापुर रोड
278. मेमाड़ी
279. मिर्जापुर बंकीपुर
280. मोग्रा
281. मोंजर
282. मुरारे
283. नबादविपघम
284. नबाग्राम
285. नालहाटी
286. नालीकुल
287. नंगी
288. नसीबपुर
289. नेत्रा
290. न्यू अलीपुर
291. न्यू बैरकपुर
292. निमित्ता
293. निश्चिंतपुर
294. पाकुड़
295. पालारोड
296. पालापाड़ा
297. पालसिट
298. पलता
299. पंडावेश्वर
300. पंडुआ
301. पातीपुकुड़
302. पातुली
303. पेराडंगा
304. पियाली
305. पोड़ाबजार
306. प्रिंसेपघाट
307. पूर्वस्थली
308. राजमहल
309. रसुलपुर
310. संथिया
311. शक्तिगढ़
312. सलार
313. समुंद्रगढ़
314. संग्रामपुर
315. संतोषपुर
316. शशानरोड
317. श्यामनगर
318. सिबाईचांदी
319. सिमलागढ़
320. सिमुलाताला
321. सिमुराली
322. सिंगौर
323. स्यूरी
324. सोमराबजार
325. सोनडालिया
326. सूर्यापुर

327. तहेरपुर
328. ताकीरोड
329. ताला
330. तलानदू
331. तलदी
332. ठाकुरनगर
333. तीनपहाड़
334. टिटागढ़
335. टोलीगंज
336. त्रिवेणी

पूर्व मध्य रेलवे (35)

337. अचनेरा
338. अजायबपुर
339. अतरा
340. बबिना
341. मर्थना
342. भुतेश्वर
343. चित्रकूटधाम
344. चोला
345. दादरी
346. दनकौर
347. दतिया
348. धौलपुर
349. फतेहपुर
350. गोबिंदपुरी
351. हरपालपुर
352. हाथरस
353. होडल
354. झिंझक
355. खागा
356. खुर्जा
357. कोशीकलां
358. महोबा
359. मैनपुरी
360. मैथा
361. मौरेनिपुर
362 मेजारोड
363. नैनी
364. ओरई
365. पाटा
366. फफूंद
367. रूंधी
268. शिकोहाबाद
369. सिकन्दरपुर
370. विंध्याचल
371. वायर

पूर्वोत्तर रेलवे (70)

372. इलाहाबाद सिटी
373. आनंदनगर
374. औणिहार जं.
375. आजमगढ़
376. बभनान
377. बदौन
378. बादशाह नगर
379. बहराइच
380. बलिया

381. बलरामपुर
382. बरेली सिटी
383. बरहनी
384. बस्ती
385. बेल्थरा रोड
386. भटनी
387. भटपर रानी
388. कप्तानगंज
389. कोलोनेलगंज
390. देवरिया सदर
391. दुल्लाहपुर
392. दुर्रौंधा
393. एकमा
394. फरक्काबाद
395. फतेहगढ़
396. गैनसारी
397. घाजीपुर सिटी
398. गोला गोकरननाथ
399. गोमती नगर
400. गोपालगंज
401. गुरसहायगंज
402. ज्ञानपुर रोड
403. हल्द्वानी
404. हाथरस सिटी
405. इंदिरा जंक्शन
406. इज्जतनगर
407. कैमगंज
408. कन्नौज
409. कानपुर अनवरगंज
410. कासगंज
411. काशीपुर
412. काठगोदाम
413. खलीलाबाद
414. लखीमपुर
415. लालकुआं
416. लार रोड
417. लखनऊ सिटी
418. मैलानी
419. माड़वा
420. मंडुआडीह
421. मानकपुर जंक्शन
422. मथुरा कैंट
423. नानपाड़ा
424. नौगढ़
425. नौतनवा
426. पलियाकलां
427. प्यागपुर
428. पुरणपुर
429. रामनगर
430. रसेड़ा
431. रावतपुर
432. रुद्रपुर सिटी
433. सलेमपुर
434. सारनाथ
435. सिसवा बाजार
436. सीतापुर

437. सुरेमनपुर
438. सहसील फतेहपुर
439. टनकपुर
440. तुलसीपुर
441. वाराणसी सिटी

उत्तर पश्चिम रेलवे (40)

442. आदर्शनगर
443. बल्तोरा
444. बांदीकुई
445. बारमेड
446. बसनी
447. बेवाड
448. भगत की कोठी
449. भिलवाड़ा
450. घरखी दादरी
451. चुरू जंक्शन
452. दहाड़ का बालाजी
453. ढोसा
454. देगाना
455. दुर्गापुरा
456. गांधीनगर (जयपुर)
457. गेटोरे जगतपुरी
458. हांसी
459. जैसलमेर
460. जवई बांध
461. झुनझुनु
462. खैराथल
463. किशनगढ़
464. लालगढ़
465. मदार
466. मकराना
467. मंडी डब्वाली
468. मारवाड़
469. मेड़ता रोड
470. नागपुर
471. नीम का थाना
472. फुलेरा
473. राणा प्रतापनगर
474. रानी
475. रत्नगढ़ जंक्शन
376. रिंगस
477. सादूलपुर
478. सीकर
479. सिरोही रोड
480. सिरसा
481. सोजात रोड

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (33)

482. अलीपुरद्वार जंक्शन
483. अलुआबारी रोड
484. अररिया कोर्ट
485. बरपेटा रोड
486. कूचबिहार
487. दलगांव
488. दलखोला
489. दार्जिलिंग
490. धर्मानगर

491. धूपगुडी
492. डिब्रूगढ़
493. डिफू
494. फकीराग्राम
495. फरकातिंग
496. जलपाईगुडी
497. जोगबनी
498. जोरहाट टाउन
499. कामखाया
500. कोकराझार
501. कुमेदपुर
502. लंका
503. मरियानी
504. नाहरकटिया
505. नलबाड़ी
506. न्यू अलीपुरद्वार
507. न्यू बोंगाईगांव
508. न्यू मिसामारी
509. रायगंज
510. सामसी
511. सिमालुगुडी
512. सोनाली
513. थिहू
514. तिनसुकिया जंक्शन

उत्तर रेलवे (43)

515. अमरोहा
516. बादशाहपुर
517. बरारा
518. बड़ौत
519. बटाला
520. बुलंदशहर
521. देवबंद
522. धामपुर
523. धुरी
524. फरीदकोट
525. फाजिल्का
526. गजरौला
527. गन्नौर
528. गढ़मुक्तेश्वर
529. गौरीगंज
530. गिदर्भा
531. जगाधरी
532. जैस
533. जाखल
534. जौनपुर सिटी
535. जींद
536. खुर्जा सिटी
537. कोट कापूरा
538. कोटद्वार
539. कुंडा हरनाम गंज
540. लक्सर
541. मालेरकोटला
542. मालीपुर
543. मोड़
544. मोदीनगर
545. मुसाफिरखाना

546. नांगलोई
547. नरेला
548. नरवाना
549. निहालगढ़
550. पालमपुर (हिमाचल)
551. पटौदी रोड
552. फाफामऊ
553. फिल्लौड़
554. फूलपुर
555. रूदाली
556. सांपला
557. ऊंचाहार

दक्षिण मध्य रेलवे (22)

558. अकीविडु
559. बसार
560. घोंगीर
561. चित्तनूर
562. कमबम
563. डॉ. के.एल. राव नगर
564. द्वारपुडी
565. गुत्ती
566. काकिनाडा पोर्ट
567. कोदूरू
568. मंत्रायलम रोड
569. मृयालगुडा
570. नागरसोल
571. नरसापुर
572. राजमपेट
573. साटेनपल्ली
574. श्रीकालाहस्ती
575. ताडिपत्री
576. उमरी
577. वेजेंदला
578. वाशिम
579. येरागुंतला

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (17)

580. अमलै
581. अनूपपुर
582. बालाघाट
583. विश्रामपुर
584. छिंडवाड़ा
585. चिरमिरी
586. दल्ली राजहरा स्टेशन
587. हावबाग
588. कोरबा
589. मंडला पोर्ट
590. महेंद्रगढ़
591. नैरपुर
592. पंडारा रोड
593. सियौनी
594. शहदूल
595. उमरिया
596. वाडसा

दक्षिण पूर्व रेलवे (36)

597. आबदा
598. बराजमडा

599. बडभूम
600. बस्ता
601. बेरो
602. बाघा
603. बिश्रीपुर
604. चैबासा
605. चाकुलिया
606. चंद्रकोणा रोड
607. दसनगर
608. धिूल्टी
609. डिघा
610. गरबेटा
611. घोराघाटा
612. हौर
613. झालिड़ा
614. जयचांदीपहाड़
615. खेरै
616. मधुकुंडा
617. मदपुर
618. मनोहरपुर
619. मूराडीह
620. मूरी
621. नामकोम
622. नंदी गजन
623. नारायणपकुड़िया मुरैल
624. राधामोहनपुर
625. राजघाट
626. राजखरस्वा
627. राजगढ़ शहर
628. रामकनाली
629. रूपसा
630. शालीमार
631. सिनी
632. सोरो

दक्षिण पश्चिम रेलवे (25)

633. अदिहाली
634. आजमपुर
635. अलनावर
636. बगलकोट
637. बेंगलुरु ईस्ट
638. बेलगाम
639. बेल्लारी
640. गदग
641. घाटप्रभा
642. हरिहर
643. हिंदुपुर
644. होजपेट
645. होसूर
646. कृष्णाराजपुरम
647. कुप्पम
648. लोंडा
649. मांडया
650. राणेबेन्नूर
651. सौंशी
652. श्रवणबेलगोला
653. श्री सत्यसई प्रशांति नीलायम

654. वास्को डि गामा

655. व्हाइटफील्ड (बेंगलुरु)

656. यलहंका

657. यशवंतपुर

दक्षिण रेलवे (69)

658. अम्बूर

659. अणुप्पमपत्तू

660. अत्थीपत्तू

661. बडागरा

662. बेसिन ब्रिड जंक्शन

663. चलाकुडी

664. चेन्नै चेटपेट

665. चेन्नै फोर्ट

666. चेपुक

667. छिंतारीपेट

668. ई-डिपो

669. इण्णौर

670. फेरोक

671. हरिपाद

672. इरिंजलाकुडा

673. कदमबात्तूर

674. कान्हागढ़

675. कनकनाडी

676. कन्याकुमारी

677. कथिवक्कम

678. कावरीपेट्टै

679. कडईकैनाल रोड

680. कोदमबक्कम

681. कोरात्तूर

682. कोरूक्कूपेट

683. कुलुत्तुरै

684. लाइट हाउस

685. मनावूर

686. मलियादुत्तरै जंक्शन

687. मीणाबक्कम

688. मेट्टूपलायम

689. मिंजौर

690. मूरे मार्किट कांप्लैक्स

691. नागापट्टीनम

692. ओट्टाप्पालम

693. पालघाट टाउन

694. परमाक्कुडी

695. पारापननगडी

696. पार्क टाउन

697. पत्तंबी

698. पत्तरावक्कम

699. पेरामूबर कैरिज वर्क्स

700. पेराम्बूर लोको वर्क्स

701. पीरावम रोड

702. पोन्नैरी

703. क्यूलंदी

704. रामनाथपुरम

705. रामेश्वरम

706. सत्तूर

707. सेवापेट रोड

708. शोरतलै

709. श्री रंगम
710. ताम्बरम सैनीटोरियम
711. ताम्बरम सैनीटोरियम
712. तिरुमलै
713. तिरुनिंतारूर
714. तिरचिरापल्ली फोर्ट
715. तिरुमंगलम
716. तिरुपत्तूर
717. तिरसुलम
718. तिरुवलनगडु
719. तिरुवेल्लीकेनी
720. तिरुवोतियूर
721. तोंडियारपेट
722. वनियमबाडि
723. वरकाला
724. वेप्पमबत्तू
725. वृद्धाचल्लम जंक्शन
726. व्यावरपाडि जीवा
727. वाशरमनपेट

पश्चिम मध्य रेलवे (21)

728. असोक नगर
729. बयाना जंक्शन
730. भरतपुर जंक्शन
731. भवानी मंडी
732. दकनिया तालव
733. गडरवा
734. गंगापुर सिटी
735. गंज बसौडा
736. गुना
737. हिंडन सिटी
738. होशंगाबाद
739. करेली
740. मैहर
741. नहसिंहपुर
742. पिपरिया
743. रामगंज मंडी
744. रीवा
745. सांची
746. शामगढ़
747. श्री महावीर जी
748. विक्रमगढ़ अलोट

पश्चिम रेलवे (60)

749. अलऊ
750. अमलनेर
751. अमलसर
752. बरदोई
753. बाडनगर
754. भचाऊ
755. भिलाड़
756. बोडाड़
757. चित्तौडगढ़
758. दहानू रोड
759. दाहिंसर
760. धांगधरा जंक्शन बला एवं मीला
761. फतेहाबाद सी
762. गांधीग्राम

763. गोधरा जंक्शन बला एवं छोला
764. जओरा
765. झाबुआ
766. जोगेश्वरी
767. जूनागढ़ जंक्शन
768. कच्छ रोड
769. कलोल
770. केलवे रोड
771. खामबलिया
772. खर्दीविली
773. खासलिया
774. किम बला
775. कोसम्बा जंक्शन बला एवं छोला
776. लक्ष्मीबाई नगर
777. लोअर पारेल
778. महालक्ष्मी
779. माहेबादबाद खेड़ा रोड
780. मार्टुगा रोड
781. मेघनगर
782. मीरा रोड
783. मुंबई सेंट्रल लोकल
784. नयगांव
785. नल्ला सोपारा
786. नवापुर
787. पालघर
788. पाटन
789. राजेंद्र नगर
790. साबरमती जंक्शन मीला
791. सामख्याली जंक्शन
792. संजान
793. सफाले
794. सिहौर
795. शुजालपुर
796. सुरेंद्रनगर
797. थान
798. उडवाडा
799. उमेरगांव
800. उना (गुजरात)
801. ऊंझा
802. वैत्रना
803. वनगांव
804. वेरावल
805. वीरमगाम जंक्शन बला एवं मीला
806. वीरपुर
807. व्यारा
808. वांकानेर

विवरण-II

31-03-2006 तक शुरू किए गए अनारक्षित टिकट प्रणाली के स्थानों की रेलवे-वार संख्या

रेलवे	स्थानों की संख्या
मध्य रेलवे	52
पूर्व मध्य रेलवे	44
पूर्व तट रेलवे	15
पूर्व रेलवे	58
उत्तर मध्य रेलवे	03
पूर्वोत्तर रेलवे	07

रेलवे	स्थानों की संख्या
उत्तर पश्चिम रेलवे	05
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	13
उत्तर रेलवे	96
दक्षिण मध्य रेलवे	100
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	23
दक्षिण पूर्व रेलवे	29
दक्षिण पश्चिम रेलवे	38
दक्षिण रेलवे	73
पश्चिम मध्य रेलवे	13
पश्चिम रेलवे	22
कुल जोड़	591

खाद्य अपमिश्रण संबंधी मामले

1246. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार खाद्य अपमिश्रण के कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सूचना के अनुसार, पिछले तीन सालों के दौरान खाद्य अपमिश्रण संबंधी मामलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करते है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	निम्नलिखित वर्षों के दौरान अपमिश्रित पाए गए दर्ज मामलों की संख्या		
		वर्ष 2001	वर्ष 2002	वर्ष 2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1273	966	1022
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	6	02
3.	असम	157	117	212
4.	बिहार	680	उपलब्ध नहीं	555
5.	गोवा	2	09	19
6.	गुजरात	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	499
7.	हरियाणा	370	356	504
8.	हिमाचल प्रदेश	93	62	176
9.	जम्मू-कश्मीर	292	67	70

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	302	316	437
11.	केरल	299	308	408
12.	मध्य प्रदेश	497	476	237
13.	महाराष्ट्र	2413	1973	2162
14.	मणिपुर	03	06	शून्य
15.	मेघालय	13	शून्य	03
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैण्ड	02	शून्य	13
18.	उड़ीसा	161	218	145
19.	पंजाब	290	318	360
20.	राजस्थान	595	698	465
21.	सिक्किम	04	10	शून्य
22.	तमिलनाडु	376	668	उपलब्ध नहीं
23.	त्रिपुरा	08	14	08
24.	उत्तर प्रदेश	2361	2773	3171
25.	पश्चिम बंगाल	124	124	87
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
27.	चंडीगढ़	107	74	50
28.	दादर और नगर हवेली	5	01	03
29.	दमण और दीव	2	04	शून्य
30.	दिल्ली	392	350	218
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	12	21	21
33.	छत्तीसगढ़	77	70	101
34.	झारखण्ड	31	उपलब्ध नहीं	48

1	2	3	4	5
35.	उत्तरांचल	45	20	32
	कुल	11008	10025	10928

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या

1247. श्री रामजीलाल सुमन:

श्री के.एस. राव:

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कया विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से देश में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) की जनसंख्या के बारे में विरोधाभासी आंकड़े सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट और देश में ओ.बी.सी. जनसंख्या के बारे में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा ओ.बी.सी. को आरक्षण देने हेतु किस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है; और

(घ) अन्य रिपोर्ट को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) वर्ष 1980 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की रिपोर्ट में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 52% अनुमानित की गई थीं, जो वर्ष 1931 की जनगणना पर आधारित थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने 1999-2000 में रोजगार और बेरोजगार तथा उपभोक्ता व्यय पर अपने छठे पंचवर्षीय सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया है कि अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 36% है। दोनों रिपोर्टें सार्वजनिक जानकारी में है।

(ग) और (घ) वर्ष 1990 में सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण मंडल आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था जबकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट वर्ष 1999-2000 से संबंधित है।

चिकित्सा पर्यटन

1248. श्री वी.के. दुग्मर:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत को विश्वभर में एक स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने के मद्देनजर किसी कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) एक स्वास्थ्य पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए, सरकार एवं निजी उद्योग द्वारा अवसरों का मूल्यांकन करने एवं की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करने हेतु, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक कृतिक बल का गठन किया गया है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रत्यायन एवं प्राइस बैंडिंग पर गठित उप-समितियों ने प्रत्यायन मानकों तथा चिन्हित अस्पतालों एवं चिन्हित की गई विशेष चिकित्सा सेवाओं के लिए निर्धारित मूल्य के साथ अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इंडियन हेल्थकेयर फेडरेशन, एक गैर-सरकारी संगठन, जो भारतीय उद्योग परिसंघ से संबद्ध है, ने सरकार की सलाह से देश के चुनिंदा भारतीय अस्पतालों पर एक गाइड तैयार की है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य पर्यटन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

(घ) चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने, के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में ब्रोशरों, सीडीज, फिल्मों एवं अन्य प्रचार सामग्रियों के माध्यम से, विदेशी मार्केट में संवर्धन, भारत

में आने वाले विदेशी पर्यटकों को डाक्टरी चिकित्सा प्रयोजनों के लिए 'एम' वीजा की श्रेणी की शुरुआत, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, लंदन और आइ.टी.बी., बर्लिन, आदि जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेले शामिल हैं।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन पर प्रभाव

1249. **श्री अनंत गंगाराम गीते:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री मिलिन्द देवरा:
श्री मो. ताहिर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कितने पर्यटकों ने कश्मीर का दौरा किया;

(ख) क्या इस वर्ष राज्य में पर्यटकों पर आतंकवादी हमलों के कारण जम्मू और कश्मीर में पर्यटन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान वर्ष के दौरान 26 जुलाई, 2006 तक 10,317 विदेशी पर्यटकों समेत 3,59,483 पर्यटकों ने कश्मीर घाटी की यात्रा की है।

(ख) और (ग) रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि पिछले वर्ष की तुलना में घाटी में घरेलू पर्यटक प्रवाह में हल्की गिरावट आई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3,65,818 की तुलना में इस वर्ष 26 जुलाई तक 3,49,166 घरेलू पर्यटकों ने घाटी की यात्रा की। तथापि, इस अवधि के दौरान घाटी में विदेशी पर्यटक आगमन में थोड़ी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के इसी अवधि के दौरान 9,777 की तुलना में, इस वर्ष 26 जुलाई, 2006 तक 10,317 विदेशी पर्यटकों ने घाटी की यात्रा की।

(घ) पर्यटकों के लिए सुरक्षा परिवेश को अत्यधिक दुरुस्त बनाने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार तथा सुरक्षा बलों द्वारा उठाए गए कदमों में - पर्यटकों का ध्यान रखने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए श्रीनगर, जम्मू और अन्य पर्यटक स्थानों पर अलग से पर्यटक पुलिस तथा प्रवर्तन दस्ते की तैनाती; पर्यटक स्थलों के इर्द-गिर्द तथा ऐसे स्थानों को जाने वाली सड़कों पर एंटी-सेबोटाज चेक्स और नियमित पेट्रोलिंग के साथ सुरक्षा बलों/राज्य पुलिस की समुचित तैनाती; कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर तथा इसके आस-पास स्थायी सुरक्षा इंतजाम; श्री अमरनाथ जी गुफा, पहलगाम तथा खीर भवानी की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम; 2 से 6 अगस्त, 2006 तक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता तथा हैदराबाद से कश्मीर के लिए यात्रा व्यवसाय के विशेष फेम टूअर्स का आयोजन करना शामिल हैं।

विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि

1250. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने हेतु कोई कार्य-योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्य-योजना को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) वर्ष 2002 और 2003 के दौरान सरकार ने निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों के साथ, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लिए 20 वर्षीय संदर्शी योजनाएं तैयार की थी:-

(i) राज्यों में उपलब्ध सेवाएं एवं अवसंरचना, हैरिटेज एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक सम्पत्तियों, प्राकृतिक संसाधनों, आदि जैसे विद्यमान पर्यटन परिदृश्य का मूल्यांकन करना;

(ii) राज्यों में पर्यटन विकास के लिए विद्यमान विकास/निवेश योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना;

(iii) उपलब्ध आकर्षणों, अवसंरचना की सूची एवं पर्यटक आगमन की मात्रा, आदि के आधार पर विद्यमान संभाव्य पर्यटक गंतव्यों का मूल्यांकन करना;

(iv) 20 वर्षों की समयावधि में सतत पर्यटन का विकास करना;

(v) निर्धारित समय के भीतर विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों के विषय में सूचित करते हुए, अल्प-कालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्यों के साथ योजनाएं देना;

(vi) आगामी 20 वर्षों को कवर करते हुए विभिन्न शीर्षों के अधीन अवसंरचना विकास पर संभावित निवेश दर्शाना;

(vii) चिन्हित संभाव्य विकास योजनाओं/परियोजनाओं एवं नीति उद्देश्यों के अनुसार अवसंरचना के विकास कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार करना।

(ग) चूंकि पर्यटक गंतव्यों/परिपथों का विकास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है, 20 वर्षीय संदर्शी योजनाएं उन्हें भेज दी गई थी ताकि वे तद्नुसार अपनी आगामी पर्यटन परियोजनाएं ले सकें। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आयोजित विचार-विमर्श के आधार पर विशेष गंतव्यों, पर्यटन परिपथों के विकास एवं उत्सवों के आयोजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक 900 से अधिक परियोजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई हैं और लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

पाटन-भिलाडी रेल लाइन का निर्माण

1251. **श्री मधुसूदन मिस्त्री:**
श्री हरिन पाठक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गुजरात सरकार से पाटन-भिलाडी रेल लाइन का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा उक्त परियोजना पर प्राथमिकता के आधार पर काम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार जुलाई, 2004 में गुजरात सरकार से पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें वीरमगाम-मेहसाणा-पाटन-भिलड़ी लाइन के आमान परिवर्तन का अनुरोध किया गया था।

(ग) इस परियोजना में वीरमगाम-मेहसाणा के बीच आमान परिवर्तन कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और मेहसाणा-पाटन के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया गया है। पाटन से भिलड़ी तक नई लाइन के कार्य को पुनः चालू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिसे पहले कम परिचालन प्राथमिकता के कारण रोक दिया गया था।

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 125 वर्ष

1252. **श्री मिलिन्द देवरा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे धरोहर का दर्जा प्राप्त दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 125 वर्ष पूरा होने पर समारोह आयोजित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 23 अगस्त, 2006 को दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे अपने अस्तित्व का 125वां वर्ष पूरा कर रहा है और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे इस अवसर को इसके ऐतिहासिक महत्व के अनुसार मनाने की योजना बना रहा है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कटिहार मंडल के सिलीगुड़ी जंक्शन स्टेशन पर तीन विभिन्न आमान अर्थात बड़ी लाइन, मीटर लाइन तथा छोटी लाइन एक साथ है। इस समारोह के भाग के रूप में तीन आमानों पर तीन भाप चालित विशेष गाड़ियां चलाने की योजना है। विशेष गाड़ियां निम्नानुसार चलेंगी:-

बड़ी लाईन - अलीपुरद्वार मंडल में सिलीगुड़ी जंक्शन से चालसा तक (दूरी 58 किमी, चालसा एक संरक्षित वन्य स्थान है)।

मीटर लाइन - सिलीगुड़ी जंक्शन से बागडोगरा तक (दूरी 10 किमी)।

छोटी लाइन - सिलीगुड़ी जंक्शन से टिंढारिया तक (दूरी 30 किमी)।

इस वसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना है।

झालुकबाड़ी से पानीखेती तक बड़ी लाइन का निर्माण

1253. श्री अनवर हुसैन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल.सी. जैन समिति ने झालुकबाड़ी से पानीखेती तक नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण करने की कोई सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा कया है; और

(ग) उक्त सिफारिशों के संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, विगत में इस तरह की कोई समिति नहीं थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्धा-नांदेड़ रेल लाइन परियोजना

1254. श्री देविदास पिंगले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्धा-नांदेड़ रेल लाइन परियोजना के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्धा-नांदेड रेल लाइन से कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदर्श गांव

1255. श्री सुब्रत बोस: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से वर्ष 2006-07 के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आदर्श गांवों के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग)) पर्यटन मंत्रालय की गंतव्य एवं परिपथ हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियां स्वीकृत एवं अवमुक्त की जाती हैं। पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के परामर्श और विचार-विमर्श से, ग्रामीण पर्यटन स्थलों के रूप में विकास हेतु 25 गांवों की पहचान की है। चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:-

(i) कालाडी, जिला एरनाकुला, केरल

(ii) अनाक्कारा, जिला इदुक्की, केरल

(iii) बरपाली, जिला बारगढ़, उड़ीसा

(iv) हीरापुर, जिला खुर्दा, उड़ीसा

(v) पदमनावपुर, जिला गंजम, उड़ीसा

(vi) कोम्बई, जिला थेनी, तमिलनाडु

(vii) थाडयियानकुडीसाई, जिला डिंडिगुल, तमिलनाडु

मुंबई हाई उत्तर में आग

1256. श्री मोहन रावले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई हाई उत्तर में आग के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों, की जांच करने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार ने आग के कारण हुए जान और माल के कुल नुकसान का भी आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी हां, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री टी.एन.आर. राव की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) ओ.एन.जी.सी. ने सूचित किया है कि एम.एच.एन. घटना में 22 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई और सर्वेक्षकों के अनुमान के अनुसार, लगभग 375 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) का नुकसान हुआ।

(ङ) ओ.एन.जी.सी. ने बताया है कि उसने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) घटना के बाद, ओ.एन.जी.सी. ने किसी संस्थापना के 500 मीटर के अंदर तेल क्षेत्रों में पोतों के प्रचालन के लिए एक समुद्री प्रक्रिया की समीक्षा की है और उसका मसौदा तैयार किया है। इस प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जा रहा है।

(2) मानसून के दौरान प्रचालन कार्यों के लिए विनिर्दिष्ट जांच सूचियां व दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(3) संस्थापनों तक पोतों के चक्कर को कम से कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(4) अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाता मै. मस्टांग, ह्यूस्टन के माध्यम से राइजर डिजाइनों की समीक्षा की गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण माडल

1257. श्री बसुदेब आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपनाए गए मूल्य निर्धारण माडल के ब्यौरे की संवीक्षा करने का निर्णय लिया है, जैसा कि दिनांक 5 जुलाई, 2006 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रंगराजन समिति ने पेट्रो-उत्पादों के मूल्य निर्धारण के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) डा. रंगराजन समिति ने 17-2-2006 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने डा. रंगराजन समिति रिपोर्ट की निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है:-

(1) पेट्रोल एवं डीजल पर सीमा शुल्क 10% से कम करके 7.5% करने सहित व्यापार समता के सिद्धान्त का कार्यान्वयन।

(2) सरकार की बिना किसी पूर्व सलाह से हर माह में एक बार तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) द्वारा संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में स्वायत्त समायोजन करने की अनुमति देना।

(3) "सैद्धांतिक रूप से" पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर राजसहायता बी.पी.एल. परिवारों तक ही सीमित रखना।

पेट्रोल एवं डीजल पर सीमा शुल्क में कमी करने के साथ व्यापार समता सिद्धान्त के कार्यान्वयन के संदर्भ में पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण की जांच करने हेतु एक समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया है जिसमें निदेशक, पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पी.पी.ए.सी.) सहित वित्त मंत्रालय, लागत लेखा शाखा के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

पश्चिम बंगाल में रेल उपरिपुलों का निर्माण

1258. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री सांताश्री चटर्जी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में शुरू किए गए रेल उपरिपुलों (आर.ओ.बी.) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में रेल उपरिपुल का निर्माण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ने वाले ऊपरी सड़क पुलों के कुल मिलाकर 41 कार्यों को लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृति दी गई है। इनमें से 18 पुलों के निर्माण कार्य को पहले ही शुरू कर दिया गया है और ये निष्पादन और योजना के विभिन्न चरणों में है। 23 पुलों के कार्य को शुरू नहीं किया जा सका

क्योंकि इनमें से अधिकांश मामलों में निर्माण लागत में 50% भागीदारी के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक सहमति नहीं दी गई है और कुछ मामले या तो सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित न किए जाने के कारण अथवा राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के आकलन प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) मिदनापुर (रंगामती के नजदीक) में, मिदनापुर के दक्षिम छोर पर समपार सं. के.ए.-7 के बदले लागत में भागीदारी के आधार पर रेलवे की लागत की भागीदारी के रूप में 610.82 लाख रुपए और राज्य सरकार की 742.75 लाख रुपए सहित ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है।

(घ) पुल खास (रेलपथ के आर-पार) की प्रगति 60% है लेकिन राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों संबंधी कार्यों में कोई प्रगति नहीं की गई है। बहरहाल, आशोधित सामान्य प्रबंधन आरेखण और संयुक्त आकलन की स्वीकृति दे दी गई है। रेलवे के हिस्से के कार्य को 31-8-2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विरासत स्थलों पर फिल्मों की शूटिंग

1259. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विरासत स्थलों को फिल्म शूटिंग के लिए स्थाई आयोजन स्थलों के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार ने इस स्त्रोत से कितना राजस्व अर्जित किया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम, 1959 के प्रावधान के अनुसार, केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों अथवा उनके भाग की फिल्म बनाने की अनुमति, विभिन्न निबन्धन एवं शर्तों के साथ, केवल बाहरी फिल्म बनाने के लिए 5000/- रुपए प्रति स्मारक, प्रतिदिन के भुगतान पर दी जाती है। कास्ट के साथ फिल्म बनाने के लिए प्रत्यर्पणीय जमानत जमाराशि के रूप में 10,000/- रुपए चार्ज किया जाता है। अपवादात्मक मामलों में, जहां फिल्म किसी शैक्षणिक अथवा स्मारकों के प्रचार के प्रयोजन के लिए हो, भीतरी हिस्सों की फिल्म बनाने के लिए अनुमति दी जाती है। संरक्षित स्मारक (सिवाय दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट के) के बाहर वीडियो फिल्म बनाने की 25/- रुपए के भुगतान पर अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि यह गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए हो और इसमें कोई कास्ट, किसी स्टैंड का प्रयोग न हो और यह प्रथागत एवं धार्मिक रिवाजों और मरम्मत कार्य में हस्तक्षेप न करें।

(ग) यह सूचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारत में विभिन्न सर्किल कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है।

आई.टी.डी.सी. की लाभ/हानि स्थिति

1260. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) की लाभ/हानि स्थिति क्या है और हानि होने, यदि कोी हो, के क्या कारण हैं;

(ख) क्या आई.टी.डी.सी. का विचार अधिक संख्या में शुल्क मुक्त दुकानें/बिक्री केन्द्र खोलकर अपने व्यवसाय का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कंपनी की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) आई.टी.डी.सी. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार, शुद्ध लाभ (कर पूर्व) अर्जित किया है:-

वर्ष	शुद्ध लाभ (कर पूर्व) (करोड़ रुपए में)
2003-04	02.86
2004-05	31.16
2005.06 (अनन्तिम)	39.03

(ख) और (ग) आई.टी.डी.सी. ने दस भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) नियंत्रित हवाईअड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों के खोलने के लिए ग्लोबल टेंडर में भाग लिया है। आई.टी.डी.सी. ने बंगलौर और हैदराबाद स्थित नए हवाईअड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों के खोलने के लिए भी प्राधिकारियों से सम्पर्क किया है।

(घ) आई.टी.डी.सी. ने कम्पनी की लाभप्रदत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) कारपोरेट और यूनिट दोनों स्तरों पर मार्केटिंग प्रयासों को तेज करना।

(ii) बेहतर ग्राहक सेवाएं सुनिश्चित करना।

(iii) नई ग्राहक सुविधाओं/सेवाओं में वृद्धि करना।

(iv) नए ग्राहक वर्गों की पहचान करने के लिए रणनीतियां तैयार करना।

(v) होटलों की सेवाओं के स्तरों में सुधार हेतु मानव संसाधन विकास करना।

पेट्रोल पंपों का आधुनिकीकरण

1261. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितने पेट्रोल पंपों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों और विशुद्ध पेट्रोलियम उत्पादों के प्रवर्तन द्वारा आधुनिक बनाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर असम में अधिक पेट्रोल पंपों के आधुनिकीकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां नामत: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड (आई.बी.पी.) द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान असम सहित देश भर में आधुनिकीकृत किए गए और वर्तमान वर्ष अर्थात 2006-07 के दौरान आधुनिकीकृत किए जाने के लिए योजनाबद्ध पेट्रोल पंपों की राज्यवार कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा आधुनिकीकृत किए गए और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2006-07 के दौरान आधुनिकीकृत किए जाने के लिए योजनाबद्ध खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	के दौरान आधुनिकीकृत किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र			के दौरान आधुनिकीकृत किए जाने के लिए योजनाबद्ध खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	160	152	306	259
असम	5	10	13	23
बिहार	44	40	77	162
चंडीगढ़	14	23	41	28
छत्तीसगढ़	46	37	67	70

1	2	3	4	5
दिल्ली	159	188	202	172
गोवा	17	12	25	22
गुजरात	281	327	368	313
हरियाणा	197	199	244	274
हिमाचल प्रदेश	12	12	30	18
जम्मू-कश्मीर	9	11	22	26
झारखंड	28	41	93	49
कर्नाटक	92	82	131	146
केरल	63	70	159	180
मध्य प्रदेश	91	70	176	199
महाराष्ट्र	215	222	355	393
मणिपुर	0	1	1	1
मेघालय	0	2	8	8
नागालैंड	0	0	2	1
उड़ीसा	54	55	48	94
पांडिचेरी	3	6	11	8
पंजाब	178	303	244	320
सिक्किम	2	0	0	0
राजस्थान	201	194	228	322
तमिलनाडु	154	129	225	198
उत्तर प्रदेश	428	611	679	467
उत्तरांचल	34	48	64	32
पश्चिम बंगाल	70	94	156	187
योग	2557	2939	3975	3972

भरूच-दाहेज का आमान परिवर्तन

1262. श्री महेश कनोडीया:

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **रेल मंत्री** भरूच-दाहेज आमान परिवर्तन परियोजना के बारे में 18 मई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4117 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) का निर्माण और वित्तीय प्रबंध कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस परियोजना में 75 करोड़ रुपए की अंशभागिता शामिल है। रेल विकास निगम लिमिटेड (आर.वी.एन.एल.) विशेष प्रयोजन योजना के निर्माण की कार्रवाई कर रही है। एक बार एस.पी.वी. की स्थापना हो जाने पर ऋण की व्यवस्था बाजार द्वारा की जाएगी।

(घ) एस.पी.वी. के निर्माण के दो वर्ष के पश्चात्।

[हिन्दी]

विमानपत्तन अवसंरचना संबंधी समिति

1263. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तन अवसंरचना के संबंध में किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान उक्त समिति द्वारा कितनी बैठकें आयोजित की गईं; और

(घ) उक्त समिति द्वारा क्या निर्णय लिए गए और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सरकार ने आधारिक संरचना पर एक समिति का गठन किया है, जिसके अन्तर्गत एयरपोर्ट आते हैं।

(ख) यह समिति माननीय प्रधान मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित की गई है और इसमें रेलवे, वित्त, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, ऊर्जा, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, नागर विमानन मंत्रालयों के माननीय मंत्री तथा योजना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) हाल ही में, आधारिक संरचना समिति की 12वीं बैठक दिनोक 8 जून, 2006 को आयोजित की गई थी जिसमें समिति ने निम्नलिखित बातों को अनुमोदित किया है:-

(i) एयरपोर्टों का क्रमवार नवीनीकरण किए जाने के बजाए, सभी 35 एयरपोर्टों के विकास का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्गत एवं उनके उत्तरदायित्व में किया जाए।

(ii) चुनिंदा एयरपोर्टों, विशेष रूप से बड़े एयरपोर्टों में, संबंधित एयरपोर्टों के विकास एवं प्रचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों का सृजन किया जाए।

(iii) कोलकाता और चेन्नई एयरपोर्टों के लिए, इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई कैसे की जाए, इस मामले पर विचार-विमर्श किया जा रहा था और इस पर माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा।

(iv) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पूर्वोत्तर प्रदेशों में एयरपोर्टों के विकास का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके बाद वित्त पोषण योजना को अंतिम रूप दिया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सिटी-साइड विकास कार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से किया जा सकता है जबकि एयरपोर्ट साइड विकास का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है। अब कार्य आरंभ करने के तौर-तरीकों को तय किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सबरीमाला के विकास के लिए वित्तीय सहायता

1264. श्री पी.सी. थामस: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने तीर्थ यात्रियों ने सबरीमाला के दर्शन किए;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान सबरीमाला के विकास के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) सबरीमाला की यात्रा करने वाले तीर्थ-यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पर्यटक रूचि वाले स्थानों/स्थलों की यात्रा के संबंध में राज्य-वार आंकड़े रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, केरल की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार है:-

पर्यटक आगमन

वर्ष	स्वदेशी	अंतर्राष्ट्रीय
2003	5871228	294621
2004	5972182	345546
2005	5946423	346499

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर, विभिन्न पर्यटक स्थानों के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सभी प्रकार से पूर्ण, प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन पारस्परिक-प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है और संबंधित शीर्षों के अंदर उपलब्धता की शर्त पर निधियां जारी की जाती हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सबरीमाला के विकास हेतु किसी परियोजना प्रस्ताव को प्राथमिकता नहीं दी गई है।

तथापि, सबरीमाला में तीर्थयात्री सुविधा केन्द्र के निर्माण हेतु वर्ष 1998-99 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने 104.89 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (वर्ष 2005-06 तक) केरल राज्य के लिए 9278.92 लाख रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरशाह

1265. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौकरशाह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) की ओर आकर्षित हो रहे हैं तथा स्थायी रूप से इन संगठनों में ही आमेलित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरशाहों के अत्यधिक प्रवेश को रोकने तथा प्रविधिज्ञ/विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार सरकारी अधिकारी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सिर्फ तत्काल आमेलन के आधार पर ही किसी पद पर पदभार ग्रहण कर सकते हैं। निम्नलिखित मामलों को छोड़कर सरकारी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की अनुमति नहीं दी जाती है - (i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों तथा क्षेत्रीय/आंचलिक प्रमुख के पद, जिनको राज्य सरकारों से निरन्तर संपर्क बनाए रखना पड़ता है तथा समन्वयन करना होता है और जिन मामलों में संगठनात्मक दक्षता हेतु राज्य सरकारों में प्राप्त विशेषज्ञता की जरूरत होती है, (ii) मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद तथा (iii) मुख्य सुरक्षा अधिकारी का पद तथा कतिपय प्रतिबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सुरक्षा - ढांचे में अन्य पद।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर के पदों पर नियुक्ति प्रत्येक पद से सम्बन्धित कार्य की अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी उद्यम चयन मण्डल की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है। निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के मामले में सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम का निदेशक मण्डल अपने उद्यम की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार नियुक्ति से सम्बन्धित मामलों में निर्णय लेने में सक्षम हैं।

सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित नीति की हाल ही में समीक्षा की है तथा यह दुहराया है कि उपर्युक्त अपवादों को छोड़कर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर लगे वर्तमान प्रतिबन्ध का सख्ती से क्रियान्वयन जारी रखा जाएगा। किसी खास श्रेणी के पद को 'तत्काल आमेलन के नियम' से छूट का मानदण्ड उक्त पदों के लिए

उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता को बनाया जाना चाहिए। पदों को नियमित आधार पर भरे जाने का हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। किसी पद को प्रतिनियुक्ति को आधार पर तभी भरा जाना चाहिए जब और कोई उपाय शेष न बचा हो।

कृषि उत्पादों की बर्बादी

1266. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पादों की देश में बहुत अधिक मात्रा में बर्बादी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न उत्पादों के प्रसंस्करण स्तर का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की औसत वृद्धि दर क्या रही; और

(घ) देश में कृषि उत्पादों की बर्बादी में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) कृषि उपज की बर्बादी का अनुमान लगभग 58,000 करोड़ रुपये वार्षिक लगाया गया है जो विभिन्न स्तरों पर हो रही है। प्रसंस्करण के स्तर का अनुमान फल और सब्जियों में 2.20%, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों में 35%, भैंस के मांस में 21%, पॉल्ट्री में 6% और समुद्री उत्पादों में 8% लगाया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह नीचे दिया गया है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
2003-04	511
2004-05	174
2005-06	183

(घ) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास हेतु समर्थन, मानव संसाधन विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2004-05 में आयकर अधिनियम के तहत फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगो के मामले में पांच साल के लिए लाभ पर 100% और अगले 5 वर्षों के लिए लाभ पर 25% छूट दी है। डेरी प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए डेरी मशीनरी पर लगने वाले 16% के उत्पाद शुल्क को पूरी तरह हटा लिया गया है। मांस, पॉल्ट्री और मछली उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की 16% से घटाकर 8% किया गया है। खाद्य तेल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य ग्रेड हेक्सेन पर उत्पाद शुल्क को 32% से कम करके 16% किया गया है। बजट 2005-06 में परिष्कृत तेल पर 1 रुपये प्रति किलोग्राम और वनस्पति पर 1.25 रुपये प्रति किलोग्राम के उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। रेफ्रिजरेटिड वैनों पर सीमा शुल्क को 20% से कम करके 10% किया गया है। बजट 2006-07 में, पैकेजिंग मशीनों पर लगने वाले सीमा-शुल्क को 15% से कम करके 5% किया गया है, कंडैन्स्ड मिल्क, आइसक्रीम, मांस, मछली और पॉल्ट्री से तैयार वस्तुओं, पैक्टिन, पास्ता और खमीर को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है, पैक किए हुए खाने के लिए तैयार खाद्यों और डोसा और इडली मिक्स जैसे इंस्टेंट फूड मिक्सेज पर उत्पाद शुल्क को 16% से कम करके 8% किया गया है, वातित पेय पर उत्पाद शुल्क को 24% से कम करके 16% किया गया है और पैकेजिंग पेपर पर उत्पाद शुल्क को 16% से कम करके 12% किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने पर विचार करते हुए कराधान लगाया गया है।

नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने हेतु विशेष बल

1267. श्री निखिल कुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना का विचार नक्सलियों की हिंसा के खतरे से निपटने हेतु विस्फोटकों को नष्ट करने की कला में प्रशिक्षित भूतपूर्व सैनिकों वाले एक विशेष बल का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कब तक गठन और इसे प्रभावित क्षेत्रों में कब तक तैनात किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, नक्सलवाद एक आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या है, अतः राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार में गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस

तथा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती करके इसका मुकाबला कर रहे हैं। सेना, प्रभावित राज्यों को उनकी क्षमता निर्माण में सहायता कर ही है जिसके अंतर्गत वह अर्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस कार्मिकों को एंटी एम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक यंत्रों का प्रयोग करने का प्रशिक्षण देती है और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करके उनमें भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों को पुनः नियोजित करती है।

तटरक्षकों के लिए बुनियादी संरचना

1268. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तटरक्षकों के लिए बुनियादी संरचना में सुधार हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौसेना तथा कोचीन पत्तन न्यास वेल्लारपाडोम में एक बन्दरगाह बनाने की योजना बना रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) तटरक्षक विकास योजना 2002-07 में मूलभूत ढांचे के विकास के लिए 199.05 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(ग) और (घ) भारतीय नौसेना और कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा वेल्लारपाडोम में जेटी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रचालन कर्मचारियों की कमी

1269. श्री एस. अजय कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जोन-वार कितने प्रचालन कर्मचारी भर्ती किए गए;

(ख) क्या रेलवे अपनी नई सेवाओं के लिए प्रचालन कर्मचारियों की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पदों का खाली होना एवं भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नियमित अंतराल पर चयन/उपयुक्तता द्वारा जितना शीघ्र संभव हो उतनी जल्दी पदों को भरने के लिए स्थाई पद्धति मौजूद है।

विवरण

जोन (रेलवे)	2003-04		2004-05		2005-06	
	सहायक इंजन पायलट	गुड्स गार्ड	सहायक इंजन पायलट	गुड्स गार्ड	सहायक इंजन पायलट	गुड्स गार्ड
1	2	3	4	5	6	7
मध्य रेलवे	524	342	259	8	4	195
पूर्व रेलवे	106	0	0	0	723	203
उत्तर रेलवे	2	0	837	71	853	45
पूर्वोत्तर रेलवे	163	67	43	2	292	9

1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	365	23	0	0	98	25
दक्षिण रेलवे	729	17	206	33	457	20
दक्षिण मध्य रेलवे	854	9	2	0	951	288
दक्षिण पूर्व रेलवे	1506	4	15	76	649	126
पश्चिम रेलवे	0	0	262	0	335	113
पूर्व मध्य रेलवे	0	0	18	15	574	134
पूर्व तट रेलवे	323	28	95	61	68	52
उत्तर मध्य रेलवे	134	59	169	3	559	0
उत्तर पश्चिम रेलवे	0	0	313	0	325	103
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	467	54	181	2	568	91
दक्षिण पश्चिम रेलवे	67	0	353	40	117	0
पश्चिम रेलवे	282	137	149	4	500	49
मेट्रो	0	0	0	0	10	0
जोड़	5072	740	2902	315	7113	1453

[हिन्दी]

स्टेशनों पर खराब टेलीविजन

1270. श्री पंकज चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों को रेलगाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान के बारे में अवगत कराने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर लगाए गए टेलीविजन कार्यशील अवस्था में नहीं हैं जिससे कि यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यात्रियों को हो रही असुविधाओं के मद्देनजर उक्त टेलीविजन को कार्यशील अवस्था में लाने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, नहीं। कुछ स्टेशनों पर आने और जाने वाली रेलगाड़ियों के संबंध में जानकारी के लिए टेलीविजनों की व्यवस्था की गयी है और सामान्यत: सभी चालू हालत में है। इस प्रयोजन के लिए रेलगाड़ी संकेतक बोर्डों का सामान्यत: प्रयोग किया जाता है। इनका नियमित रूप से अनुरक्षण किया जाता है और प्रणाली में किसी प्रकार की खराबी आने पर इसे तुरंत ठीक किया जाता है।

(ग) इस प्रकार की प्रणालियों की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए रेलों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

वाइन तथा बियर को शराब की सूची से अलग करना

1271. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गठित संयुक्त कार्य समूह ने आबकारी नीति तथा कराधान प्रयोजनों के लिए वाइन तथा बियर को शराब की सूची से अलग करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सिफारिश के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) एक अंतर्मंत्रालय समूह जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा अल्कोहलयुक्त पेयों और अल्कोहल के लिए मॉडल उत्पाद शुल्क अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया और बाद में उसे विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पास भेजा गया। अल्कोहलयुक्त पेय क्षेत्र, राज्य का विषय है और तदनुसार राज्य/संघ शासित प्रदेश अपनी नीतियां और उत्पाद शुल्क प्रणाली स्वयं बाते हैं। वाइन और बियर को हार्ड लिकर से अलग करने संबंधी मामला वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है।

श्रीलंका में तेल अन्वेषण ठेके

1272. श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री अनन्त नायक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका ने अपने समुद्र तटीय क्षेत्रों में तेल के अन्वेषण के लिए भारतीय तेल कंपनियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में श्रीलंका के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) श्रीलंका में ई एण्ड पी कार्यकलापों में सहयोग करने हेतु भारत और श्रीलंका की समान इच्छा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में और मई, 2003 में तत्कालीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की कोलम्बो यात्रा के अनुक्रम में दिसम्बर, 2003 में ओ.एन.जी.सी. के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में चर्चा के लिए श्रीलंका की यात्रा की थी। कावेरी बेसिन में ओ.एन.जी.सी. द्वारा पहले से किए गए कार्य को देखते हुए, जहां महत्वपूर्ण भण्डार सिद्ध हुए हैं, यह विचार किया गया था कि उसी क्षेत्र में श्रीलंका की ओर से आगे अन्वेषण करना भूवैज्ञानिक समानता के कारण उत्पादक हो सकता है अतः यह प्रस्ताव रखा गया था कि श्रीलंका के पश्चिमी अपतट के मन्नार की खाड़ी के क्षेत्र में ब्लाकों की प्राप्ति के लिए ओ.एन.जी.सी./ओ.वी.एल. को समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। क्षेत्र में ई एंड पी कार्यकलापों में अपनी भागीदारी की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए ओ.वी.एल. ने मन्नार की खाड़ी क्षेत्र के लिए मैसर्स टी.जी.एस.एन.ओ.पी.ई.सी. से भूकंपीय आंकड़े खरीदे हैं।

गेल (इंडिया) लिमिटेड ने चर्चा वार्ता के माध्यम से कुछ ई एण्ड पी ब्लाकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2005 में श्रीलंकाई सरकार से अनुरोध भी किया था। तत्पश्चात् 26-27 अक्तूबर, 2005 को गेल के एक दल ने कोलम्बो की यात्रा की थी और श्रीलंका सरकार से वार्ता की। गेल को सलाह दी गई थी कि वे भूकंपीय आंकड़ों का परीक्षण करें और संबंधित अभिरुचि के ब्लाकों के बारे में श्रीलंका के निवेश बोर्ड को सूचित करें। जहां तक नामांकन के आधार पर ई एण्ड पी ब्लाकों को प्रदान करने का प्रश्न है, गेल ने यह रिपोर्ट दी है कि श्रीलंका की ओर से यह सूचित किया गया है कि भारतीय पक्षकारों को 2 या 3 ब्लाक प्रदान करने के लिए भारत सरकार और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय एम.ओ.यू./प्रोटोकोल किया जाएगा।

ओमान के साथ सैन्य संबंध

1273. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओमान के साथ सैन्य संबंध बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सैन्य मुद्दों पर ओमान के साथ बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा किन निर्णयों पर पहुंचा गया?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ग) भारत तथा ओमान की सल्तनत के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं और मैत्री व सद्भाव उसकी विशेषता है। द्विपक्षीय संबंधों को हाल ही में पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया गया है और यह संबंध बहुःआयामी हैं। इस संबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू रक्षा सहयोग है जो उच्च-स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त

अभ्यासों और जलपोतों की यात्राओं से परिलक्षित होता है। भावी रक्षा सहयोग के क्षेत्रों की परिकल्पना करते हुए भारत और ओमान के बीच सैन्य सहयोग संबंधी एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत-ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (जे.एम.सी.सी.) जिसका गठन समझौता-ज्ञापन के प्रावधानों के तहत किया गया था, की पहली बैठक 16-5-2006 को भारत में हुई। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने आपसी हितों के मामलों पर चर्चा की।

[हिन्दी]

स्टेशनों पर आइसक्रीम की बिक्री

1274. श्रीमती नीता पटौरिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल खानपान तथा पर्यटन निगम ने जबलपुर जोन के सभी स्टेशनों पर आइसक्रीम की बिक्री के लिए अनुमति प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो बिक्री के लिए अनुमति दिये गये आइसक्रीम ब्रांडों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या लाइसेंसधारक विक्रेता यात्रियों को घटिया किस्म की आइसक्रीम बेच रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या रेलवे में प्लास्टिक के कपों के उपयोग पर प्रतिबंध है;

(च) यदि हां, तो आइसक्रीम के इस नकली ब्रांड को कागज के कप में बेचने की बजाय प्लास्टिक कप में बेचे जाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या आइसक्रीम की जगह आइस कैंडी की बिक्री करना नियमों के विरुद्ध है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भारतीय खानपान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) को भारतीय रेल के 'ए', 'बी' एवं 'सी' कोटि के स्टेशनों पर आईस क्रीम स्टालों सहित खानपान/बैंडिग के सभी कार्यकलापों का प्रबंधन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। बहरहाल, सभी स्टेशनों पर आईसक्रीम की बिक्री अनिवार्य नहीं है और उत्पाद की मांग के आधार पर ऐसी इकाइयां सौंपी जाती हैं।

(ख) आई.आर.सी.टी.सी. ने पश्चिम मध्य रेलवे पर प्रतिष्ठित ब्रांड की आईसक्रीम की बिक्री करने के लिए लाइसेंस दिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ से (च) पाउच, कप आदि जैसी प्लास्टिक की वस्तुओं के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें बिल्कुल न्यूनतम तक सीमित रखा जाना है और आईसक्रीम निर्माता कंपनियों को जैव-नश्य कागज के कपों या अन्य संभावित विकल्पों में, जो जैव-नश्य हों, आईसक्रीम और अपने उत्पादों की आपूर्ति करने की संभावना तलाशनी पड़ती है। आईस कैंडी की बिक्री अनुमेय नहीं है।

[अनुवाद]

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का पुनरुद्धार

1275. श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) के पुनरुद्धार के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस प्रस्ताव के संबंध में वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (ग) लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) ने टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (टी.सी.आई.एल.) की वित्तीय तथा पूंजीगत पुनर्संरचना की सिफारिश की है। बोर्ड ने रणनीतिक भागीदार, जो नई प्रौद्योगिकी मुहैया करायेगा का पता लगाते हुये संयुक्त उद्यम के माध्यम से कंपनी के पुनरुद्धार की भी सिफारिश की है। सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु बी.आर.पी.एस.ई. की सिफारिशों पर आधारित एक पुनरुद्धार प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात

1276. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात अनुमानित लक्ष्यों से बहुत कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लक्ष्यों तथा वास्तविक निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्ष्यों से निर्यात कम रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास (आर एंड डी) को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) वर्ष 2005-06 में प्रसंस्कृत खाद्यों जिसमें समुद्री खाद्य शामिल नहीं है, का निर्यात 6670 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 8728 करोड़ रुपये था। वर्ष 2005-2006 में समुद्री उत्पादों का निर्यात 1450 मिलियन डॉलर के लक्ष्य की तुलना में 1644 मिलियन डॉलर था।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार संगठनों/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/विश्वविद्यालयों को प्रयोगशालाओं और परीक्षण केंद्रों की पूंजीगत लागत के 100% तक तथा सभी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य क्षेत्रों में पूंजीगत लागत के 33% और दुर्गम क्षेत्रों में पूंजीगत लागत के 50% तक सहायता अनुदान देता है। आज की तारीख तक 56 संस्थानों को उक्त सहायता दी गई है।

मछुआरों को राजसहायता प्राप्त मिट्टी का तेल

1277. डा. के.एस. मनोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीय मछुआरों को मिट्टी के तेल की आपूर्ति में कटौती और इसके मूल्य में वृद्धि की वजह से अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार मछुआरों के लिए मिट्टी के तेल का पृथक् आबंटन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मछुआरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत केवल रसोई और प्रकाश के प्रयोजन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश को मिट्टी तेल का आबंटन करती है। किसी भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को मत्स्य उद्योग क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का पृथक् आबंटन नहीं है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के भीतर आगे वितरण कार्य को संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा संभाला जाता है।

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में मिट्टी तेल की वास्तविक मांग आवश्यकता का आकलन करने के लिए सरकार ने दिसम्बर, 2004 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) के माध्यम से इस विषय पर सबसे पहला व्यापक अध्ययन आरम्भ किया। एन.सी.ए.ई.आर. ने अक्तूबर, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपनी रिपोर्ट में, एन.सी.ए.ई.आर. ने पाया कि कुछ तटीय राज्यों में मछलीपालन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) मिट्टी तेल की आपूर्ति की जाती है और अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की कि मछली उद्योग की आवश्यकता के लिए आपूर्ति गैर-पी.डी.एस. मूल्यों पर की जाए। एन.सी.ए.ई.आर. की सिफारिशों को राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है।

अप्रैल, 2002 से पी.डी.एस. मिट्टी मूल्य में वृद्धि नहीं की गई है। 17-7-06 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के आपूर्ति स्थलों पर संपूर्ण भारत आधार पर 23 दिनों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए समग्र मिट्टी तेल भण्डार था। पी.डी.एस. मिट्टी तेल के अलावा, तेल कंपनियां आवश्यकताओं के अनुसार बाजार मूल्य पर खुली बिक्री वाला मिट्टी तेल बेचती है। मछुआरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार मूल्य पर कर सकते हैं।

[हिन्दी]

एच.बी.जे. पाइपलाइन का विस्तार

1278. श्री गिरिधारी यादव:

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एच.बी.जे.) पाइपलाइन का विस्तार बिहार तक करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) गेल ने उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई है। इस पाइपलाइन को बिहार से होकर ले जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) इस पाइपलाइन की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पाइपलाइन की दूरी लगभग 1450 कि.मी. है। परियोजना का कार्यान्वयन गैस आपूर्ति स्रोत की पुष्टि के अध्यधीन होगा।

मऊ छावनी क्षेत्र में सिविल क्षेत्र का विस्तार

1279. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मऊ छावनी क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इसमें सिविल क्षेत्र के विस्तार का कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) छावनी बोर्ड, महू ने 30 अगस्त, 2000 के संकल्प द्वारा सिविल क्षेत्र का विस्तार कर उसे 240.60 एकड़ से 664.139 एकड़ करने के एक प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तथापि, स्थानीय सेना प्राधिकारी ने यह सूचित किया था कि वे इस प्रस्तावित भूमि को नहीं दे पाएंगे क्योंकि वहां सेना की आवश्यकताओं के लिए भूमि पहले से ही कम है। तत्पश्चात् छावनी बोर्ड, महू ने 31 दिसंबर, 2005 के संकल्प संख्या 20 द्वारा सिविल क्षेत्र का विस्तार करने का अपना निर्णय प्रतिवर्तित कर दिया।

रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इंजन का विकास

1280. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री आलोक कुमार मेहता:
डा. के. धनराजू:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री मो. ताहिर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के इंजीनियरों ने रिमोट कंट्रोल से चलने वाला इंजन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस इंजन का कोई परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस मामले में और क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर भारत पर्यटन परिषद

1281. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी क्षेत्रों में पर्यटन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए "उत्तर भारत पर्यटन परिषद" की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) एक नोडल मंत्रालय के रूप में, पर्यटन मंत्रालय संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर, पर्यटन से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। उत्तरी क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए, वर्तमान में "उत्तर भारत पर्यटन परिषद" की स्थापना करने का अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय पर्यटन विकास बोर्ड

1282. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन विकास बोर्ड के गठन के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका गठन कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यटन आवास, भोजन एवं पेय, मनोरंजन सेवाएं, परिवहन (रेल, सड़क मार्ग, नागर विमानन, जलमार्ग), करों, आदि विभिन्न कार्यकलापों का एक सम्मिश्रण है, जो विभिन्न मंत्रालयों या राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। विद्यमान प्रणाली की तुलना में, राष्ट्रीय पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना के संबंध में, पक्ष-विपक्ष में विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

बोफोर्स तोपों की खरीद

1283. श्री मो. ताहिर:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना ने बोफोर्स तोपों की कोई मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुन: बोफोर्स तोपों को खरीदने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले की मौजूदा स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (घ) 155 मि.मी. कर्षित तोपों के अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्ताव पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2005 के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

हैदराबाद विमानपत्तन से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

1284. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद विमानपत्तन से वर्तमान में संचालित की जा रही अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार हैदराबाद से कुछ और अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वर्तमान में 9 विदेशी एयरलाइंस अर्थात अमीरात (यू.ए.ई.), लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइंस (जर्मनी), मलेशिया एयरलाइंस (मलेशिया), कतर एयरवेज (कतर), सऊदी अरेबिया एयरलाइंस (सऊदी अरेबिया), सिंगापुर एयरलाइंस (सिंगापुर), श्रीलंका एयरलाइंस (श्रीलंका), के.एल.एम. (नीदरलैंड) तथा ओमान एयर (ओमान) अपने-अपने देशों से/को हैदराबाद से/को अन्तर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रही हैं। जहां तक भारतीय अनुसूचित वाहकों का संबंध है, वे 9 विदेशी राष्ट्रों को जैसे यू.के., यू.एस.ए., जर्मनी, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, यू.ए.ई., सिंगापुर तथा थाईलैंड से/को हैदराबाद से/को अन्तर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने हैदराबाद को 15 विदेशी राष्ट्रों के लिए प्वाइंट आफ कॉल के रूप में मान्यता प्रदान की है। तथापि, किसी भी एयरलाइंस का किसी विशेष प्वाइंट से/को वास्तविक परिचालन हमेशा इसके वाणिज्यिक अनुमान द्वारा निर्देशित होता है।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन का वितरण

1285. श्री जोवाकिम बखला: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी खजाने से भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन का वितरण बंद कर दिया है और विशेषकर उत्तरी बंगाल के भूतपूर्व सैनिकों को पिछले चार से पांच महीनों से उनकी पेंशन नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पेंशन वितरण की मौजूदा प्रणाली ने अत्यधिक विलंब और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अत्यधिक कठिनाइयां उत्पन्न कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार के कोषागार निदेशालय ने बताया है कि राज्य सरकार ने सरकारी खजानों से भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन वितरण करना बंद नहीं किया है। उत्तरी बंगाल क्षेत्र से किसी पेंशनभोगी से पिछले 4-5 महीने के दौरान पेंशन नहीं मिलने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए मौजूदा प्रक्रिया में मासिक पेंशन की राशि माह के अंतिम कार्य दिवस को जमा करने की व्यवस्था है। पेंशन मामलों से संबद्ध सभी शिकायतों का शीघ्र निपटान किया जाता है।

[हिन्दी]

आई.एन.एस. प्रहार के डूब जाने की जांच

1286. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय युद्धपोत आई.एन.एस. प्रहार, जो गोवा तट के निकट 21 अप्रैल, 2006 को एक दुर्घटना के बाद डूब गया था, की घटना की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) उक्त युद्धपोत के डूबने की वजह से कितना घाटा हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) गोवा के तट के पास भा.नौ.पो. प्रहार के डूबने की परिस्थितियों की जांच करने के लिए 22 अप्रैल, 2006 को एक जांच-बोर्ड का गठन किया गया था।

(ग) इस दुर्घटना में जान की कोई हानि नहीं हुई। तथापि, यह अनुमान है कि इस पोत के डूबने से लगभग 160.45 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक की रेलवे परियोजनाएं

1287. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में निर्माणाधीन रेलवे परियोजनाओं की ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार निर्माणाधीन प्रत्येक परियोजना में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) कर्नाटक राज्य में पूर्णत:/अंशत: स्थित चालू रेल परियोजनाओं, मार्च, 2006 तक उपगत व्यय, पछले 3 वर्ष में उपगत व्यय, 2006-07 के दौरान परिव्यय के प्रावधान और उनकी स्थिति का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना	प्रत्याशित लागत	मार्च 2006 तक व्यय	पिछले तीन वर्ष में व्यय	परिव्यय 2006-07	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइन						
1.	गुलबर्गा-बिदर	369.7	33.46	28.1	10	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। खानापुर-नंदगांव (32 किमी.) खंड पर मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
2.	गड्वाल-रायचूर	108.91	22.37	18.13	20	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य शुरू किए गया हैं।

1	2	3	4	5	6	7
3.	मुनीराबाद-मेहबूबनगर	497.47	31.9	17.05	5	येरामारस-यादलपुर (14.5 किमी.) खंड पूरा हो गया है। यादलनगर से मेहबूबनगर (देवारकाद्रा) (65 किमी.) खंड पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
4.	कोट्टूर-हरिहर बरास्ता हरपनहल्ली	135.55	17.94	15.56	34.92	यह कार्य कर्नाटक सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
5.	कोडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर	274.29	44.64	27.35	10	काडूर-चिकमगलूर खंड मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
6.	हसन-बेंगलुरु	412.91	190.02	106.51	31	हसन-श्रवणबेलगोला (42 किमी.) पूरा हो गया है। बेंगलुरु-नीलमंगला पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य और श्रवणबेलगोला-नीलमंगला पर भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है।
7.	बेगलुरु-सत्यमंगलम	901.62	0.28	0.06	0.01	आरक्षित वन क्षेत्र में 57 किमी. को छोड़कर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
8.	हुबली-अंकोला	997.58	60.81	23.64	10	हुबली-कीरवट्टी खंड पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। शेष भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण और वन्य भूमि के मार्ग परिवर्तन की कार्रवाई भी शुरू की गई है।
आमान परिवर्तन						
9.	सोलापुर (होटगी)-गदग	342.7	291.6	128.82	20	सोलापुर-बीजापुर-बसवाणा बागेवाडि (155 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है और बसवाणा-बागेवाडि-बगलकोट को 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
10.	मैसूर-चामराजनगर (चरण-I) मेट्टूपलायम तक विस्तार सहित	606.58	38.09	37.47	45	मैसूर-चामराजनगर पर कार्य को 2006-07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। शेष लंबाई के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन करने का कार्य भी शुरू किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
11.	कोलार-चिकबल्लापुर	99.42	0	0	5	2006-07 के बजट में शामिल नया कार्य है।
12.	शिमौगा-तालगुप्पा (बेंगलुरु-हुबली एवं बिरुर-शिमौगा)	441.26	401.55	4.79	22.6	बेंगलुरु-हुबली और बिरुर-शिमौगा से मुख्य लाइन का कार्य पहले ही पूरा हो गया है और शिमौगा-तालगुप्पा पर कार्य में तेजी लाई जा रही है।
दोहरीकरण						
13.	बेंगलुरु-कंगेरी, विद्युतीकरण सहित	26.45	2.66	1.96	5	यह कार्य कर्नाटक सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है और 2006-07 के दौरान पूरा करने की लक्ष्य है।
14.	कंगेरी-रामनगरम	106.96	19.88	19.58	5	यह कार्य कर्नाटक सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है और कंगेरी-बिडाडी खंड 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
15.	यशवंतपुर-तुमकुर	98.47	84.31	75.33	11	इस कार्य को 2006-07 के दौरान पूरा करने की लक्ष्य है।
16.	बेंगलुरु-व्हाइटफील्ड-बेंगलुरु सिटी-कृष्णराजपुरम	85	0.026	0.015	0.01	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
17.	होसपेट-गुंतकल	350.21	160.74	103.88	60	गुंतकल-त्रोणागल्लू संबंधी कार्य पहले ही पूरा हो गया है और त्रोणागल्लू-होसपेट पूरा होने के नजदीक है।
रेल विद्युतीकरण						
18.	लिंगमपल्ली-वाडि	94.93	0	0	5	2006-07 के बजट में शामिल नया कार्य है।
19.	बेंगलुरु-चेन्नासांद्रा लूप	21.3	1.36	1.36	11	इस कार्य को 2006-07 के दौरान पूरा करने की लक्ष्य है।

भाप के इंजन

1288. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास और अधिक घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु दिल्ली-आगरा-जयपुर रेलमार्ग पर भाप इंजन चालित रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब से शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ग) भाप इंजन चालित रेलगाड़ियों को चलाने हेतु चिन्हित किए गए अन्य रेलमार्गों का ब्यौरा क्या?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डी.एच.आर.), कालका-शिमला रेलवे (के.एस.आर.), नीलगिरि माउंटेन रेलवे (एन.एम.आर.) और दिल्ली-अलवर खंड पर एक भाप वाली हेरिटेज रेलगाड़ी, फेयरी क्वीन भाप से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोई अन्य मार्ग फिलहाल चिन्हित नहीं किया गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम के नए होटल

1289. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) का देश के विभिन्न हिस्सों में नए होटल स्थापित करने और विद्यमान होटलों का जीर्णोद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जीर्णोद्धार योजना को कब तक शुरू किया जाएगा तथा इसके पूरा होने का सम्भावित समय क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) नए होटलों की स्थापना के संबंध में आई.टी.डी.सी. की ओर से सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, आई.टी.डी.सी. के मौजूदा होटलों का जीर्णोद्धार करना एक अनवरत प्रक्रिया है।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु एकसमान नीति

1290. श्री रविचंद्रन सिप्पीपारई: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु एकसमान नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का राज्य अल्पसंख्यक आयोगों को न्यायिक निकाय की तरह कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें सांविधिक शक्तियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना के मामले राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों पर राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के गठन और उन्हें सांविधिक दर्जा देने हेतु राज्य सरकारों से उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

नौसेना में सैनिकों की संख्या

1291. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षों से नौसेना में सैनिकों की संख्या में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ग) राष्ट्र की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौसेना का बल स्तर पर्याप्त है। खतरे संबंधी अवधारणाओं और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के मद्देनजर बल स्तरों की निरंतर रूप से पुनरीक्षा की जाती है। प्रभावी प्रतिनिरोधक तथा प्रचालनात्मक बल स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

गुजरात में परित्यक्त विमानपत्तन

1292. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में परित्यक्त विमानपत्तनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से परित्यक्त विमानपत्तनों को सरकारी संस्थानों के उपयोग हेतु राज्य सरकार को सौंपने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इस समय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाला गुजरात स्थित केवल एक दीसा हवाईअड्डा और प्रचालनरत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नागपुर विमानपत्तन का पुन: नामकरण

1293. श्री रामदास आठवले: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर विमानपत्तन का बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर के नाम पर पुन: नामकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) नागपुर हवाईअड्डे का पुन:नामकरण पहले ही दिनांक 5 मई, 2005 को **डा. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे** के रूप में कर दिया गया था। बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर के रूप में हवाईअड्डे का पुन: नामकरण करने के लिए, कार्यविधि के अनुसार मंत्रिमंडल का अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित होगा।

[अनुवाद]

पूर्व रेलवे में डानकुनी में रेल उपरिपुल का निर्माण

1294. श्री सांताश्री चटर्जी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व रेलवे में डानकुनी में रेल उपरिपुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) संयुक्त सामान्य आरेखण प्रबंध और ऊपरी सड़क पुल विशेष के रेलवे सामान्य आरेखण प्रबंध अनुमोदित हो चुके हैं। प्राक्कलन राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेज दिए गए हैं। निविदाओं को खोला गया था परंतु प्राक्कलनों के स्वीकार न होने और निविदाकर्ताओं द्वारा उनकी वैधता बढ़ाने से इंकार करने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। नई निविदाएं खोली गई है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे सड़क के अस्थायी मार्ग परिवर्तन के लिए भूमि अधिग्रहण केवल जनवरी, 2007 तक ही कर सकती है। कार्य उसके बाद ही शुरू किया जाएगा।

(ख) कुछ नहीं।

प्लेटफार्मों की मरम्मत

1295. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़, न्यू इंडस्ट्रीयल टाउन और ओल्ड स्टेशन से रेलगाड़ियों में प्रतिदिन हजारों यात्री चढ़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले अनेक वर्षों से मरम्मत के बगैर पड़े इन स्टेशनों के प्लेटफार्म खराब स्थिति में हैं जिसके परिणामस्वरूप इन स्टेशनों पर हमेशा भगदड़ की स्थिति बनी रहती है क्योंकि रेलगाड़ियां यहां काफी कम समय के लिए ठहरती हैं; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन प्लेटफार्मों की मरम्मत तथा इन पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जब कभी अपेक्षित होता है इन स्टेशनों के प्लेटफार्म सतहों का नियमित रूप से मरम्मत/अनुरक्षण किया जाता है। बहरहाल, इन स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

(i) बल्लभगढ़-डामर मुहैया कराके परिपथन क्षेत्र में सुधार किया गया है। प्लेटफार्म सं. 2 पर 160 वर्गमीटर के अतिरिक्त प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था की गई है। प्रतीक्षालय में कोटा पत्थर (66 वर्ग मीटर) की व्यवस्था की गई है 24/26 सवारी डिब्बों वाली गाड़ियों को ठहराने के लिए उच्च स्तर के प्लेटफार्म का विस्तार किया गया है।

(ii) फरीदाबाद न्यू टाउन - प्लेटफार्म सतहों की मरम्मत कर दी गई है।

(iii) फरीदाबाद ओल्ड स्टेशन - डामर मुहैया कराके परिपथन क्षेत्र में सुधार किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। प्लेटफार्म सं. 1 पर शौच घर की व्यवस्था की गई है। प्लेटफार्म नं. 4 पर प्लेटफार्म सायबान (480 वर्ग मीटर) की व्यवस्था की गई है। बैठने के लिए बैंचों की व्यवस्था की गई है।

हल्के लड़ाकू विमान

1296. श्री सुग्रीव सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना द्वारा हल्के लड़ाकू विमान (एल.सी.ए.) उड़ाने की समय-सीमा को और आगे बढ़ाया गया है, जैसा कि दिनांक 17 जुलाई, 2006 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं;

(ग) ऐसे विलंब से परियोजना लागत में होने वाली वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय वायुसेना में हल्के लड़ाकू विमान शामिल करने का कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में प्रचालनात्मक अनापत्ति हेतु अनुमानित प्रस्तावित समय-सीमा से अधिक समय लगा है। हल्के लड़ाकू विमान की प्रारंभिक प्रचालनात्मक अनापत्ति तथा अंतिम प्रचालनात्मक अनापत्ति कार्य क्रमशः 2008 तथा 2010 तक पूरा होने की आशा है। तकनीकी जटिलताओं पर काबू पाने, वर्ष 1991 में विदेशी मुद्रा संकट, भारतीय वायु सेना की संशोधित प्रणाली की अपेक्षा तथा अमरीका द्वारा निर्यात प्रतिबंध आदि के कारण अधिक समय लगने की समस्या आई।

(ग) पूर्णरूपेण इंजीनियरिंग विकास (एफ.एस.ई.डी.) चरण-I कार्य, जिसकी लागत 2188 करोड़ रुपए थी, सभी प्रयोजनों को पूरा करने के बाद पूरा कर लिया गया है। एफ.एस.ई.डी. चरण-II की लागत 3301 करोड़ रुपए है जिसमें एक सीट विमान तथा प्रशिक्षक विमान का विकास शामिल है।

(घ) भारतीय वायु सेना का आदेश तथा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा साथ-साथ उत्पादन एफ.एस.ई.डी. चरण-II कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है।

पेट्रोल और डीजल पर कमीशन दर

1297. श्री उदय सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पम्पों का डीलर कमीशन 2424 कि. लीटर प्रति वर्ष की औसत बिक्री पर निर्धारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तेल विपणन कंपनियों के उन पेट्रोल पम्पों की राज्य-वार संख्या कितनी है जो 2424 कि.ली. से कम पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) की बिक्री कर रहे हैं;

(ग) क्या तेल विपणन कंपनियों द्वारा एक स्थान पर काफी संख्या में पेट्रोल पम्प चलाए जाने के कारण अधिकांश पेट्रोल पम्पों को कम बिक्री वाले पेट्रोल पम्पों की श्रेणी में बदल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पेट्रोल पम्पों को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) निदेशकों की समिति की रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) के पेट्रोल पम्प डीलरों की कमीशन 170 किलोमीटर प्रति माह एम.एस./एच.एस.डी. की औसत संयुक्त बिक्री, जो कि सालाना 2040 किलोलीटर होती है, के आधार पर निर्धारित की गई है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ओ.एम.सीज के पेट्रोल पम्पों की राज्यवार संख्या जिनकी पेट्रोल व एच.एस.डी. की बिक्री 2040 किलो लीटर प्रति वर्ष से कम है का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार के संज्ञान में आया है कि दिनांक 1-4-2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात् जब ओ.एम.सीज ने अपने खुदरा बिक्री केन्द्र (आर.ओज) के नेटवर्क का बड़े स्तर पर विस्तार किया है, उनके द्वारा संस्थागत तथा प्रौद्योगिकीय तंत्रों को सुधारने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल उनके प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र की औसत थ्रूपुट में गिरावट आई है बल्कि कदाचार की शिकायतें भी आई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की स्थायी समिति (2005-06) (चौदहवीं लोक सभा) ने मुद्दों को देखने तथा परिस्थिति को सुधारने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र दल का गठन करने की सिफारिश की है। उक्त समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन

लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से सार्वजनिक क्षेत्र के ओ.एम.सीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों का अध्ययन आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त करने के लिए कहा है। यह निर्णय लिया गया है कि गठन की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर अध्ययन पूरा कर लिया जाए। सरकार के इस निर्णय के अनुसार, आई.ओ.सी. ने सभी ओ.एम.सीज की ओर से खुदरा बिक्री केन्द्रों के अध्ययन कार्य को भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद को सौंप दिया है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के ओ.एम.सीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्य वार संख्या जिनकी पेट्रोल व एच.एस.डी. की बिक्री 2040 किलो लीटर प्रति वर्ष से कम है

राज्य	खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्य वार संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	1880
अरुणाचल प्रदेश	22
असम	395
बिहार	978
छत्तीसगढ़	179
दिल्ली	53
गोवा	64
गुजरात	1222
हरियाणा	664
हिमाचल प्रदेश	117
जम्मू-कश्मीर	218
झारखंड	363
कर्नाटक	1148
केरल	1014
मध्य प्रदेश	939
महाराष्ट्र	1988
मणिपुर	39
मेघालय	27
मिजोरम	0
नागालैंड	29
उड़ीसा	494
पंजाब	1560
राजस्थान	1272
सिक्किम	18
तमिलनाडु	1821
त्रिपुरा	21
उत्तरांचल	386
उत्तर प्रदेश	2768
पश्चिम बंगाल	1111
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार	13
चंडीगढ़	196
दादरा और नागर हवेली	1
दमन व दीव	4
लक्षद्वीप	0
पांडिचेरी	18
योग	21022

काली सूची में डाली गई कंपनियां/आपूर्तिकर्त्ता

1298. श्री के.एस. राव:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) सहित रक्षा बलों हेतु उपकरणों और अन्य मदों की आपूर्ति में लगी अनेक कंपनियों/आपूर्तिकर्त्ताओं को काली सूची में डाला है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों/आपूर्तिकर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों/आपूर्तिकर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या शत्रु के विमान लक्ष्यों का पता लगाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने हेतु इस परियोजना के लिए उपकरणों की आपूर्ति में जालसाजी का पता लगने के पश्चात् मेगा निगरानी परियोजना को झटका लगा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 110 से अधिक कम्पनियां/आपूर्तिकर्ता हैं जिन्हें संविदागत बाध्यताओं को पूरा न करने सहित विभिन्न कारणों से रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न संगठनों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।

(ग) कंपनियों/आपूर्तिकर्त्ताओं को प्रतिबंधित करने के बाद, सामान्यतया प्रतिबंध की अवधि के दौरान उनके साथ कोई संविदाएं नहीं की जाती हैं।

(घ) से (च) प्रमुख उत्पादन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई परियोजना में कुछ उप प्रणालियों की सुपुर्दगी, जो मुख्य प्रणाली का एक हिस्सा होनी थी, उस फर्म जिससे कि उप-प्रणाली अधिप्राप्त की जानी थी, के साथ किसी लेन-देन पर रोक लगा दिए जाने के निदेश जारी होने के कारण नहीं हो सकी। इससे परियोजना की प्रगति प्रभावित होने की संभावना है। विलंब का सही-सही आकलन कर पाना संभव नहीं होगा। तथापि, इसे न्यूनतम रखने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। परियोजना की तकनीकी आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैकल्पिक कार्य प्रक्रिया तैयार की जा रही है।

आर्मी स्कूल की अनधिकृत स्थापना

1299. श्री सुनील खां: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि वाराणसी के स्टेशन कमांडर ने थलसेना कल्याण शिक्षा सोसाइटी (ए.डब्ल्यू.ई.एस.) के तत्वावधान में एक आर्मी स्कूल खोलने के लिए अगस्त, 2001 में दो सरकारी भवनों का दुरूपयोग किया तथा ए-1 रक्षा भूमि पर एक भवन के निर्माण की अनुमति भी दी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सेना प्राधिकारियों ने तथ्यों का पता लगाने के लिए एक जांच अदालत का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु नियम

1300. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु वर्तमान नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि क्या इन नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर हुई नियुक्ति की वजह से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन नियमों की खामियों को दूर करने हेतु इनमें क्या परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में प्रतिनियुक्ति की नीति संशोधित कर दी है, जिसके अनुसार सरकारी अधिकारियों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। सरकारी अधिकारी केवल तत्काल आमेलन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पदभार ग्रहण कर सकते

हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों तथा क्षेत्रीय/आंचलिक प्रमुखों जैसे कुछ मामलों में प्रतिनियुक्ति की अनुमति है, जिनमें राज्य सरकारों से समन्वय एवं सतत् सम्पर्क अपेक्षित है तथा जहां राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत विशेषज्ञता संगठनात्मक क्षमता के लिए आवश्यक है। मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तत्काल आमेलन के नियम से छूट दी गई है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सुरक्षा अधिकारियों तथा सुरक्षा तंत्र में कुछ अन्य पदों को भी कुछ शर्तों के अध्याधीन तत्काल आमेलन से छूट दी गई है। नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी विशेष वर्ग के पद को तत्काल आमेलन के नियम से छूट का मानदण्ड उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति के पद पर भर्ती करने के विकल्प का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए, जब अन्य सभी अवसर समाप्त हो गए हों।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा जांच/तलाशी

1301. **श्री दलपत सिंह परस्ते:**

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर प्रबंधकीय और तकनीकी कुशलता की कमी के कारण वहां यात्रियों को सुरक्षा जांच/तलाशी के दौरान काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा जांचों/तलाशी में लगने वाले समय के कारण अनेक उड़ानों में घंटों विलम्ब होता है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों द्वारा उठाया जा रहा अनुमानित घाटा कितना है;

(ङ) क्या सरकार ने सुरक्षा जांच का ऐसा तरीका खोजने हेतु कोई कदम उठाए हैं ताकि यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बगैर सुरक्षा बढ़ायी जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) विशेष रूप से सुरक्षा कारणों से हवाईअड्डों पर कोई देरी नहीं हुई है। तथापि, कई अवसरों पर, जब कभी अधिक एहतियाती कदम उठाए जाते हैं, रेड अलर्ट जारी करने के बाद देरियां हो सकती हैं। स्थिति पर काबू पाने तथा देरी के कारण को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। स्टाफ के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

(घ) चूंकि सुरक्षा कारणों से होने वाली देरियां बहुत नाममात्र की ही होती हैं इसलिए इस संबंध में निजी सेक्टर की एयरलाइनों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है।

(ङ) और (च) हवाईअड्डों पर सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने तथा यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए, सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती, बड़े हवाईअड्डों पर त्वरित कार्रवाई बल की तैनाती, भारतीय विमान कंपनियों के विमानों पर स्काई मार्शलों की तैनाती, क्लोज सर्किट टेलीविजन लगाने जैसे कुछ कदम उठा रही है।

पीपावाव विद्युत संयंत्र को गैस की आपूर्ति

1302. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पीपावाव विद्युत परियोजना को ताप्ती गैस फील्ड से गैस की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के लिए गुजरात सरकार से कोई वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अब राज्य सरकार को परामर्श दिया है कि वह आपसी बातचीत से तय मूल्य पर गैस समझौता के लिए ताप्ती संयुक्त उद्यम से संपर्क करे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ संसद सदस्यों ने इस संबंध में मार्च, 2006 में सरकार को कोई ज्ञापन सौंपा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले के अंतिम निष्कर्ष क्या निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार के अनुरोध पर, गुजरात के पीपावाव में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित 650 मे.वा. गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए जून, 2000 में 2.25 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की सीमा तक "सिद्धांत रूप में" प्राकृतिक गैस का आबंटन किया गया था। यह आबंटन 2003 से इस शर्त के साथ प्रभावी था कि क्षेत्र के अतिरिक्त विकास के लिए ताप्ती क्षेत्र प्रबंधन समिति निवेश निर्णय लेगी। मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्र से अतिरिक्त गैस के उत्पादन के लिए विकास योजना को क्षेत्र की प्रबंधन समिति द्वारा

अनुमोदित कर दिया गया है। फिलहाल योजना क्रियान्वयनाधीन है और अतिरिक्त उत्पादन वर्ष 2007 के मध्य से शुरू होने की संभावना है। पी.एम.टी. संयुक्त उद्यम को बाजार संबद्ध मूल्य पर अपनी गैस को बेचने की अनुमति दे दी गई है। पीपावाव परियोजना विकासकर्त्ता बाजार संबद्ध मूल्य पर पी.एम.टी. संयुक्त उद्यम के अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन से गैस गठ-जोड़ कर सकते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्तमान में, पी.एम.टी. संयुक्त उद्यम द्वारा गैस उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ताप्ती क्षेत्र से अतिरिक्त गैस का उत्पादन वर्ष 2007 के मध्य से शुरू होने की संभावना है। पीपावाव परियोजना विकासकर्त्ता अपनी आवश्यकताओं के गठजोड़ के लिए परस्पर रूप से स्वीकार्य निबंधन और शर्तों पर पी.एम.टी. संयुक्त उद्यम के साथ संपर्क में रह सकते हैं।

मालदुलाई गलियारा परियोजना का विस्तार

1303. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को मालदुलाई गलियारा परियोजना को सोमनगर से बढ़ाकर अमृतसर तक करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री ने सितंबर, 2005 में दिल्ली से अमृतसर तक समर्पित मालभाड़ा गलियारें के विस्तार के लिए अभ्यावेदन किया था। पूर्वी मार्ग पर समर्पित मालभाड़ा गलियारा पंजाब में लुधियाना से शुरू होगा। पूर्वी और पश्चिमी दोनों गलियारें पंजाब राज्य को या तो सीधे अथवा फीडर मार्गों द्वारा सेवित करेंगे।

रक्षा कर्मियों के लिए तनाव परामर्श की व्यवस्था

1304. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा कर्मियों के बीच आत्महत्या, आत्महत्या के प्रयास और एक-दूसरे को गोली मारने जैसी घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उनके लिए तनाव परामर्श व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में तनाव से राहत दिलाने संबंधी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है तथा इसके विस्तार के लिए विचारित योजना क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) रक्षा सेनाओं में आत्महत्या करने/आत्महत्या का प्रयास करने और एक दूसरे पर गोली चलाने की घटनाओं में वृद्धि होने का कोई रुख नहीं है। रक्षा सेनाओं में आत्महत्या की कुछ घटनाओं के कारण अधिकांशत: व्यक्तिगत, मेडिकल अथवा पारिवारिक समस्याओं से संबंधित हैं। दबाव संबंधी विषयों पर शिक्षित करने और परामर्श देने की व्यवस्था रक्षा सेनाओं में पहले से मौजूद है। इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत बढ़ाना, यूनिट में समय पर खरी उतरी रिपोर्ट देने और जानकारी लेने की व्यवस्था मजबूत करना; व्याख्यान देने/प्रस्तुतिकरण के लिए मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं की सेवाएं लेना और अफसरों/कार्मिकों को शिक्षित करना; दबावग्रस्त कार्मिकों का पता लगाकर उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक करना और परामर्श देना शामिल है। सेनाओं में अफसरों और अन्य कार्मिकों को इस विषय पर सुग्राही बनाया गया है। उत्तरी और पूर्वी कमानों में अतिरिक्त मनोचिकित्सकों को तैनात करके दो मनोरोगी केन्द्रों का संवर्धन किया गया है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से रेल सेवाओं का प्रचालन

1305. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से रेलगाड़ियों के प्रचालन को रोकने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई चर्चा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से होकर रेलगाड़ियां चलाने के लिए रेलवे की आगे की योजनाएं क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पुलिस की व्यवस्था करना राज्य का विषय होने के कारण अपराध रोकना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना और रेल परिसरों के साथ-साथ चलती गाड़ियों के नियम एवं कानून बनाए रखना राज्य पुलिस का सांविधिक उत्तरदायित्व है। रेलों पर नियम एवं कानून से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए राज्य पुलिस के पास एक अलग विंग होता है जिसे राजकीय रेलवे पुलिस कहा जाता है और इस प्रकार रेल मंत्रालय को भारतीय रेलों पर अपराध रोकने के लिए उन पर निर्भर करना पड़ता है।

रेलवे रेल परिसंपत्तियों, विशेषकर आतंकवादी और नक्सलवादी हमलों वाले सुभेदय खंडों में, रोकथाम के लिए रेल सुरक्षा बल के माध्यम से निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

1. बन्द/आन्दोलन/रेल रोको आन्दोलन के दौरान सुभेदय खंडों में रेल परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पूर्वोपाय कार्रवाई के रूप में रेल सुरक्षा बल के कर्मियों को तैनात किया जाता है।

2. संभावित आतंकवादी/नक्सलवादी हमलों वाले सुभेदय खंडों में टावर वैगन द्वारा संयुक्त गश्त लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

3. आतंकवादी और नक्सलवादी हमलों से प्रभावित रेलवे स्टेशनों, गाड़ियों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा अतिरिक्त रेल सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) और रेल सुरक्षा विशेष बल (आर.पी.एस.एफ.) के कर्मियों को तैनात कर बढ़ा दी गई है।

4. सिविल पुलिस एवं आसूचना अधिकारियों से निकट संपर्क रखने के अलावा कुछ रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.) द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

(च) जब तक नक्सलवादियों द्वारा यातायात बाधित नहीं कर दिया जाता, तब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गाड़ियां चलती रहेंगी।

[हिन्दी]

विमानों में हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाएं

1306. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किन-किन उड़ानों में हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाएं उपलब्ध करायी जाती हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किन उड़ानों में उपर्युक्त समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं;

(ग) क्या सरकार देश से आने जाने वाली उड़ानों में हिन्दी समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टरों के लिए प्रचालित हवाई जहाजों में हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। विवरण इस प्रकार है:-**एअर इंडिया: समाचार पत्र**-नवभारत टाइम्स, दैनिक लोकमत, दैनिक जागरण, सान्ध्य टाइम्स, हिन्दुस्तान, पंजाब केसरी, **पत्रिकाएं:** स्टार डस्ट, इण्डिया टुडे, जागरण सखी, कादम्बिनी, सृष्टि **इंडियन एयरलाईंस: समाचार पत्र**-हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, सान्ध्य टाइम्स, नवभारत टाइम्स, नवभारत प्रेस, दोपहर, निर्भय पाक्षिक, जनसत्ता, सन्मार्ग, विश्वामित्र, छपते-छपते, हिन्दी मिलाप, स्वतंन्त्र व्रत, **पत्रिकाएं:** कादम्बिनी, स्टार डस्ट, इण्डिया टुडे, आउट लुक, लफ्ज।

(ख) सरकारी क्षेत्र की घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय सभी उड़ानों में हिन्दी समाचार पत्र, पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती है। जहां तक निजी क्षेत्र की एयरलाइनों का संबंध है, इस मामले में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) देश से जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में तो हिन्दी समाचार पत्र, पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, परन्तु देश में आने वाली उड़ानों के लिए यह सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में सड़क उपरिपुल का निर्माण

1307. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

श्री हरिन पाठक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को केरल में विभिन्न स्थानों पर सड़क

उपरिपुल के निर्माण हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2006-07 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, केरल राज्य सरकार से ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य संबंधी केवल 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिन्हें लागत में भागीदारी के आधार पर पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है।

ये निम्नलिखित हैं:-

1. पारावूर और क्विलोन स्टेशनों के बीच समपार सं. 554 के बदले उपरी सड़क पुल।
2. त्रिवेन्द्रम यार्ड में त्रिवेन्द्रम सेंट्रल और निमोम स्टेशनों के बीच समपार सं. 2 के बदले उपरी सड़क पुल।
3. अडामन और पुनालूर स्टेशनों के बीच समपार सं. वी. 518 के बदले उपरी सड़क पुल।
4. उप्पाला और मजेश्वर स्टेशनों के बीच समपार सं. 289 के बदले उपरी सड़क पुल।
5. कोट्टीकुलम और कासरगौड स्टेशनों के बीच समपार सं. 280 के बदले उपरी सड़क पुल।
6. तेलीचेरी और धरमाडम स्टेशनों के बीच समपार सं. 230 के बदले उपरी सड़क पुल।
7. कन्नापुरम और पायांगड्डी स्टेशनों के बीच समपार सं. 257 के बदले उपरी सड़क पुल।

इन सात को मिलाकर अब ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल संबंधी कुल 68 निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई है और केरल में ये योजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम

1308. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कोई विशेष कार्यक्रम का प्रस्ताव करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी राशि आबंटित की जाएगी; और

(ग) ऐसे कार्यक्रम से देश में अल्पसंख्यकों को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए है। कार्यक्रम में यह भी उल्लेख है कि जहां कहीं सम्भव हो, इस कार्यक्रम में शामिल विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्यय के 15% को अल्पसंख्यकों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के लाभ शिक्षा अपसरों को बढ़ावा देने, आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में समुचित भागीदारी, इनके जीवन स्तर की दशा में सुधार करना और साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण करने के रूप में होंगे।

विवरण

"अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम"

(क) शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना

1. एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता

एकीकृत बालक विकास सेवा योजना का उद्देश्य है - उपेक्षित वर्गों के बच्चों, गर्भवती महिलाओं/दूध पिलाने वाली माताओं का सम्पूर्ण विकास। इसके लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं जैसे पोषण, स्वास्थ्य जांच, प्रतिरक्षीकरण, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा। आई.सी.डी.एस. प्रोजेक्ट और आंगनवाड़ी केन्द्र एक निश्चित संख्या में अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले गांवों/प्रखण्डों में स्थापित किए जाएंगे ताकि इस योजना का लाभ ऐसे समुदायों को भी उचित रूप से मिल सके।

2. विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और ऐसी अन्य सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे विद्यालयों की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले गांवों/क्षेत्रों में स्थापित की जायें।

3. उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन

उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो इस भाषा वर्ग से संबंधित कम से कम एक चौथाई जनसंख्या की सेवा करते हों।

4. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

एरिया इंटेंसिव और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केन्द्रीय योजनागत स्कीम में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक अवसंरचना तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान है। इस आवश्यकता पर ध्यान देने के महत्व को देखते हुए, यह कार्यक्रम पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित व प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बनायी एवं कार्यान्वित की जाएगी।

6. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना

सरकार, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सभी सम्भव सहायता देगी ताकि यह अपने कार्यकलापों को अधिक प्रभावी रूप से सुदृढ़ व व्यापक कर सके।

(ख) आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी

7. गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रमों के उद्देश्य हैं:- गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ऐसा बैंक ऋण और सरकारी सहायता के द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक और भौतिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

(ख) स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना के दो मुख्य घटक हैं : शहरी स्वरोजगार योजना और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत भौतिक और आर्थिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रसुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

(ग) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना और एक टिकाऊ समुदाय व सामाजिक, आर्थिक अवसंरचना का निर्माण करना। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 200 जिलों में शुरू किया गया है तथा इन जिलों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को इस कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है, बचे हुए जिलों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटन का निश्चित प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए उस समय तक निर्धारित किया जाएगा, जब तक इन जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं कर लिया जाता है। सथ ही, आबंटन का निश्चित प्रतिशत ऐसे गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की काफी आबादी है।

8. तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन

अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निम्न श्रेणी के तकनीकी कार्यों में लगा हुआ है या दस्तकारी द्वारा अपनी उपजीविका कमाता है। ऐसे लोगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दिए जाने से उनकी कौशल और उपजीविका क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए, सभी नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कतिपय संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जायेंगे और "उत्कृष्टता केन्द्रों" के रूप में उन्नत किए जाने वाले मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थानों का चयन उसी आधार पर किया जाएगा।

9. आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को 1994 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य, अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना था। सरकार इस निगम को अधिक इक्विटी सहायता देकर इसे सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध है जिससे कि यह निगम अपने उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त कर सकेगा।

(ख) स्वरोजगार योजना के निर्माण और उसे बनाये रखने के लिए बैंक ऋण आवश्यक है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निश्चित किया गया है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, अन्य बातों का साथ, शामिल हैं:-खेती के लिए ऋण, लघु उद्योगों व छोटे कामधंधों के लिए ऋण, रिटेल ट्रेड, व्यावसायिक व स्वरोजगार वाले

व्यक्तियों के लिए ऋण, शिक्षा के लिए ऋण, घर के लिए ऋण व अन्य छोटे ऋण। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी श्रेणियों में प्राथमिकता क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण का निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है।

10. राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

(क) राज्य सरकार को यह सलाह दी जायेगी कि पुलिस कार्मिकों की भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष रूप से विचार किया जाये। इसके लिए चयन समितियों में प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए।

(ख) केन्द्र सरकार भी, केन्द्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती करते समय इसी प्रकार की कार्रवाई करेगी।

(ग) रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और पब्लिक सेक्टर उद्यमों द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। इन मामलों में भी, सम्बन्धित विभाग ये सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(घ) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकारी व विश्वसनीय गैर-सरकारी संस्थाओं में कोचिंग प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की जायेगी जिसमें इन संस्थाओं को सहायता दी जाएगी।

(ग) अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना।

11. ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी

इन्दिरा आवास योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत भौतिक व आर्थिक लक्ष्यों का निश्चित प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

12. अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम की योजनाओं के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार शहरी मलिन बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देती है। जिससे इन बस्तियों में जन सुख सुविधाएं और मूल सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यक्रमों के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों तथा इन समुदायों की घनी आबादी वाले नगरों/मलिन बस्तियों को उचित रूप से मिले।

(घ) साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण

13. साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम

सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा संभावित के रूप में अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों में ऐसे जिला व पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अत्यधिक कुशल, निष्पक्ष और निरपेक्ष अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में और अन्य कहीं भी, सांप्रदायिक तनाव को दूर करना जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की प्राथमिक ड्यूटियों में होना चाहिए। इस संबंध में इनका कार्य निष्पादन इनकी पदोन्नति नियमित करने में एक महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए।

14. साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन

उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक दंगे भड़काते हैं अथवा हिंसा में हिस्सा लेते हैं। इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने चाहिए ताकि अपराधियों को शीघ्रता से सूचीबद्ध किया जा सके।

15. साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास

साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए तथा उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

कृष्णा गोदावरी बेसिन के तेल ब्लाक

1309. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) को तेल अन्वेषण के लिए दिए गए कुछ ब्लाकों को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन ब्लाकों में उपलब्ध तेल और गैस भण्डार की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(घ) क्या ऑयल फील्ड नीलामी के अगले दौर में उक्त ब्लाकों की पुनः निविदा निकालने का निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार ने, कृष्णा-गोदावरी गहरे जल में 3 ब्लाकों नामतः केजी-ओएस-डीडब्ल्यू, केजी-ओएस-डीडब्ल्यू-विस्तार तथा के जी-ओएस-डीडब्ल्यू-III के संबंध में एक विदेशी कंपनी के साथ कार्य नीतिक गठजोड़ करने के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। इन 3 ब्लाकों में से एक के संबंध में पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी.ई.एल.) की वैधता पहले ही समाप्त हो गई है जबकि अन्य 2 ब्लाकों की वैधता जनवरी तथा मई, 2007 में समाप्त हो रही है। पी.ई.एल. अवधि की समाप्ति के बाद, इन दोनों ब्लाकों को भी वापिस ले लिया जाएगा।

इसके अलावा, 2 ब्लाकों नामतः केजी-ओ.एस.एन.-97/3 तथा केजी-ओ.एस.एन.-97/4 के संबंध में संविदागत अवधि के अंदर रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) द्वारा न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के पूरा न होने के कारण संविदाएं समाप्त हो गई हैं और ब्लाक वापिस ले लिए गए हैं।

(ग) अब तक किए गए अन्वेषण कार्य में कोई हाइड्रोकार्बन खोज नहीं हो पाई है।

(घ) और (ङ) इन सभी त्याग दिए गए ब्लाकों को तेल और गैस के अन्वेषण के लिए उनके पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की वैधता की समाप्ति पर एन.ई.एल.पी. के आगामी दौरों में प्रस्तावित किया जाएगा।

[अनुवाद]

हड़प्पा स्थल धौलावीरा में संग्रहालय

1310. श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री हरिन पाठक:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हड़प्पा स्थल धौलावीरा में संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) धौलावीरा में एक संग्रहालय - एवं - भाषान्तरण केन्द्र (इन्टरप्रिटेशन सेन्टर) स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

फलों/सब्जियों के माल भाड़े में वृद्धि

1311. श्री देविदास पिंगले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में फलों/सब्जियों को विभिन्न राज्यों को भेजने के लिए माल भाड़े में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या है;

(ग) क्या रेलवे को बढ़े हुए माल भाड़े वापस लेने के लिए विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) यात्री गाड़ियों और विशेष पार्सल गाड़ियों द्वारा तेज सेवाएं प्रदान करने के बावजूद भारतीय रेल कम दरों के कारण पार्सल सेवाओं में भारी आवर्ती हानि का सामना कर रही हैं। घाटे को कम करने और सेवाओं की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए प्रीमियर पार्सल स्केल दर में वृद्धि की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) डीजल के मूल्यों में वृद्धि के कारण पार्सल यातायात के परिवहन के मद में भारी हानि और परिचालन की लागत में वृद्धि के कारण भारतीय रेल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फलों और सब्जियों के पार्सल दरों में कमी करना संभव नहीं है।

सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र की मिसडिस्टेन्स में कमी

1312. श्री एम.के. खारवेनथन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य की रक्षा आवश्यकताओं

की पूर्ति करने के लिए मित्र देशों के सहयोग से मध्यम प्रकार के लड़ाकू विमान का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र (एस.ए.एम.) की "मिसडिस्टेन्स" में कमी करने के कोई प्रयास किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। हल्के युद्धक विमान (एल.सी.ए.) विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों/विशेषज्ञता का प्रयोग करने के दृष्टिकोण से वैमानिकी विकास एजेंसी (ए.डी.ए.), बेंगलूर में मध्यम दर्जे के युद्धक विमान (एम.सी.ए.) की संकल्पना के लिए प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया गया है। मध्यम दर्जे के युद्धक विमान के विकास कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार मित्र देशों का सहयोग लेने पर विचार करेगी।

(ग) और (घ) अर्जित मिसडिस्टेंस डिजाईन विनिर्दिष्टियों के भीतर है।

पूर्वतटीय रेल के मुख्यालय की स्थापना

1313. डा. एम. जगन्नाथ: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को विशाखापट्टनम में पूर्वतटीय रेल के मुख्यालय की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। बहरहाल, आंध्र प्रदेश के संसद सदस्यों से विशाखापट्टनम में पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय स्थापित करने के लिए मांग प्राप्त हुई है।

(ख) क्षेत्रीय रेल के मुख्यालय के स्थल का निर्णय परिचालनिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप मितव्ययता और कुशलता की आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाता है और न कि क्षेत्रीय आधार पर। इसके अलावा पूर्वतट रेलवे के स्थापित कार्यालय को भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम शिफ्ट करने से बड़ी संख्या में कर्मचारियों का तबादला करना होगा जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवारों का विस्थापन होगा और अन्य संबंधित समस्याएं होंगी। इनको ध्यान में रखते हुए, पूर्वतट रेलवे के रेलवे जोनल कार्यालय को भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों की सेना में भर्ती

1314. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेना में सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों की भर्ती के संबंध में कोई प्रावधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में सेवानिवृत्त सैनिकों के कितने बच्चों को सेना में सेवा प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त सैनिकों के सेना में भर्ती हुए बच्चों की संख्या इस प्रकार है:-

(i)	2003-04	–	7322
(ii)	2004-05	–	3622
(iii)	2005-06	–	2373 (31 मार्च, 2006 तक)

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु योजना

1315. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) सरकार स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करती। वैसे सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित की है। इसके

तहत सहायता की दर सामान्य और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का क्रमशः 25% और 33.33% है और इसकी अधिकतम सीमा सामान्य क्षेत्रों में 50 लाख रु. और दुर्गम क्षेत्रों में 75 लाख रु. है।

फूड पार्क और वधशाला योजनाओं का आधुनिकीकरण

1316. **श्री किशनभाई वी. पटेल:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फूड पार्क और वधशाला योजनाएं वित्तीय कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे संबंधित अवरोध को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, प्रसंस्करण यूनिटों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य पार्कों को और बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता देता है। यह वित्तीय सहायता खाद्य पार्कों में बिजली, जल आपूर्ति, शीतागार, भंडागार सुविधाओं, बहिस्राव उपचार संयंत्र, खाद्य परीक्षण विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं, सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं आदि जैसी सामान्य सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% की दर से दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 4 करोड़ रु. है। बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए यह मंत्रालय स्थानीय निकायों को सामान्य/दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र तथा मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25%/ 33.33% की दर से वित्तीय सहायता देता है जिसकी अधिकतम सीमा 4 करोड़ रु. है। जहां तक योजना स्कीमों के तहत निधियों का संबंध है, कोई वित्तीय कठिनाइयां पेश नहीं आ रही हैं। वैसे उक्त स्कीमों को अधिक कारगर बनाने के लिए उनकी पुनर्संरचना संबंधी कार्य पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधेयक

1317. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सामाजिक सुरक्षा हेतु कोई विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) प्रस्तावित विधेयक को कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित विधेयक पर राज्य सरकारों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों से पहले ही परामर्श किया गया है। तथापि, कोई समय सीमा का संकेत देना संभव नहीं है।

रेलवे में चिकित्सा सुविधाएं

1318. **श्री पंकज चौधरी:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपातकाल, विशेषकर रेल दुर्घटनाओं के समय रेलवे में यात्रियों हेतु पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित रेलकर्मी और चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं और यहां चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराने में पुराने चिकित्सा उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यात्रियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और उनको आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यात्रियों को उचित चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने के लिए रेलवे अस्पतालों को लगातार अपग्रेड किया जाता है। डाक्टरों और सहचिकित्साकर्मियों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। रेलवे अस्पतालों में निरंतर आधुनिक उपकरण संस्थापित किए जाते हैं।

इस समय, रेल दुर्घटनाओं और अन्य अप्रिय घटनाओं के सभी पीड़ितों को नजदीकी रेलवे अस्पतालों में, अन्य सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में शिफ्ट किया जाता है। इन अस्पतालों में किया गया व्यय रेलवे प्रशासन द्वारा वहन किए जाते है। इस सुविधा के लिए, मुख्य रेलपथ के पास सभी अस्पतालों का एक डाटा बैंक तैयार किया गया है और विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराया गया है। इस तरीके से रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अविलंब चिकित्सा उपचार यथा शीघ्र उपलब्ध कराया जाता है।

सशस्त्र बलों से चिकित्सकों एवं अभियंताओं का पलायन

1319. श्री संतोष गंगवार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में रक्षा बलों में कार्यरत चिकित्सकों एवं अभियंताओं ने बड़ी संख्या में अपनी नौकरी छोड़ दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रक्षा बलों से चिकित्सकों एवं अभियन्ताओं के पलायन की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान समयपूर्व सेवानिवृत्त होने वाले/त्यागपत्र देने वाले चिकित्सकों तथा इंजीनियरों की संख्या इस प्रकार है:-

डाक्टर

वर्ष	सेना चिकित्सा कोर	सेना दंत चिकित्सा कोर
2003	71	7
2004	31	–
2005	40	2

इंजीनियर

वर्ष	सेना	नौसेना	वायु सेना
2003	95	49	47
2004	72	42	54
2005	95	70	52

चिकित्सकों तथा इंजीनियरों द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्त लेने/त्यागपत्र देने के आवेदन मुख्यत: अधिक्रमण तथा अनुकंपा-परिस्थितियों के आधार पर दिए जाते हैं। ऐसे मामलों पर विचार करते समय देशहित को ध्यान में रखा जाता है।

[अनुवाद]

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन्टरप्रेनरशिप एंड मैनेजमेंट

1320. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन्टरप्रेनरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता, और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की स्थापना की घोषणा संघीय बजट वर्ष 2006-07 में की गई थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रस्ताव उक्त संस्थान की स्थापना करना तथा सरकारी अनापत्तियां प्राप्त करके, इस वर्ष इसे आंशिक रूप से प्रचालनयोग्य बनाना है।

सशस्त्र बलों में महिला चिकित्सक

1321. श्री एल. राजगोपाल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों में नियुक्त महिला चिकित्सकों की बल-वार संख्या कितनी है;

(ख) सशस्त्र बलों में महिला चिकित्सकों की वर्तमान प्रतिशतता बल-वार कितनी है;

(ग) क्या सशस्त्र बलों में और अधिक संख्या में महिला चिकित्सकों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (घ) सशस्त्र सेनाओं में पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त की गई महिला चिकित्सकों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	सेना		नौसेना		वायु सेना	
	महिला चिकित्सा अधिकारी	महिला डेंटल अधिकारी	महिला चिकित्सा अधिकारी	महिला डेंटल अधिकारी	महिला चिकित्सा अधिकारी	महिला डेंटल अधिकारी
2003	44	13	8	शून्य	4	शून्य
2004	33	3	2	शून्य	4	शून्य
2005	41	3	11	शून्य	8	शून्य

चिकित्सकों की धारित कार्मिक संख्या में से महिला चिकित्सकों की सेना वार प्रतिशतता इस प्रकार है:-

	महिला चिकित्सा अधिकारी	महिला डेंटल अधिकारी
सेना	12.58%	18.82%
नौसेना	15.14%	16.00%
वायु सेना	19.19%	22.58%

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में महिला चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती सेना की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमित रूप से की जा रही है।

रक्षा संबंध

1322. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में रक्षा मंत्री ने जापान और सिंगापुर का दौरान किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) रक्षा मंत्री ने जापान के रक्षा राज्य मंत्री श्री फुकुशिरो नुकागा के आमंत्रण पर 25-28 मई, 2006 को जापान का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने श्री नुकागा के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों पर गहन चर्चा की जो विशेष रूप से भारत और जापान के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग पर केन्द्रित रही। चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि वार्ता को बढ़ावा देकर दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान और आपसी समझ के जरिए सहयोग जारी रखा जाए। रक्षा मंत्री ने जापान के भूमि, अवसंरचना तथा परिवहन मंत्री श्री काजुओ किटागावा से मुलाकात की तथा भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच समुद्री सुरक्षा में आपसी सहयोग पर चर्चा की। रक्षा मंत्री की जापान के मुख्य मंत्रिमंडल सचिव श्री शिनजो ए वे तथा विदेश मंत्री श्री तारो ए सो से महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी। इस यात्रा के दौरान दोनों सरकारों के मिलकर कार्य करने की आवश्यकता की पुनः पुष्टि हुई। भारत और जापान के रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी व्यापक लक्ष्यों तथा सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों एवं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुझाए गए उपायों को भी सुस्पष्ट किया गया। कुल मिलाकर यह यात्रा सफल रही और इसमें भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सहयोग को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

2. रक्षा मंत्री ने 2 जून, 2006 तक सिंगापुर में आयोजित 'शांग्रीला डायलाग' में भाग लेने के लिए 2-4 जून, 2006 तक

सिंगापुर का दौरा किया। यह शिखर वार्ता अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान, लंदन द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने अन्यों के साथ-साथ सिंगापुर के प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री और वहां के मंत्री मेंटर, ली कुआंन यीयू से मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान रक्षा सहयोग में आपसी हित के मसलों पर चर्चा हुई।

[हिन्दी]

अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन

1323. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में कुछ विमानपत्तनों को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों के रूप में परिवर्तित करने की कोई मांग है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) दिनांक 03-08-2006 को देश के 16 हवाईअड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे घोषित किया गया।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों, संसद सदस्यों तथा विभिन्न सरकारी/निजी एजेंसियों से भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर, मंगलौर, पुणे, लुधियाना, चंडीगढ़ तथा पोर्ट-ब्लेयर के हवाईअड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों के रूप में उन्नयन करने के लिए निरंतर मांगें होती हैं। एक हवाईअड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में उद्घोषित करना, एयरलाइन प्रचालकों की आवश्यकता, यातायात मांग, भूमि की उपलब्धता, कस्टमों, आप्रवासन, पौधों तथा पशु संगरोधन सुविधाएं, इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है तथा इसके लिए इसमें सम्मिलित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर समय-समय पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

नागर विमानन महानिदेशालय का पुनर्गठन

1324. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) का पुनर्गठन करने हेतु एम.के. काव की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति की क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) कुल मिलाकर 276 सिफारिशें थी जो काफी व्यापक हैं। ये सिफारिशें नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) की भूमिकाओं तथा कार्यों, विमानन विनियम के लिए सांविधिक ढांचा, एयरलाइनों के प्रमाणन, कार्मिकों के लाइसेंसिंग, परीक्षण प्रणाली, उद्योग तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं, अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित उड़ानों के प्रचालन संबंधी अनुमति के लिए प्रक्रिया, नागर विमानन महानिदेशालय की पुनर्संरचना तथा सशक्तिकरण, मानवशक्ति नीति तथा आवश्यकता इत्यादि के संबंध में है।

(ग) सरकार ने समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित करने का कार्य चल रहा है।

दाहोद से इन्दौर तक ब्राड गेज रेल लाइन का निर्माण

1325. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दाहोद से इन्दौर तक नई ब्राड गेज रेल लाइन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना की लागत कितनी है और अब तक इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) इस परियोजना में देवास-मक्सी नई लाइन का कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है और यातायात शुरू हो गया है। शेष लंबाई पर कार्य शुरू करने के लिए अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

परियोजना की प्रत्याशित लागत 946.16 करोड़ रु. है और मार्च, 2006 तक 58.43 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गई है।

भुवनेश्वर से कन्याकुमारी के बीच सीधी रेलगाड़ी

1326. श्री भर्तृहरि महताब: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुवनेश्वर और कन्याकुमारी के बीच प्रतिदिन चलने वाली सीधी रेलगाड़ी आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अप्रयुक्त हवाई पट्टियों का उपयोग

1327. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में हवाई पट्टियां अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन हवाई पट्टियों के रख-रखाव पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) क्या इन हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 33 हवाईअड्डे/हवाई पट्टियां यातायात क्षमता की कमी तथा इनके आसपास अनियंत्रित विकास के कारण अप्रयुक्त पड़ी हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों यानि 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान अप्रयुक्त हवाईअड्डों के रख-रखाव पर क्रमश: 1.29 करोड़ रुपए, 1.30 करोड़ रुपए तथा 1.46 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था।

(घ) और (ङ) एयरलाइन प्रचालकों से वचनबद्धता/मांग प्राप्त होने पर कूच बिहार, बेहाला, मैसूर तथा अकोला हवाईअड्डों के प्रचालनीकरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का नवीकरण/उन्नयन किया जा रहा है। अन्य अप्रयुक्त हवाईअड्डों का प्रचालनीकरण, प्रचालन प्रारंभ करने के लिए अनुसूचित एयरलाइन प्रचालकों की वचनबद्धता/मांग की प्राप्ति पर निर्भर करता है।

हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजनाओं हेतु धन

1328. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल लाइनों एवं आमान परिवर्तन परियोजनाओं को शुरू करने संबंधी क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने रेल बजट में राज्य हेतु और रेल लाइनों के आमान परिवर्तन हेतु और अधिक धन आबंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) हिमाचल सरकार से नांगल डैम-तलवारा (112 किमी.) नई लाइन परियोजना जिसके लिए बजट 2006-07 में 14.71 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है, के लिए अधिक धनराशि के आबंटन के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

(क) (i) नई लाइन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नीति की घोषणा 1980 में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा की गई थी। इस नीति में उल्लेख है कि नई लाइनें निम्नलिखित मानदंडों पर शुरू की जाएंगी।

- टैपिंग खनिजों और अन्य संसाधनों के लिए नए उद्योगों को सेवित करने वाली परियोजनोन्मुखी लाइन।
- मौजूदा संतृप्त मार्गों पर भीड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को पूरा करने हेतु मिसिंग संपर्क।
- सामरिक कारणों हेतु आवश्यक लाइन।
- नए विकास केन्द्रों की स्थापना या दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए लाइन।

(ii) एक आमान परियोजना के तहत आमान परिवर्तन के लिए मार्गों के चयन के लिए निम्नलिखित नीति का पालन किया जाता है:-

– इन मार्गों पर मौजूदा दोहरी बड़ी आमान (बी.जी.) लाइन की आवश्यकता के निराकरण हेतु वैकल्पिक बड़ी आमान मार्गों के विकास हेतु लाइनों का परिवर्तन शुरू करना।

– अन्य आमान बड़ी लाइनों द्वारा स्टेशनों को जोड़ने हेतु नई बड़ी आमन लाइन की स्थापना।

– बंदरगाह, औद्योगिक केंद्रों और स्थान जहां विकास की संभावनाएं हो, से संपर्क हेतु बी.जी. की स्थापना।

– सामरिक दृष्टि से आवश्यक लाइनों का आमान परिवर्तन करना।

– पारवहन को न्यूनतम करने और पारवहन बिन्दुओं पर देरी से बचने हेतु मालडिब्बों के फेरों में सुधार।

– मीटर आमान पर रेल उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध मानक सेवा से कम की न्यूनतम लागत पर उपरोक्त नीति के अनुसार लाइनों का परिवर्तन किया जाए।

उपरोक्त के अलावा, परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर भी विचार किया जाता है। मौजूदा मानदंडों के अनुसार, एक परियोजना को वित्तीय रूप से उचित समझा जाता है यदि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैथड के तहत 14% से कम वित्तीय प्रतिफल न दे।

दिल्ली में स्मारकों का प्रदीप्तीकरण

1329. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली में स्थित प्रमुख स्मारकों के प्रदीप्तीकरण की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु पहचाने गए स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की साझेदारी से ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी (एनर्जी एफिशियन्ट टेक्नालाजी) का उपयोग करके सभी प्रमुख विरासत स्मारकों को प्रदीप्त करने की योजना है। यह स्कीम कॉमनवेल्थ गेम्ज 2010 से पहले कार्यान्वित की जाएगी।

स्मारकों का संरक्षण

1330. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के संरक्षण के अंतर्गत देश में राज्य-वार कितने स्मारक/स्थल हैं;

(ख) क्या ए.एस.आई. को स्मारकों के संरक्षण हेतु कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि दिनांक 3 जुलाई, 2006 को 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ए.एस.आई. ने स्मारकों के संरक्षण को आऊटसोर्स करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में निजी एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है; और

(छ) यिद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में राष्ट्रीय महत्व के 3667 स्मारकों/स्थलों का संरक्षण और रखरखाव करता है। राज्य वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 24 मण्डलों द्वारा संभाले जा रहे संरक्षित स्मारकों में संरक्षण कार्यों की अधिकता को देखते हुए विभिन्न संरक्षण संवर्गों में 502 कार्मिकों की मौजूदा संख्या अपर्याप्त है। अपने वार्षिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राज्य सरकारों के अनुरोधों पर राज्य संरक्षित स्मारकों के संरक्षण कार्य डिपॉजिट कार्यों के रूप में करने पड़ते हैं और ऐसे ही कार्य द्विपक्षीय करारों के भाग के रूप में देश के बाहर भी करने होते हैं।

(घ) से (छ) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षण शाखा में कार्मिकों (मैन पावर) की कमी को देखते हुए और संरक्षित स्मारकों की संरक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते

हुए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चुनिन्दा स्मारकों में बाह्य स्रोत से संरक्षण कार्य कराने का निर्णय लिया है। दिल्ली स्थित सफदरजंग मकबरा का संरक्षण कार्य शार्ट-लिस्टिड पार्टियों से वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर बाह्य स्रोत से करवाने के लिए उचित प्रक्रिया के बाद, यह कार्य मैसर्स कैलटेक इण्डिया, कोलकाता को सौंपा गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का लाल किला के अन्दर स्थित तीन ब्रिटिश काल में बने (कालोनियल) भवनों के संबंध में बाह्य स्रोत से संरक्षण कार्यों को कराने का भी प्रस्ताव है। उचित एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

जब कभी संरक्षण कार्य बाह्य स्रोत से कराए जाएंगे तब इन कार्यों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की समुची देखरेख में पुरातत्वीय मानदंडों के अनुसार करवाया जाएगा।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्मारकों/स्थलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	137
2.	असम	53
3.	अरुणाचल प्रदेश	5
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	175
7.	दमन एवं दीव	12
8.	गोवा	21
9.	गुजरात	202
10.	हरियाणा	90
11.	हिमाचल प्रदेश	40
12.	जम्मू-कश्मीर	69
13.	झारखंड	12
14.	केरल	26
15.	कर्नाटक	507
16.	महाराष्ट्र	286
17.	मध्य प्रदेश	286
18.	मणिपुर	1
19.	मेघालय	8
20.	नागालैंड	4
21.	उड़ीसा	78
22.	पंजाब	31
23.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	7
24.	राजस्थान	162
25.	सिक्किम	3
26.	तमिलनाडु	413
27.	त्रिपुरा	5
28.	उत्तर प्रदेश	742
29.	उत्तरांचल	42
30.	पश्चिम बंगाल	133
	कुल	3667

शताब्दी रेलगाड़ियों का उन्नयन

1331. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल शताब्दी की तर्ज पर और अधिक शताब्दी रेलगाड़ियों को तीव्रतम रेलगाड़ियों के रूप में उन्नत करने का रेलवे का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या कुछ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी रेलगाड़ियों की पहचान की गई है तथा इन रेलगाड़ियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) रेल बजट 2006-07 में की गई घोषणा के अनुसार 2003/2004 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी को 150 किमी. प्रतिघंटा की रफ्तार से चलाने के लिए चिन्हित किया गया है।

(ग) जी, नहीं। वर्तमान में कोई नहीं। यह कुछ रेलगाड़ियों के लिए किया गया है और उस जानकारी को बिना किसी प्रमाणन के अन्य रेलगाड़ियों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे हेतु कॉल सेंटर

1332. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने समेकित रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली (आई.टी.ई.एस.) प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाने वाले कॉल सेंटरों के लिए स्थानों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना खर्च आने की संभावना है; और

(ग) इन सेंटरों को शुरू करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेलगाड़ी की चालन स्थिति, पी.एन.आर. स्थिति, स्थान की उपलब्धता के साथ-साथ अन्य मूल्य संवर्द्धित सेवाओं की सूचनाओं की जानकारी के लिए देश के उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण जोनों में कॉल सेन्टरों की व्यवस्था करके एकीकृत रेलगाड़ी जांच प्रणाली (आई.टी.ई.एस.) की स्थापना की जाएगी।

जहां तक संभव होगा कॉल सेंटर सेल्फ सस्टेनऐबल मॉडल पर आधारित होंगे।

कॉल सेन्टरों को 2006-07 में चालू करने की योजना है।

पुराने रालिंग स्टॉक को उपयोग में लाए जाने से हटाना

1333. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे डिब्बों, माल डिब्बों, इंजनों आदि जैसे पुराने रॉलिंग स्टॉक को नियमित रूप से उपयोग में लाए जाने से हटा नहीं रहा है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापित क्षमता का उचित उपयोग न होने के परिणामस्वरूप श्रमशक्ति तथा प्रौद्योगिकी का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पूरा उपयोग न हो पाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। आयु और स्थिति के आधार पर नियमित रूप से चल स्टाल को नाकारा घोषित किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सुरक्षा बनाए रखना भारतीय रेलवे का प्रथम ध्येय है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमित आधार पर हर संभव उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव, ट्रैक, चल स्टाक, सिग्नलिंग और अंर्तपार्शन प्रणाली के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त तकनीक को अपनाना, सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुपालन पर निगरानी और कर्मचारियों को इस संबंध में शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों पर सुरक्षा अभियान और निरीक्षण। इसके परिणामस्वरूप 2000-01 में 473 परिणामी रेल दुर्घटनाएं 2005-06 में घटकर 234 हो गई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के लिए पुनरुद्धार पैकेज

1334. श्री मो. ताहिर:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों (सी.पी.एस.ई.) के लिए किसी पैकेज को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) दिनांक 30-6-2006 को उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र (सी.पी.एस.ईज) के 17 उद्यमों के सम्बन्ध में पुनरुद्धार योजनाएं अनुमोदित की हैं। सरकार द्वारा अनुमोदित नकद तथा नकद-भिन्न सहायता सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 17 उद्यमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दिनांक 30-6-2006 की स्थिति के अनुसार सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड द्वारा प्रस्तावों के संबंध में सरकार द्वारा अनुमोदित नकदी और गैर-नकदी सहायता

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	सहायता (करोड़ रुपए)		
		नकदी	गैर-नकदी	जोड़
1	2	3	4	5
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	4.28	66.32	70.60
2.	सहायक कंपनियों सहित नेटेका	39.23	—	39.23
3.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	60.00	42.92	102.92
4.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कं. लि.	—	54.61	54.61
5.	एच.एम.टी. बियरिंग्स लि.	7.40	26.57	33.97
6.	प्रागा टूल्स लि.	5.00	177.12	182.12
7.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.	4.00	112.91	116.91
8.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	47.35	—	47.35
9.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन लि.	73.60	280.00	353.60
10.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	102.00	1116.30	1218.30
11.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	184.29	1252.25	1436.54
12.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.**	—	—	—
13.	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि.	137.59	267.57	405.16
14.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	250.00	—	250.00
15.	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	—	670.37	670.37

1	2	3	4	5
16.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.**	–	–	–
17.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि. $	–	–	–
	जोड़	914.74	4066.94	4981.68

** संयुक्त उद्यम के गठन द्वारा पुनरुद्धार।

$ बंद करने का निर्णय किया गया।

- इक्विटी/ऋण/अनुदान के माध्यम से बजटगत सहायता में नकद सहायता शामिल हो सकती है।
- गैर-नकद सहायता में ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, भारत सरकार के ऋण की माफी, तथा ऋण को इक्विट/गैर-संचयी वरीयता शेयरों/डिबेंचरों में बदलना शामिल हैं।

[अनुवाद]

भारत में कमर्शियल पायलट

1335. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

श्री एन.एन. कृष्णदास:

श्री चंद्रकांत खैरे:

श्री नवीन जिन्दल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पायलट-उड़ान अनुपात अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सीमा के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नागर विमानन उद्योग को कमर्शियल पायलटों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो भारत में इस समय योग्यता प्राप्त कमर्शियल पायलटों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) कमर्शियल पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन के मानक व्यवहार तथा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की सिफारिशों के साथ चलते हुए, नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) द्वारा दिनांक 01-03-1994 को एक नागर विमानन आवश्यकता (सी.ए.आर.) जारी किया जा चुका है, जो अनुसूचित परिचालकों के लिए प्रति विमान पर्याप्त संख्या में उड़ान कम से कम दल के 03 सेट प्रति विमान, की आवश्यकता की मांग करता है। यह सी.ए.आर. यह भी मांग करता है कि अनुसूचित पब्लिक ट्रांसपोर्ट परिचालनों में लगे सभी विमान कम से कम दो पायलटों द्वारा उड़ाए जाने चाहियें।

(ग) विमानन क्षेत्र में वृद्धि के कारण अनुसूचित और गैर अनुसूचित परिचालकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिनमें से बहुत से बेड़ा विस्तार का कार्यक्रम बना रहे हैं। इससे इस टाइप रेटेड पायलटों की कमी प्रकट होती है।

(घ) आज की तारीख में कमर्शियल पायलट लाइसेंस तथा एअरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस धारक 3850 सक्रिय व्यावसायिक पायलट हैं।

(ङ) सरकार द्वारा कुशल पायलटों की मांग और पूर्ति के बीच अन्तराल को भरने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें पायलटों के लिए निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कमर्शियल ट्रांसपोर्ट परिचालनों के लिए उनके लाइसेंस को छूट प्रदान करते हुए, 65 वर्ष तक आयु सीमा में सशर्त वृद्धि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आई.जी.आर.यू.ए.) की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने हेतु दूसरी प्रशिक्षण अवसंरचनाओं का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण, गोंदिया, महाराष्ट्र में एक विश्वस्तरीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना तथा नागर विमानन महानिदेशालय/एअरो क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण विमान आवंटित कर फ्लाइंग कल्बों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

रेल क्षेत्र के लिए उदार नीति

1336. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेल क्षेत्र के तेजी से विकास हेतु उदार नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने एक विशेष प्रयोजन वाहन चला कर संयुक्त उद्यम के माध्यम से कुछ परियोजनाएं शुरू की हैं;

(घ) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी लागत कितनी है;

(ङ) इन परियोजनाओं पर कब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(च) रेलवे द्वारा पहचान किए गए ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें सरकारी निजी भागीदारी के लिए निजी निवेश पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) प्रमुख नीतिगत पहलकदमियों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- पारेषण की मात्रा, कारगो एकत्रीकरण और मात्रा में वृद्धि के आधार पर अभिनव मालभाड़ा प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत।
- निजी ऑपरेटरों द्वारा कंटेनर गाड़ियों के संचलन संबंधी नीति।
- रेल सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार और रेल नेटवर्क के विकास एवं विस्तार करने के लिए सार्वजनिक भागदारियों और सार्वजनिक-निजी भागीदारियों को प्रोत्साहन देना।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) संयुक्त उद्यम के माध्यम से शुरू की गई अवसंरचना परियोजनाएं इस प्रकार हैं:-

- 373 करोड़ रुपए की लागत पर सुरेंद्रनगर-पिपावाव आमान परिवर्तन परियोजना। यह परियोजना कमीशन की जा चुकी है।
- 312 करोड़ रुपये की लागत पर हसन-मंगलौर आमान परिवर्तन परियोजना। यह परियोजना कमीशन की जा चुकी है।
- 452 करोड़ रुपये की लागत पर गांधीधाम-पालनपुर आमान परिवर्तन परियोजना। पालनपुर-सामख्याली पूरा हो चुकी है। सामख्याली-गांधीधाम के बीच शेष हिस्सा 2006-07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

रेल विकास निगम लिमिटेड संयुक्त उद्यमों के माध्यम से कतिपय परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।

(च) मालडिब्बों के निवेश, कंटेनर गाड़ियों एवं लग्जरी पर्यटन गाड़ियों का चालन, रेल मार्गवर्ती गोदामों का विकास कुछेक ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें निजी निवेश के लिए चिन्हित किया गया है।

[हिन्दी]

रात्रि बाजार

1337. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'रात्रि बाजार' नामक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां अब तक 'रात्रि बाजार' स्थापित किए जा चुके हैं;

(घ) क्या निकट भविष्य में हैदराबाद में किसी रात्रि बाजार की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने देश की परम्परागत कला और संस्कृति के रूप को सुरक्षित रखने तथा उसका संवर्धन करने के साथ-साथ एक अनुपम खरीददारी का अनुभव प्रदान करने के लिए एक प्रयास के रूप में, रात्रि बाजार की अवधारणा तैयार की है।

(ग) से (ङ) एक पायलट परियोजना के रूप में प्रथम रात्रि बाजार, अशोक होटल, नई दिल्ली के लिली पांड लान में 27-3-2005 से 29-5-2005 तक चलाया गया। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, गंतव्य एवं परिपथ की उत्पाद/अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत, वर्ष 2005-06 में हैदराबाद स्थित शिल्पारमम में रात्रि बाजार की स्थापना के लिए 500.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गयी है।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए प्रधान मंत्री की छात्रवृत्ति योजना

1338. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री चन्द्रभान सिंह:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रधान-मंत्री की नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की है; और

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (ग) एक नई योजना, "प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना" शैक्षिक सत्र 2006-07 से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के आश्रितों को, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी, एम.बी.ए., एम.सी.ए. आदि के क्षेत्र में स्नातक स्तर पर विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 1250 रु. प्रतिमाह की छात्रवृत्ति लड़कों के लिए और 1500/-रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए दी जाएगी। कुल मिलाकर 5000 छात्रवृत्तियां होंगी, जिनमें से 4000 सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के आश्रितों के लिए और 1000 रेल सुरक्षा बल सहित केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों के आश्रितों के लिए होंगी।

2. पात्र आश्रित विवरणिका एवं आवेदन-पत्र केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्डों से प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन-पत्र सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को सीधे ही प्रेषित किए जाने हैं ताकि वे 31 अगस्त तक पहुंच जाएं। चयनित आवेदकों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सीधे ही सूचित किया जाएगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा छात्रवृत्ति के लिए भुगतान केंद्रीयकृत रूप से किया जाएगा, जो एकाउंट पेई चैकों के जरिए अथवा इलैक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से प्रत्येक आश्रित के वैयक्तिक खाते में जमा किया जाएगा।

[हिन्दी]

लड़ाकू तथा मालवाहक विमानों का आधुनिकीकरण

1339. श्री रामदास आठवले: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुसेना ने 2015 तक अपने लड़ाकू तथा मालवाहक विमानों के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मिग-21, मिग-29, जगुआर, फ्रेंच मिराज-2000 सहित लड़ाकू विमानों के उन्नयन हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) लड़ाकू विमानों का आधुनिकीकरण करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो वायुसेना की प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर किया जाता है। इस संबंध में और ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) मिग-21 लड़ाकू विमान का ग्रेडोन्नयन किया गया है। जगुआर और मिग-27 विमान का ग्रेडोन्नयन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने 10वीं और 11वीं योजनावधियों के दौरान ग्रेडोन्नयन करने के लिए मिग-29, मिराज-2000 सहित विमान चिन्हित किए हैं।

[अनुवाद]

मुलामकुन्नाथु कावु में सड़क उपरिपुल का निर्माण

1340. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को त्रिचूर के निकट मुलामकुन्नाथु कावु में सड़क उपरिपुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वडक्कमचेरी और मुलमकुन्नथु कवु के बीच किमी. 21/5-6 पर समपार संख्या 13 के बदले मुलमकुन्नथु कवु पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य को 2001-02 में पहले

से ही स्वीकृति दी जा चुकी है। रेलपथ के ऊपर पुल खास के निर्माण के साथ-साथ पहुंच मार्गों के निर्माण का कार्य मैसर्स रोड्स एंड ब्रिज डेवलपमेंट कार्पोरेशन (आर.बी.डी.सी.के.), जोकि केरल सरकार का एक उपक्रम है, को रेलवे के पर्यवेक्षण के अधीन सौंप दिया गया है। इस समय, पुल खास पर (रेलपथ के दोनों ओर) 40% कार्य और पहुंच मार्गों पर 74% निर्माण कार्य खत्म हो चुका है। संपूर्ण कार्य को 31 मार्च, 2007 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम

1341. **श्री रामजीलाल सुमन:**

डा. चिन्ता मोहन:

श्री जय प्रकाश (मोहनलालगंज):

श्री हंसराज जी. अहीर:

श्री अशोक कुमार रावत:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने एथेनाल पर अलग-अलग दरों पर कर लगाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इथेनाल के उच्च बिक्री मूल्यों के कारण इस कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पेट्रो. और प्रा. गैस मं.) ने 1-1-2003 से प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों और आस-पास के संघ शासित क्षेत्रों में 5% एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल की अनिवार्यत: आपूर्ति की योजना शुरू की थी। परन्तु, यह कार्यक्रम अलग-थलग ढंग से ही क्रियान्वित किया जा सका। क्योंकि एथेनोल अविचल ढंग से और युक्तियुक्त कीमतों पर उपलब्ध नहीं था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथेनाल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के लिए घरेलू एथेनोल का स्रोत मूल्य वैकल्पिक उपयोगों के लिए घरेलू एथेनोल के मूल्य के साथ तुलनीय होने और उन स्थलों पर एथेनोल का सुपुर्दगी मूल्य उस स्थान पर पेट्रोल के आयात समता मूल्य से तुलनीय होने और घरेलू एथेनोल उद्योग के ऐसे मूल्यों पर एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए एथेनोल की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने में सक्षम होने की स्थिति में 10 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य बनाते हुए 27-10-2004 को एक संशोधक अधिसूचना जारी की। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के क्षेत्रों में एथेनोल की उपलब्धता के अनुसार इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही हैं।

(ख) से (ङ) सरकार की 27-10-04 की अधिसूचना के तहत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने हेतु अधिसूचित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एथेनोल पर राज्य कर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में, अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों से जोर देकर कहा है कि वे पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथेनोल पर ऐसा कोई कर उत्पाद शुल्क, प्रविष्टि कर, निर्यात या आयात शुल्क या किसी भी प्रकार की लेवी न लगाएं जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में न आता हो।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लेवी	लागू दर
1	2	3
पंजाब	बिक्री कर	20%+2% बिक्री कर पर अधिभार
	आयात शुल्क	रुपए 1000/-प्रति कि.ली.

1	2	3
	लाइसेंस शुल्क	रुपए 50000/-राज्य के लिए एक बार धरोहर जमा राशि। रुपए 1000/-प्रति वर्ष प्रथम स्थल हेतु और रुपए 100/-प्रति वर्ष परवर्ती स्थल हेतु
हरियाणा और चंडीगढ़	बिक्री कर	20%
	आयात शुल्क	रुपए 2000/-प्रति कि.ली.
	परमिट शुल्क	रुपए 3000/-प्रति कि.ली.
	लाइसेंस शुल्क	प्रति स्थल एक बार में धरोहर जमा राशि एक लाख रुपए
उत्तर प्रदेश	क्रय कर	रुपए 800/-प्रति कि.ली.
	निर्यात कर	रुपए 1000/-प्रति कि.ली.
	आयात कर	रुपए 1500/-प्रति कि.ली.
	लाइसेंस शुल्क	रुपए 150/-प्रति कि.ली.
	गुण परिवर्तन शुल्क	रुपए 150/-प्रति कि.ली.
उत्तरांचल	लाइसेंस शुल्क	रुपए 150/-प्रति कि.ली.
	आयात शुल्क	रुपए 1100/-प्रति कि.ली.
गुजरात, दमन दीव व दादरा दादरा और नागर हवेली	बिक्री कर	4%
	आयात पास	रुपए 50/-प्रति टैंक लारी
	आयात शुल्क	रुपए 3000/-प्रति कि.ली.
	लाईसेंस शुल्क	प्रति माह 100 कि.ली. एथेनोल हेतु प्रति स्थल 25000/-रुपए प्रति वर्ष। प्रति माह 500 कि.ली. एथेनोल हेतु प्रति स्थल 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। प्रति माह 500 कि.ली. एथेनोल से अधिक के लिए प्रति स्थल 3 लाख रुपए प्रति वर्ष
महाराष्ट्र	बिक्री कर	4%
	निर्यात शुल्क	रुपए 1500/-प्रति कि.ली.
	आयात शुल्क	रुपए 1500/-प्रति कि.ली.
	राज्य उत्पाद शुल्क प्रशा. शुल्क	रुपए 300/-प्रति कि.ली.
	लाइसेंस शुल्क	रुपए 25000/-प्रति वर्ष प्रति स्थल

1	2	3
गोवा	बिक्री कर	19%
	लाइसेंस शुल्क	प्रति स्थल एक बार का प्रोसेसिंग शुल्क 12000/-रुपए। प्रति स्थल 4000/-रुपए प्रति वर्ष की दर से नवीनीकरण शुल्क
	आयात परमिट	रुपए 190/-प्रति टैंक लारी
कर्नाटक	प्राधिकार शुल्क	रुपए 2000/-प्रति कि.ली.
आंध्र प्रदेश	बिक्री कर (वैट)	12.5%
तमिलनाडु	बिक्री कर	8%+5% बिक्री कर पर अधिभार
	आयात शुल्क	रुपए 1000/-प्रति कि.ली.
	निर्यात शुल्क	रुपए 3000/-प्रति कि.ली.
	राज्य उत्पाद प्रशा. शुल्क	रुपए 1000/-प्रति कि.ली.
	लाइसेंस शुल्क	रुपए 25000/-प्रति वर्ष प्रति स्थल

[अनुवाद]

गुर्दों की चोरी के मामले की जांच

1342. श्री उदय सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्मी रिसर्च एण्ड रेफरल हॉस्पिटल, नई दिल्ली किसी गुर्दा रैकेट में लिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ङ) सेना अस्पताल (रिसर्च एवं रेफरल), नई दिल्ली में धोखे से गुर्दा निकाले जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420/468/471/120-बी/34 तथा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (ट्रांसप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन्स एक्ट) की धारा 18/19/20 के तहत 6 सितंबर, 2004 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 558 दर्ज की गई है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोप-पत्र भी दाखिल कर दिया गया है जिसका ट्रायल अभी लंबित है।

पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विदेशी सहायता

1343. श्री मोहन रावले: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विदेशी सहायता मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उन पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विदेशी सहायता प्राप्त हुई है तथा यह धनराशि कितनी थी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ किए गए ऋण करार के अनुसार, क्रमशः वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 के दौरान, अजंता-एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना के अंतर्गत 2.185 करोड़ रुपए (52.844 मिलियन येन) और 6.396 करोड़ रुपए (168.358 मिलियन येन) वितरित किए गए हैं।

रियायती टिकटों पर एक समान नीति

1344. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा सभी श्रेणियों के छात्रों को विमान किराए में रियायत हेतु सभी घरेलू विमान कंपनियों के लिए सरकार की कोई एक समान नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। हवाई किराए में रियायत देने के लिए प्रत्येक घरेलू एयरलाइन की अपनी स्वयं की नीति होती है।

(ग) एयरलाइनों के संबंध में भाड़ों का विनियमन सरकार द्वारा नहीं किया जाता है और यह एयरलाइनों पर है कि वे अपनी आर्थिक साध्यता तथा बाजार की स्थितियों के अनुसार भाड़े तथा इनसे संबंधित रियायतें नियत करें।

थार एक्सप्रेस के फेरों की संख्या बढ़ाना

1345. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार थार एक्सप्रेस के फेरों की संख्या को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पाकिस्तान सरकार से भी परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1346. श्री सुग्रीव सिंह: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों विशेष रूप से उड़ीसा से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत किए गए हैं/विचाराधीन हैं;

(ग) लंबित प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत, इस मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों से 1982 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 49 प्रस्ताव उड़ीसा राज्य से प्राप्त हुए।

इन प्रस्तावों में से 576 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें से 6 उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। मंत्रालय में कुल मिलाकर 854 प्रस्ताव लंबित हैं जिनमें से 9 प्रस्ताव उड़ीसा से संबंधित हैं। शेष मामले बन्द/अस्वीकृत कर दिए गए हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में यूनिटों को कुल 159.06 करोड़ रु. दिए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाओं के लिए विदेशी वित्तीय संस्थानों से निधियां

1347. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए रेलवे को वित्तीय संस्थान-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त अवधि के दौरान इस धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे ने इन विदेशी संस्थानों को किसी प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा वित्तीय संस्थान-वार कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान (31-3-2006 तक), रेलवे परियोजनाएं, जिनके लिए विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है, उनकी अनुमानित लागत, प्राप्त बाहरी सहायता और प्रयोग का विवरण निम्नानुसार है:-

(i) मुंबई नगर परिवहन योजना (एम.यू.टी.पी.), जिसमें सड़क और रेल दोनों ही है, आंशिक तौर पर विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। रेल भाग की अनुमानित लागत 3125 करोड़ रु. है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने 463 बिलियन डालर ऋण प्रदान किया है और अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन द्वारा 62.5 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) प्रदान किया गया है। आई.बी.आर.डी. ऋण और आई.डी.ए. के रूप में उधार रेल भाग के लिए क्रमशः 304.5 मिलियन अमेरिकी डालर और 42.13 मिलियन निर्धारित किया गया है। 44.628 मिलियन अमेरिकी डालर और विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) 21.296 मिलियन क्रमशः आई.बी. आर.डी. और आई.डी.ए. से प्राप्त ऋण को रेल भाग के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

(ii) गाजियाबाद और कानपुर के बीच सिगनलिंग के आधुनिकीकरण की परियोजना को क्रेडिटनस्टलट फर वियदेरफबाऊ (के.एफ.डब्ल्यू.) जर्मनी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 425 करोड़ रु. है। ऋण की राशि 185 मिलियन डयूश मार्क (94.5 मिलियन यूरो) है। 3.761 मिलियन यूरो को उपयोग किया जा चुका है।

(iii) रेल तंत्र और बेहतर परिचालनिक कुशलता/संरक्षा की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य सहित रेलवे क्षेत्र सुधार संबंधी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एशिया विकास बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया है। सैद्धांतिक तौर पर स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकर्णों और पत्तनों को जोड़ने वाली उपपरियोजनाओं को ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 579.2 मिलियन अमेरिकी डालर है। ऋण की मात्रा 313.6 मिलियन डालर है। 1.485 मिलियन अमेरिकी डालर को प्रयोग किया जा चुका है।

(ङ) जी, हां।

(च) 31-3-2006 तक पिछले तीन वर्षों में वचनबद्धता की राशि नीचे दी गई है:-

एडीबी: 3.91 करोड़ रु. का भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया।

विश्व बैंक आई.बी.आर.डी. ऋण: 14.45 करोड़ रु. का भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया।

विश्व बैंक आई.डी.ए.: 1.86 करोड़ रु. का भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया।

के.एफ.डब्ल्यू ऋण: 10.90 करोड़ रु. में से 8.29 करोड़ रु. रेलवे द्वारा शेष का वित्त मंत्रालय द्वारा भुगतान किया गया।

[अनुवाद]

करूर-त्रिची-चेन्नई के बीच नई/विशेष रेलगाड़ियां

1348. श्री के.से. पल्लानी शामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करूर-त्रिची-चैन्नई के बीच अत्याधिक रेल यातायात है;

(ख) यदि हां, तो क्या करूर-त्रिची-चेन्नई खंड के बीच नई/विशेष रेलगाड़ियां चलाने की मांग काफी समय से लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अफगानिस्तान में बी.एच.ई.एल. की विद्युत परियोजना

1349. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) का विचार अफगानिस्तान में विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी लागत कितनी है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कार्य कब तक शुरू होने तथा पूर्ण होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भेल ने, सलमा, अफगानिस्तान में 3x14 मे.वा. की जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस., भारत से अनुबंध कर लिया है तथा पावर ग्रिड कारपोरेशन, भारत से काबुल में 230 कि.वा. के सब-स्टेशन का क्रयादेश प्राप्त कर लिया है। दोनों परियोजनाओं की लागत लगभग 220 करोड़ रुपये है।

(ग) सलमा जल विद्युत परियोजना पर परियोजना कार्य मई, 2006 में शुरू हुआ तथा दिसंबर, 2008 तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। काबुल सब-स्टेशन पर परियोजना कार्य फरवरी, 2006 के अन्त में शुरू हुआ तथा मई, 2008 तक इसके पूर्ण होने की संभावना है।

तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

1350. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल क्षेत्र में देश को निकट भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) भारत शोधन क्षेत्र में आत्म निर्भर है और उसने पेट्रोलियम उत्पादों की देशी मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित विपणन बुनियादी ढांचा भी विकसित किया है। शोधन क्षमता देशी मांग से अधिक है तथा अधिशेष मात्रा का निर्यात किया जा रहा है। कच्चे तेल का देशी उत्पादन पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ मेल नहीं रखता। तथापि, बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा उत्पादन कार्यों को तेज करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं:-

1. नई अन्वेषण लाइसेंस नीति द्वारा अन्वेषण कार्यों को तेज करना।
2. उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.)/वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.) तकनीकों के माध्यम से घरेलू उत्पादन में वृद्धि।
3. उत्पादन जल्दी शुरू करने के लिए खोजों/भण्डारों का तेजी से विकास।
4. मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्प्रेरण तकनीकों का प्रयोग।
5. इक्विटी तेल लाने के लिए विदेश में अन्वेषण रकबों तथा उत्पादक परिसंपत्तियों का अर्जन।
6. पुराने तेल क्षेत्रों से ह्रास कम करना।
7. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों जैसे बायो डीजल, एथेनोल आदि के प्रयोग द्वारा तेल का प्रतिस्थापन।

संकटापन्न भाषाएं

1351. श्री एल. राजगोपाल: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी भाषा को 'संकटापन्न भाषा' घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारत में संकटापन्न भाषाओं की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तेलगु भाषा 'संकटापन्न भाषा' की श्रेणी में आती है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) किसी भाषा को "संकटापन्न भाषा" घोषित करने की कोई पद्धति विद्यमान नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच सीधी उड़ान

1352. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री अनन्त नायक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच एक सीधी उड़ान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) चूंकि इंडियन एयरलाइन्स बेड़े के विमानों के साथ वर्तमान यातायात संभावना वाणिज्यिक व्यवहार्य परिचालनों के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इंडियन एयरलाइन्स की भुवनेश्वर और बैंगलोर के बीच सीधी उड़ानें आरंभ करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता के मद्देनजर विमान परिवहन सेवाओं में बेहतर विनियमन उपलब्ध करने की दृष्टि से सरकार द्वारा मार्ग संवितरण दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए हैं। तो भी यह, एयरलाइंस पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशेष स्थानों को विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार, सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का पालन करते हुए देश में कहीं भी उड़ान परिचालित करने के लिए एयरलाइंस स्वतंत्र हैं।

निजी कंपनियों द्वारा पेट्रोल पम्पों की स्थापना

1353. श्री पी.एस. गढ़वी:

श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए पेट्रोल पंपों की कंपनी-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ निजी कंपनियों ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रचालन बन्द कर दिया है अथवा ईंधन पंपों की संख्या को कम कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सरकार ने तीन निजी कंपनियों नामतः मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.), मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड (ई.ओ.एल.) और मैसर्स शैल इंडिया मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड (एस.आई.एम.पी.एल.) को परिवहन ईंधनों का विपणन करने हेतु प्राधिकार प्रदान किया है।

इन निजी कंपनियों द्वारा अब तक स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर. ओज़) की संख्या निम्नानुसार है:-

कंपनी का नाम	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
आर.आई.एल.	1277
ई.ओ.एल.	900
एस.आई.एम.पी.एल.	14

(ख) से (घ) आर.आई.एल. और एस.आई.एम.पी.एल. ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने अपने किसी आर.ओ. का प्रचालन बंद नहीं किया है। मैसर्स ई.ओ.एल. ने रिपोर्ट दी है कि उनके 160 आर. ओज़ आंशिक रूप से प्रचालन कर रहे हैं जबकि शेष आर. ओज सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रचालित आर. ओज के मूल्य में भारी अंतर के कारण उत्पाद नहीं ले रहे हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने द्वारा बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल की मात्रा और मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

खराब उपकरणों की खरीद

1354. श्री सुनील खां: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2005 की अपनी रिपोर्ट संख्या 6 में यह उल्लेख किया है कि वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन प्रतिष्ठान (आयुधादि) चेन्नई द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण के कारण मैसर्स जनरल ऑप्टिक्स लिमिटेड पांडिचेरी से 3.85 करोड़ रु. के उपकरण (162 ट्रांसमिशन तथा रिसेप्शन यूनिट) खरीदे गए तथा बाद में खराब पाए गए;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.ओ.डी., आगरा ने भी विगत आपूर्ति की खराबी की अनदेखी करते हुए उसी फर्म से 91.42 लाख रु. के क्रयादेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(घ) खराब उपकरणों को बदलने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) यह बात सही है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) ने 2005 की अपनी रिपोर्ट सं. 6 में यह उल्लेख किया है कि वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना (आयुध), चेन्नई द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण के कारण 3.85 करोड़ रुपए मूल्य के उपस्कर स्वीकार किए

गए थे और बाद में त्रुटिपूर्ण पाए गए थे। सी.ए.जी. की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्ववर्ती आपूर्तियों की त्रुटियों की अनदेखी करते हुए केंद्रीय आयुध डिपो, आगरा द्वारा उसी फर्म को 91.42 लाख रुपए का अन्य क्रयादेश दिया गया था।

(घ) त्रुटिपूर्ण उपस्करों को बदलने के लिए अब तक उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

(i) त्रुटिपूर्ण उपस्करों को बदलने के लिए आपूर्तिकर्ता को कई बार कहा गया है।

(ii) उपस्करों को बदलने के अनुरोध का प्रत्युत्तर देने की बजाय, आपूर्तिकर्ता इस मामले को माध्यस्थम के लिए न्यायालय ले गया। इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए एकमात्र मध्यस्थ ने आपूर्तिकर्ता के पक्ष में एक आदेश पारित किया।

(iii) माध्यस्थम पंचाट को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना

1355. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री मोहन रावले:
श्री बची सिंह रावत "बचदा":
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में भारत-ईरान गैस पाइपलाइन मुद्दे तथा तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ कोई चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना पर अब तक कितनी प्रगति की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल): (क) और (ख) मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) महोदय ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के पार्श्व में संघाई, चीन में ईरान के इस्लामिक गणतंत्र के प्रेसीडेंट के साथ 15-6-2006 को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में उन्होंने ईरान से एल.एन.जी. का आयात करने हेतु भारतीय कंपनियों द्वारा नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी के साथ हुए तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) करार के कार्यन्वयन में विलम्ब का मुद्दा उठाया। ईरान के प्रेसीडेण्ट मामले को विचार हेतु ईरान की संसदीय समिति के पास भेजने के लिए सहमत हो गये।

(ग) सरकार ईरान और पाकिस्तान की सरकारों के साथ आई.पी.आई. परियोजना के ब्यौरों के बारे में चर्चा कर रही है। ईरानी और पाकिस्तानी पक्षों के साथ बात करने हेतु दो पृथक् द्विपक्षीय सचिव स्तरीय संयुक्त कार्यकारी समूह (जे.डब्ल्यू.जी.) गठित किये गये थे। अभी तक इन कार्यकारी समूहों में से प्रत्येक समूह की तीन-तीन बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में विभिन्न तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, कानूनी और तत्संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। अभी भी परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर तीन देशों की त्रिपक्षीय सचिव स्तरीय कार्यवाही समूह की बैठकों में चर्चा हो रही है। अभी तक ऐसी दो बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक 3-4 अगस्त, 2006 को नई दिल्ली में होनी निर्धारित है।

चर्चाधीन मुख्य मुद्दों में गैस की कीमत और परियोजना के ढांचे से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

विदेशों में भारत पर्यटन कार्यालय

1356. श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विदेशों में चल रहे भारत पर्यटन कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कार्यालयों द्वारा कितना कारोबार किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों में और पर्यटन कार्यालय खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) विदेशों में 13 भारत पर्यटन कार्यालय हैं, जो न्यूयार्क, लॉस

एंजिल्स, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, एम्सटर्डम, मिलान, पेरिस, लंदन, दुबई, जोहांसबर्ग, टोक्यो, सिडनी तथा सिंगापुर में स्थित हैं।

(ख) पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय तथा देश में पर्यटक आगमनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से विदेश स्थित कार्यालय पर्यटन सृजक बाजारों में अनेक संवर्धनात्मक गतिविधियां संचालित करते हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन तथा विदेशी मुद्रा आय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रु. में
2003	2.73 मिलियन	16429.00
2004	3.46 मिलियन	21603.00
2005	3.92 मिलियन (अनन्तिम)	25172.00 (अनन्तिम)

(ग) और (घ) विदेशों में भारत पर्यटन की प्रभावी मार्केटिंग को सुनिश्चित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय अपने विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के कार्य की निरंतर समीक्षा करता है। विदेशों में भारत पर्यटन कार्यालय खोलने के लिए मंत्रालय, उभर रही संभावित मार्केटों के वैश्विक रूझानों को भी नजदीकी से मॉनीटर करता है।

(ङ) भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय अपने विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से, विदेशों की, पर्यटक सृजक मार्केटों में अनेक संवर्धनात्मक गतिविधियां संचालित करता है। इन गतिविधियों में विज्ञापन, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, 'संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा रोड शोज का आयोजन, ब्रोशरों का प्रकाशन, संयुक्त विज्ञापन समर्थन तथा मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मीडिया कर्मियों, टूअर आपरेटरों और राय निर्माताओं को देश की यात्रा पर आमंत्रित करना शामिल हैं।

क्षेत्रीय पैकेजिंग केंद्र

1357. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को केरल सरकार से एर्नाकुलम, पटानमथिट्टा तथा माल्लापुरम में क्षेत्रीय पैकेजिंग केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता के अनुरोध संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) एर्णाकुलम, पत्तनम्तिट्टा और मलप्पुरम में क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण-सह-पैकिंग केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता कार्य विभाग, केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की जांच की गई है और अपेक्षित स्पष्टीकरण/समर्थन सूचना मांगी गई है।

सी.बी.एम. ब्लाकों से प्राकृतिक गैस निकालने के लिए बोली

1358. श्री उदय सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल बेड मीथेन ब्लाकों की कोयला परतों से प्राकृतिक गैस निकालने के लिए केन्द्र सरकार को बोलियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे ब्लाकों की पेशकश निजी कंपनियों को करने तथा इसके लिए सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की उपेक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। कोल बेड मिथेन नीति के तीसरे दौर (सी.बी.एम.-3) के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने तीसरे दौर के तहत 10 ब्लाकों में अन्वेषण तथा उत्पादन गतिविधियां चलाने के लिए 54 बोलियां प्राप्त की हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने कोल बेड मिथेन नीति के तहत एक समान कार्य अवसर प्रदान किया है जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आई.सी.बी.) प्रणाली के तहत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा भारतीय के साथ-साथ विदेशी कंपनियों से बोलियां आमंत्रित करती हैं। ब्लाक बोली मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक शर्तों पर प्रदान किए जाते हैं।

विवरण

बोलियों के तीसरे दौर (सी.बी.एम.-3) के तहत प्रस्तावित दस सी.बी.एम. ब्लॉकों के लिए प्राप्त बोलियों का ब्यौरा

संदर्भ संख्या	कोयला क्षेत्र	ब्लॉक का नाम	क्षेत्र/(वर्ग किलो मीटर)	सी.बी.एम. स्रोत (बी.सी.एम.)	बोली दाता का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	राज महल	आर.एम.-सी.बी.एम.-2005-/3	469	158	1. एरो-गेल-ई.आई.जी.-टाटा 2. बी.पी.ई. 3. सी.डी.एक्स.-ऑयल-शिव 4. एस्सार 5. जी.ई.ई.सी.एल. 6. इंडिया बुल्स-ओ.एम.आई.एम.ई.एक्स. 7. जे.एस.पी.एल.-एम.ओ.एल.ओ.पी.ओ. 8. ओ.एन.जी.सी. 9. आर.ई.एल.-आर.एन.आर.एल.-जी.ई.ओ.
2.	बीरभूम	बी.बी.-सी.बी.एम.-2005-/3	248	50	1. एरो-गेल-ई.आई.जी. 2. बी.पी.ई. 3. सी.डी.एक्स.-ऑयल-शिव 4. एस्सार 5. जी.ई.ई.सी.एल. 6. इंडिया बुल्स-ओ.एम.आई.एम.ई.एक्स. 7. जे.एस.पी.एल.-एम.ओ.एल.ओ.पी.ओ. 8. जुबिलैंट 9. ओ.एन.जी.सी.-आई.ओ.सी.एल.-सी.आई.एल. 10. आर.ई.एल.-आर.एन.आर.एल.-जी.ई.ओ.

1	2	3	4	5	6
3.	तातापानी-रामकोला	टी.आर.-सी.बी.एम.-2005-/3	458	53.78	1. एरो-गेल-ई.आई.जी.-टाटा 2. सी.डी.एक्स.-ऑयल-शिव 3. एस्सार 4. इंडिया बुल्स-ओ.एम.आई.एम.ई.एक्स. 5. आर.ई.एल.-आर.एन.आर.एल.-जी.ई.ओ.
4.	मांड-रायगढ़	एम.आर.-सी.बी.एम.-2005-/3	634	119	1. एरो-गेल-ई.आई.जी. 2. सी.डी.एक्स.-ऑयल-शिव 3. एस्सार 4. जी.ई.ई.सी.एल. 5. इंडिया बुल्स-ओ.एम.आई.एम.ई.एक्स. 6. जे.एस.पी.एल.-एम.ओ.एल.ओ.पी.ओ. 7. ओ.एन.जी.सी.-आई.ओ.सी.एल.-जी.एस.पी.सी. 8. आर.ई.एल.-आर.एन.आर.एल.-जी.ई.ओ. 9. आर.आई.एल.
5.	सोहागपुर	एस.पी. (उत्तरी)-सी.बी.एम.-2005-/3	609	16.72	1. आर.ई.एल.-आर.एन.आर.एल.-जी.ई.ओ. 2. आर.आई.एल.
6.	सिंगरौली	एस.आर.-सी.बी.एम.-2005-/3	330	31	1. एरो-गेल-ई.आई.जी.-टाटा 2. कोल गैस डी.आई.एल. 3. एस्सार 4. इंडिया बुल्स-ओ.एम.आई.एम.ई.एक्स. 5. आर.ई.एल.-आर.एन.आर.एल.-जी.ई.ओ. 6. आर.आई.एल.
7.	कोठागुदेम	के.जी. (पूर्वी)-सी.बी.एम.-2005-/3	750	57.2	1. एस्सार 2. आर.ई.एल.-आर.एन.आर.एल.-जी.ई.ओ.
8.	बाड़केर	बी.एस.(4)-सी.बी.एम.-2005-/3	1168	82	1. एरो-गेल-ई.आई.जी. 2. सी.डी.एक्स.-ऑयल-शिव

1	2	3	4	5	6
					3. ओ.एन.जी.सी.-जी.एस.पी.सी.
					4. आर.ई.एल.-आर.एन.आर.एल.-जी.ई.ओ.
					5. आर.आई.एल.
9.	बाड़मेर	बी.एस.(5)-सी.बी.एम.-2005-/3	739	38	1. एरो-गेल-ई.आई.जी.-टाटा
					2. ओ.एन.जी.सी.-जी.एस.पी.सी.
					3. आर.आई.एल.-आर.एन.आर.एल.-जी.ई.ओ.
					4. आर.आई.एल.
10.	गोदावरी (उत्तरी)	जी.वी.(उत्तरी)-सी.बी.एम.-2005-/3	386	29.65	1. कोल गैस-डी.आई.एल.-आदिनाथ
					2. आर.आई.एल.-आर.एन.आर.एल.-जी.ई.ओ.

विमान दुर्घटना

1359. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना में सभी विमान दुर्घटनाओं में से लगभग आधी दुर्घटनाएं मानव त्रुटि के कारण हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायुसेना में दुर्घटनाओं में मानसिक दबाव और थकान के प्रभाव तथा पायलटों के मानसिक प्रोफाइल का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी, हां। भारतीय वायुसेना मे लगभग आधी से अधिक विमान दुर्घटनाएं मानवीय चूक के कारण हुई हैं।

(ख) से (घ) भारतीय वायुसेना ने विमान दुर्घटनाओं से संबंधित मानवीय कारकों जैसे दबाव, थकान, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल आदि का विधिवत् मूल्यांकन करने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। इनके अलावा, पायलटों की भर्ती के दौरान सभी अधिकारियों का मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल भी किया जाता है। केवल ऐसे उम्मीदवारों की भारतीय वायुसेना में भर्ती की जाती है जो चयन प्रक्रिया संबंधी मानदण्ड पूरे करते हैं।

इसके अलावा, मानवीय चूक के कारण हुई सभी दुर्घटनाओं का सदैव विश्लेषण किया जाता है ताकि उन अंतर्निहित कमियों का पता लगाया जा सके जिनकी वजह से दुर्घटना हुई। विश्लेषण के आधार पर चयन, प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचा एवं प्रक्रियाओं के संबंध में पाई गई खामियों को दूर कर उन्हें निरंतर उद्यतन किया जाता है।

पानीपत से जालन्धर तक एल.पी.जी. पाइपलाइन

1360. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम का विचार पानीपत से जालन्धर तक एल.पी.जी. पाइपलाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पाइपलाइन पर अनुमानत: कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) भारतीय तेल निगम द्वारा इस क्षेत्र में एल.पी.जी. के सड़क परिवहन पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) के निदेशक मंडल ने 28-5-2006 को कोहांड (पानीपत) से जालन्धर तक 186.72 करोड़ की अनुमानित लागत से 275 कि.मी. लम्बी और 10" व्यास की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) पाइपलाइन बिछाने के लिए परियोजना अनुमोदित की है।

(घ) आई.ओ.सी. का इस क्षेत्र में स्थित जालन्धर और नाभा एल.पी.जी. भरण संयंत्रों के लिए एल.पी.जी. के सड़क परिवहन का वार्षिक खर्च 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक 31.59 करोड़ रुपए था।

(ङ) इस परियोजना की अनुमोदित पूर्णता समयावधि निदेशक मंडल के अनुमोदन की तिथि से 24 माह या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनापत्ति के 18 माह बाद, इसमें जो भी बात में हो, है।

हवाई यातायात नियंत्रकों को लाइसेंस

1361. श्री एल. राजगोपाल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पायलटों की तर्ज पर हवाई यातायात नियंत्रकों (ए.टी.सी.) को लाइसेंस देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, केन्द्र सरकार के लिए भारत में, हवाई यातायात नियंत्रकों (ए.टी.सी.ओ.) को लाइसेंस जारी करने संबंधी नियम बनाने के लिए, विमान अधिनियम, 1934 के तहत फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। केन्द्र सरकार ने विमान अधिनियम, 1934 में संशोधन करने के लिए, विमान (संशोधन) बिल, 2006 के प्रारुप को अनुमोदित कर दिया है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी चाहा गया है कि अधिनियम की धारा 5 में, हवाई यातायात नियंत्रकों को लाइसेंस दिए जाने संबंधी नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया जाए। यह बिल, संसद के वर्तमान मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। प्रस्तावित कानून के बनते ही, नियमों को बनाए जाने और इनको लागू किए जाने का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

गेल की निवेश योजना

1362. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री जुएल ओराम:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड का विचार आगामी कुछ वर्षों के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों में भारी निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो गेल द्वारा कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनमें निवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष भी है, उड़ीसा में जमीनी कोयला गैसीफिकेशन परियोजना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ 10 करोड़ रुपए सहित विभिन्न राज्यों में अलग-अलग परियोजनाओं में लगभग 2900 करोड़ रुपए निवेश करने का गेल का प्रस्ताव है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बजट प्रस्तावों को अभी अनुमोदित नहीं किया गया है।

अव्यपगतनीय रक्षा आधुनिकीकरण निधि

1363. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अव्यपगतनीय रक्षा आधुनिकीकरण निधि की स्थापना करने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय ने व्यपगत न होने वाले एक रक्षा आधुनिकीकरण निधि की स्थापना करने की वांछनीयता पर विगत में विचार किया था लेकिन इस बाबत तौर-तरीके तैयार करते समय यह बात सामने आई कि धन की सुनिश्चित उपलब्धता संबंधी मूल समस्या को सुलझाने में रक्षा आधुनिकीकरण निधि की उपयोगिता किंचित सीमित ही

रहेगी। अत: इस प्रस्ताव पर और आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया।

भेल द्वारा उपस्टेशन की स्थापना

1364. श्री सुग्रीव सिंह: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) का विचार बंग्लादेश में 230 किलोवाट का एक उपस्टेशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना का कार्य कब तक आरम्भ होने और पूरा होने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान भेल के निर्यात व्यापार में वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, हां! भेल ने पावर ग्रिड कारपोरेशन, बंग्लादेश से लगभग 54 करोड़ रुपये मूल्य का बाघावरी में 230 के.वी. उपस्टेशन की स्थापना तथा इशूरदी 230 के.वी. उपस्टेशन के विस्तार के लिए एक ठेका प्राप्त किया है।

(ग) परियोजना मई, 2006 में शुरू हुई तथा फरवरी, 2008 तक पूर्ण होने की आशा है।

(घ) वर्ष 2005-06 में भेल के निर्यात आदेश की बुकिंग, वर्ष 2004-05 में 530 करोड़ रुपये के मुकाबले 3348 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2006-07 के दौरान अभी तक प्राप्त निर्यात आदेश विगत वर्ष की संगत अवधि में 31 करोड़ रुपये के आंकड़े के मुकाबले 459 करोड़ रुपये हैं।

माल ढुलाई कॉरीडोर

1365. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री हरिन पाठक:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली और मुंबई तथा दिल्ली और कोलकाता के बीच माल ढुलाई कॉरीडोर परियोजना हेतु मंत्रियों का समूह गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कॉरीडोर की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं हेतु संसाधन किस तरीके से जुटाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या भविष्य में और कॉरीडोर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या रेलवे ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। समर्पित माल यातायात गलियारा परियोजना को कार्यान्वयन के लिए एक विशेष उद्देश्य परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जी.ओ.एम.) का गठन किया गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में रेल मंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन होंगे। पूर्व और पश्चिम मार्गों पर समर्पित माल यातायात गलियारा परियोजना की लागत 22.00 करोड़ रुपये है।

(ग) ऋण, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय, वित्त व्यवस्था सहित, बजटीय सहायता, सार्वजनिक-निधि साझेदारी आदि सहित सभी संभव वित्तीय विकल्पों का उपयोग किया जाएगा।

(घ) से (छ) वर्तमान में अन्य समर्पित माल यातायात गलियारे का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आई.ओ.सी. का पी.टी.ए. संयंत्र

1366. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) का पानीपत स्थित प्यूरिफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (पी.टी.ए.) संयंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संयंत्र में उत्पादित किए जाने वाले सम्भावित विभिन्न उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आई.ओ.सी. का देश में ऐसे और संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) पानीपत में प्युरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (पी.टी.ए.) संयंत्र 18 जून, 2006 को चालू हो गया है।

(ग) केवल एक उत्पाद अर्थात पी.टी.ए. का उत्पादन होना है।

(घ) और (ङ) अभी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड का देश में अन्य पी.टी.ए. संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विस्फोटकों का गुम होना

1367. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री मार्ग में कंटेनरों सहित गुम हुए सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) के लिए समुद्री जहाज द्वारा अफगानिस्तान को भेजे गए 100 टन विस्फोटकों का भारत में इस्तेमाल हुआ है और यह आतंकवादी गतिविधियों में अचानक आई तेजी का मूल कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा एजेंसियों ने इन विस्फोटकों को पुन: प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ङ) सीमा सड़क संगठन को अफगानिस्तान में एक सड़क निर्माण परियोजना का कार्य सौंपा गया है। इस कार्य के निष्पादन के संबंध में, दिसंबर 2005 में, विस्फोटकों से युक्त छह कंटेनरों का एक परेषण जोकि परियोजना के लिए भेजा गया था, 22 और 23 दिसंबर, 2005 के बीच मुम्बई तट से दूर समुद्र में खो गया था। इन विस्फोटको का विनिर्माता मैसर्स प्रीमियर एक्सप्लोजिवस् लिमिटेड, सिकन्दराबाद है। संविदागत शर्तों के अनुसार, सुरक्षा, पोत लदान, परिवहन, बीमा तथा अफगानिस्तान में परियोजना को सुपुर्द करने के कार्य की जिम्मेवारी विनिर्माता की थी। सीमा सड़क संगठन मात्र माल का परेषिती था। एम.वी. यूजेनिया पोत को विनिर्माता के पोत लदान एजेंट मैसर्स यूनीमैरीन एजेंसिज द्वारा किराये पर लिया गया था।

2. इस पोत को 23 दिसंबर, 2005 को मुम्बई लंगरगाह पर लाया गया था। छह कंटेनरों में से चार कंटेनरों को छुड़ाया गया तथा उनकी अंतर्वस्तु की जांच की गई थी और वे सही अवस्था में पाए गए थे। दो कंटेनरों का पता नहीं चला तथा नौसेना का यह मत है कि हो सकता है ये कंटेनर किसी क्षेत्र में पड़े दो जहाजों के मलबे के साथ डूब गए हों या बह गए हैं। चार कंटेनर विनिर्माता मैसर्स प्रीमियर एक्सप्लोजिवस् के परिसर में भेज दिए गए हैं तथा विस्फोटकों को नष्ट कर दिया गया। जहां तक दो कंटेनरों का मामला है वे नमी की वजह से बेकार हो गए होंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि इन विस्फोटकों की भण्डारण अवधि केवल छह माह है। अतएव, दिसंबर, 2005 में गुम हुए विस्फोटकों के साथ आतंकवादी गतिविधियों में अचानक हुई वृद्धि का कोई संबंध नहीं है।

3. सीमा सड़क संगठन ने एहतीयाती उपाय के रूप में, मैसर्स प्रीमियर एक्सप्लोजिवस्, सिकन्दराबाद को दिया गया आपूर्ति आदेश रद्द कर दिया है। परियोजना का कार्य, ईरान तथा अफगानिस्तान के स्थानीय स्रोतों से विस्फोटकों की अधिप्राप्ति करके किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाओं को पूरा किया जाना

1368. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक परियोजनाओं, जिनके लिए रेलवे को रेल लाइनों के कार्यान्वयन हेतु 10 प्रतिशत इक्विटी का भुगतान किया गया है। दस वर्ष से अधिक अवधि के बाद भी कार्यान्वित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) माननीय सदस्य ने 10% इक्विटी का उल्लेख करते समय संभवत: चालू रेल परियोजनाओं के संबंध में उपगत व्यय का हवाला दिया है। 01-04-2006 की स्थिति के अनुसार 260 चालू परियोजनाओं में से केवल 35 परियोजनाएं नामत 11 नई लाइन,

13 आमान परिवर्तन, 5 दोहरीकरण और 3 रेल विद्युतीकरण एवं 3 महानगर परिवहन परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें 10% या उससे अधिक व्यय उपगत है और जो 10 वर्ष से अधिक पहले शुरू की गई हैं (सूची संलग्न है)। ये परियोजनाएं परिचालनिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही हैं। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक पहलें की गई हैं यथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी, राज्य सरकार द्वारा लागत में भागीदारी और/या राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया जाना। थूपुट संवर्धन एवं अन्य कार्यों के लिए आंतरिक संसाधन सृजन के माध्यम से भी अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था की जाती है। ऐसी पहलकदमियों के साथ इन परियोजनाओं को आगामी वर्षों में संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता के अनुसार पूरा किए जाने की संभावना है।

ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल का निर्माण

1369. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम रेल यात्री संघ (असम रेल पैसेंजर्स एसोसिएशन) ने रेलवे के ब्रह्मपुत्र नदी के आरपार और उसके ऊपर रेल लाइन के साथ एक रेल-सड़क पुल बनाने के बजाय केवल एक सड़क पुल बनाने के निर्णय का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नियोजित रेल-सड़क पुल परियोजना में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेलवे ने बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क पुल के निर्माण कार्य को पहले ही शुरू कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा गुवाहाटी के नजदीक सरायघाट रेल एवं सड़क पुल के आस-पास एक सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया है। इस स्थान पर किसी दूसरे रेल एवं सड़क पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में प्राप्त प्रत्येक संदर्भ का रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

आई.एन.जी.पी.एस. प्रणाली की खरीद

1370. श्री रशीद मसूद: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांसीसी रक्षा कंपनी मैसर्स एस.ए.जी.ई.एम. ने आई.एन.जी.पी.एस. प्रणाली की खरीद के लिए हुए करार से तीन गुणा अधिक रकम वसूली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आई.एन.जी.पी.एस. प्रणाली हेतु नई निविदा जारी न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) प्रणाली के विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रावधान के साथ इनर्शियल नेविगेशन तथा ग्लोबल पोजिशिनिंग सिस्टम (आई.एन.जी.पी.एस.) की अधिप्राप्ति हेतु वर्ष 1999 में मैसर्स एस.ए.जी.ई.एम. के साथ एक संविदा निष्पादित की गई थी। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रणाली के एक प्रमुख घटक को देने से इनकार कर देने के कारण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं हो सका था। फ्रांसीसी सरकार की मनाही के बारे में विक्रेता की ओर से एक सूचना दिसंबर, 2000 में प्राप्त हुई थी उस समय तक संविदा में निहित उसी मूल्य पर अतिरिक्त सेटों की अधिप्राप्ति के विकल्प का इस्तेमाल करने की अवधि समाप्त हो गई थी। इसलिए, वायुसेना की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 1999 की संविदागत लागत से अधिक लागत पर वर्ष 2003 में मैसर्स एस.ए.जी.ई.एम. के साथ एक संविदा निष्पादित की गई थी।

(ग) आई.एम.जी.पी.एस. की अपेक्षा, मिग-27 तथा सुखोई-30 विमानों के उन्नयन हेतु थी। एस.ए.जी.ई.एम.आई.एन.जी.पी.एस. से युक्त दो उन्नयन कार्यक्रम एक ऐसे बिन्दु पर पहुंच गए थे जहां पर आई.एन.जी.पी.एस. में किसी परिवर्तन से परियोजना के समय पर पूरा होने पर प्रभाव पड़ सकता था। आई.एन.जी.पी.एस. की अधिप्राप्ति में विलंब से सुखोई-30 कार्यक्रम हेतु आई.एन.जी.पी.एस. की आपूर्ति में विलंब होने के कारण वित्तीय शास्ति लग सकती थी।

[अनुवाद]

मैरीड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट्स के लिए निविदाएं

1371. श्री सुनील खां: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिलिटरी इंजीनियर्स सर्विसेज फास्ट ट्रेक प्रोसीजर (एफ.टी.पी.) के अंतर्गत निर्धारित समय में मैरीड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट्स के लिए निविदाएं स्वीकार करने में असफल रहा है जिससे पुन: निविदाएं करनी पड़ी और जिसके फलस्वरूप अप्रैल, 1997 में 1.44 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया गया था तथा जिससे एफ.टी.पी. का उद्देश्य विफल हो गया जैसा कि

नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की 2005 की रिपोर्ट 6 में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ग) जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष, 2005 की रिपोर्ट संख्या 6 में उल्लेख किया गया है कि तीव्र कार्रवाई प्रक्रिया के अंतर्गत काम्टी, भोपाल, मेरठ और रंगापहाड़ में विवाहित-आवास के निर्माण संबंधी चार मामलों में पुन: निविदा की गई थी। सेना मुख्यालय को इस मामले की जांच के निदेश दिये गये हैं।

नागर विमानन उद्योग का विस्तार

1372. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने इस वर्ष जून में पेरिस में आयोजित इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई.ए.टी.ए.) की वार्षिक आम बैठक में सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में नागर विमानन उद्योग के विस्तार हेतु एक व्यापक योजना का संकेत दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्योग की पहले की नीतियों से मुक्त करने हेतु विस्तार की क्या योजना है; और

(ग) इसके लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) इस वर्ष पेरिस में आई.ए.टी.ए. की वार्षिक सामान्य बैठक में बोलते हुए नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारत में नागर विमानन क्षेत्र में विकास कार्यों और उदारीकरण की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की।

इस क्षेत्र में उदारीकरण की दृष्टि से निम्नलिखित कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं:-

(i) विमान परिवहन सेवाओं (घरेलू उड़ानों) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 40% से 49% तक बढ़ाई गई। अप्रवासी भारतीयों को 100% एफ.डी.आई. की अनुमति दी गई।

(ii) घरेलू क्षेत्र में 05 वर्ष के अनुभव और बीस विमानों के बेड़े वाले निजी अनुसूचित वाहकों को अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर परिचालन की अनुमति दी गई।

(iii) सरकार द्वारा क्षमता पात्रता/यातायात अधिकारों के स्थान पर उदार नीति अपनाई गई जिसने अधिक विदेशी एयरलाइंसों को भारत से/को उड़ान परिचालित करने का मार्ग प्रशस्त किया।

(iv) विमान नियमों के विभिन्न पुराने प्रावधानों में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के साथ प्रावधानों को नियमबद्ध रखने तथा नागर विमानन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए, संशोधन।

(v) पर्यटक घोषणा-पत्र संदर्शिका उदार बनाई गई।

(vi) एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स की बेड़ा वृद्धि योजनाओं को अनुमोदित किया गया।

(vii) दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों का पुनर्गठन तथा बैंगलोर और हैदराबाद में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को विकसित करने का काम।

(viii) हवाई अड्डों को उन्नत/विस्तारित/विकसित करने का कार्य, यातायात संभावनाओं, एयरलाइन परिचालकों की आवश्यकता तथा यात्रा कर रहे लोगों की जरूरत के आधार पर तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

सड़क उपरि पुलों का निर्माण

1373. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माजरी, वानी, पिम्पलेखुटी जाने वाली एल.सी. संख्या 31 क पर तथा एल.सी. संख्या 2 ग्रांड ट्रंक रोड पर सड़क उपरिपुल का निर्माण करने की रेलवे के पास कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त सड़कों पर उपरिपुलों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन पुलों के निर्माण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) समपार सं. 31-ए, 7900 गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) के यातायात घनत्व वाले मंजरी राजुर शाखा लाइन पर 843/8-9 किमी. पर स्थित

है। इतने कम यातायात घनत्व वाले समपार को लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल (आर.ओ.बी.) में बदलने के लिए अर्हक नहीं है। राज्य सरकार द्वारा भी इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है। ग्रैंड ट्रंक मार्ग पर इस क्षेत्र के आसपास समपार सं. 2 नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.जी.आई. विमानपत्तन पर डीजल से चलने वाली बसें

1374. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.जी.आई. विमानपत्तन पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए यात्री बसें और सभी वाणिज्यिक वाहन डीजल पर ही चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन आदेशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं;

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कितनी गैर-सी.एन.जी. कोचों को प्रवेश पत्र प्रदान किए हैं; और

(घ) इन उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एयरफील्ड एरिया में वाहनों का आवागमन

1375. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न एजेंसियों के वाहनों का हमेशा एयरफील्ड एरिया में आवागमन रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाहनों के इस प्रकार के आवागमन हेतु कोई नियम/दिशानिर्देश हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सुरक्षा एजेंसियों गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर विमान उड़ान स्थल तक ले जाने की मांग करती रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) वैध प्रवेश परमिट वाले वाहनों तथा एयरसाइड ड्राइविंग परमिट धारी ड्राइवरों को प्रचालनिक क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त नामित अतिविशिष्ट व्यक्तियों के वाहन भी, नयाचार/सुरक्षा के आधार पर, देश में सिविल हवाईअड्डों के पक्की सड़क क्षेत्र तक ले जाए जाने के लिए प्राधिकृत हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा भूमि पर अतिक्रमण

1376. श्री सुनील खां: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि वाराणसी छावनी के अधीन लगभग 3 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है और इसका वाणिज्यिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस भूमि को वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (घ) यद्यपि प्रश्न में रक्षा भूमि के ब्यौरे का उल्लेख नहीं है, वाराणसी छावनी के बंगला संख्या 7 से संबंधित एक मामले में, बंगले के अधिभोग अधिकार धारक ने अनधिकृत रूप से बंगले के एक हिस्से का प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति दी है। इसमें रक्षा भूमि के अतिक्रमण संबंधी मामला निहित नहीं है। रक्षा संपदा अधिकारी ने सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली प्रक्रिया शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): महोदय, मैं हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गयी, ***देखिए*** संख्या एल.टी. 4558/2006)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गयी, ***देखिए*** संख्या एल.टी. 4559/2006)

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, ***देखिए*** संख्या एल.टी. 4560/2006)

(3) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, ***देखिए*** संख्या एल.टी. 4561/2006)

(5) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, ***देखिए*** संख्या एल.टी. 4562/2006)

(7) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, ***देखिए*** संख्या एल.टी. 4563/2006)

(9) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखा

[श्रीमती अम्बिका सोनी]

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 4564/2006)

(11) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 4565/2006)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इरकॉन (आई.आर.सी.ओ.एन.) इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 4566/2006)

(दो) राइट्स (आर.आई.टी.ई.एस.) लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 4567/2006)

(तीन) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन

(ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 4568/2006)

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल (वैगन की अति भराई के लिए दण्डनीय प्रभार) नियम, 2006, जो 23 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 377(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 4569/2006)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): महोदय, मैं स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 4570/2006)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल): महोदय, मैं ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 4571/2006)

अपराह्न 12.01 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): महोदय, मैं "विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समालोचनात्मक समीक्षा" के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2005-06) का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(एक) पन्द्रहवां और सोलहवां प्रतिवेदन

श्री गुरुदास कामत (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(एक) विद्युत मंत्रालय के 'त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) का कार्यान्वयन' विषय पर नौवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(एक) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के 'बायोमास विद्युत/सह उत्पादन कार्यक्रम - एक मूल्यांकन' विषय पर आठवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

श्री गुरुदास कामत (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) वर्ष 2004-05 के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(दो) वर्ष 2005-06 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(तीन) वर्ष 2005-06 के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति के छठे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ग्यारहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(चार) विद्युत मंत्रालय के 'जल विद्युत-एक समालोचना' विषय संबंधी समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.02 बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह (बुलन्दशहर): अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से "ग्रामीण आवास" के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): मैं अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) का कार्यकरण' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे और सातवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

*रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह वक्तव्य लोक सभा बुलेटिन-भाग-II दिनांक 1 सितंबर, 2004 के तहत लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के छठे और सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में देना चाहता हूं।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का छठा और सातवां प्रतिवेदन लोक सभा में 12 दिसंबर, 2005 को प्रस्तुत किया गया था।

छठा प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय के अधीन "अधिप्राप्ति नीति और प्रक्रिया" और सातवां प्रतिवेदन "रक्षा आयुध फैक्टरियों" के संबंध में है।

समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण रक्षा संबंधी स्थायी समिति को 22 मार्च, 2006 को भेजा गया था। सातवें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का विवरण 23 मार्च, 2006 को भेजा गया था।

छठे प्रतिवेदन में 44 सिफारिशें और सातवें प्रतिवेदन में 28 सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। ये सिफारिशें मेरे वक्तव्य के क्रमशः अनुबंध-I और II के कॉलम 2 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न विषयों से संबंधित है।

समिति द्वारा अपने छठे और सातवें प्रतिवेदन में दी गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के क्रमशः अनुबंध I और II में दी गई है जिन्हें सभा के पटल पर रखा जाना है। मैं इन अनुबंधों के सभी तथ्यों को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया, *देखिए* सं. एल.टी. 4572/2006

अपराह्न 12.05 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) शीतल पेयों में कीटनाशकों की कथित मौजूदगी के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मैं आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दे रहा हूं। मैं जानता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे व्यवस्था बनाने दें। मैं उन सभी माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा जिन्होंने सूचना दी है। यदि कोई दल छूट गया है, तो मैं देखूंगा कि उन्हें भी मौका दिया जाए। कृपया सहयोग करें। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुझे कार्यवाही संचालन की अनुमति दें। मैं यहां प्राप्त नामों के अनुसार चलूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): हमारे बच्चों को पेस्टीसाइड पिलाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी भी दल को नहीं रोकूंगा। यदि वे संबद्ध होना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, शीतल पेयों में कीटनाशकों के पाए जाने पर यह सदन पहले भी चिंतित रहा है। आज जो तथ्य समाचार पत्रों में छपे हैं, वे अत्यधिक भायवह हैं। शीतल कम्पनीज हमारे जीवन में जहर घोल रही हैं। तीन साल पहले कीटनाशकों का स्तर बी.आई.एस. के मानकों से 34 गुना अधिक था, लेकिन सी.एस.आई. की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय 52 गुना अधिक हो गया है। म आरोप लगाना चाहता हूं कि जो सुरक्षा मानक सुनिश्चित हुए थे, शीतल पेय उद्योग के दबाव में यह सरकार उन मानकों को लागू करने में असफल रही है। शीतल पेयों की प्रमुख कम्पनीज कोकाकोला और पेप्सी हैं। इनके 11 ब्रांड्स में स्वीकृत मात्रा से 25 गुना अधिक मात्रा में कीटनाशक के प्रमाण मिले हैं। कुछ कीटनाशक ऐसे हैं, जो भारत में प्रतिबंधित हैं, लेकिन वे भी उन शीतल पेयों में मिले हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी को सदन में बुलाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केन्द्रीय मंत्री यहां हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)* सम्बन्धित मंत्री को उपस्थित होना ही चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभारी केबिनेट मंत्री यहां हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): यहां पर मिनिस्टर इन चार्ज यानी मैं हूं, राज्य मंत्री भी हैं इसलिए आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो विजय कुमार मल्होत्रा: सम्बन्धित मंत्री को यहां होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात रख चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सेंटर फार साइंस इंवायरमेंट ने इन शीतल पेयों की कम्पनीज की 25 इकाइयों से 57 सेम्पल्स का परीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। कोकाकोला और पेप्सी के लिए गए सेम्पल्स के मुताबिक कीटनाशकों की मात्रा कोलकाता में 52 गुना अधिक है, नैनीताल में 42 गुना अधिक है और ठाणे में तो एक सेम्पल में कीटनाशक की मात्रा 200 गुना अधिक है। भारत में हैक्टाक्लोरिन पर प्रतिबंध है, लेकिन वह कीटनाशक भी इन पेय पदार्थों में मिला है। एक और घातक कीटनाशक लिंडेन की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। पेप्सी और कोकाकोला का सालाना बाजार करीब 6570 करोड़ रुपए है। आप जानते हैं कि जब इन पेय पदार्थों में अधिक मात्रा में कीटनाशकों के मामले प्रकाश में आए तो संसद की एक संयुक्त समिति बनी थी। उस समिति ने फरवरी, 2004 में मानक स्थापित किए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। अक्तूबर, 2005 में मानक निर्धारित भी किए गए। मार्च, 2006 में समिति ने मानकों को पुन: स्वीकृति दी। मेरा आरोप है कि संयुक्त संसदीय समिति के बार-बार आग्रह करने के बाद और निर्देश दिए जाने के बाद भी शीतल पेयों में कीटनाशकों के मानक जो निर्धारित किए गए थे, वे अधिसूचित नहीं किए गए, वे सख्ती से लागू नहीं किए गए। सबसे अधिक अफसोस की बात है कि जब यह मामला समाचार पत्रों में छपा तो स्वास्थ्य मंत्री जी की प्रतिक्रिया समाचार पत्रों में छपी, जो कि अत्यधिक निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इसमें जांच करने की कोई चीज नहीं है। हमारा आरोप है कि शीतल पेयों की बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के सामने यह सरकार नतमस्तक हो गई है और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किए जाने का काम किया जा रहा है। यह धीमा ज़हर दिए जाने का प्रयास है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

सब कुछ होने के बावजूद भी जो गंभीरता सरकार को इन मानकों को लागू करने में दिखानी चाहिए और जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, उस कार्रवाई के बजाए सरकार ने इन कंपनियों के सामने आत्म-समर्पण कर रखा है। अध्यक्ष जी, हम आपके मार्फत चाहेंगे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां आयें और जो स्थिति है उसके बारे में बयान दें। हिंदुस्तान जैसे देश में शीतल पेयों में कीटनाशक बिकना निश्चित रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी राजनीतिक दलों से माननीय सदस्यों का नाम पुकारूंगा। मुझे 14-15 नामों की सूची मिली है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष जी, सेंटर फॉर साइंस एंड एंवायरनमेंट की निदेशिका सुनीता नारायण ने तीन वर्ष पहले कहा था कि 11 कोल्ड ड्रिंक्स ब्रांडों के 57 नमूनों में 22 से 25 गुना अधिक मात्रा में कीटनाशक पाए गये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक ही बात को दोहराना अच्छा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: इन कोल्ड ड्रिंक्स को हमारे देश के बच्चे पीते हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको इसका नुकसान ज्यादा हो रहा है और तमाम किस्म की बीमारियों से हमारे बच्चे ग्रस्त हो रहे हैं। इस स्लो-जहर से कैंसर और किडनी खराब होने का डर है। इसलिए तत्काल इस पर रोक लगाई जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि प्रत्येक दस मिनट लेगा, तो हम इसे पूरा कैसे करेंगे?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: जिन 11 कोल्ड ड्रिंक्स के नमूने लिये गये हैं वे हैं पेप्सी कोला, पेप्सी कैफेचिनो, मांउटेन ड्यू, मिरींडा ऑरेंज, मिरींडा लेमन, ड्यूक नेमोनेड, सेवन-अप, कोका-कोला, थम्स-अप, लिम्का और फैंटा। भारतीय मानक ब्यूरो ने इनमें 22 से 25 गुना अधिक मात्रा में कीटनाशक पाए हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि फरवरी 2004 में संसद की संयुक्त संसदीय समिति ने मानक निश्चित करने के लिए जो समिति गठित की है उन्हीं मानकों के अनुसार कार्रवाई करके इन पर रोक लगाई जाए जिससे आम जनमानस जो स्लो-जहर पी रहा है उस पर रोक लगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उन सभी माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा, जिन्होंने नोटिस दिया है। यदि किसी दूसरी पार्टी का सदस्य शामिल नहीं किया गया है तो मैं उसे भी अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष जी, जैसा हमारे साथियों ने कहा कि जो रिपोर्ट आई है वह चिंताजनक है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार मानक तो निर्धारित हैं लेकिन सरकार ने उनको अभी अधिसूचित नहीं किया है। जब से ये तथ्य सामने आये हैं कि काफी लड़ाई के बाद भी निर्देशों की अनदेखी हो रही है और देश में आधी बीमारियां पीने के पानी से होती हैं। विश्व-बैंक से भी हमको मदद मिलती है कि कितना शुद्ध पानी होना चाहिए जिसे हम पीयें। तकलीफ की बात यह है कि जो विज्ञापन आ रहे हैं उनको देखकर आम आदमी उनकी ओर आकर्षित होता है। मेरा आग्रह है कि इस विषय को गंभीरता से लें। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में पीने के पानी के मानक भी अभी तय नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन आप मुझे माननीय सदस्य को सुनने नहीं दे रहे हैं। यह सब जो यहां किया जा रहा है यह वह गंभीरता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम अपने देश में पीने के पानी का स्तर क्या होना चाहिए, यह तय नहीं कर पाए हैं। यह तत्य भी सामने आ रहा है कि पीने के पानी की बोतल में भी मिलावट है तो कोल्ड ड्रिंक्स की तो बात ही क्या है? मेरा आग्रह है कि सरकार पीने के पानी का मानक तत्काल निर्धारित कर ले और इस दिशा में सरकार दिशा-निर्देश जारी करे। यहां पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद हैं। ऐसे विज्ञापनों पर तत्काल रोक लग जानी चाहिए जिन्हें देखकर आम आदमी का मन भी इन कोल्ड ड्रिंक्स को पीने का हो जाता है।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): धन्यवाद, महोदय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है जिस पर हम अभी हमारे सदन में बहस कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य इसका उल्लेख कर रहे हैं; हम बहस नहीं कर रहे हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, आपको जानकारी होगी कि लगभग चार वर्ष पूर्व, 2003 में, हमने इस सदन में बिल्कुल इसी तरह के मामले पर बहस की थी।

अध्यक्ष महोदय: आपको उसे दोहराना नहीं है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, सदन ने श्री शरद पवार की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की थी और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अध्यक्ष महोदय: हम सभी उसके बारे में जानते हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: मेरी आलोचना यह है कि आज तक, शीतल पेयों में कीटनाशक तत्वों को प्रतिबन्धित करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया है।

देश के लगभग सभी समाचार पत्रों में दहला देने वाली खबर आई। यह बहुत हानिकारक है विशेषकर बच्चों के लिए और देश के अन्य लोगों के लिए भी। मैं केरल से हूं और मेरा संसदीय क्षेत्र पालघाट है। सुप्रसिद्ध प्लाचिमड मेरे संसदीय क्षेत्र में ही अवस्थित है। पिछले डेढ़ साल से लोग देशभर में पेप्सी और कोका-कोला कंपनियों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। ये कम्पनियां कोका-कोला, पेप्सी और अन्य पैकेज्ड पेय जल को बनाने में हमारे भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं। यह पाया गया है कि इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित इन सभी

शीतल पेयों में कीटनाशक स्तर स्वीकृत मानदण्डों से बहुत ज्यादा है।

अतः सरकार को आगे आकर इन कम्पनियों से सभी पैकेज्ड पेयजल और शीतल पेयों को बाजार से हटाने के लिए कहना चाहिए। यही मेरा सुझाव है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, नयी रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं कि बाजार में उपलब्ध शीतल पेयों के नमूनों में कीटनाशकों का स्तर भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों से अधिक है। तीन वर्ष पूर्व विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र ने शीतल पेयों में कीटनाशकों के अवशेष मिलने पर अपना पहला निष्कर्ष जारी किया। नये अध्ययन दर्शाते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं बदला है और शीतल पेय असुरक्षित और खतरनाक बने हुए हैं। यहां तक कि संयुक्त संसदीय समिति के निर्देशों की भी उपेक्षा की जाती रही है। आज आरोप यह है कि, सुरक्षा के लिए मानकों को अंतिम रूप दे दिया गया है लेकिन कम्पनियों के विरोध के कारण रोके जा रहे हैं। मैं उल्लेख करूंगा कि हेप्टाक्लोर के नमूनों में, जो भारत में प्रतिबन्धित है 71 प्रतिशत कीटनाशक पाये गये हैं जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों से चार गुणा अधिक हैं।

संयुक्त संसदीय समिति ने सरकार को उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों के मानक निर्धारित करने का निर्देश दिया था और अक्तूबर, 2005 में भारतीय मानक ब्यूरो की 20 बैठकें हुई थी। मानकों को अन्तिम रूप दे दिया गया था। कल, मंत्रीजी ने कहा था कि यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करे। यह भी कहा गया है कि पैकेज्ड पेयजल के लिए मानक पहले ही अधिसूचित किये जा चुके थे लेकिन चीनी और सांद्रता के लिए मानक अभी निर्धारित किये जाने हैं। यह वक्तव्य कल मंत्रीजी ने दिया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। आप गंभीर मुद्दों पर अपनी आवाज उठा सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: मेरा तर्क है कि सरकार कहती है कि विशिष्ट मानकों का पहले ही पालन किया जा रहा है। मैं सरकार से शीतल पेय बनाने में प्रयोग होने वाले दो महत्वपूर्ण तत्वों चीनी और सांद्रता के मानक निर्धारित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान पर दबाव डालने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): माननीय अध्यक्ष जी, विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित शीतल पेय में धीमा जहर मिलाए जाने के प्रमाण मिलने के बाद भी कई वर्षों से चर्चा चल रही है। उसके बाद संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन हुआ, लेकिन उस कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना गया। आज भी विदेशी शीतल पेय कम्पनियां हमारे नौजवानों और बच्चों को धीमा जहर पिला रही हैं। कल पुनः समाचार पत्रों में आया कि एक प्राईवेट संस्था ने जांच कराई और पाया कि शीतल पेय में जहर मिला हुआ है। हमारी मांग है कि एक मानक तय करना चाहिए कि ऐसे शीतल पेय बाजार में न आएं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, जो हिंदुस्तान की धरती पर विदेशी कम्पनियों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शीतल पेय पिलाती हैं। इन शीतल पेयों में एक प्रतिशत उनका फार्मूला होता है और 99 प्रतिशत हमारे देश का पानी होता है, लेकिन उस पानी का दाम भी वे कम्पनियां अदा नहीं करती हैं। विदेशी कम्पनियां दिनों दिन दोगुना, चौगुना लाभ कमा रही हैं, जिससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है।

हमारी अपील है कि हिन्दुस्तान के किसानों को मजबूत करने के लिए शीतल पेय के स्थान पर आप अपने किसानों द्वारा पैदा किए गए मट्ठे, दूध और दही को प्रमोट करेंगे तो देश के नौजवान बच्चे मजबूत भी बनेंगे और हम शीतल पेय कम्पनियों को भी किनारे कर सकेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, आज आपने मेरा नम्बर पीछे धकेल दिया।...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): आप रोज बोलेंगे, तो ऐसा ही होगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं नोटिस दे रहा हूं इसलिए मुझे रोज बोलने का मौका मिल रहा है। आपके मैम्बर्स यदि नोटिस देने की कसरत करेंगे तो उन्हें भी बोलने का मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उनसे किसी अन्य जगह चर्चा कर सकते हैं, यहां नहीं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, श्री रामजीलाल सुमन ने बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा उठायी है। मैं उनकी बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए दो-तीन बिन्दु रखना चाहता हूं - पहला यह है कि शीतल पेय से जहां लीवर को नुकसान पहुंचता है, वहीं कैंसर होने की सम्भावना बढ़ती है और गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है। जब जे.पी.सी. बनी थी तो एक मानक तय हुआ था लेकिन

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

तीन वर्षों के अन्दर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मानक लागू नहीं किए गए और न ही अधिसूचना जारी की गई। जैसा कि अखबार में छपा है कि स्वास्थ्य सचिव ने पत्र जारी कर उस पर रोक लगाई है इसलिए अधिसूचना जारी नहीं की गई। हमारी नजर में *...स्वास्थ्य मंत्रालय शंका के घेरे में हैं। इन कम्पनियों ने इस मंत्रालय को विश्वास में लेकर भारत के जान-मान को हानि पहुंचाने की एक साजिश की। वैसी स्थिति में हम आपसे आग्रह करते हैं कि एक अलग जे.पी.सी. बनाकर, मानक तय हो चुके हैं, *...की नीयत की जांच करायी जाए कि अब तक मानक लागू क्यों नहीं किए गए और क्या कारण है? मैं नहीं कहना चाहता हूं कि *...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय इस घटना में लिप्त हैं और उसके चलते आज तक मानस लागू नहीं हुए तथा अधिसूचना जारी नहीं हुई इसलिए इसकी जांच कराना आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, हम सभी को यह याद होगा कि इस मामले की जांच करने तथा मानक तय करने और कीटनाशक अवशिष्टों की सुरक्षित सीमा तय करने हेतु सरकार को निदेश देने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। प्रश्न यह है कि मानक तय किए जा चुके हैं, परन्तु अभी तक परिस्थिति नहीं बदली है। सेंटर फॉर साइंस एण्ड इनवायरमेंट ने एक अध्ययन किया और इसने बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए। इसने 12 राज्यों में कार्यरत 25 विभिन्न शीतल पेय उत्पादन संयंत्रों से शीतल पेयों के 57 नमूने एकत्र किए और यह पाया है कि इन सभी नमूनों में कीटनाशक अवशिष्ट उपस्थित हैं। इनमें तीन से पांच कीटनाशकों का सम्मिश्रण पाया गया है। जहां तक विषैले कीटनाशक 'लिनडेन' का संबंध है, कोलकाता से लिए गए कोका कोला के नमूने में बी.आई.एस. द्वारा निर्धारित मात्रा से 140 गुना अधिक कीटनाशक पाया गया। इसी प्रकार, ठाणे में उत्पादित कोका कोला के नमूने में इसी मानक से 200 गुना अधिक क्लोरपाइरिफोस पाया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सब समाचार पत्रों में छप चुका है। हम सब यह जानते हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा: मेरा प्रश्न यह है कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और जिन कंपनियों ने निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। उनके विरुद्ध मामला दर्ज करना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा अभी तक इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं मंत्री जी और सभा को इससे अवगत कराना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दो सदस्य एक साथ नहीं बोल सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं सब को बोलने के लिए बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी ने यह मामला उठाया है।

प्रो विजय कुमार मल्होत्रा: मैं उन सब बातों और आरोपों को दोहराना नहीं चाहता जो माननीय सदस्यों ने कही हैं। कल जब यह खबर आई तो मंत्री महोदय से पूछा गया और उनका जो जवाब था, मैं उसकी घोर निन्दा और आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं।

देश के करोड़ों लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है और वह कहते हैं कि यदि मेरे पास कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं विचार करूंगा। अभी इसकी जांच की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा असभ्य बात और कोई हो सकती है। करोड़ों लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आपने पूरे हाउस की सैन्स ली है, मुझे नहीं लगता कि इस सदन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस पक्ष में हो कि कोका कोला और पेप्सी कोला, जो लोगों को इस प्रकार का जहर पिला रही हैं, उन्हें कान्टीन्यू किया जाए। यदि कोई है तो यहां खड़ा हो जाए। मैं समझता हूं कि एक भी व्यक्ति नहीं है। जब पूरे हाउस की सैन्स है तो क्यों नहीं इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये कंपनियां तुरंत बैन क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इन्हें इमिडिएटली बैन करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हाउस की सैन्स है, इसलिए तुरंत इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, इनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और सरकार इस चीज को क्लियर करे कि वह इन पर प्रतिबंध लगा रही है या नहीं। यदि इसी तरह से करोड़ों लोगों को जहर पिलाया जाता रहा तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और सारी बात सरकार के ऊपर ही आयेगी। इसलिए तुरंत इन पर और इनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और सरकार इसके बारे में सदन में आश्वासन दे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अभी आप बैठ जाइये। मैं आपको भी बुलाऊंगा।

श्री एल. गणेशन (तिरुचिरापल्ली): महोदय, मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि श्रीलंका में शांति स्थापित किए जाने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री एल. गणेशन: महोदय, मैंने श्रीलंका की समस्या के बारे में नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं उसपर बाद में चर्चा करूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, कोका कोला और पेप्सी कोला एक जहर है। आज इनसे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी पर प्रतिकूल असर पड़ने के साथ-साथ इनसे भारत की मूल संस्कृति का भी खात्मा हो रहा है। आज लोग दूध-दही को छोड़कर पाश्चात्य देशों की कल्चर को एडॉप्ट करके कोका कोला और पेप्सी कोला के जहर को पी रहे हैं। यह कहां तक उचित है, जबकि इसमें पेस्टिसाइड्स पाये गये हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि सरकार कोका कोला और पेप्सी कोला पर तुरंत प्रतिबंध लगाकर इन कंपनियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करे और मट्ठा कोला को इंट्रोड्यूस करे। गांवों में जो मट्ठा होता है, यदि उसे इंट्रिड्यूस किया जायेगा तो इससे देश के लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की दिशा में कल ही संसद में चर्चा हुई है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हैं, इसलिए कृषि उत्पादित जो गांवों का मट्ठा और दही है, इनसे पेय पदार्थ बनाने की अनुमति दी जाए और सरकार पेप्सी कोला और कोका कोला पर प्रतिबंध लगाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में व्यवधान उत्पन न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अगले विषय पर आता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मट्ठा कोला को रेलवे में इंट्रोड्यूस किया था, इसे वहां पूरी तरह से लागू किया जाए।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): लालू जी, आपने रेलवे में इसे शुरू किया था, लेकिन बाद में बंद कर दिया।...*(व्यवधान)*

प्रो विजय कुमार मल्होत्रा: लालू जी, आपने कोका कोला और पेप्सी कोला की वैन्डिंग मशीनें लगा दी हैं, आप तुरंत इन्हें बंद करायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी यह जानते हैं कि यह एक गंभीर मामला है। मेरे पास इस विषय के अतिरिक्त कुछ अन्य सूचनाएं भी हैं। माननीय सदस्यगण अन्य बहुत से महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते हैं। यदि आप शांत रहेंगे तो मैं एक के बाद एक को बुलाऊंगा।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर): महोदय, मैंने भी समाचार पत्रों में पेप्सी कोला व अन्य शीतल पेयों में कीटनाशक पाए जाने के बारे में पढ़ा है। वर्ष 2003 में जब सत्ता में रा.ज.ग. की सरकार थी तो इसी प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी, उस समय इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। लेकिन उस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सका। शीतल पेयों में कीटनाशक अवशिष्ट पाए जाने का मामला पुन: सामने आया है। अत: सरकार को कार्यवाही करनी होगी और इन शीतल पेयों पर रोक लगाने के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिकांश शीतल पेयों का उपभोग बच्चे करते हैं। अत: इसे गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, अभी आपको याद आया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप निश्चित रूप से अंतिम नहीं हैं। मैं एक-एक दल को ले रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं आपका कितना आदर करता हूं। कृपया इस प्रकार की टिप्पणियां न कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बातें यहां कहीं हैं, मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा। मैं तीन-चार बातें कहना चाहूंगा। सन् 2003 में यह मामला लोक सभा में उठा था और जो जे.पी.सी. की कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट 2004 में आ गई थी। उसे आज तक लागू क्यों नहीं किया गया? मैं इस लोक सभा के माध्यम से श्रीमती सुनीता नारायण, निदेशक को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का रहस्योद्घाटन किया और मीडिया के लोगों को भी मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने इस बात को पूरे देश में चारों तरफ प्रचारित किया कि इसमें घातक पेस्टीसाइड्स मिलाए जाते हैं और इसके बारे में विस्तार से बताया। गांवों में भी जो शादी-विवाह होते हैं, आजकल वहां भी कोकाकोला और पेप्सी चलती है। इस बारे में टी.वी. और विज्ञापनों के माध्यम से काफी प्रचार किया गया। मैं पूछना चाहूंगा कि जो जे.पी.सी. की रिपोर्ट है, उसे लागू क्यों नहीं किया गया? स्वामी रामदेव जी ने भी जब यह कहा कि इसका उपयोग बाथरूम धोने के काम में लिया जाए तब लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया कि इसमें बाथरूम तथा नाली धोने के लिए जो कीटनाशक प्रयोग किया जाता है, वही पेस्टीसाइड्स का इसमें भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि या तो जे.पी.सी. की रिपोर्ट लागू करवा दीजिए और नहीं तो नयी जे.पी.सी. बनवा दीजिए और जे.पी.सी. बनवाकर तीन महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट बनवाकर इस गंभीर प्रकरण का सत्यापन करवा दीजिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, कोकाकोला और पेप्सी में जो कीटनाशक पाया गया है और उसके ऊपर बैन लगाने के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात यह है कि एन.डी.ए. की जब सरकार थी, तब भी इसमें मिलावट होती थी लेकिन जब एक्शन नहीं लिया गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया टोका-टाकी न करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अभी हमारी सरकार आ गई है और हमें थोड़ा मौका मिलना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने कोकाकोला और पेप्सी में मिलावट की है, जहर मिलाया है, अब उन कंपनियों के मालिकों को जहर पिलाने और उनके ऊपर पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। इसलिए उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, यह हमारी मांग है।...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, इससे पार्लियामेंट का भी संबंध है। मैं उसी आस्पेक्ट पर बोलूंगा कि एक तो संसद की और संसद सदस्यों की मर्यादा बचानी है। आपने खुद इंट्रोड्यूस किया कि कोई संसदीय समिति जब रिपोर्ट देती है तो उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है। यह तीन साल पुरानी बात है। अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दो सरकार हमने देखीं और अभी भी मैं सीधे-सीधे बात कहूंगा तथा मीडिया और ऐसी एजेंसीज-सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरनमेंट है, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे तथ्यों को उजागर किया। हालांकि विज्ञापनों तथा स्पांसरशिप का मामला है। आखिर सरकार को किस लैवल की स्पांसरशिप मिलती है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ वह ठोस कदम उठाने से कतराती है? मैं कहता हूं कि बी.आई.एस. - कमेटी के बाद कमेटी, सब कमेटी के बाद सब कमेटी करके इस पर मानक तैयार कर चुका है जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि इस पर मानक बनाया जाए। इस पर बी.आई.एस. मानक तैयार कर चुका है लेकिन सरकार नोटिफाइ नहीं कर रही है। सरकार अभी भी कंटीन्यू कर रही है और नोटिफाइ नहीं करना चाहती। एक तरफ सरकार कहती है कि मामला कोर्ट में है।...*(व्यवधान)* सर, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। सर, हमारे लिए शर्मिन्दगी की बात है कि हम इसे खतरनाक समझते हैं और इसीलिए हमने संसद के अंदर इस पर पाबंदी लगा दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या संसद यह जिम्मेदारी नहीं ले सकती कि पूरे देश के अंदर इस पर पाबंदी लगाई जाए वर्ना लोग समझेंगे कि हम अपने को बचा रहे हैं लेकिन इस देश के करोड़ों बच्चों को मौत की तरफ धकेल रहे हैं।...*(व्यवधान)* इसमें लिंडेन तथा कई अन्य ऐसे ही घातक पेस्टीसाइड्स पाये जाते है, जिससे मेंटल डिसबैलेंस होता है और मैं समझता हूं कि सरकार को तुरंत नोटिफाइ करना चाहिए। भारत सरकार का इन कंपनियों के साथ *... ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

*(व्यवधान)**...

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: यही वजह है कि न कोर्ट में और न संसद में सरकार इस पर अपना रवैया साफ नहीं कर रही है।

आज इस विषय पर कनसैन्सस है और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जब पूरी संसद एक आवाज में कह रही है तो सरकार को तुरंत इस पर बैन लगाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अविनाश राय खन्ना।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री अविनाश राय खन्ना के अतिरिक्त किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपके लीडर बोल चुके हैं। एक साथ कैसे बोलेंगे?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें। श्री बसु, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यहां क्या हो रहा है? कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा, श्री वसु। *(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको जो अवसर दिया है उसका दुरुपयोग न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। आप सीनियर मैम्बर हैं। यह ठीक नहीं है कि जो कुछ मन में जब आया तब बोल देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहला काम आप चाहते हैं कि कोई चेयर पर नहीं रहे और यहां अखाड़ा बनाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है कि धीरे-धीरे एक जहर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के जरिये देश के लोगों को पिलाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए बाजार से जहर लाकर पिलाना खास तौर से गांवों में एक स्टेटस सिम्बल बन गया है। लस्सी पिलाएंगे तो सोचते हैं कि शायद आज के स्टेटस के मुताबिक बहुत छोटे परिवार से संबंध रखता है। इसलिए वह भी जहर सर्व करता है और कोका कोला और पेप्सी कोला पिलाता है। जब सभी सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस बात की मांग की है कि इन पर बैन लगना चाहिए तो क्यों नहीं एक ऐसा रिजॉल्यूशन इस सदन की तरफ से लाया जाए कि आज ही हम ऐसा नहीं करेंगे तो सदन की अथॉरिटी खत्म होगी।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जे.पी.सी. की रिपोर्ट पर एक्शन नहीं लिया गया। कहीं सरकार की मंशा यह तो नहीं कि देश में जनसंख्या वैसे कमनहीं हो रही तो धीरे-धीरे जहर पिलाकर जनसंख्या कम कर दी जाए! इनके एडवर्टाइजमैंट पर भी करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं।...*(व्यवधान)* इस सबकी जांच होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पांसकुरा): महोदय, मुझे एक बहुत विशिष्ट मुद्दा उठाना है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों, पेप्सी कोला और कोका कोला ने बोतलों पर इनके संघटक मुद्रित करने से इंकार कर दिया है। यह हर जगह अनिवार्य है। लेकिन, सभा इस बात पर ध्यान दे कि केवल यही कंपनियां, पेप्सी कोला और कोका कोला, लेबल पर इसके संघटक मुद्रित नहीं करती है इसका अर्थ यह है कि यदि इन्हें मुद्रित कर दिया जाएगा तो यह सिद्ध हो जाएगा कि देश में यह पेय हल्का विष है। यह कोई मुद्दा नहीं है कि यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। मुद्दा यह है कि वे शीतल पेयों के संबंध में मानदण्डों का उल्लंघन कर रही हैं। इसलिए, मैं अपने सभी साथियों से यह अपील करता हूं कि वे एक सीधी सी मांग करें कि पेप्सी कोला और कोका कोला को इस देश में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मेरे घर में पेप्सी कोला की एक बोतल पड़ी थी जिसकी उपयोगिता अवधि समाप्त हो चुकी थी। मैंने इसका उपयोग अपने शौचालय

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

में किया और यह पाया कि कुछ ही मिनटों में पूरा शौचालय साफ हो गया। इसलिए, पेप्सी कोला और कोका कोला से इस देश के लिए पेय पदार्थ बनाने के स्थान पर डिटरजेंट और कीटनाशक बनाने के लिए कहा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं तीन-चार बातें कहना चाहती हूं। यह मिलावट कई वर्षों से चल रही है चाहे यू.पी.ए. की सरकार रही हो या एन.डी.ए. की सरकार रही हो।

सरकार किसी की भी हो, यह बात नहीं है। कई वर्षों से ऐसी बातें सामने आ रही थीं कि इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो हानिकारक हैं। चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, सरकार ने आज तक इस चीज को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? जब ये तत्व सामने आए तो क्या हम इन कम्पनियों पर भारी जुर्माना लगाने जा रहे हैं? हमारे बॉलीवुड के लोग और खिलाड़ी इस चीज का एड कर रहे हैं, क्या उन्हें तुरंत मीडिया और टी.वी. से बंद किया जाएगा? इसी तरह से आज जो फास्ट फूड, पीजा, बर्गर और नूडल्स के बारे में बात आ रही है कि यह बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, क्या इसका भी आगे मापदंड तैयार करने जा रहे हैं? इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें। श्रीमती सतीदेवी - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

नोटिस देकर भी नहीं रहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जिनका लिस्ट में नाम है, उन्हें अगर नहीं बुलाएंगे, तो वे गुस्सा करते हैं।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, आज सदन देश के करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल पर चर्चा कर रहा है। आज अखबारों में जो सी.एस.ई. की रिपोर्ट आई है, उन्होंने दावा किया है कि देश के 12 राज्यों में उन्होंने 11 ब्रांडों का नमूना लेकर, कीट नाशक प्रतिबंधित रसायन से युक्त रिपोर्ट दी है। जो लोगों की सेहत के लिए अत्यंत खतरनाक एवं घातक है। इसके पहले भी तीन वर्ष पहले घटना हुई थी, उस समय जे.पी.सी. की रिपोर्ट भी आई। सरकार को उस पर कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस तरह का कार्य करने वाली जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, वे लगातार पूरे देशभर में धीमा जहर बेच रही हैं, उन पर यदि रोक नहीं लगाई जाएगी तो मुझे लगता है कि देश को बहुत बड़ी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। न सिर्फ कोकाकोला और पेप्सीकोला में, बल्कि अन्य दूसरे भी जो इनके उत्पाद हैं, उनमें भी इस तरह का जहर मिला हुआ है, इन्हें तत्काल रोका जाए। इन कम्पनियों को प्रतिबंधित किया जाए और लोगों को जो हानि हो रही है, उसकी एवज् में उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए तथा इन पर मुकदमा चलाने का काम किया जाए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन चिन्तित है और आप स्वयं भी चिन्तित हैं, जिस तरह पेप्सीकोला और कोकाकोला में जहर पैदा करके आम लोगों को मारा जा रहा है, यह सर्वविदित है। कल जो रिपोर्ट आई है, उससे हम सब लोग अवगत हैं। इसके पहले भी इस पर सदन में चर्चा हुई थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहर मिलाने की शुरुआत 1977 में, तत्कालीन मंत्री, *... के समय में हुई और उस समाज से आज तक पूरे तौर पर स्थिति बिल्कुल चिन्ताजनक बनी हुई है। इसका मानक है, सब कुछ है, मगर इसके बावजूद आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोकाकोला और पेप्सीकोला के नाम पर, खास तौर पर देहाती इलाकों में प्रचार और विज्ञापन के माध्यम से फैशन चलाया जा रहा है। ये देहाती इलाकों में नकली पेय बना-बना कर आम लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है। पूरे पैमाने पर समाज को दूषित करने का काम और हर इंसान को मारने का काम किया जा रहा है, हम और आप सब लोग चुप बैठे हैं। इस पर सरकार क्यों नहीं कार्यवाही कर रही है, जबकि जे.पी.सी. की रिपोर्ट आपके पास है।

अध्यक्ष महोदय, आज जो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर इस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, आज शुद्ध रूप से दूध ही है, इसके अलावा सब कुछ विशुद्ध है, जो कि मिलावट के तौर पर है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि दूध के अलावा सब कुछ छोड़िए, केवल दूध और मट्ठा का इस्तेमाल कीजिए। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: पानी वाला दूध या कौन सा दूध?

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: अगर आप पेप्सीकोला पीते रहेंगे तो लोगों का नाश हो जाएगा, ये खुलेआम, खुली आंख से देख रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत अच्छा सुझाव है, आप दूध खरीद कर गरीब आदमी को दे दें।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: जहर की उत्पत्ति तो 1977 में, जब *... थे, उस समय हुई थी।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उनका नाम लिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि नाम लिया है, तो उनका नाम रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह परेशान मत होइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: अध्यक्ष जी, पूरे सदन की भावनाओं को देखते हुए और आपकी भावना को देखते हुए कि इस मुद्दे को आपने बहुत गम्भीरता से लिया है, मैं आपके माध्यम से सरकार से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस विषय में तुरन्त कार्रवाई की जाए और जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक इस प्रकार के जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन्हें तत्काल बैन किया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इक्कीस माननीय सदस्यों ने इस मामले को उठाया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भड़ाना (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पहले जब इनकी पार्टी की सरकार थी और श्रीमती सुषमा स्वराज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थीं, तब हमने मांग की थी, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए। यह बहुत गलत है। यह बुरा व्यवहार है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अवतार सिंह भड़ाना, मैंने आपको नहीं बुलाया है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री एन.एन. कृष्णदास यह बुरी आदत है। बैठे-बैठे मत बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अजीब बात है। आप सरकार से उत्तर देने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए हैं तो आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। आप केवल अपनी बात ही सुनना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैंने माननीय सदस्यों की राय, विचार और टिप्पणियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। मैं भी इस सभा का ही एक हिस्सा हूं। हमें इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए? बल्कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए...*(व्यवधान)* पहले, मैं माननीय सदस्य श्री मोहम्मद सलीम और श्री अनिल बसु द्वारा लगाए गए इन आरोपों का जोरदार खंडन करता हूं कि सरकार की इसमें मिलीभगत है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अनिल बसु, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इसे कार्यावाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का जोरदार प्रतिवाद करता हूं। इसमें कोई मिलीभगत नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, यदि आप इसी तरह से करते रहेंगे तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप अपने आरोप की पुष्टि करते हैं...*(व्यवधान)* आप क्या कह रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहम्मद सलीम, आपसे ऐसी आशा नहीं थी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री एन.एन. कृष्णदास, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? अन्यथा, मैं अगले विषय पर आता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत गलत है। यह निन्दनीय व्यवहार है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के एलीगेशन लगाने से कैसे काम चलेगा। हमारी तो सदन के प्रति कुछ जिम्मेदारी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप आरोप लगा रहे हैं और आप नहीं चाहते कि मंत्री जी उसका उल्लेख करें। क्या आप उन्हें बोलने नहीं देंगे? आप से यह आशा नहीं की जाती।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह एक बिन्दु है। दूसरा बिन्दु है कि यह सत्य है कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद, संप्रग संपूर्ण मामले के बारे में बहुत सावधान था।...*(व्यवधान)* यह क्या है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ माननीय सदस्यों से कहना पड़ेगा कि या तो वे सहयोग करें या सदन से चले जायें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जिस दिन से हमारी सरकार ने सत्ता संभाली है, इतना ही नहीं स्वयं प्रधान मंत्री ने हमें सलाह दी कि समय आ चुका है कि शीतल पेयों जैसे कोकाकोला, पेप्सीकोला से लेकर फास्ट फूड पर खाद्य पदार्थ मानकों और सुरक्षा पर एक व्यापक विधान लाया जाए। कुछ दिन पहले ही हमने माननीय सदस्यों के सहयोग से एक विधान पारित किया। ...*(व्यवधान)* राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुमति दी जानी है। तब हमें कानून लाना है। उसके बाद हमें सभी राज्य सरकारों के उपयुक्त अधिसूचना जारी करनी है।...*(व्यवधान)* मुझे स्वीकृति दें।

[हिन्दी]

प्रो विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हम अपना रोष प्रकट करते हैं और सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 12.50 बजे

(तब, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय: मैंने चौधरी लाल सिंह का नाम बोला है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह के भाषण के सिवाय अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सदन की चिंता सम्बन्धित मंत्री को संप्रेषित कर दी जाएगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने, आश्वासन दे दिया है। आप त्वरित कार्यवाही चाहते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह, आप आगे की किसी बैंच पर आइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अनिल बसु, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं देता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल जो चौधरी लाल सिंह कहते हैं कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपकी परमीशन से एक तकलीफ देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि गरीब आदमी की पहचान और हर बड़े या छोटे आदमी की पहचान एक मकान के जरिये होती है। उसका एक घर होता है, उसी के मुताबिक हमारी सरकार ने पहली दफा इन्दिरा आवास योजना का आगाज किया था कि एक गरीब को मकान दिया जायेगा। जो लोग हाउसलैस हैं, उनको बसाने के लिए ऐसा किया जायेगा, लेकिन इतने ज्यादा मकान नहीं बन पाये। जब हम लोग कांस्टीट्वेंसी में जाते हैं, हल्के में जाते हैं तो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवन्द्र प्रसाद यादव, आप दो विषय नहीं उठा सकते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सदन में कोई आंखों देखा हाल नहीं सुनाना है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: कहीं आग लगी होती है, मकान जले होते हैं और कहीं डैमेज हुआ होता है। कहीं स्नो फॉल से, रेल फॉल से लोगों के मकान गिर जाते हैं, जैसे पिछले दिनों अर्थक्वेक आया था तो मकान गिर जाते हैं। हम एम.पी. लोग कांस्टीट्वेंसी में जाते हैं तो उनके साथ सिर्फ दुख ही बंटाते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते।

इन्दिरा आवास योजना एक स्कीम है, उसी पैटर्न पर एम.पी. को ऑथोराइज होना चाहिए कि जहां जायेगा, जिसके घर को आग लगी है, घर तबाह और बर्बाद हुआ है, आदमी हाउसलैस है तो एम.पी. अपने डिस्क्रीशनरी एम.पी. लैड फंड से उस गरीब आदमी को...*(व्यवधान)*

वह एम.पी. वहां जाकर ऑन स्पाट उसकी मदद कर पाये, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि गर्मी में एक गरीब आदमी मकान के बगैर कैसे रहता है और सर्दियों में हमारे इलाकों में जब स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात हो गई, रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

चौधरी लाल सिंह: मेरी रिक्वैस्ट रहेगी कि एम.पी. को ऑथोराइज किया जाये, एम.पी. लैड में तरमीम की जाये, ताकि डिस्क्रीशनरी कोटे का प्रोपर इस्तेमाल करे। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद।...*(व्यवधान)* मैंने कोकाकोला से बाहर निकाला है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): मैं भी इसके साथ एसोसिएट करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह विलक्षण है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या बात है, हम अपनी बात ही बोलेंगे और किसी दूसरे की बात नहीं सुनेंगे? यह क्या बात हो रही है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सब की बात राष्ट्रीय महत्व की है। यह क्या हो रहा है?

[अध्यक्ष महोदय]

[अनुवाद]

आप सभी ने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर सूचनाएं दी हैं। क्या आप सोचते हैं कि केवल आपका मामला ही महत्वपूर्ण है?

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): मानव विकास में जल मुख्य संचालक है और दिन प्रतिदिन जल संकट गहराता जा रहा है। भारत में विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या होने के बाद भी वैश्विक मीठे जल संसाधनों का 4 प्रतिशत ही मिल पाता है। वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता एक तिहाई ही रह गई है, 1951 में 5,200 घन मीटर से 2001 में 1820 घन मीटर हो गई है। भारत में पंद्रह राज्य आठ नदी परियोजनाओं पर उद्देश्यहीन होकर झगड़ रहे हैं। वे एक-दूसरे को जल विशेषत: पेयजल देने से मना करते हैं; और कुछ राज्य चालाकी कर रहे हैं; स्वतंत्र न्यायाधिकरणों और आयोगों द्वारा निर्णय लिये जाने के बावजूद अन्य राज्यों के उचित दावों को नकार रहे हैं, जबकि नदी जल को समुद्र में बहने दे रहे हैं, अन्तर्राज्य जल-विवाद दशकों से ठहरे हुए हैं।

हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट, भारत की असफलता और इसके जल संसाधनों के कुप्रबन्धन जो मुख्यत: नौकरशाही और राजनीतिक निष्क्रियता और भ्रष्टाचार को रेखांकित करती है। इस कुप्रबन्धन के परिणामस्वरूप जलजनित रोगों से मृतकों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है जिनमें से 21 प्रतिशत पांच साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं और दो तिहाई जनसंख्या को समुचित स्वच्छता भी उपलब्ध नहीं कराई जाती।

इन सबके अतिरिक्त, यद्यपि भारत को मीठे जल संसाधनों का चार प्रतिशत मिलता है, फिर भी इसे संयुक्त राष्ट्र की विश्व के जल सम्पन्न प्रथम दस देशों में इसे रखा गया है। इस प्रकार, एक पारदर्शी और समयबद्ध सामाजिक निवेश योजना के साथ एक एकीकृत जल नीति की आवश्यकता है। परियोजनाओं में सामुदायिक सहभागिता और भ्रष्टाचार और कुप्रबन्धन के प्रति असहिष्णुता। जल उपयोग की कुशलता बढ़ाना और मीठे पानी की बर्बादी को रोककर, वर्षा जल के एकत्रीकरण और बेकार जल के उपयोग द्वारा जल संसाधनों का संरक्षण ही लक्ष्य होना चाहिए। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए कानून अधिनियमित किये जाने चाहिए और प्रभावशाली ढंग से लागू होने चाहिए। एक यथार्थतापरक जल प्रशुल्क का निर्धारण और राजस्व संग्रहण किया जाना चाहिए। एक सहभागी सिंचाई प्रबन्धन व्यवस्था विकसित और प्रभावी रूप से लागू की जानी है।

अत:, मैं सरकार से जल सुरक्षा को उचित प्राथमिकता देते हुए ऐसी एकीकृत जल नीति विकसित करने का निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप जल फोरम में शामिल क्यों नहीं होते? अब श्री एस. मल्लिकार्जुनैया बोलें।

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया (तुमकुर): महोदय, आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अधीन मामले के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब, नियम 377 के अधीन मामले नहीं लिए जा रहे हैं। अभी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय जारी है। तब, मैं बाद में आपका नाम बोलूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आप पूरी तरह जानते हैं कि माननीय सदस्य एक ही दिन दो मामले नहीं उठा सकते। आपने स्वयं दूसरे मामले उठाने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, दो मुद्दे नहीं उठाए हैं। एक ही मुद्दा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह जनरल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उसमें तो सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय आज दिल्ली में अनेक राज्यों से आए हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों की रिले भूख हड़ताल का दसवां दिन है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्य सहयोग नहीं करेंगे, तो मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह मैटर ऑफ जोक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार तथा संप्रग सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वायदों के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायक उन्हें स्थायी किए जाने की मांग कर रहे हैं। वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समूह 'ग' तथा सहायकों को समूह 'घ' के रूप में नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ा कर 3000 रु. तथा सहायकों के मानदेय को बढ़ा कर 2000 रु. करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वे चाहते हैं कि आंकनवाड़ी कर्मचारियों के मानदेय को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए तथा उन्हें महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए। उन्हें किसी प्रकार की पेंशन अथवा उपदान (ग्रेज्युटी) नहीं मिल रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा किसी अन्य दिन उठाया गया था।

श्री बसुदेव आचार्य: वे मांग कर रहे हैं कि आई.सी.डी.एस. को पूरे देश में सर्वव्यापक बनाया जाए जिसे सरकार के द्वारा चलाया जाए। वे सराहनीय कार्य कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यही विषय पिछले सप्ताह उठाया गया था। मैं पुन: आपको इसकी अनुमति दे रहा हूं। परन्तु इसकी कोई सीमा होनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय: हर विषय महत्वपूर्ण है।

श्री बसुदेव आचार्य: वे भूख हड़ताल पर हैं। हजारों लोग दिल्ली में आए हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति दी। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मैं यह मांग करता हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों को नियमित किया जाना चाहिए, उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए तथा पूरे देश में आई.सी.डी.एस. को सर्वव्यापी बनाया जाना चाहिए जैसा कि संप्रग सरकार ने अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वायदा किया है। धन्यवाद...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब अचानक आपको क्या हुआ?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप मुझे आदेश नहीं दे सकते।

श्री रूपचंद पाल।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि लोगों को बहुमूल्य सेवा प्रदान कर रहे हैं उन्हें न्यायसंगत पारिश्रमिक से वंचित रखा जा रहा है। पिछले दस दिनों से वे रिले भूख हड़ताल पर हैं। सरकार उनकी मांगें नहीं सुन रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सूची में संख्या के बारे में आप कैसे जानते हैं, मैं यह कह रहा हूं कि संख्या नहीं दी जानी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: मैं सरकार से यह मांग कर रहा हूं कि सरकार को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दिल्ली आ रहे है और वे पिछले दस दिनों से रिले भूख हड़ताल पर बैठे हैं। संप्रग सरकार अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इन श्रमिकों को न्याय तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी रोजगार दिलाने और उन्हें समूह ग और समूह घ का वेतन दिलाने इत्यादि के प्रति वचनबद्ध है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित है उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए। सरकार इसके लिए उत्तरदायी है।

अध्यक्ष महोदय: अब यह विषय समाप्त हुआ। मैं सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

अब श्री एल. गणेश जी बोलेंगे। मेरे विचार से वे यहां उपस्थित नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, वह मौका सबको दिया गया था, लेकिन इसके लिए हमने भी नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने का अवसर कैसे दे सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने दो नोटिस दिए हैं। मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे हर किसी को अनुमति देनी होगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मेरा एक ही नोटिस है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक हो गया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने इसमें हिस्सा क्यों लिया?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इसमें हमारा एक ही नोटिस है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आपने दो नोटिसेज दिए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जो नोटिस नौ बजे से पहले आया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके आज के दो नोटिसेज हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने दोनों नोटिस दिए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जो नोटिस नौ बजे के बाद दिया है, उस नोटिस का कोई मतलब नहीं होगा। जो नोटिस टाइस से दिया गया है, उसी को कंसीडर किया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस दिया है और आप ही कहते हैं कि नोटिस का कोई मतलब नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: कोका कोला के बारे में सब नेताओं को बोलने का मौका मिला।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुख की बात है।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: गोयल जी आप परेशानी में आने वाले हैं। आप पहले व्यक्ति होंगे जिन्हें दंडित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.03 बजे

(दो) दिसम्बर, 1999 में उड़ान संख्या आई.सी. 814 के अपहरण के संबंध में तत्कालीन विदेश मंत्री की कंधार यात्रा से संबंधित समाचार के बारे में

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): अध्य7 महोदय, मैं इस सदन और इस देश के लोगों का ध्यान काठमांडू से कंधार तक की फ्लाइट, जिसे आंतकवादी हाइजैक करके कंधार ले गए थे, की ओर दिलाना चाहता हूं। उसे पहले अमृतसर में उतारा गया। उस समय की बी.जे.पी. सरकार ने उसे कंधार तक ले जाने दिया। मैं सिर्फ तीन मुद्दों पर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस मामले में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। वे राज्य सभा के सदस्य हैं, अपर हाउस में लीडर ऑफ औपोजीशन हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है। उसके अंदर यह सारे तथ्य हैं लेकिन मैं उसकी सिर्फ तीन-चार लाइनें पढ़ूंगा जो अंग्रेजी में हैं:-

[अनुवाद]

> "अपहरणकर्ताओं द्वारा 200 मिलियन डालर की फिरौती, 36 आतंकवादियों की रिहाई, तथा एक आतंकवादी की अस्थियों की मांग जिस दिन मेरे समक्ष आयी। मैंने इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा और उनकी सलाह मांगी, मुझे क्या करना चाहिए? मंत्रिमंडल का एकमत से यह निर्णय था : मांगों को अस्वीकार किया जाए, जाइये और प्रेस को उचित बयान दीजिए।"

[हिन्दी]

यहां दो मुद्दे हैं। अगर कैबिनेट उस वक्त डिवाइड थी, ऐसा उन्होंने लिखा है, तो फिर तत्कालीन विदेश मंत्री कैसे गए? वह निर्णय कैबिनेट से ऊपर जाकर किसने लिया? श्री आडवाणी, जो उस समय इसके विरोध में थे, ऐसी बात कही गई कि अगर उन्होंने उसकी सहमति नहीं दी या उनको ओवररूल किया गया, तो किसने किया? उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे, क्या उनकी एक भी नहीं चली? उन्होंने 200 मिलियन डालर दिए।...*(व्यवधान)* नुझे दो मिनट बोलने दिया जाए।...*(व्यवधान)* वे पैसे कहां से आए, किस देश ने दिए? कया दूसरे तरीके से दिए गए? साथ ही, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि रैड बैग भी ले गए थे। हम जानना चाहते हैं कि उस रैड बैग में क्या था? पूरा निर्णय उस वक्त की एन.डी.ए. सरकार ने लिया जिसके नेता यह कहते हुए नहीं थकते कि हमसे अधिक और कोई राष्ट्रवादी नेता नहीं है। वही लोग आतंकवादियों को साथ ले जाकर वहां छोड़कर आए, पैसे देकर आए। वे किस सिचुएशन में पैसे देकर आए? पूरी कैबिनेट के विरुद्ध होने के बावजूद भी यह सब कैसे हुआ?...*(व्यवधान)*

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बारे में एक कमेटी बिठाई जाए और पूरे तथ्य देश के लोगों के सामने लाए जाएं। ...*(व्यवधान)* उस वक्त की एन.डी.ए. सरकार ने जो कुछ किया, उसके लिए उन्हें पूरे देश से मांफी मांगने के लिए यह एप्रोप्रिएट केस है।...*(व्यवधान)* जो राज्य सभा के मैम्बर हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे इस तरह पीछा नहीं छुड़ा सकते।

[हिन्दी]

राष्ट्रवादी कहलाने वाले लोगों ने इन सारे तथ्यों को छिपाकर रखा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। वे इसे उठाने के हकदार हैं।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: उन्होंने सारे तथ्यों को दबाकर रखा, आज तक नहीं बताया। इन सारे तथ्यों को राष्ट्र से छिपाकर रखने के आधार पर यह "... और कुछ नहीं हो सकता। "... मैं मानता हूं कि इन्होंने सारे तथ्यों को दबाकर रखा और आज तक उन्हें सामने नहीं लाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बिश्नोई जी, आपका मैटर अर्जेंट नेशनल इम्पार्टेंस का नहीं है। मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)"...

"कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव आपको प्रतीक्षा करनी होगी। यदि आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते आप जा सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुनैया जी

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आज कल यह नया तरीका हो गया है कि माननीय सदस्य जो कुछ बोलेंगे, उसके लिए मिनिस्टर को इमीजिएट रिस्पांस करना होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह उन पर निर्भर करता है मुझ पर नहीं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं गृह मंत्री जी को आपकी चिंताओं से अवगत करा दूंगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से अध्यक्ष पद की पहले जैसी प्रतिष्ठा नहीं रही।

...(व्यवधान)

***श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर)*: महोदय, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति प्रदान करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रति वर्ष हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। विशेषरूप से वर्ष 2000 से 2006 के मध्य अत्याचार के आंकड़े स्तब्ध कर देने वाले हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किए गए है। वर्ष 2004 के दौरान 38,000 मामले प्रकाश में आए। ये वे आंकड़े हैं जो कि पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए। वास्तविक मामलों की संख्या एक लाख प्रति वर्ष के आस-पास है।

हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में बढ़ोत्तरी का एक कारण यह भी है कि आरक्षण नीति को लागू नहीं किया गया है। आरक्षण विधेयक गत दो वर्षों से संसद के समक्ष लम्बित पड़ा है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र इस विधेयक को शीघ्र पारित कर देगा।

मैं केन्द्र सरकार से अग्राह करता हूं कि वे उन व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे जो इस प्रकार के अत्याचारों में संलिप्त हैं तथा अनुसूचित जाति के लोगों को शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन यापन करने में सहायता करें।

धन्यवाद महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, कृपया अध्यक्षपीठ पर दबाव डालने का प्रयास न करें; पहले ही काफी परेशानी हो चुकी है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, चेयर के नियमन का अनुपालन जितने माननीय सदस्य करते हैं, मैं समझता हूं कि उनमें से मैं एक हूं। अभी चेयर के आदेश से कहा गया कि कोका कोला वाले इश्यू पर सभी राष्ट्रीय नेता बोलेंगे। मैंने प्रॉपर ढंग से यह नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सुनिये।

[अनुवाद]

आप प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि आपने नोटिस दिया हुआ है, आपने एक और नोटिस दिया हुआ है।

[हिन्दी]

आपने अपना नोटिस साढ़े नौ बजे के बाद दिया है।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: नियम के अनुसार वह नोटिस अमान्य होगा और यह नोटिस मान्य होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जानबूझ कर आपने यह नोटिस दिया है जिसे अमान्य कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: वह नोटिस रिजैक्ट हो जायेगा, ठीक है लेकिन जो नोटिस टाइम पर दिया है, उसे तो आप सुनिये।...*(व्यवधान)*

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बोलिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं नहीं बोलूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिये। हमने आपसे रिक्वैस्ट की है।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं कभी भी हाउस को डिस्टर्ब नहीं करता। चेयर से बार-बार प्रतिक्रिया आ रही है। मैं आज तक एक अनुशासित सांसद के रूप में काम करता रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आप एक अनुशासित सांसद हैं, परन्तु आज नहीं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आपने लेकुना लगा दिया है। ...*(व्यवधान)* मैं यहां नहीं बोलना चाहता। इस पर अलग से बात कर ली जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप इस बात से अवगत हैं। वर्षों तक हम सहयोगी रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सदन में बिहेवियर पर बोलना, हर चीज पर कमेंट्स करना उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने आपको बहुत आदर से बुलाया है। आप बोलिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, पी.एम.ओ. में जासूसी के सवाल पर करोड़ों लोग टकटकी लगाये हुए हैं कि आखिर क्या हुआ? एक पूर्व विदेश मंत्री द्वारा भ्रम फैलाया गया, देश को कई दिनों तक अंधकार में रखा गया। मैं उस विदेश मंत्री का यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि करोड़ों लोगों की इस बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गयी। पूरे देश में एक सेन्सेशन फैल गयी लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कोई रिजल्ट नहीं आया। जासूस का नाम नहीं बताया गया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में करोड़ों लोगों को संदेह, संशय और दुविधा में डालना किस हद तक मुनासिब है। वे बहुत बड़ी मर्यादा और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। आज के अखबार में आया है कि भेदिया गुमनाम ही रहा, भेद उजागर नहीं।

अध्यक्ष महोय, पूर्व विदेश मंत्री ने अपनी किताब में लिखित रूप से जासूस का जिक्र किया है। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पूर्व विदेश मंत्री का यह व्यवहार गैर-जिम्मेदाराना है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु के परीक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। उनका कहना है कि परमाणु परीक्षण के लिए जासूस ने लिखकर दिया है। यह वर्ष 1992-93 के तत्कालीन प्रधानमंत्री के समय की बात है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

जो लोग खुद इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना आचरण करते हैं, उनको देश के सामने, चूंकि देश की आवाम टकटकी लगाए हुई थी कि उस जासूस का नाम सामने आए और इसके बारे में उनका एक पत्र भी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश में जो सन्देह पैदा हो गया है, इस तरह के अपराध के लिए उनको सार्वजनिक रूप से देश से क्षमा मांगनी चाहिए। इस तरह का आचरण जो देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले से जुड़ा हुआ है, एक राष्ट्रीय अपराध की तरह है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: शेष अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों को आज अंत में लिया जाएगा।

अब सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या-14 नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

(एक) असम के हेलकन्डी और करीमगंज जिले में रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा बड़ी लाईन के आमान परिवर्तन कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): भारतीय रेल देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तर का बनाने हेतु आधुनिकीकरण कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि रेल बजट के प्रस्ताव में इस पर जोर दिया गया था भारतीय रेल को आधुनिक बनाने की दिशा में यह एक कदम है। मैं माननीय रेल मंत्री को उनके प्रयास के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

तथापि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी रेल भारतीय रेल का एक हिस्सा है। हम भी निकट भविष्य में रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तर की सुविधाएं होने का सपना भी नहीं देख सकते। हमारी रेलगाड़ियां 15 कि.मी. प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं, रेल पटरियां क्षतिग्रस्त हैं, रेलगाड़ियां हिलती डुलती हैं और कभी भी भूस्खलन के कारण रेलगाड़ियों को रोक दिया जाता है। लोगों के मन में आशंका है कि क्या सभी बड़ी लाइनों में आमोल परिवर्तन को पूरा किया जाएगा अथवा नहीं। हमारे महत्वपूर्ण स्टेशन जैसे कि करीमगंज जंक्शन, बदरपुर जंक्शन, कटखल जंक्शन, बराई ग्राम जंक्शन और हेलकन्डी में यात्री सुविधाओं का अभाव है। प्लेटफार्म टूटे-फूटे और उबड़-खाबड़ हैं। बदरपुर-धर्मनगर खंड, करीमगंज दुलावचैरा खंड तथा कथकल - मैरवी खंड के अनेक स्टेशनों के प्लेटफार्मों के ऊपर कोई छत नहीं है। समय के साथ-साथ हालत और बदत्तर हो गये है।

इस क्षेत्र के यात्रियों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन स्टेशनों की स्थिति सुधारने हेतु शेड बनाने, यात्री सुविधाएं मुहैया कराने, स्वच्छ प्रसाधन गृहों का निर्माण करने और आमान परिवर्तन कार्य को पूर्व घोषित समय सीमा के अन्दर पूरा करने तथा बदरपुर और लुभडिंग के बीच भूस्खलन के उचित उपाय अपनाते हुए सातों दिन रेल सेवा चालू रखने हेतु युद्ध स्तर पर उपाय किए जाएं, जिनके कारण पिछले कुछ वर्षों से भारी अलाभकारी व्यय हो रहा है और भारी नुकसान हो रहा है।

(दो) देश में एन.टी.सी. की बंद पड़ी मिलों को पुन: खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): उपाध्यक्ष जी, देश भर में एन.टी.सी. की आधे से ज्यादा कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं और उनमें लगे मजदूरों को बिना काम के वेतन दिया जा रहा है। अगर इन मिलों का आधुनिकीकरण करके उत्पादन किया जाये तो हम कपड़े का उत्पादन बड़ी मात्रा में कर पाएंगे और बिना काम के वेतन देने में हो रहे अपव्यय को रोका जा सकेगा। इन मिलों में आधुनिकीकरण किये जाने की अपार संभावनाएं हैं और इनकी अतिरिक्त जमीन को बेचकर इनको चलाया जा सकता है। आधुनिकीकरण का एक फायदा यह होगा कि हम अच्छी क्वालिटी के कपड़े का उत्पादन कर सकते हैं जिसे विश्व के अन्य देशों में निर्यात किया जा सकता है और विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। इस बारे में सदन में कई बार चर्चा उठाई गई और सरकार इस संबंध में गंभीर कदम उठाने का वायदा भी करती रही है, परन्तु वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है और बेकार में सरकार का पैसा वेतन के रूप में खर्च किया जा रहा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि एन.टी.सी. के प्रबंध को बदलकर एन.टी.सी. की बंद मिलों को तुरंत चालू किया जाये।

(तीन) तमिलनाडु के मदुरै दूरसंचार जिले में टेलीफोन निर्देशिका प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): तमिलनाडु में, भारत संचार निगम लिमिटेड के मदुरै दूरसंचार जिले के अंतर्गत राज्य के मदुरै, डिंडीगुल, थेनी राजस्व जिले आते हैं। इस दूरसंचार जिले में लगभग 2,30,000 टेलीफोन कनेक्शन हैं। उपर्युक्त टेलीफोन कनेक्शनों से वार्षिक 150 करोड़ रु. से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि मदुरै जिले में 1998 से टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित नहीं की गयी है। टेलीफोन डायरेक्टरी के अभाव में उपभोक्ता अथवा आम जनता को दूसरे उपभोक्ता चाहे वह कोई व्यक्ति है अथवा सरकारी कार्यालय अथवा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, का नम्बर पता करने में बड़ी कठिनाई होती है।

यद्यपि 198 टोल फ्री नम्बर डायल कर के कोई भी व्यक्ति कोई नम्बर पता कर सकता है लेकिन कई बार 198 नम्बर के

मिलने में कठिनाई होती है तथा सामान्य व्यक्ति भी इस नम्बर का प्रयोग करना नहीं जानता।

इन दिनों दूरसंचार क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है और उस समय जब अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं, इन योजनाओं को वापस लेना उचित नहीं है जो काफी लम्बे समय से लोकप्रिय थीं।

अतः मैं माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से इस सम्मानीय सभा के माध्यम से आग्रह करता हूं कि वे न केवल मदुरै बल्कि अन्य दूरसंचार जिलों जहां आवश्यकता है, में टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए। यदि आवश्यकता हो तो रेल समय सारणी की तरह उपभोक्ताओं से मामूली शुल्क भी वसूल किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री हरीसिंह चावड़ा - उपस्थित नहीं।

(चार) राजस्थान के अलवर जिले में थाना गाजी, राजगढ़, रैनी, खैरताल, कठूमर तहसीलों को "राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना" के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अलवर जिले की थाना गाजी, राजगढ़, रैणी तहसीलें अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं तथा खैरतल, कठूमर अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। इन तहसीलों में न तो रोजगार के साधन हैं और न ही कोई उद्योग धंधे। लगभग सारे अलवर जिले में रोजगार के अभाव में लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। इस पिछड़े, गरीब, पहाड़ी क्षेत्र को "राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना" के अंतर्गत शामिल किए जाने की प्रार्थना मैं भारत सरकार से करता हूं।

(पांच) मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र के बीना रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे भूमि से अतिक्रमणों को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश के बीना स्टेशन के आसपास रेलवे की सैकड़ों एकड़ जगह अनुपयोगी एवं खाली पड़ी है, जिसका रेलवे द्वारा उपयोग नहीं होने से कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है तथा अघोषित रूप से उसके मालिक बन कर उस जगह को अन्य लोगों को ठेके पर कृषि कार्य करने के लिए दे दिया है। एक तरफ रेलवे प्रशासन रेलवे की खाली जगह के व्यवसायिक उपयोग की योजनाएं विभिन्न स्टेशनों पर बना रही है दूसरी तरफ बीना की इतनी बड़ी जगह के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण अपना रही है। जबकि बीना में बीना रिफायनरी का कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है जिससे बीना में भूमि की कीमतें आसमान छू रही हैं तथा बीना की सबसे महत्वपूर्ण जगह रेलवे के पास है, जिसका व्यवसायिक उपयोग करके रेलवे उस भूमि का सही उपयोग तथा राजस्व आय में वृद्धि कर सकती है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बीना में रेलवे की भूमि अनाधिकृत कब्जों से वापिस ले कर उस भूमि का व्यवसायिक उपयोग हेतु कार्यवाही करने का सहयोग करे।

(छह) मध्य प्रदेश में नीमच स्थित ऐल्केलॉइड फैक्टरी का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डे (मंदसौर): उपाध्यक्ष महोदय, देश में विदेशी मुद्रा की पर्याप्त प्राप्ति एवं बचत की दृष्टि से कोडीन फास्फेट का उत्पादन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कोडीन का उत्पादन अफीम से किया जाता है। इसके उत्पादन हेतु मध्य प्रदेश के नीमच स्थित ऐल्केलॉइड फैक्ट्री है, जहां प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। किंतु मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में अफीम का उत्पादन तथा उसका निर्यात करने की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त बिक्री नहीं होने से धीरे-धीरे अफीम का संग्रह बढ़ता जा रहा है, जो कई टनों में है और इस दृष्टि से कोडीन तथा अफीम के अन्य सह उत्पादों का उत्पादन बढ़ाए जाने की अति आवश्यकता है। सरकार द्वारा इस बारे में नीमच स्थित फैक्ट्री के विस्तारीकरण का मामला हाथ में लिया गया था तथा पूर्व में चल रही एक शिफ्ट को दो शिफ्टों में चला कर उत्पादन बढ़ाया गया तथापि भारत में जितनी कोडीन फास्फेट की मांग है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और विदेशों से आयात करना पड़ रहा है जिस पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दृष्टि से नीमच स्थित ऐल्केलॉइड फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि उत्पादित अफीम को स्वदेश में ही खपाया जा सके और विदेशी मुद्रा की भी बचत की जा सके।

विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि सरकार इस कार्य को निजी क्षेत्र में देने पर विचार कर रही है। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि वर्तमान में जो फैक्ट्रियां हैं, वे बहुत अच्छे ढंग से इस कार्य को संचालित कर रही हैं, इसलिए नीमच स्थित फैक्ट्री को विस्तारित किया जाए।

(सात) मंगलौर में एक पूर्णकालिक पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा (मंगलौर): महोदय, वर्तमान में मैंगलोर में पासपोर्ट संग्रहण काऊंटर कार्यरत है, जो कि एक तरह से कोरियर सेवा की तरह ही कार्य करता है। जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। पासपोर्ट जारी करने का अधिकार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बैंगलोर में निहित है। विदेशों में नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों में तथा प्रत्येक वर्ष पवित्र मक्का की यात्रा के लिए हज यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि मैंगलोर में एक परिपूर्ण पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किया जाए, जो कि बैंगलौर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के कार्य भार को कुछ कम करेगा।

अब, मैंगलोर हवाई अड्डा शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय विमानापत्तन के रूप में अस्तित्व में आने वाला है, और यहां से सितम्बर, 2006 में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें आरम्भ हो जाएंगी। अप्रवासन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए यह आवश्यक है कि मैंगलोर में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोला जाए। मैंगलोर में परिपूर्ण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए जाने के लिए मैंने इस विषय पर विदेश मंत्रालय से भी बात की है। इससे भारी संख्या में आवेदनकर्ताओं को लाभ होगा।

उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री से मैंगलोर में शीघ्र परिपूर्ण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने का आग्रह करता हूं।

(आठ) कर्नाटक की नित्तूर, हुबली, गुब्बी तालुका और आसपास के क्षेत्रों में "गूनी" रोग को फैलने से रोके जाने की आवश्यकता

***श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर): महोदय, मैं इस सभा का ध्यान चित्तूर, हुबली, गुब्बी तालुका और आसपास के क्षेत्रों में 'गूनी' नामक जानलेवा बीमारी के फैलने की ओर दिलाना चाहता हूं जिससे काफी लोगों की जानें गई हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अनेक लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, स्थानीय प्रशासन तथा राज्य प्रशासन के अथक प्रयासों के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है।

इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस जानलेवा बीमारी के कारण पता करने तथा प्रभावी उपचार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। लोगों की बेशकीमती जान बचाने के लिए इस जानलेवा बीमारी का अध्ययन करने तथा देश के अन्य हिस्सों में इसके प्रसार को रोकने के लिए विशेषज्ञों का एक दल वहां भेजा जाना चाहिए।

(नौ) गुजरात के गांधीनगर में "फ्लोरोसिस" नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर का केन्द्र स्थापित करने हेतु स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा (सूरत): गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों/बसावटों की ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। गुजरात में 2003 में किए गए सर्वेक्षण में 4,341 परिवार फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा से प्रभावित पाये गये। 'फ्लोरोसिस' की इस व्यापक समस्या को ध्यान में रखते हुए, गुजरात सरकार ने गांधीनगर/अहमदाबाद में फ्लोरोसिस अपशमन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव भेजा था, जो राष्ट्रीय स्तर के फ्लोरोसिस अपशमन केन्द्र के रूप में कार्य कर सके।

इस संबंध में गुजरात सरकार ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से भारत सरकार से बार-बार निवेदन किया है।

भारत सरकार के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री ने अपने दिनांक 30 जनवरी, 2004 के अर्धशासकीय पत्र संख्या डब्ल्यू.-110044/9/99 टीएम.-II, में गुजरात के गांधीनगर में मुख्य फ्लोरोसिस अपशमन केन्द्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार के स्तर पर सैद्धांतिक रूप से लिए गए निर्णय के बारे में गुजरात सरकार को सूचित किया तथा गुजरात सरकार ने इस उद्देश्य हेतु 2 एकड़ भूमि मुहैया कराने का भी अनुरोध किया था। तद्नुसार गांधीनगर क्लेक्टर के दिनांक 6 जनवरी, 2006 के पत्र संख्या सी.बी./लैंड/वैसी/123/05 के द्वारा इस प्रयोजन हेतु कोबा गांव में 2 एकड़ का एक भू-खंड संख्या 11, सर्वेक्षण संख्या 242, 237 और 270 आवंटित किया गया था तथा इसकी जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को दी गयी है।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिना किसी विलम्ब के गुजरात के गांधीनगर में फ्लोरोसिस अपशमन केन्द्र स्थापित करने हेतु उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।

(दस) मोहन बागान और भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा स्थापित फुटबाल अकादमी को एक मुश्त अनुदान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): मैं पूरे सदन और युवा एवं खेल

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मंत्री का ध्यान हमारी पीढ़ी के ओलम्पिक और विश्व में अन्य खेल गतिविधियों में भाग लेने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज मैं केवल फुटबॉल गतिविधियों तक सीमित हूं। हमारी युवा पीढ़ी में फुटबाल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, तीन वर्ष पूर्व कोलकाता का मुख्य क्लब मोहन बागान और भारतीय स्टील प्राधिकरण ने युवा पीढ़ी का कौशल बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में एक अकादमी स्थापित की।

पांच महाद्वीपों से 8000 से ज्यादा टीमों ने, छोटे क्लबों से लेकर फुटबाल में मशहूर नाम वाले खिलाड़ियों ने अपने तरीके से विगत वर्षों में स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल-प्रतियोगिताओं के माध्यम से बीस में से एक स्थान जीतने के लिए दसवें यूनाइटेड प्रीमियम कप वर्ल्ड फाइनल्स मैनचेस्टर में संघर्ष किया। यूनाइटेड मैनचेस्टर 8 से 11 अगस्त, 2006 के बीच 15 पर्ष की आयु से कम फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, प्रतियोगिता के मैच कोरिंगटन, इग्लैण्ड में उनके प्रशिक्षण मैदानों पर होंगे। नाइक और मैनचेस्टर यूनाइटेड द्वारा, युवा सहभागिता और कौशल विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, संयुक्त रूप से प्रायोजित प्रीमियर कप विश्व स्तर पर लोकप्रिय खेल प्रतियोगिता बन चुका है।

अपने प्रारंभ से ही, प्रतियोगिता अनेक युवा प्रतिभाओं को आधार प्रदान करने वाली बन गई है और "प्रीमियर कप ओल्ड बॉयज" केवल उनके क्लबों का ही नहीं बल्कि उच्चतम स्तर पर उनके देश का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है।

मैं केवल जिक्र करना चाहूंगा कि केवल तीन वर्षों में मोहन बागान - सेल अकादमी 8 से 11 अगस्त, 2006 तक मैनचेस्टर में होने वाली आगामी प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य बन गई है। लेकिन यदि सरकार द्वारा धन नहीं दिया जाता तो अकादमी को लगातार चलाना मुश्किल है।

अत: मैं सरकार से अकादमी को निरन्तर चलाने के लिए एकमुश्त अनुदान के साथ प्रायोजित करने का आग्रह करता हूं ताकि भविष्य में क्लब विश्वकप फुटबाल प्रतियोगिता में भाग ले सके।

(ग्यारह) कोयला क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री बंसगोपाल चौधरी (आसनसोल): महोदय, कोयला मजदूरों की सुरक्षा की लम्बे समय से उपेक्षा की जाती रही है। सुरक्षा सामानों की आपूर्ति उचित रूप से नहीं हो रही है। ई.सी.एल. में दिये जाने वाले जूतों की गुणवत्ता एक उदाहरण है। कोयला मंत्रालय को भूमिगत खानों में कार्य कर रहे मजदूरों का ध्यान रखना चाहिए। खानों में सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। खानों में आग लगना एक आम बात है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण असावधान हैं। खानों में इसके कारण भी नुकसान हो रहा है। ओपनकास्ट प्रोजेक्ट्स (ओ.सी.पी.) की दशा भी बहुत खराब है। सामान्यत: स्थानीय लोगों के लिए यह समस्याएं पैदा करता है। मंत्रालय को मार्गदर्शन करना चाहिए।

(बारह) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए अलग निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के प्रावधान के तहत गठित अनुसूचित जाति आयोग का उद्देश्य ही विफल हो गया है। आयोग के लिए अलग से कोई कोष नहीं है। आयोग में कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं है। 1978 में इसके गठन से लेकर अब तक कोई विधि अधिकारी आयोग में नहीं है। पुलिस उप-महानिरीक्षक का पद केवल कुछ समय को छोड़कर लगातार रिक्त रहा है। धनाभाव के कारण संबद्ध पक्षों की बैठक नहीं बुला पा रहे हैं। संविधान में अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान होने के बावजूद उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। सन् 2004 में अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के 38 हजार मामले दर्ज किये गये थे। उक्त मामलों में दोषियों को सजा देने की रफ्तार भी बहुत कम है। केवल 3 प्रतिशत मामलों में लोगों को सजा होती है। आज भी राजस्थान में अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। राज्य सरकारों में तो आयोग का बहुत बुरा हाल है। केन्द्र सरकार उक्त आयोग पर ध्यान दे।

(तेरह) बिहार के बांका जिले के चंदन और चीर सुखानिया नदियों के तटबंधों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव (बांका): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांका की चान्दन नदी एवं चीर सुखनिया नदी के तटबंध टूट गये हैं, जिसके कारण हर साल बरसात एवं बाढ़ के समय इनका पानी गरीब किसानों के खेतों में घुस जाता है और उनकी फसल को नष्ट कर देता है। हालांकि विषय राज्य का है, परन्तु बिहार सरकार से जब भी इस कार्य को करने के लिए कहते हैं तो वह धन अभाव के बारे में बताते हैं। अत: किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए दोनों नदियों के तटबंध को तत्काल बनाने हेतु केन्द्र स्तर पर मदद दी जाए, जिससे गरीब किसानों के घरों एवं खेतों को पानी से बचाया जा सके।

[श्री गिरिधारी यादव]

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्र स्तर पर आर्थिक सहायता दिया जाना अति आवश्यक है।

(चौदह) वेल्लौर हवाई अड्डे का विकास किए जाने तथा इसे शुरू करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (वैल्लोर): महोदय, तमिलनाडु के मेरे वैल्लोर संसदीय क्षेत्र में अब्दुल्लापुरम हवाई अड्डा अभी भी विकसित किया जाना है। तमिलनाडु के सांसदों ने माननीय नागरिक विमानन मंत्री से निवेदन किया था कि वैल्लोर जिला हवाई अड्डा विकसित किया जाना चाहिए और क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से की जा रही मांग जल्दी से जल्दी स्वीकृत की जानी चाहिए। मुझे सरकार को यह बताते हुए खेद है कि वैल्लोर एयरपोर्ट अभी ऐसी परियोजना है जो भुला दी गई है। वैल्लोर एक ऐतिहासिक स्थान है जहां सेकुलर फोर्ट शहर को सुशोभित कर रहा है। यह क्षेत्र ऐसे प्रथम स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है जहां 1806 में सिपाहियों द्वारा स्वतंत्रता आन्दोलन आरंभ किया गया था। देश के पर्यटन मानचित्र में फोर्ट का स्थान है और इसे पर्यटन के विश्व मानचित्र में शामिल किये जाने की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सी.एम.सी. अस्पताल और मेडीकल कॉलेज और वैल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान देशभर से और विदेशों से हजारों यात्रियों को आकर्षित करते हैं। वैल्लोर चमड़ा उद्योग देश के लिए छः हजार करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। एयरपोर्ट भी बंगलोर और चित्तूर के मध्य महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। एयरपोर्ट का विकास और विस्तार त्वरित आवश्यकता है। अतः, मैं सरकार से सभी विकसित सुविधाओं के साथ एयरपोर्ट खोलने का आग्रह करता हूं।

(पन्द्रह) गैर-सरकारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की रोजगार परक योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले देश भर के प्रत्येक जिले में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डी.आर.डी.ए.) में कार्यरत कर्मी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के मद में भारत सरकार 75 प्रतिशत व प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत अंशदान देती है लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य सहित कई राज्यों में अभी भी डी.आर.डी.ए. कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है और न ही सरकारी कर्मचारी की सुविधाएं इन्हें मिलती हैं।

अतः मेरा विचार है कि भारत सरकार द्वारा डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों के ऊपर खर्च, वेतन भत्ता आदि में देय भुगतान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के गैर-सरकारी डी.आर.डी.ए. कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने व कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल - उपस्थित नहीं।

(सोलह) उड़ीसा में नवपाड़ा रोड से बारगढ़ रोड तक बरास्ता पदमपुर प्रस्तावित रेल सम्पर्क को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदय, उड़ीसा में नवापाड़ा जिला और बारगढ़ जिले के पदमपुर सब-डिवीजन देश के सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। पदमपुर सब-डिवीजन सिंचाई सुविधाओं से वंचित है और दोनों क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं है। इन क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत अधिकतम है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध होने के बावजूद, भुखमरी की खबरें आ रही हैं। लोगों का जीवन स्तर निम्न है। प्रत्येक वर्ष जीवनयापन के लिए बड़ी संख्या में लोग दूसरे क्षेत्रों में प्रवास के लिए चले जाते हैं। यह क्षेत्र सड़क यातायात और रेलवे से जुड़ा होने के कारण व्यापार, वाणिज्य और अन्य आनुषांगिक गितिविधियों से वंचित है। सभी दृष्टियों से सुविधाहीन है। इसलिए, नवापाड़ा से बारगढ़ तक वाया पदमपुर एक नये बी.जी. रेलवे संपर्क के निर्माण की निरन्तर मांग रही है। इंजीनियरिंग ट्रैफिक सर्वेक्षण की फरवरी, 2006 में रेलवे बोर्ड को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट सकारात्मक है। जिसमें 416 करोड़ रु. लागत मूल्य की परियोजना की वापसी दर 18.32 प्रतिशत है। प्रस्तावित रेल संपर्क मुख्यतः पश्चिमी भारत के ताप आधारित विद्युत संयंत्र की कोयला जरूरतों की पूर्ति करेगा जिसकी आपूर्ति तलचर क्षेत्र और झारसुगुडा क्षेत्र से की जानी है। यह इस

रेल संपर्क के माध्यम से न्यूनतम लागत के परिवहन के साथ पारादीप बंदरगाह से मध्य भारत तक सामान के परिवहन की सुविधा भी प्रदान करेगा। यह परियोजना इस्पात संयंत्रों से भी संपर्क जोड़ेगा जो मध्य और पश्चिमी भारत को तैयार उत्पादों के परियहन के लिए बड़े रूप में उड़ीसा में आ रहे हैं यह परियोजना उड़ीसा राज्य के आर्थिक रूप से दो अत्यन्त अविकसित जिलों बारगढ़ और नवापाड़ा और इसी प्रक्रिया में संपूर्ण अविभाजित संबलपुर और कालाहांडी जिलों की जरूरतों को पूरा करेगी।

अतः मैं रेल मंत्रालय से नवापाड़ा रोड से बारगढ रोड वाया पदमपुर तक प्रस्तावित रेल संपर्क को बिना किसी विलम्ब के अनुमोदित करने और अगले रेल बजट में परियोजना का काम शुरू करने का प्रावधान करने का आग्रह करता हूं।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): महोदय, मैं स्वयं को इस मुद्दे से जोड़ता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बी.के. देव का नाम भी असोसियेट कर दीजिए।

(सत्रह) कंचनमलाई हिल्स में उपलब्ध लौह अयस्क के उपयोग को ध्यान में रखते हुए सेलम इस्पात संयंत्र का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): वर्ष 1981 में, सलेम इस्पात संयंत्र एक इस्पात बेलन मिल के रूप में शुरू हुआ था। हाल ही में केन्द्र सरकार ने सलेम स्टील प्लांट के नवीकरण के लिए 1553 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं।

सलेम इस्पात संयंत्र के नजीदीक क्षेत्रों जैसे कंचनमलाई हिल्स में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध है। लौह अयस्क में फेरस तत्व न्यूनतम 60 प्रतिशत के मानक की अपेक्षा केवल 35 प्रतिशत ही है। इस्पात मंत्रालय नवीनतम प्रौद्योगिकी की सहायता से और लौह अयस्क को अच्छे फोरम तत्व से मिलाकर कंचनमलाई हिल्स में उपलब्ध लौह अयस्क का उपयोग कर सकता है, यह देश के लिए बहुत उपयोगी होगा।

अतः, मैं सरकार से आवश्यक कार्यवाही करने और सलेम इस्पात संयंत्र को बीकारो, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के स्तर का बनाने का निवेदन करता हूं।

(अठारह) उन अनुसूचित जातियों, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, को भी आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, डा. बाबासाहेब अंबेडकर जी के नेतृत्व में 14 अक्तूबर, 1956 के दिन नागपुर महाराष्ट्र में 20 लाख लोगों ने हिन्दू धर्म को त्याग कर समाजवादी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। उसे इस वर्ष 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस वर्ष में तथागत गौतम बुद्ध की 2550वीं जयन्ती भी आ रही है। भारत सरकार से अनुरोध है कि बैद्ध धर्म दीक्षा समारोह का स्वर्ण जयंती महोत्सव और बुद्ध जयंती 2550 बड़े धूमधाम से मनायी जाए। इस कार्यक्रम में दुनिया के सभी बौद्ध राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए।

महाराष्ट्र में जो लोग अनुसूचित जाति से बौद्ध बने हैं, उन्हें अनुसूचित जाति की सभी सुविधाएं, जैसे - शिक्षा, नौकरी में आरक्षण देने का निर्णय 1990 में लिया गया था, लेकिन 2001 की जनगणना में बौद्धों को अनुसूचित जाति से निकाल दिया गया है। इन्हें दोबारा अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए।

अपराह्न 2.32 बजे

असम राइफल्स विधेयक, 2006

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 15, असम राइफल्स विधेयक, 2006 पर चर्चा करेंगे। इसके लिए निर्धारित समय मात्र एक घंटा है। श्री रघुपति।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): उपाध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:-

> "कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विद्रोह से निपटने का अभियान चलाने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल प्राधिकारियों की सहायता में कार्य करने तथा उससे सम्बंधित विषयों के लिए संघ के सशस्त्र बल असम राइफल्स का शासन करने सम्बंधी विधि का सम्मेलन और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस चरण में कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूं। असम राइफल्स का गठन 1835 में देश की पूर्वोत्तर सीमा पर पहरा

[श्री रघुपति]

और निगरानी के लिए तथा पूर्व के संयुक्त असम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को बनाये रखने में सिविल अधिकारियों की मदद के लिए कछार लेवी के रूप में की गई थी। विदेश मंत्रालय के पूर्ण नियंत्रण के अंतर्गत असम के गवर्नर ने इस बल की स्थापना की थी। स्वतंत्रता के समय इस बल में पांच बटालियन थे जो अब बढ़कर 46 हो गये हैं।

असम राइफल्स अधिनियम,1941 पारित होने के बाद यह केन्द्र सरकार के नियंत्रण में आ गया। वर्ष 1962 में इस बल का प्रचालन सेना के अधीन हो गया और 1965 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। इसमें प्रचालन सम्बंधी नियंत्रण अभी भी सेना के पास है।

लम्बे समय के बाद असम राइफल्स की संगठनात्मक संरचना, जिम्मेदारियों से जुड़े मामले और इसकी भूमिका में काफी बदलाव आया है। इस बल के आकार और जिम्मेदारी दोनों में विस्तार हुआ है। वर्तमान में असम राइफल्स निम्नलिखित कार्य कर रहा है।

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में सेना के प्रचालनात्मक नियंत्रण के अधीन, जब कभी आवश्यक हो, विद्रोह से निपटने के लिए अभियान चलाना तथा आंतरिक सुरक्षा सम्बंधी कार्य देखना;

2. भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा करना;

3. युद्ध के दौरान युक्तिक युद्ध क्षेत्र में पीछे के क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

4. युद्ध और शांति काल में, जहां और जब कभी जरूरत हो, अन्य प्रचालन कार्य में सेना की मदद करना;

वर्षों के अनुभव के बाद यह महसूस किया गया कि प्रशासन और अनुशासन के मामले में इस बल की वर्तमान जरूरतों की पूर्ति के लिए असम राइफल्स अधिनियम, 1941 पर्याप्त नहीं है। मौजूदा अधिनियम में निम्नलिखित दिक्कतें या कमियां हैं:-

1. केवल कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक के अधिकारियों के पदों का उल्लेख है। इस अधिनियम में महानिदेशक, अपर-महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक, उप-कमांडेंट के रैंक के पद विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

2. काडर ऑफिसर्स अर्थात वे अधिकारी जिनकी बल के रैंकों से सूबेदार मेजर के रैंक में प्रोन्नति हुई है, का मौजूदा असम राइफल्स अधिनियम में उल्लेख नहीं है।

3. असम राइफल्स अधिनियम, 1941 में सुरक्षा बल न्यायालयों का प्रावधान नहीं है, परिणामतः विभिन्न तरह के अपराध करने वाले बल के कार्मिकों के मुकदमे जांच तथा सुनवाई के लिए सिविल पुलिस को दे दिए जाते हैं जैसा कि अन्य अर्ध सैनिक बलों के मामले में नहीं होता।

4. असम राइफल्स अधिनियम, 1941 में किसी प्रकार के विभागीय उपचार जैसे अपील, माफी, छूट आदि का प्रावधान नहीं है और इनके मुकदमों के मामले में अपील केवल सत्र न्यायालय में ही हो सकती है।

5. असम राइफल्स अधिनियम, 1941 में इस बल को संघ की सशस्त्र बल के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

इसलिए, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा असम राइफल्स अधिनियम को अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों को शासित करने वाले अधिनियमों के समान बनाने के लिए असम राइफल्स अधिनियम, 1941 को एक नये कानून द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है। इस प्रस्तावित कानून के विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं:-

1. संघ के सशस्त्र बल के रूप में असम राइफल्स का गठन;

2. असम राइफल्स के सैनिक तथा असम राइफल्स काडर के अधिकारी, दोनों, को इस अधिनियम अर्थात्, प्रस्तावित असम राइफल्स अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा। तथापि, सेना से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सैनिक सेना अधिनियम, 1950 द्वारा शासित होंगे।

3. इस बल के कार्मिकों द्वारा किये गए अपराधों की सुनवाई विधिवत रूप में गठित असम राइफल्स न्यायालय द्वारा की जाएगी।

4. अपराध करने वालों की नजरबंदी, अभिरक्षा और सुनवाई से सम्बंधित प्रावधान इस प्रस्तावित कानून में सम्मिलित हैं।

5. असम राइफल्स न्यायालय की संरचना तथा गठन और इस प्रकार के न्यायालयों द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया तथा अन्य सम्बंधित मामले।

6. सजा, माफी और छूट की पुष्टि, परिशोधन और निष्पादन आदि तथा अन्य विविध शेष प्रावधान।

7. कुछ अपराधों के लिए बल के सदस्यों के वेतन और भत्ते से कटौती करना।

8. मृत्युदंड तथा सजा का निष्पादन, बल के सदस्यों की शक्तियों तथा उनको सौंपे जाने वाले कार्य से सम्बंधित प्रावधान।

9. बल के सदस्यों के कार्यों का संरक्षण।

10. प्रस्तावित नये अधिनियम के अंतर्गत नियम और विनियम बनाने का अधिकार।

इस विधेयक के 12 अध्यायों में से अध्याय सं. 2 और 3 बल के गठन तथा सेवा सम्बंधी विशेषाधिकारों से सम्बंधित हैं। अगले आठ अध्याय अपराधों, सजा, शास्तिक कटौती, गिरफ्तारी और सुनवाई के दौरान प्रक्रिया, असम राइफल्स न्यायालय का गठन, प्रक्रिया, पुष्टि तथा परिशोधन को परिभाषित करने तथा सजा, माफी और छूट आदि की पुष्टि, परिशोधन और निष्पादन से सम्बंधित हैं।

प्रस्तावित नया कानून वर्तमान अधिनियम का अद्यतनीकरण या समुन्नत बनाना है जिसकी गृह मंत्रालय सम्बंधी 13वीं लोक सभा की स्थायी संसदीय समिति द्वारा विधिवत जांच की गई है तथा स्वीकार किया गया है। उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्तमान विधेयक के खंड 2 और 108 में आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं।

ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि असम राइफल्स, जिसका गठन 1835 में हुआ था, को प्रस्तावित कानून के अंतर्गत गठित माना जाएगा। इस बल के प्रशासन से सम्बंधित सारा व्यय भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा। चूंकि बल का गठन पहले ही हो चुका है इसलिए जब इस विधेयक को अधिनियमित किया जाएगा तथा लागू किया जाएगा तो इस पर कोई अतिरिक्त अनावर्ती स्वरूप का व्यय होने की संभावना नहीं है।

महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, राज्य सभा द्वारा यथापारित, इस विधेयक पर इस सम्माननीय सभा द्वारा विचार करने तथा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विद्रोह से निपटने का अभियान चलाने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल प्राधिकारियों की सहायता में कार्य करने तथा उससे सम्बंधित विषयों के लिए संघ के सशस्त्र बल असम राइफल्स का शासन करने सम्बंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सीट पीछे है। मैं अगली पंक्ति में बैठा हूं। यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं यहां से अपना भाषण प्रारम्भ कर दूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। आपको अनुमति है। आप यहां से बोल सकते हैं।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': उपाध्यक्ष महोदय, असम राइफल्स विधेयक, 2006 जो सदन के सामने लाया गया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। यह बहुत प्रतीक्षित बिल था। इसे एन.डी.ए. की सरकार ने ड्राफ्ट किया था और इसके हर पहलू पर विचार करने के बाद, 8 मई, 2003 को इसे माननीय लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। असम राइफल्स देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे रही है और देश की सुरक्षा में इसका बहुत बड़ा बलिदान रहा है। इसलिए यह जरूरी हुआ कि इसे स्टेंडिंग कमेटी को भेजा जाए। अत: इसे स्टेंडिंग कमेटी को भेजा गया और उसने तमाम सिफारिशें दीं जिनमें से कुछ को सरकार ने स्वीकार किया और 19 दिसम्बर को रिपोर्ट आई, लेकिन उस समय चूंकि लोक सभा भंग हो गई और यह विधेयक लैप्स हो गया। इसलिए सेम विधेयक को माननीय मंत्री जी राज्य सभा में 16 मई, 2006 को पारित कराने के बाद, पुन: यहां लेकर आए हैं। उन्होंने इसका बैकग्राउंड भी दिया है कि कैसे 1835 से बल प्रारम्भ हुआ। पहले यह असम के नियंत्रण में रहा, फिर विदेश मंत्रालय के नियंत्रण में रहा और वर्तमान में यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है, लेकिन इसमें भी दोहरी व्यवस्था है। दोहरी व्यवस्था यह है कि जहां नैशनल एरिया होगा, जहां शत्रु से युद्ध करना होगा, वहां तो आर्मी का ऑपरेशन कंट्रोल रहेगा और जहां दंड की व्यवस्था अथवा अन्य प्रशासन की व्यवस्था है, वहां होम अफेयर्स मिनिस्ट्री का कंट्रोल रहेगा। इन सबको कंसौलीडेट करते हुए, यह बहुत प्रतीक्षित विधेयक है, जिसे आज यहां पारित करने के लिए लाया गया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए, कुछ सुझावों के साथ टिप्पणी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

हूं कि यह विधेयक सदन में आज पास होने के लिए आया है इसलिए इसमें तात्कालिक संशोधन नहीं आएंगे। इस बात को मानते हुए कि हमारी ओर से कोई विधिक आपत्ति आए या सुझाव के रूप में कोई बात आए, तो तात्कालिक कोई संशोधन होगा और इसमें कोई परिवर्तन होगा, यह सम्भव नहीं है। मेरा निवेदन है कि यदि ऐसे कोई सुझाव आएं, तो उन्हें शासन अपने ध्यान में रखे, तो ठीक रहेगा। चैप्टर 12 के अन्तर्गत विनियम और नियम बनाने की शक्तियां इसी विधेयक के द्वारा केन्द्र सरकार प्राप्त कर लेगी। अतः इसके अन्तर्गत रूल्स और रैगुलेशन्स बनाते समय यदि इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा, तो केवल फोर्स के लिए ठीक रहेगा क्योंकि ऐसा करना असम राइफल्स के जो जवान बहादुरी के साथ, आतंकवादियों के साथ संघर्ष में मोर्चा ले रहे हैं और शांति काल में जहां राहत देने का भी काम कर रहे हैं, ला-एंड-आर्डर को मैनटेन करने में सहयोग दे रहे हैं, उनके लिए लाभप्रद होगा।

महोदय, इस बारे में इस विधेयक में जो चैप्टर आया है, वह अध्याय 3 है। इसमें सेवा के जो विशेषाधिकार हैं, वे दिए गए हैं। इसमें यह है कि कौन-कौन से विशेषाधिकार रहेंगे। उनका उल्लेख खंड 14 से 20 तक में किया गया है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि वेतन में से केवल प्राधिकृत कटौती की जाएगी, व्यथित व्यक्तियों को अपने ऑफीसर से यदि कोई नाराजगी है, तो उसकी शिकायत वह उससे सीनियर ऑफीसर को कर सकेगा और उन्मुक्ति की अवस्था में, कहीं कोई सिविल अटैचमेंट है, तो उसके अन्तर्गत यदि उसके ऊपर कोई मुकदमा चलेगा, तो वह उस मुकदमे के प्रभाव से वंचित रहेगा। उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। यदि उनके ऊपर ऋण है और ऋण के अन्तर्गत गिरफ्तारी का वारंट है, तो वे वारंट से विमुक्त रहेंगे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। असम राइफल्स के न्यायालय में हाजिर होने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, उन्हें उससे वंचित रखा गया है। इसका क्लाज 20 बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य विधियों के अन्तर्गत बल के जवानों को कुछ अधिकारी और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो सकेंगे। इस संबंध में मेरे पास तीन रिप्रजेंटेशन आए हैं। मैं इनका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि असम राइफल्स का जो 1941 का बिल है, जो वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत शासित है और वह इस विधेयक के पारित होने के बाद, नए अधिनियम का स्वरूप ग्रहण करेगा, तब वर्ष 1941 का असम राइफल्स अधिनियम व्यपगत हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा और रिपील हो जाएगा।

लेकिन तब तक, जो वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, यहां से सेवानिवृत्त होने के बाद जवानों के लिए जो व्यवस्था की गयी है कि वह असम राइफल्स, पूर्व सैनिक संगठन के अंतर्गत कार्य करेंगे, अपने सुझाव और अपनी आवश्यकताएं बल के समक्ष रखेंगे, आप जानते हैं कि बल के गठन में भिन्न प्रांतों के लोगों की व्यवस्था है, जैसे हमारे कुमाऊं रेजिमेंट में कुमाऊं के 37 प्रतिशत लोग हैं, सिक्ख 15 प्रतिशत है, इसके अलावा जाट और अहीर इत्यादि हैं। जिस तरह से आर्मी का स्वरूप मिक्स्ड है, उसी तरह से असम राइफल्स का स्वरूप भी मिक्स्ड है, लेकिन इसका नाम असम राइफल्स है। इसमें उत्तरांचल के लगभग दस हजार जवान सेवारत हैं - लगभग 12 से 14 हजार तक - निश्चित गिनती सामने नहीं आयी है, इन्होंने तो बढ़ाकर बताया है, उसमें से कुछ सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी रिप्रजन्टेशन मेरे पास आयी है। असम राइफल्स सैनिक एवं पूर्व सैनिक संगठन, उत्तरांचल प्रदेश इसमें से एक है। इसके प्रिवलेजिज, जिसका मैंने उल्लेख किया, अध्याय संख्या तीन के अंतर्गत इन्होंने अपनी ओर से जानकारी दी है कि जो उनके प्रिवेलेजिज है, सेना अधिनियम के अनुसार जो सैनिक हैं, उनको प्राप्त तो है, इसके अतिरिक्त कुछ और प्रिविलेजिज जो उनको प्राप्त होते हैं, जो अन्य अधिनियमों में हैं, उनमें से एक है, इच्छापत्र करने का अधिकार। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 65 और 66 में व्यवस्था की गयी है कि जब वे किसी अभियान में नियोजित हों या किसी वास्तविक युद्ध में लगे हों तो उसे साधारण व्यक्ति द्वारा की गयी इच्छाओं के मामले में औपचारिकता और हस्ताक्षर का अनुप्रमाण का अनुपालन किए बिना, मौखिक रूप से भी विशेषाधिकार प्राप्त इच्छा का अधिकार हो। चूंकि इच्छा विशेषाधिकार का क्षेत्र है और सैनिक के लिए भी व्यवस्था है, इसलिए जब इसमें नियम बनाने की व्यवस्था आए तो इसमें इस प्रिविलेज को भी जोड़ा जाना चाहिए।

इसी के साथ-साथ ड्यूटी के दौरान पथकर से छूट मिलनी चाहिए, जो इस विधेयक में नहीं है। इसका उल्लेख इस तरह से आया है कि पथकर थलसेना तथा वायुसेना अधिनियम 1901 और 1902 की धारा 3 के अधीन सेवा में होने वाले व्यक्तियों को सेना पदाधिकारियों के आदेशाधीन अपने परिवार के सदस्यों तथा माल-असबाब सहित संचलन के दौरान किसी भी पथकर की अदायगी से छूट है। इसमें ट्रांसफर, फैमिली के साथ आना-जाना है और ट्रक में जो सामान है, उसका रोड टैक्स माफ होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसे भी माननीय मंत्री जी संज्ञान में लेंगे।

इसके अतिरिक्त न्यायालय फीस में भी छूट दी गयी है। न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 19 (ए) के अनुसार सेवा अधिनियम के अधीन होने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा निष्पादित मुख्तारनामा न्याय फीस से मुक्त है लेकिन सिविल नियोजन में नहीं है। इसके अल्वा कई अन्य विषय हैं, जिनके विस्तार में मैं

नहीं जाना चाहता हूं। मुझे जो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, मैं अपनी ओर से वे माननीय मंत्री जी तक भिजवा दूंगा।

दूसरा ज्ञापन, जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, इसमें असम राइफल्स पूर्व सैनिक संगठन, रानीखेत, जिला अलमोड़ा के अध्यक्ष यू.डी. जोशी ने भी अपनी ओर से मांग की है। इसमें सुविधाओं का कोई उल्लेख नहीं है। जो सुविधाएं उनको नहीं मिली है, उसमें जो प्रमुख सुविधा है, जिसके लिए मैं और बी.सी. खण्डूरी जी लगातार मांग करते रहे हैं कि जिस तरह से फौज के लिए सी.एस.डी. कैंटीन की सुविधा है, उसी तरह से इस बल के लिए भी यह सुविधा होनी चाहिए। चाहे असम राइफल्स हो, आई.टी.बी.पी. हो, बी.एस.एफ. हो, हर एक बार्डर पर रहते हुए अघोषित और प्रौक्सी वार लड़ना पड़ता है। इसके अलावा अग्रैशन का पहला सामना इन्हीं को करना पड़ता है, लेकिन सी.एस.डी. कैंटीन की सुविधा इनके लिए नहीं है। इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी संगठनों का यह कहना है कि यह सुविधा इनको भी मिले। इसके लिए फौज के साथ इस बारे में बातचीत की जा सकती है। यदि हम अलग से कैंटीन नहीं बनाना चाहते हैं तो पूर्व सैनिकों को जो सुविधाएं मिलती है, चाहे वह लिकर के मामले में हो, राशन के मामले में हो अथवा अन्य उपयोग की वस्तुओं के मामले में हो, जैसी सुविधा उनको मिल रही है, उसी तरह से इनको भी मिलनी चाहिए। इनके पे-स्केल तो ईक्वल हैं लेकिन यह सुविधा नहीं होने से इन्हें मार्किट में बहुत समस्याएं खड़ी होती हैं।

इसके अलावा इनका जो विशेष उल्लेख है कि उनके बच्चों के लिए विशेष रूप से छात्रवृत्ति मिले, उनको प्रवेश में अंकों की छूट मिले और इसके अतिरिक्त जो जिला स्तर पर फौज के सिपाही के लिए या पूर्व आफिसर के लिए, डी.एम. या एस.पी. को विशेष रूप से ध्यान देना होता है, लेकिन जो इस बल के जवान हैं, उन पूर्व सैनिकों के प्रति कतई कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इनके और भी मसले हैं, उनका उल्लेख अलग से है। दूसरे हाल ही में इनकी जो कांफ्रेंस हुई है, इन्होंने जो रिप्रेजेण्टेशन दिया है, इनकी एसोसिएशन ने इसके लिए जिक्र किया है, असम रायफल्स एसोसिएशन, अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ ने दो विषय मुख्य रूप से लिए हैं। इनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में जो डैपुटेशन के कारण आर्मी के आफिसर्स आते हैं, चूंकि इस बिल में भी व्यवस्था है कि फौज के आफिसर ऑन डैपुटेशन असम रायफल्स में आयेंगे तो लिहाजा उनके डैपुटेशन में आने के कारण जो प्रमोशन में, यानी कि हर एक का जो पदोन्नति का अवसर है, वह बहुत अधिक घटता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के एक स्पीकर और भी हैं, यह आप देख लें। आपको 12 मिनट हो गये और एक घंटा सारा टाइम है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): इनीशियल फर्स्ट स्पीकर हैं, इसलिए थोड़ा तो ध्यान रखिये।...*(व्यवधान)*

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': दो-तीन लीगल पाइंट्स अभी आएंगे। डैपुटेशन की बात मैं खत्म कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, मैं फाइल आपके पास भिजवाऊंगा। उनका यह एलीगेशन भी है कि जो लोग डैपुटेशन पर आते हैं, चूंकि असम राइफल्स एक्ट 1941 का है, वह उनके ऊपर लागू नहीं होता, लिहाजा जो निर्माण के कार्य हैं और जिसकी बार-बार इसमें रिपोर्टिंग आई है, हमारे लिए खेदजनक है कि मीट खरीदने के मामले में, राशन खरीदने के मामले में, कंस्ट्रकशन के मामले में बड़े-बड़े करप्शन के चार्जेज हैं, जिनकी जांच नहीं हो पाती, लिहाजा इस विषय को विशेष रूप से देखे जाने की आवश्यकता है। इनके जो सारे रिप्रेजेण्टेशन हैं, वे मैं माननीय मंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दे रहा हूं।

मैं तीन विषय, जो क्लाज 93 है, क्लाज 108 है और क्लॉज 120 है, इन तीनों की ओर माननीय मंत्री जी का और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो क्लाज 93 है, उसके अन्दर उल्लेख किया गया है। इसको देखने से लगता है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। भविष्य में इस विषय पर गहराई से विचार होना चाहिए। क्लाज 93 के अन्तर्गत है कि असम राइफल्स न्यायालय को विघटित या कोर्ट्स की बन्दी नहीं है, लेकिन कोर्ट्स का डिजोल्यूशन कब होगा, उसका विघटन कब होगा, इनका कहना है, यदि विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी असम राइफल्स न्यायालय में उन आफिसरों की संख्या, जिनसे

अपराह्न 02.53 बजे

(श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*)

मिलकर वह बना है, उस न्यूनतम संख्या से, जो इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है, कम हो जाती है तो उसे विघटित कर दिया जायेगा। दूसरे बीमारी के कारण यदि निष्कर्ष के पहले विधि आफिसर की या अभियुक्त की उपस्थिति रुग्णता के कारण विचारण चलाते रहना असम्भव हो जाता है तो असम राइफल्स न्यायालय को विघटित कर दिया जाएगा। इसमें दूसरा क्लाज भी दिया है। इसके बाद क्लाज 93 के सब क्लाज चार में दे दिया कि जहां असम राइफल्स न्यायालय को इस धारा के अधीन विघटित कर दिया जाता है, वहां अभियुक्त का विचारण फिर से किया जायेगा, यानी ट्रायल अगर एक बार स्टार्ट है और वह एवीडेंस की स्टेज पर चला जाये, जब साक्ष्य भी ग्रहण हो गया, काफी आगे तक मामला बढ़ गया, लेकिन उसका कोई प्रीजाइडिंग आफिसर बीमार पड़ गया तो उसका डिजोल्यूशन हो जायेगा,

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

कोर्ट का विघटन हो जायेगा और फिर नये सिरे से ट्रायल होगा। इसमें सारे साक्ष्य आ गये तो दोबारा ट्रायल करने के बजाय इसमें संशोधन आना चाहिए था कि ऐसी स्थिति में यदि विघटन हुआ तो विचारण जिस स्तर तक हुआ है, उसके आगे का ट्रायल चलना चाहिए, न कि पूरे के पूरे ट्रायल को विघटित करना चाहिए, जबकि वह बीमारी की स्थिति में है। इसकी ओर विशेष रूप से माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

अब मैं दूसरे क्लाज पर आता हूं। मैंने तीन का उल्लेख किया था, उसमें जो दूसरा क्लाज है, वह क्लाज नं. 108 है। इसमें व्यवस्था दी गई है कि जब कहीं जो भी निर्णय होगा, चाहे वह मृत्युदंड तक हो, मृत्युदंड तक की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं और चार आफिसर हों, 5 आफिसर हों तो जो प्रीजाइडिंग आफिसर्स हैं, उनका जो निर्णय होगा, सदस्यों के द्वारा मतदान-108 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, असम राइफल्स न्यायालय का प्रत्येक विनिश्चय स्पष्ट बहुमत से पारित किया जायेगा; और जहां या तो निष्कर्ष का दंडादेश के बारे में मत बराबर हैं वहां विनिश्चय अभियुक्त के पक्ष में होगा। इसका जो अंग्रेजी एडीशन आया है, उसमें वोट वर्ड आया है। एक शब्द वोट का इसमें उल्लेख है, यानी उसका 7 साल का कारावास या 14 साल का कारावास, केवल वोट करके न हो, बल्कि कम से कम उसमें न्यायिक निर्णय का उल्लेख होना चाहिए। वे उसमें रीजंस दें, न केवल वोट कास्ट करें और वोट के आधार पर उसका सारा फैसला हो। इस बारे में भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि जब स्ट्रेस की बात आती है, एक जवान दबाव में रहता है, तनाव में रहता है, आत्महत्याओं की इतनी सारी घटनाएं सामने आयी हैं, एक हवलदार ने फलां व्यक्ति को गोली मार दी, अपने अफसर से गुस्सा होकर उसने फायरिंग कर दी और यहां उससे ऐसी ड्यूटी लेना, इसके बाद उसके लिए ऐसे प्रावधान इस सदन में बनाना, इस संबंध में विशेष रूप से देखा जाना चाहिए कि वोट का प्रावधान न होकर जुडीशियस डिसीजन और ओपिनियन होना चाहिए।

एक क्लॉज 120 इसमें आया है, जो मैं समझता हूं कि न्यायिक सिद्धांतों के कतई विपरीत है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर कोई प्रीवियस कन्विक्ट है, पूर्व दोषसिद्ध है, एक बार व्यक्ति का कन्विक्शन हुआ हो, तो इसमें दोष सिद्धि के लिए, साधारण सील का साक्ष्य, क्लाज 120 (2) में कहा गया है कि धारा के अधीन प्राप्त किया गया साक्ष्य, यानी प्रीवियस कन्विक्ट की जो एवीडेंस हो, वह मौखिक या असम राइफल्स न्यायालय की पुस्तकों या अन्य विवेचनों की पुष्टि के रूप में मिल जाएगी, इसका विचारण किया गया है और विचारण के पूर्व यह सूचना देना आवश्यक नहीं होगा कि इसके पूर्व दोष-सिद्धी या सील के बारे में साक्ष्य प्राप्त किया जाएगा - यानी प्रीवियस कन्विक्ट के पूर्व दोष-सिद्ध का साक्ष्य मौखिक लिया जाएगा, जबकि यह हो सकता है कि किसी अफसर का जवान से कोई मनमुटाव है, तो वह निश्चित रूप से मौखिक रूप से कह सकता है कि यह तो प्रीवियस कन्विक्ट है। अगर कोई पूर्व दोष-सिद्ध है, तो उसका उल्लेख लिखित होना चाहिए, मौखिक नहीं होना चाहिए।

क्लॉज 3 में यह उल्लेख किया गया है कि इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन साबित किए जाने की अपेक्षा, करने के बदले, समरी असम राइफल्स का विचारण करने वाला आफिसर अपनी जानकारी के रूप में निरूपित कर सकेगा कि यह व्यक्ति पहले से दंडित था, अपनी जानकारी के आधार पर और मौखिक, ये जो दोनों प्रावधान हैं, हम कहेंगे कि इसमें निश्चित रूप से निष्पक्ष और न्यायिक और न्याय का प्रतिपादन होना चाहिए, जबकि इसके सिद्धांतों के यह कतई विपरीत है, ऐसी स्थित में, इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

मैंने उल्लेख किया कि स्ट्रेस क्यों हैं, क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और इनके लिए क्यों व्यवस्थायें नहीं हैं? शिक्षा और कैंटन की व्यवस्था आपकी ओर से नहीं हैं। कैंटीन की मांग कई बार की जा चुकी है। एक्स सर्विस मैन के लिए सी.जी.एच.एस. के पैटर्न पर पिछली सरकार व्यवस्था लायी थी, एक्स सर्विस मैन की गवर्नमेंट हास्पिटल स्कीम में, यदि एक बार वे रिटायरमेंट के बाद अंशदान दे दें और सरकारी चिकित्सालय और रिकमेंड करें, तो उनका प्राइवेट हास्पिटल में उपचार हो सकेगा, यह स्कीम इनके लिए नहीं है। बच्चों के लिए कहीं कोई अंकों की छूट दी जाएगी, यह व्यवस्था भी नहीं है। री-सेटेलमेंट की कहीं व्यवस्था नहीं है। उनको लगातार बार्डर पर रहना है, चाहे वह बर्मा का बार्डर हो या चाइना से लगा हुआ बार्डर हो। रेग्युलर आर्मी की तीन साल की ड्यूटी के बाद पीस ड्यूटी मिलती है, जब उसे शांति क्षेत्र में भेजा जाता है, लेकिन इनकी कोई बटालियन यहां नहीं है। जैसे आई.टी.बी.पी. के जवानों की हमेशा से मांग रही है कि हम हमेशा तिब्बत बार्डर पर रहते हैं, दिल्ली में या अन्य जगहों पर कुछ ऐसी बटालियंस होनी चाहिए कि तीन साल बर्फीले इलाके के बाद, वे कम से कम साल भर यहां पर आकर रह सकें।

अंत में मैं कहना चाहूंगा जो फेमिली क्वार्टर्स हैं, सैनिकों के आवास के लिए फैमिली क्वार्टर्स की व्यवस्था है, लेकिन इनके लिए फैमिली क्वार्टर्स की व्यवस्था नहीं है, पत्नी और माता-पिता के लिए कोई व्यवस्था नहीं। खुद बार्डर पर हैं और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध नहीं। यही कारण है कि तनाव में रहते हुए,

उनके सामने वही स्थिति आती है कि या तो अपने को वे गोली मार लेते हैं, या फिर अपने सहयोगियों पर गोली चलाते हैं। ये घटनाएं बढ़ रही हैं। उनको छुट्टी अफसर नहीं देते। ये सारी घटनाएं कम हों, इस दिशा में हम जरूर, जब हम इसके रूल्स और रैग्यूलेशन बना दें, माननीय मंत्री जी, इस विधेयक के पास होने के बाद, इस विषय में अवश्य ध्यान रखेंगे, ऐसा विश्वास मैं प्रकट करते हुए, चूंकि माननीय सभापति जी ने ज्यादा समय प्रदान नहीं किया, मुझे बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन माननीय मंत्री जी हमारी इतनी बातें मान लें, तो हमारे लिए पर्याप्त होगा। जो पूर्व सैनिक हैं और कार्यरत सैनिक असम राइफल्स में हैं, उनकी बहुत-बहुत अपेक्षाएं सरकार और इस विधेयक से हैं। इसलिए इस ओर आप अवश्य ध्यान देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 15.00 बजे

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): सभापति महोदय, मैं असम राइफल्स विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं इस विधेयक के खंडों की व्यावहारिकताओं के बारे में ही नहीं बल्कि असम राइफल्स से जुड़ी आम धारणा के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं।

कोहिमा कब्रिस्तान में एक शिलालेख है जो बहुत ही मशहूर है और उस पर लिखा हुआ है: 'जब तुम घर जाओ तो उनसे हमारे बारे में बताओ ओर कहो तम्हारे वर्तमान को संवारने के लिए हमने अपने भविष्य की और ध्यान नहीं दिया।' ये वे बहादुर लोग हैं जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर हमारा वर्तमान सुरक्षित किया। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि असम राइफल्स सबसे प्राचीन और सबसे बहादुर सैनिकों का बल रहा है जिसने न केवल इस देश की सीमा की रक्षा की है, देश में घुसपैठ का सामना किया है, देश में कानून-व्यवस्था बनाये रखने में मदद की है, बल्कि इसने क्षेत्र के विकास, शहरों में विकास और प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को राहत भी पहुंचायी है। वास्तव में, असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा गया है जो सच है। इसकी शुरुआत 700 या 800 और सामान्य लोगों के साथ कछार लेवी के रूप में हुई थी और आज इसके 46 बटालियन है, जो बहुत से देशों की सामान्य सेना से बड़ा नहीं है तो भी अपने-आप में एक बड़ा बल अवश्य है। यही कछार लेवी बाद में असम सैनिक पुलिस में बदल गया और बाद में इसका नाम फ्रन्टीयर पुलिस हो गया। 1917 में इसे असम राइफल्स का नाम दिया गया तथा 1941 में कन्द्र सरकार का ध्यान इस पर गया। असम राइफल्स केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों का हिस्सा बन गया और बाद में इसका प्रचालन सम्बंधी नियंत्रण सेना को दे दिया गया लेकिन इसका प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास बना रहा।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान असम राइफल्स ने वीरतापूर्ण बलिदान और योगदान किया था। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्वोत्तर-सीमा पर म्यांमार की ओर से जापानी हमले के दौरान बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया।

महोदय, असम राइफल्स ने न केवल पूर्वोत्तर में बल्कि पटना, कश्मीर जैसे क्षेत्रों में भी काम किया है तथा देश के विभिन्न भागों में कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने में मदद की है।

श्री बची सिंह रावत ने उन विभिन्न समस्याओं के बारे में ठीक ही कहा है जिनका असम राइफल्स के जवानों ने सामना किया था। असम राइफल्स के जवानों की जिन कठिनाइयों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनमें से एक पुराना असम राइफल्स अधिनियम है जिसमें पुराने अधिनियम के अनुसार, मैं ऐसा समझता हूं, कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट वरिष्ठतम अधिकारी थे। यहां तक कि महानिदेशक को भी इस विधिक प्रक्रिया में अधिकारिता प्राप्त नहीं है। अब इस विधेयक को आई.टी.बी.पी. अधिनियम के तर्ज पर प्रस्तुत किया गया है और परिणामतः इसके तहत बहुत सारी सुविधाएं और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और पूर्व की बहुत सारी अनियमितताओं को अब नियमित किया जाएगा। उदाहरण के लिए अब असम राइफल्स के लिए अपनी स्वयं की कोर्ट मार्शल प्रणाली होगी। एक अर्धसैनिक बल के लिए कोर्ट मार्शल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियामक प्रक्रिया है। इसी प्रकार, जहां तक सैनिकों के विशेषाधिकार और उनकी सुविधाओं का सम्बंध है, इस बारे में इस विधेयक में ध्यान रखा गया है यद्यपि मैं यह नहीं कहता कि इसमें सभी समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि लम्बे समय से कैंटीन सुविधा की मांग की जा रही है तथा असम राइफल्स के जवानों के लिए नियमित सेना के समान सेवानिवृत्ति सुविधाएं देने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है।

उनके बच्चों की स्थिति के बारे में काफी चिंताएं हैं क्योंकि वे हर समय कठिन क्षेत्रों में तैनात रहते हैं तथा लड़ते रहते हैं। सेना की तरह असम राइफल्स के जवानों के लिए कोई शांति-काल या आसान-पदस्थापन नहीं होता। वे हमेंश युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। हमें पुलिस बल के इन बहादुर लोगों को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र को न केवल ताकत

[श्री किरिप चालिहा]

के बल पर बल्कि लोगों को सामाजिक रूप में तथा सांस्कृतिक रूप से मदद करके इसे राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़े रखा है।

असम राइफल्स को सिविल प्रशासन का वायां हाथ तथा सेना का दाहिना हाथ कहा गया है। इसका कारण यह है कि असम राइफल्स ने एक समय इस मायने में एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय भूमिका निभाई थी, अंग्रेजों ने इसे सेना से भी अधिक महत्य दिया था क्योंकि उस समय भारतीय सैनिक बल को एक विशिष्ट बटालियन की जरूरत थी जो उस समय भारत के समक्ष उपस्थित विचित्र समस्याओं का सामना कर सके। आज भी यह बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो रहा है। वस्तुतः, मैं सोचता हूं कि बटालियनें उग्रवाद से लड़ रही हैं। वे उग्रवाद से लड़ने तथा कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए हैं। मैं सोचता हूं आप इस बात से सहमत होंगे की आज समय की यही मांग है। असैनिक स्थिति का सामना करने के लिए हमें सीधे सेना भेजनी चाहिए या नहीं, आतंकवाद का सामना करने के लिए हमें सीधे सेना भेजना चाहिए या नहीं, इस सम्बंध में दो राय हैं। बहुत से सैनिक विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं कि ऐसा करके हम सेना को नरम बना रहे हैं। एक विशेष परिस्थिति में उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ना समय की मांग है। असम राइफल्स जैसे संगठन को इस सम्बंध में बहुत कार्य करना है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको उचित मान्यता दें।

जैसा कि पूर्व में कहा गया मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं बहुत संक्षेप में सामान्य टिप्पणी करूंगा क्योंकि बहुत सीमित समय है। मैं सोचता हूं कि जिन कल्याण उपायों के बारे में यहां कहा गया है वे पर्याप्त है लेकिन निश्चित रूप से और अधिक उपाय करने की जरूरत है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकते। इस पर जोर दिया जाना चाहिए। हमें इस बात पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए कि सभी अधिकारी हर समय किसी न किसी के खिलाफ रहते हैं। लेकिन वहां तनाव की स्थिति है। लेकिन यह केवल असम राइफल्स की बात नहीं है। पुलिस और अर्ध सैनिक बलों में यह स्थिति मौजूद है। इस बात का श्रेय असम राइफल्स को जाता है कि उसने अन्य बलों की तुलना में इस स्थिति से निपटने में अधिक लचीलापन दिखाया है।

अर्ध सैनिक बलों के लिए आवास-सुविधाओं की बहुत मांग की जा रही है। इन लोगों पर हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया में निष्पक्षता लाने की जरूरत है। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया सम्बंधी निष्पक्षता पर सही मायने में जोर दिया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या एक मात्र अधिकारी न्यायिक जांच करने की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त है या इसके लिए अधिकारियों के एक दल का होना जरूरी है। रावत जी ने मतदान प्रणाली के बारे में कहा है। मैं फिर भी कहूंगा कि सर्व सहमति बनाना या अधिकांश की राय मानना सदैव ही एकल निर्णय से अच्छा होगा हम सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए।

अतः में, मैं मात्र यह कहते हुए समापन करना चाहता हूं कि जब हम असम राइफल्स द्वारा किये गए बहादुरी के कार्य की बात करते हैं तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मणिपुर में इरोम चानू शर्मिला नाम की एक महिला हैं जो दो वर्ष से भी अधिक से उपवास पर बैठी है। हमें यह भी अवश्य ही नहीं भूलना चाहिए कि कभी-कभी असम राइफल्स के कार्मिकों द्वारा शक्ति के गलत प्रयोग के विरुद्ध कुछ शिकायतें भी मिलती हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जवानों के विरुद्ध शिकायतों के निपटारे के लिए एक तंत्र अवश्य होना चाहिए।

मेरा अंतिम निवेदन है कि, मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि असम राइफल्स पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशिष्ट तरह के उग्रवाद के खिलाफ लड़ रहा है, इसकी संरचना अखिल भारतीय आधार पर की जानी चाहिए। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी स्थिति से निपटने तथा उग्रवादियों से लड़ने के लिए इस बल ने पूर्वोत्तर-क्षेत्र के लोगों का बड़ी संख्या में होना आवश्यक है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि भर्ती के समय पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को असम राइफल्स में भर्ती होने के लिए उत्साहित करे क्योंकि जब इसकी संरचना क्षेत्रीय लोगों के साथ होगी तब वे उन उग्रवादियों से लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे जो स्वयं इसी क्षेत्र के हैं। तब राष्ट्रीय और राष्ट्र विरोधी; क्षेत्रीय और क्षेत्र-विरोधी का प्रश्न समाप्त हो जाएगा और असम राइफल्स आतंकवाद से लड़ने में न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि मानसिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ एकबार पुनः मैं असम राइफल्स के जवानों को पूर्वोत्तर की रक्षा में उनकी बहादुरी पूर्ण भूमिका के लिए श्रद्धांजलि देता हूं और मैं मंत्री जी को आज इस विधेयक को पारित कराने के लिए बधाई देता हूं।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): सभापति महोदय, असम राइफल्स विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए आप ने मुझे अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

इस बल की स्थापना पहली बार 1835 में हुई थी। उस समय यह बहुत ही छोटा बल था और इसका गठन देश की सुरक्षा के लिए किया गया था। बाद में पांच बटालियनों का निर्माण किया गया और इस समय इसमें 46 बटालियन हैं। इस देश की आबादी में वृद्धि के साथ ही इस बल के कार्मिकों की संख्या में भी वृद्धि हुई। अब उनकी समस्याओं की संख्या भी बढ़ी है।

असम राइफल्स अधिनियम को संसद में 1941 में अधिनियमित किया गया था लेकिन उसमें एक कमी है। यह इस बल के अधिकारियों और सदस्यों पर ही लागू नहीं होता। इसलिए, इन दिनों आज उनके बीच में ही समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्हें वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इस बल को आधुनिक बनाना है। इसलिए यह विधेयक आवश्यक हो गया है।

महोदय, इस विधेयक में छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। शत्रु के साथ युद्ध के समय सेना, शराब पीना जैसे छोटे अपराधों के लिए भी सख्त सजा का प्रावधान है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे अपराधों के लिए सजा मिलनी चाहिए लेकिन ये सजा बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए। वे सदैव ही ऐसे क्षेत्रों में पदस्थापित रहते हैं जहां उपद्रव होते रहते हैं और सीमा पर वे बहुत ही गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। इसलिए, सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि इस बल के अधिकारियों और सैनिकों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। उनकी स्थिति बहुत खराब है। सीमा-क्षेत्रों में मौसम बहुत खराब है और सीमा पर वे हर तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए, कृपया उनके हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, असम राइफल्स विधेयक, 2006 के संबंध में चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। वर्ष 1950 प्रारम्भ में सिर्फ 5 बटालियन असम राइफल्स की थीं। असम सैन्य बल 1941 के अधिनियम के तहत ही इसके सभी कार्य होते थे। अब इसमें लगभग 46 बटालियनें हैं। प्रशासन और प्रबंध एक जटिल समस्या थी। इसे सुलझाने के लिए विधेयक लाया गया है। मेरे ख्याल से सभी, जो इसमें भाग लेने वाले हैं और जिन लोगों ने इस विधेयक के बारे में पढ़ा होगा तथा सैन्य बल के बारे में पढ़ा होगा, मैं व्यक्तिगत रूप से असम राइफल्स की प्रशंसा भी करता हूं क्योंकि यह सर्वोत्तम केंद्रीय बलों से एक बल है। असम राइफल्स को सेना का बल भी कहा जाता है। जो केंद्र शासित राज्य हैं वहां पर इन बलों की विशेष भूमिका है। चाहे वह भारत की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो या आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था की बात हो, या आतंकी हमले की बात हो, बढ़चढ़ कर असम राइफल्स उनके खिलाफ भाग लेती है और इनका कार्य बहुत सराहनीय रहा है। इस बिल में तमाम प्रावधान किए गए हैं, इस बल के लोग जो सीमाओं पर है, मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा गया है कि कभी-कभी जब इनकी कुछ घरेलू परिस्थितियां होती हैं और जब यह छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं, तो इन्हें समय पर छुट्टी न मिलने के कारण ये अपने ही साथियों के साथ गोलाबारी करते हैं और आपस में मारे जाते हैं। इससे सैन्य बल में मानसिक और वैज्ञानिक तौर पर इनका उपचार होना चाहिए। खास कर इनके परिवार के लिए ही नहीं, इनके कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ इनको मिलना चाहिए, चाहे वह इनके बच्चों की शिक्षा या स्वास्थ्य की हो या अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजना हो, उनका फायदा इन्हें मिलना ही चाहिए। हमें मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए कि हमारे बीच के अपने भाई बंधु जो सेना में भर्ती हो कर जाते हैं। इनकी भी अपनी जरूरतें होती हैं, इनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। उन पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और इस बिल में मैंने देखा कि बहुत से प्रावधान किए गए हैं और खास कर इनके विवादों को निपटाने के लिए जो न्यायालय से संबंधित बातें कही गई हैं, इस मौजूदा विधेयक में, मेरे खयाल से बहुत कारगर होगा। खास कर प्रशासन और प्रबंधन में इस बिल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए इस बिल का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): सभापति महोदय, असम राइफल्स विधेयक, 2006 के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। असम राइफल्स के जवानों, उनके पदाधिकारियों और उनके साथ उत्पन्न समस्याओं और सीमांत क्षेत्रों में जो अपराध होते हैं, उन पर नियंत्रण करने के लिए यह बिल लाया गया है। अभी-अभी मैंने बिल को देखा है। इस बिल को 12 अध्यायों में खंडित करके 168 धाराओं का समावेश किया गया है। इन धाराओं में असम राइफल्स बल के साथ-साथ उसके स्थापन, गठन और उसके बाद जो अपराध कितने प्रकार होते हैं, दर्शाया गया है। अभी मैंने देखा कि धारा 21 से 46 तक इसमें अपराधों के प्रकार बताए गए हैं और उन अपराधों के लिए एक सजा निर्धारित करने के लिए तीन तरह के न्यायालय भी बनाए गए हैं। एक समरी न्यायालय है, दूसरा पेट्टी न्यायालय और तीसरा जनरल न्यायालय है। इन तीनों न्यायालयों में 30 प्रकार के लघु अपराध को, जिसमें लघुतर सजा का प्रावधान होगा, उसके लिए लघु न्यायालय में उनकी सुनवाई होगी।

मैंने देखा है कि इतने तरह के अपराध हैं। इसमें न्यायालय का गठन किया गया है। जो अपराध दर्शाए गए हैं उसमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, 14 या 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है लेकिन जो न्यायालय का गठन और स्वरूप है उसमें कानूनी जानकारी रखने

[श्री गणेश प्रसाद सिंह]

वाले व्यक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव होगा कि प्राकृतिक न्याय की जो बात की जाती है और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार लोग न्याय चाहते हैं उसके लिए आवश्यक है कि इसमें कानूनी प्रक्रिया की जानकारी का व्यक्ति होना चाहिए। मृत्यु दंड देने का जहां तक प्रश्न है, मेरा सुझाव होगा कि उसमें सत्र न्यायाधीश स्तर के पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसके ऊपर गृह मंत्री विचार करें।

मेरे साथियों ने बताया कि असम राइफल्स का काम सबसे कठिन है और उन्हें काफी दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ों में ड्यूटी और कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। अगर छोटी सी गलती हो जाए तो सजा मिलती है। आपको इस पर विचार करना चाहिए।

कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि जब किसी जवान से कोई अधिकारी नाराज हो जाता है तो उस पर गलत आरोप लगाकर सजा देने का काम किया जाता है। यदि अपराध के बारे में किसी को सजा सुनायी जाती है, उस समय पूछा जाता है कि आपको किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कुछ कहना है तो वह बताता है कि अमुक व्यक्ति मेरे खिलाफ है या मेरे विरुद्ध सजा सुनाने वाला है। इस बिल के अनुसार वे उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। इसमें ऐसे सभी प्रावधान किए गए हैं।

महोदय, मैं कह रहा था कि ये जवान दुर्गम स्थानों पर काम करते हैं। पहले असम राइफल्स विधेयक, 1941 था लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। 1950 तक इनकी पांच बटालियन थी लेकिन आज 46 हो गई हैं। इस प्रकार काफी संख्या की वृद्धि हो गई है। मेरा कहना है कि दुर्गम कार्य करने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों को ज्यादा सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। वे जाड़े, गर्मी, बरसात के दिनों में बराबर ड्यूटी पर रहते हैं। वे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। जो जवान राष्ट्र विरोधी काम करते हैं उन पर भी नियंत्रण करना चाहिए। असम राइफल्स स्थानीय प्रशासन के साथ मिल कर शांति-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करता है। इसलिए उन्हें पूरी सुविधाएं देनी चाहिए। जैसी आर्मी में सुविधाएं मिलती हैं वैसी सुविधाएं इनको भी देनी चाहिए। उन्हें क्वार्टर की सुविधा मिलनी चाहिए। दुर्गम स्थानों में क्वार्टर नहीं मिल सकते हैं। पहाड़ी, बर्फीले या जंगलों के निकटतम जो क्षेत्र हैं, उनके परिवार को वहां रहने के लिए आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां विद्यालय होने चाहिए। असम राइफल्स के जवानों के स्वास्थ्य की भी जांच सदैव होनी चाहिए। देखा जाता है सशस्त्र बलों के जवानों को छुट्टी नहीं मिलती हैं। उनके परिवार में कोई घटना हो जाती है तो ये जब छुट्टी की एप्लीकेशन देते हैं तो उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती है। इसका उनके दिमाग पर भारी असर पड़ता है। उनके परिवार में क्या कठिनाई है, वे कैसी आर्थिक, सामाजिक कठिनाई से गुजर रहे हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। वे अपने परिवार से न मिलने के कारण परेशानी से गुजरते हैं। वे अपने परिवारों से न मिलने के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, ऐसे समय में उनके इलाज के लिए एक डाक्टर होना चाहिए, जो हमेशा उनके स्वास्थ्य की जांच करे और उन्हें चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करे।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो बिल लाया गया है, यह बहुत प्रशंसनीय बिल है, मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने अपने वक्तव्य में जो सुझाव दिये हैं, उन पर माननीय गृह मंत्री जी अवश्य विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री सुग्रीव सिंह** (फूलबनी): माननीय सभापति महोदय, मैं बीजू जनता दल की ओर से असम राइफल्स विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं। इस बल का कार्य आतंकवाद और उग्रवाद आतंक से राष्ट्र की रक्षा करना है। सैनिक से लेकर उच्च रैंकों के अधिकारियों तक 'असम राइफल्स' लोगों का एक समर्पित निकाय है। उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। यद्यपि यह विधेयक देर से लाया गया है तथापि यह विधेयक सही दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह विधेयक एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा और पूरे बल को इससे लाभ होगा। 'असम राइफल्स' के कार्मिक समर्पण और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा करते आ रहे हैं।

हर रोज हम दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों में कई तरह के परेशानी वाले समाचार देखते या पढ़ते रहते हैं। आतंकवाद का हाथ हमारे देश में दूर-दूर तक फैल गया है। एक नागरिक के रूप में हम ऐसी घटनाओं से बहुत ही दुःखी हैं। घूसपैठिये बुरे इरादों के साथ हमारे देश के अंदर घूसपैठ कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य शांति में खलल डालना है। हमने हाल ही में दिल्ली और मुम्बई के बम्ब विस्फोट को देखा है। यहां तक कि उड़ीसा जैसा शांतिप्रिय राज्य भी हिंसा और उग्रवाद से अछूता नहीं है। इस राज्य में अब नक्सलवादियों ने अपना पैर पसार रखा है। वे निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं और सामान्य जिंदगी में व्यवधान डालना चाहते हैं। अब इस समस्या से सख्ती से निपटने का समय आ गया है। असम राइफल्स जैसा एक अर्धसैनिक बल पूरे देश के लिए आवश्यक है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

*मूलतः उड़ीसा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं माननीय गृह मंत्री से तद्नुसार कार्य करने के लिए नम्र निवेदन करता हूं। असम राइफल्स की स्थापना 1975 में 5 बटालियन के साथ हुई थी। अब इन बटालियनों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। लेकिन महानिदेशक, उप-महानिदेशक और महानिरीक्षक के पदों में आवश्यक वृद्धि नहीं हुई है। बहुत से पद रिक्त पड़े हैं और उन्हें भरा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में सरकार ने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि सभा में इस चर्चा के बाद स्थिति में सुधार होगा।

महोदय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सीमा सुरक्षा बलों में असम राइफल्स जैसे कार्मिक ही उन सीमा क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं जहां की भूमि कठोर पर्वतीय और मौसम की परिस्थितियां बहुत ही कठिन हैं। सामान्यतः, जीवन बहुत कठिन है। ये लोग राष्ट्र के लिए अपना बहुत कुछ बलिदान कर देते हैं। वे अपने परिवार से दूर रहते हुए कड़ाके की ठंड, गर्मी और तूफानी बरसात का सामना करते हैं। उनको भावनात्मक समर्थन और शारीरिक सुख पहुंचाने के लिए उनका परिवार उनके साथ नहीं होता है। बदले में सरकार को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन लोगों को इस समाज से उचित प्रतिदान मिले।

महोदय, आज प्रस्तुत असम राइफल्स विधेयक में कुछ अच्छी बातें हैं। लेकिन इसमें सम्मिलित कुछ अनुच्छेद बहुत सराहनीय नहीं हैं। विशेषकर मैं दंडात्मक प्रावधान का उल्लेख करना चाहता हूं। जहां तक दंड की बात है वह बहुत कठोर है। इन लोगों द्वारा जिस प्रकार की दिक्कतें यहां उठाई जाती हैं उनको ध्यान में रखते हुए छोटे अपराधों के मामले में थोड़ी उदारता दिखायी जानी चाहिए। कर्तव्यपालन में लापरवाही यदि गंभीर न हो तो कम कठोर होना चाहिए। भूल को सोची-समझी प्रवृति नहीं समझना चाहिए और इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। इसे राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं समझा जाना चाहिए। एक सहानुभूति पूर्ण सोच होनी चाहिए। जो लोग राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं वे हर तरह के सम्मान के पात्र हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए। जो सैनिक सीमाओं पर दिन-रात चौकसी कर रहे हैं उनके दिमाग में इस बात के लिए शांति होनी चाहिए कि उनका परिवार वित्तीय और सामाजिक रूप से सुरक्षित है। इसलिए, सभी प्रकार की सुविधाओं के अतिरिक्त उन्हें आस-पास के क्वार्टर्स आवंटित किए जाने चाहिए। महोदय, असम राइफल्स सम्बंधी इस विधेयक से बल का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। मैं विश्वास करता हूं कि केन्द्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता और गंभीरता दिखायेगी और विधेयक को शीघ्रता से पारित करेगी। अपनी पार्टी, बीजू जनता दल की ओर से मैं इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं।

श्री अजय चक्रबर्ती (बसीरहाट): सभापति महोदय, माननीय मंत्री सभा के अनुमोदन के लिए इस विधेयक को लाये हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में सदस्यों में कोई मतभेद नहीं है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी सदस्यों को इस विधेयक का अनुमोदन करना चाहिए। मैं भी इस विधेयक का समर्थन और अनुमोदन करता हूं।

असम राइफल्स हमारे देश की सबसे पुरानी बटालियनों में से एक है। सैनिक और अर्ध सैनिक बल में जवानों को सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए क्योंकि वे अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान अर्पित कर रहे हैं, वे हमारी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, वे आतंकवाद का कहर झेल रहे हैं और आतंकवाद से लड़ रहे हैं।

महोदय, चुनाव से लेकर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी हम उन्हीं की सेवाएं ले रहे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए असैनिक अधिकारियों द्वारा उन्हीं की सेवाएं ली जा रही हैं तथा लोगों की मदद, उनको राहत तथा प्राकृति आपदा के समय उनकी जान-बचाने के लिए उनकी सेवाएं ली जाती हैं। इतना ही नहीं, किसी भी राज्य में जब कभी कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो सम्बंधित राज्य सरकार राज्य में शांति बहाली के लिए सैनिक तथा अर्ध-सैनिक बलों का आह्वान करती है।

महोदय, प्रारंभ से ही ये सभी बटालियन देश के लिए बड़े-बड़े कार्य कर रही हैं। यहां तक कि वे अपना जीवन भी अर्पित कर रहे हैं। इसलिए, हमें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए और असम बटालियन के जवानों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए।

सैनिक और अर्ध-सैनिक बल के जवान कई तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी एक समस्या मानसिक समस्या है। अपने घर छोड़कर, अपनी भूमि, पत्नी, बच्चों को छोड़कर वे जंगलों में भटक रहे हैं।

वे पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों में अपना कार्य और कर्तव्य पालन कर रहे हैं। कभी-कभी उनकी छुट्टी भी मंजूर नहीं की जाती है। जब वे छुट्टी के लिए जैसे अपने बहन, भाई या लड़की या किसी सम्बंधी की शादी समारोह के लिए या अपने लड़कों या लड़कियों की पढ़ाई, चिकित्सा सम्बंधी कार्यों के लिए उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनकी छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाती है। आये दिन हम अक्सर देखते हैं कि किसी बैरक में, किसी सैनिक शिविर में और सीमा सुरक्षा बल, अर्ध सैनिक बल

[श्री तापिर गाव]

मानव (रोबोट) नहीं हैं, वे सब हमारे भाई हैं। उनकी मुख्य समस्या आवास की है। ये कर्मी जंगलों और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में लगे हैं। निश्चितरूप से वे अपनी चौकियों पर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं परन्तु उनके बच्चे और मित्र - जिनके साथ वे मुख्यालय में रहते हैं - आवासीय स्थलों पर बहुत बुरी परिस्थितियों में रह रहे हैं। मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन राज्यों में असम राइफल्स के इन जवानों को इन परिस्थितियों में वस्तुतः देखा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे असम राइफल्स के कर्मियों के लिए बनाए गए इस विधेयक पर विचार करते समय उनके लिए विशेषकर आवास, शिक्षा सुविधाओं और चिकित्सा विशेषता पर ध्यान दें।

सैन्य बलों में एक असमानता है। भारत सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों को अलग-अलग वर्ग में रखा है। अर्धसैनिक बलों को पेंशन या मृत्यु अथवा कोई दुर्घटना होने की स्थिति में जो क्षतिपूर्ति दी जाती है वह थलसेना, नौ-सेना और वायु सेना के कर्मियों को दी जाने वाली पेंशन या क्षतिपूर्ति से कम होती है। यदि हम इस व्यवस्था को भारतीय सेना के समकक्ष लाना चाहते हैं तो सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्धसैनिक बलों को मृत्यु होने की स्थिति में क्षति पूर्ति और पेंशन आदि को भी सेना के समकक्ष किया जाना चाहिए।

इसलिए, मेरा माननीय गृह मंत्री जी से यह विनम्र निवेदन है कि वे इसे इसी प्रकार देखें जिससे कि इस देश की सुरक्षा कर रहे जवान इन सब समस्याओं से मानसिक रूप से छुटकारा पा सकें।

मैं अर्धसैनिक बलों और सेना के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। यदि उनके गृह जनपद में संपत्ति या किसी अन्य चीज को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो वे असैनिक न्यायालयों में अपने मामले की पैरवी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। अतः, इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कि उनके मामलों में असैनिक न्यायालयों में तत्काल सुनवाई हो सके। यदि ऐसा कोई प्रावधान किया जाता है तो अर्ध-सैनिक बलों में कार्यरत हमारे भाई, जो सीमाओं पर हमारी सेवा कर रहे हैं, इन चिंताओं से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं।

हमने यह देखा है कि असम राइफल्स के कर्मी अन्य बहुत सी सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, वे न केवल हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं; वे न केवल पूर्वोत्तर में अलगाववाद से संघर्ष कर रहे हैं; वे अन्य बहुत से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अतः, इस विधेयक में कुछ वित्तीय प्रावधान भी किए जाने चाहिएं जिससे कि वे दूरवर्ती गांवों में और अधिक सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकें, वे सीमावर्ती गांवों में किताबें वितरित कर सकते हैं, विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कर सकते हैं, पुल और सड़कें आदि बना सकते हैं। अतः इस विधेयक में कुछ वित्तीय प्रावधान भी किए जा सकते हैं जिससे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को, जहां कोई संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, इन संगठनों के माध्यम से कुछ सुविधाएं मिल जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग): महोदय, मुझे असम राइफल्स विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। असम राइफल्स हमारे देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक रहा है जिसका 171 वर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 1835 में की गई थी और इसे अधिकांशतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही तैनात किया गया है। उस समय से ही यह बल प्राधिकारियों द्वारा इसे सौंपे गए प्रत्येक कार्य को सर्वोत्कृष्ट तरीके से करता आ रहा है। असम राइफल्स के उच्च पदों में से अधिकांश को नियमित सेना के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरा जाता है। अतः, यह केवल एक अर्धसैनिक बल न होकर एक नियमित सेना के रूप में अधिक जाना जाता है। इस बल का गठन होने के बाद से ही यह प्राधिकारियों द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों को सर्वोत्कृष्ट तरीके से करता आ रहा है फिर वह चाहे युद्ध का समय हो या शांति का। असम राइफल्स किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए सेना के अधीन है। असम राइफल्स ने युद्धों में भाग लिया है और महान् गौरव हासिल किया है। इसने पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में भाग लिया, 1962 के चीन-भारत युद्ध, 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध में भी भाग लिया और बहादुरी के लिए बहुत से वीरता पुरुस्कार हासिल किए। इसी प्रकार, असम राइफल्स ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में भी भाग लिया और अपनी बहादुरी के लिए बहुत से वीरता पुरुस्कार प्राप्त किए। असम राइफल्स को श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के कार्यों के लिए भी तैनात किया गया। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलगाववादियों से संघर्ष करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि असम राइफल्स में अपनी सेवाएं देने के बाद जब उनका कोई कर्मी सेवानिवृत्त होता है तो उसे नियमित सेना के सेवानिवृत्त कर्मी की भांति लाभ और

सुविधाएं नहीं मिलती। अन्य अर्धसैनिक बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल, सी.आर.पी.एफ., एस.एस.बी. आई.टी.बी.पी. और सी.आई.एस.एफ. जैसे अन्य अर्धसैनिक बलों से भी बहुत सा अंतर और विभेद है। एक अंतर यह है कि उक्त अर्धसैनिक बलों की भुगतान प्रणाली पे-बिल प्रणाली है जबकि असम राइफल्स में यह सेना की भांति इंडिविज्वल रनिंग लैजर अकाउन्ट सिस्टम है। दूसरे, असम राइफल्स का कर्मी, उसकी सेवा अवधि के दौरान किसी भी सैनिक प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार के कर्तव्य पालन के लिए कहे जाने हेतु प्राधिकृत है। इनका एल.आर.सी. (लास्ट राशन सर्टिफिकेट) सेना में भी मान्य है। जबकि अपर उल्लिखित अन्य अर्धसैनिक बलों के लिए कोई एल.आर.सी. व्यवस्था नहीं है।

वर्ष 2005 तक, असम राइफल्स की बटालियन संख्या 30 को उत्तरी सिक्किम में तैनात किया गया था और इसका रिअर ट्रांसिट कैंप सिवोके रोड, सिलीगुड़ी था। अतः, असम राइफल्स की उक्त बटालियन को नागालैंड भेजने से पूर्व असम राइफल्स के सेवानिवृत्त सैनिकों को सी.एस.डी. कैंटीन और शराब की आपूर्ति दार्जिलिंग जिले से की जाती थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि असम रेजीमेंट के अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मी मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, दार्जिलिंग के पहाड़ी शहर में रहते हैं। सिक्किम से इस रेजीमेंट के चले जाने के बाद अब सिक्किम या पश्चिम बंगाल में असम राइफल्स की कोई बटालियन नहीं है। अतः इन भंडारों के लिए आपूर्ति पूर्णतया रोक दी गई है। इसके परिणामस्वरूप मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मी इन सुविधाओं से पूर्णतया वंचित हो गए हैं।

अतः, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों की इन शिकायतों पर ध्यान दें। इन लोगों ने इस बल को अपनी सेवाएं अर्पित की हैं अतः उनकी शिकायतों और इस भेदभाव को दूर करें। इनके पुनर्वास का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। असम राइफल्स में सेवानिवृत्त कर्मियों के आश्रितों और बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): असम राइफल्स अधिनियम, 2003 एक ऐसा विधान है जिसका सीमित उद्देश्य है एक नये कानून द्वारा पुराने कानून को प्रति स्थापित करना क्योंकि स्पष्ट तौर पर पुराना कानून अप्रचलित हो गया है जैसा कि सदस्यों द्वारा पहले ही बताया गया है और इसलिए एक नया कानून जरूरी है। यदि आप इस पर नजर डालें तो समस्या की गंभीरता को देखते हुए इन अर्धसैनिक बलों में से बहुतों को जो हमारी सामान्य सैनिक बलों के साथ समान रूप से कार्य कर रही हैं, कठिन कार्य सम्पन्न करना पड़ता है। लेकिन अब समय आ गया है जब हमें अपने सभी सुरक्षा कर्मियों, चाहे वे पूर्ण सैनिक सुधार अर्ध सैनिक बल हों और यहां तक की पुलिस बल पर भी ध्यान देना चाहिए और सही संदर्भ में व्यापक हित को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए, जब इस विधेयक की आवश्यकता है और इसे पारित करना है यह महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आतंकवाद, कानून-व्यवस्था, शांति की स्थापना के मामले में बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने के बारे में सोचें। हमें एक व्यापक विधान बनाना चाहिए जो समय की जरूरतों को पूरा करे।

असम राइफल्स द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कामों में से एक आतंकवाद से लड़ना है। मैं सोचता हूं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक अलग तरह की चुनौती का सामना करना है। आधुनिक काल में आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि हम केवल इस प्रकार के कानून से इससे नहीं निपट सकते। जैसाकि हमने देखा है अधिकांश आतंकवादी एक मकसद के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। यदि ऐसा है तो आज का कानून इसको रोकने के लिए बना है ताकि अपराध जारी न रह सके। अनेक अपराध जो हो रहे हैं उनमें हम जिस अधिकतम सजा के बारे में सोच सकते हैं वह मौत की सजा है। यदि आप किसी व्यक्ति को मौत की सजा देंगे तो वह अपराध करने से अपने को रोकेगा। लेकिन यहां तो लोग अपराध करने से पूर्व ही मरने के लिए तैयार हैं। इसलिए, इस तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए हमें एक अलग तरह का कानून, एक अलग तरह के बल की आवश्यकता है। इसलिए सरकार को एक व्यापक कानून बनाना चाहिए और आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के सम्बंध में तथा आतंकवाद के रूप में इस समय जो नई घटनाएं जन्म ले रही हैं जो न केवल भारत की सीमा तक सीमित है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके प्रभाव है, के मामले में एक श्वेत-पत्र जारी करना चाहिए। इस विधेयक को इसी रूप में तैयार किया जाना चाहिए।

दूसरा मुख्य बिंदु जिसे कई सदस्यों ने पहले भी उठाया है, वह है कि जब हम किसी नए बल का गठन करते हैं तो वास्तव में हम उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं और यदि वे किसी प्रकार के अपराध या अनुचित करते हैं उस अनुचित कार्य के लिए क्या दंड होगा, इसके बारे में बात करते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

हम इन बलों के अधिकारों के बारे में शायद ही बात करते हैं। इसमें केवल जिम्मेदारी की बात होती है लेकिन इससे

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

अधिकारों की बात कभी नहीं होती। आवास की समस्या एक ऐसी ही समस्या है।

हमने कई राज्यों में देखा है कि ऐसा माना जाता है कि पुलिस बल भी हर समय कार्य के लिए तैयार रहेगी। ऐसा समझा जाता है कि वे हमेशा गलियों में गश्त लगाते रहेंगे। लेकिन उनके लिए आवासीय सुविधा नहीं है। उनके बच्चों के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इसलिए, इस प्रकार के कानूनों द्वारा उनके लिए आवासीय और उनके बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं की गारंटी दी जाए। इसलिए, जब हम असम राइफल्स विधेयक, 2006 पर चर्चा कर रहे हैं तो इन कार्मिकों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं दिए जाने पर भी हमें विचार करना चाहिए। यह इस प्रकार के कानून का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। असम राइफल्स में बड़ी संस्था में कार्य कर रहे लोगों के संदर्भ में वर्तमान कानून आवश्यक हो गया है। इस समय हमारे पास 46 बटालियन हैं। इसलिए, कानून बहुत ही निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस संविधि के निर्माण में कहीं कमी रह गई है। इसकी धाराओं और विभिन्न अध्याओं की व्यवस्था से ऐसा लगता है कि हमने असम राइफल्स द्वारा की जाने वाले अपराधों के बारे में ही ज्यादा चर्चा है और इसका उद्देश्य बल में अनुशासन को बनाए रखना है। यह आवश्यक हो सकता है लेकिन इसमें सुधारात्मक प्रयास भी होने चाहिए क्योंकि सीमा क्षेत्रों में काम करने वाले वे भी भारतीय नागरिक हैं। वे इस मामले में एक बहुत ही विचित्र कार्य सम्पन्न कर रहे हैं कि उन्हें हमारी सीमाओं की सुरक्षा करनी है।

दूसरी बात, यदि सामान्य कानून-व्यवस्था भंग हो जाती है तो उन्हें किसी भी प्रकार की उपद्रवी गतिविधियों को रोकना होगा। उनको बुलाया जाएगा और उन्हें राज्य सरकारों को आपातकाल में मदद करनी होगी। इसलिए, उनको सौंपा गया कार्य बहुत ही अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण है। जब हम इन सभी पहलुओं पर विचार करते हैं तो हमें एक सुधारवादी सोच भी विकसित करनी होगी। वे कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। लेकिन, दुर्भाग्यवश, जब मैं पहली धारा से अंतिम धारा तक नजर डालता हूं तो पाता हूं कि इस कानून का मुख्य जोर उनको दंडित करना है न कि उनमें सुधार लाना। कानून बनाने वाले सोच रहे हैं जैसे वे किसी अपराधी के लिए कानून बना रहे हैं। यह कानून अपराधियों के लिए बहुत सही है लेकिन सीमा पर काम करने वाले लोग अपराधी नहीं है। वे सामान्य नागरिक हैं और वे एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारी सोच मानवीय होनी चाहिए। इस पूरी संविधि में अपराधों की चर्चा है और किसी बात की चर्चा नहीं है। मैं यह मानता हूं कि अनुशासन अवश्य होना चाहिए। इसके लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन बात यह है कि जब हम इन लोगों के साथ कोई व्यवहार करें तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहां हमेशा ही अनुशासनहीनता है। ऐसी समझ ठीक नहीं है। जहां तक असम राइफल्स में काम करने वाले लोगों के सम्बंध है हमें उनके प्रति मानवीय सोच रखनी होगी। मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमें इस बात का अभाव है। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। मेरा ऐसा ही सोचना है।

इस संविधि में तीन तरह के न्यायालयों की परिभाषा दी गई है जो इनसे सम्बंधित अपराधों का निपटारा करेंगे। धारा 86 में उन्हें परिभाषित किया गया है। धारा 86 में तीन तरह के न्यायालयों की चर्चा है। एक है सामान्य असम राइफल्स न्यायालय।

दूसरा, लघु असम राइफल्स न्यायालय है और तीसरा, संक्षिप्त असम राइफल्स न्यायालय। अब, ये तीनों तरह के न्यायालय अलग-अलग प्रकार की सजा दे सकते हैं। पहले तरह के न्यायालय के पास वैसी अपराधों की सुनवाई का अधिकार होगा जिसमें आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड दिया जा सकता है। उन्हें मृत्युदंड देने का अधिकार है। असम राइफल्स न्यायालय इस प्रकार की सजा दे सकते हैं। धारा 128 में कहा गया है कि सभी न्यायालय अपराध प्रक्रिया न्यायालय की तरह कार्य करेंगे। मैं उस संगत धारा को पढ़ना चाहता हूं:

> "असम राइफल्स न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 132, 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा। और असम राइफल्स न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थ में न्यायालय समझा जाएगा।"

इसलिए, विधितः यह अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत कार्य करने वाला न्यायालय है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब किसी कानूनी न्यायालय, जो अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत परिभाषित होता है, द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो प्रश्न उठता है कि उसके निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने वाला प्राधिकार क्या होगा? निम्न कोर्ट मृत्युदंड जैसी सजा को फांसी पर लटकाकर मृत्युदंड देता है, जो दंड का सबसे बर्बरतापूर्ण रूप है और जिसका इस संविधि में प्रावधान है या विकल्पतः गोली मारकर सजा देता है लेकिन अपीलीय प्राधिकारी कौन

होना चाहिए? इस समय जब सारी दुनिया में मृत्युदंड देने के विरुद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है तब हम भारत में उस संविधि की बात कर रहे हैं जिसमें मृत्युदंड देने की बात है। सबसे बर्बरतापूर्ण दिया जाने वाला दंड मृत्युदंड है।

अपराह्न 4.07 बजे

(श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप कृपया पीठ को सम्बोधित करें और अब समाप्त करें। आप पहले ही सात मिनट बोल चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे बैठ जाना चाहिए?

सभापति महोदय: आप जैसा चाहें। लेकिन कृपया शीघ्रता से समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न अपीलीय प्राधिकार के बारे में है। निम्न न्यायालय द्वारा दिये गए मृत्युदंड की संपुष्टि एक उच्चतर न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। अब अपीली प्राधिकरण क्या होगा? सामान्यत: मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन इस संविधि के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के गृह सचिव उच्च न्यायालय के रूप में काम करेंगे। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार सरकार अपीली प्राधिकरण है...*(व्यवधान)* जब किसी नागरिक को किसी अपराध के लिए फांसी की सजा दी जानी होती है इस प्रकार घोषित निर्णय के सम्बंध में अंतिम निर्णय देने वाला प्राधिकारी कौन होगा? इस संविधि के अनुसार गृह सचिव अंतिम निर्णय लेंगे।...*(व्यवधान)* जब दंड प्रक्रिया अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी को मृत्युदंड दी जाती है तो इसकी सपुष्टि कम से कम एक उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए अन्यथा किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। सामान्य कानून में यही प्रक्रिया है। लेकिन इस संविधि के अनुसार गृह सचिव अपीली प्राधिकारी की तरह कार्य करेगा और जब वह अपनी सहमति दे देगा तो अभियुक्त को फांसी दी जा सकेगी। यह सही नहीं है। इस सम्बंध में अंतिम निर्णय न्यायिक अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। साक्ष्य के रूप में ऐसा देखा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ये न्यायालय न्यायिक निकाय है। यदि ऐसा होता है तो अंतिम निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि करनी होगी। ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया में कमी है।

न्यायालय को किसी निर्णय का अधिकार नहीं दिया गया है। स्वयं दिलचस्प बात यह है कि महानिदेशक स्वयं ही किसी व्यक्ति को मार देने के लिए अंतिम अधिकारी होंगे। यह बहुत हो गया और हम 21वीं सदी में हैं जिसमें हम मृत्युदंड के संबंध में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति देने वाला कानून पारित कर रहे हैं। हम यह एक नौकरशाह को दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

बहुत सी बातें हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं परन्तु उसके लिए समय नहीं है। इस राइफल्स न्यायालय का संविधान भी दोषपूर्ण है। केवल अधिकारी ही ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अधिकारी का निर्णय कौन करेगा? वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो विधिक व्यवसाय से संबंध रखता हो। किंतु राइफल्स न्यायालय ऐसे लोगों से भरा जायेगा जो स्वयं बलों में हैं। और किसी व्यक्ति को मारने के लिए दो तिहाई बहुमत काफी है। इसलिए, यदि बल के सदस्य किसी व्यक्ति को मारने का फैसला करते हैं तो वह मार दिया जाएगा। यही इस कानून का कुल परिणाम है। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत अधिक दोष हैं और बहुत अलोकतांत्रिक है और विशेषकर मृत्युदंड के मामले में वर्तमान प्रवृत्ति के बिल्कुल प्रतिकूल है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं कृपया कार्यवाही में सहयोग दें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: और भी बातें हैं परन्तु यदि मैं उन पर एक-एक करके बात करूं तो यह सही नहीं होगा। यदि दुश्मन द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो क्या होगा?

श्री अर्जुन सेठी (मद्रक): इसके लिए सैन्य कानून है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इस स्थिति में सैन्य कानून कार्य नहीं कर रहा है। यह सिविल न्यायालय के अधीन कार्य कर रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जहां आप सैन्य कानून लागू करते हैं आप इसे लागू करिये और यहां नहीं कीजिये। सैन्य कानून बिल्कुल भिन्न है। खंड 128 इसके बारे में बहुत स्पष्ट है। इसमें कहा गया है; इस खंड में व्यवस्था की गई है कि असम राइफल्स न्यायालय द्वारा मुकदमा धारा 193 के अर्थों के भीतर न्यायिक प्रक्रिया माना जाएगा..."...*(व्यवधान)*

श्री एस. रघुपति: महोदय, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधयेक का स्वागत किया है। उनमें से अधिकांश ने सेवानिवृत्ति लाभ, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के बारे में उल्लेख किया है। अन्य अर्धसैनिक बलों को प्राप्त सुविधाएं असम राइफल को भी आवश्य दी जाएंगी।

[श्री एस. रघुपति]

जहां तक न्यायालय के कार्यकलापों का संबंध है तो हमने तीन विभिन्न प्रकार के न्यायालय बनाये हैं।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के बारे में भाषण दिया और इसका समर्थन किया। उन्होंने बलों के सदस्यों के कल्याण और इस कानून के अंतर्गत गठित न्यायालयों द्वारा मामलों के परीक्षण से संबंधित कुछ सामान्य टिप्पणियां की हैं। मैंने बल के सदस्यों के कल्याण के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को नोट कर लिया है। हम बल के सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखते हैं। बल के सदस्यों द्वारा स्वयं बनाई गई योजनाएं हैं और वे योजनाएं उनकी अपने कार्य स्थल से अपने परिवारों के पास तक यात्रा करने के लिए सहायता करने के लिए लागू की जाती हैं और यदि वे घायल हो जाते हैं अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा और आवश्यक मदद दी जाती है। उन्हें पर्याप्त धनराशि भी दी जाती है। और इस मामले पर निरंतर उच्च स्तर पर अधिकारियों तथा मंत्रालय द्वारा ध्यान दिया जाता है। यदि कुछ और करने की आवश्यकता है तो हमें ऐसा करके प्रसन्नता होगी। जहां तक अपराधों के परीक्षण का संबंध है और श्री वरकला राधाकृष्णन ने इस बात पर विशेष जोर दिया है, तो यह सुझाव ठीक ही दिया गया था कि परीक्षण निष्पक्ष होना चाहिए अन्यथा बल की हिम्मत टूट जाएगी। इस बारे में सुझाव दिए गए हैं कि इन परीक्षणों का निष्पक्ष कैसे बनाया जाए। मेरे लिए मामलों की जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है। सबसे पहले मामले पर न्यायाधीश के रूप में एक ही व्यक्ति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा बल्कि अनेक न्यायाधीश विचार करेंगे। कानून में व्यवस्था की गई है कि यदि आरोपी किसी व्यक्ति पर न्यायाधीश के रूप में होने पर आपत्ति करता है तो उस मामले पर अन्य सदस्यों द्वारा विचार किया जा सकता है और यदि अन्य सदस्य भी कहते हैं कि वह व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में उनके साथ नहीं बैठना चाहिए तो किसी और व्यक्ति को उनके साथ बैठने के लिए कहा जा सकता है। संक्षिप्त मामलों, लघु मामलों और गम्भीर मामलों के लिए क्रमशः समरी असम रायफल न्यायालय, लघु असम रायफल न्यायालय और जनरल असम रायफल न्यायालय गठित करने का प्रावधान है।

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक गम्भीर प्रकार के मामलों का संबंध है तो उनके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा पारित दंडादेश की की गृह मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय में नियुक्त अधिकारियों द्वारा पुष्टि की जाएगी। सामान्य तौर पर महानिदेशक को इन न्यायालयों द्वारा पारित दंडादेश पर विचार करने का मौका दिया जाएगा। जिन अधिकारियों को पर्याप्त अनुभव होगा उन्हें ही न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा और उन्हें मामले चलाने की अनुमति दी जाएगी।

सेना और अर्धसैनिक बलों में ऐसे अधिकारी हैं जो आपराधिक मामले चलाने के लिए साक्ष्यों को अभिलेखित करने, साक्षियों की जांच करने, कानूनों की व्याख्या करने तथा दंडादेश पारित करने के लिए प्रशिक्षित हैं। वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है। इसके बाद उच्च स्तर पर पुष्टि भी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गम्भीर मामलों पर हल्के ढंग से निर्णय न दिया जाए यह भी एक प्रकार की सावधानी है।

महोदय, इसके अलावा मामला अपील में भी जा सकता है और तब इस पर निर्णय हो सकता है। इसलिए जो भी आवश्यक और उचित है उसका इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों को अन्य कानूनों से लिया गया है जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस अथवा सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र बलों का प्रबंधन करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे अच्छे प्रावधान हैं जो यह सुनिश्चित कर सकें कि आरोपी व्यक्ति को उचित न्याय मिल सके, पूरी सावधानी बरती गई है।...*(व्यवधान)*

जहां तक आयु सीमा का संबंध है तो मैं समझता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि आदिवासियों की औसत लम्बाई केवल 5.5 फीट है इसलिए उन्हें अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने का मौका नहीं मिल रहा है। किंतु यह सही नहीं है। आदिवासियों के लिए लम्बाई में छूट होती है। एक अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए अपेक्षित लंबाई 162.5 सेंटीमीटर और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर है। यह अनुसूचित जनजातियों के लिए है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 170 सेंटीमीटर और 167 सेंटीमीटर है। इसलिए लंबाई में स्वयं ही छूट दी गई है। इसलिए ऐसा कहना सही नहीं है।

जहां तक अन्य सुविधाओं का संबंध है तो माननीय सदस्य ने कहा है कि असम राइफल चूंकि अर्धसैनिक बल है इसलिए उनके कार्मिकों को वही सुविधाएं मिलनी चाहिएं जो अन्य अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को मिलती हैं। मैंने पहले ही उस पर विचार किया है। माननीय सदस्य के सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा और हम इस संबंध में अपना पूरा प्रयास करेंगे।

विधेयक स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और समिति द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल कर लिया गया है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विद्रोह से निपटने का अभियान चलाने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल प्राधिकारियों की सहायता में कार्य करने तथा उससे सम्बंधित विषयों के लिए संघ के सशस्त्र बल असम राइफल्स का शासन करने से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक, पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 168 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 168 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मंत्री जी ने पैरामिलिटरी फोर्सिस की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा राज्य भी इससे संबंधित है। हमारे राज्य में डोगरा जाति के लोग रहते हैं और आर्मी में उनकी भर्ती के लिए लम्बाई 5 फुट 4 इंच रखी थी। लेकिन परसों से इतनी लम्बाई वाले लोगों को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। श्री जोरावर सिंह ने जितनी भी भर्ती आर्मी में की थी, वह इसी आधार पर की थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बारे में कोई कार्यवाही करेंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या नहीं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, यह असम राइफल की तर्ज पर डोगरा के बारे में सुविधा चाहते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: चौधरी लाल सिंह, आप बाद में उनसे बात कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एस. रघुपति: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.24 बजे

उपज उपकर विधि (उत्सादन) विधेयक, 2006

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 16 लेंगे। श्री शरद पवार।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं*:

"कि कृषि उपकर अधिनियम, 1940 और उपज उपकर अधिनियम, 1966 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कृषि उपकर अधिनियम, 1940 और उपज उपकर अधिनियम, 1966 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उपज उपकर विधि (उत्सादन) विधेयक,2006 का समर्थन करता हूं। जैसा मंत्री जी ने इस बिल का उद्देश्य स्पष्ट किया है कि यह बिल कृषि उपज उपकर अधिनियम 1940 और कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1966 का निरसन करने के लिए लाया गया है। जैसा भूमिका में बताया गया है कि यह 1940 वाला जो कानून था और बाद वाला कानून है, उसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए बेहतर वित्तीय उपबंध

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

करने के लिए कृषि निर्यात पर सीमा शुल्क लिया जाता था और कस्टम ड्यूटी ली जाती थी। 1940 के प्रावधान के अंदर हड्डियां, मक्खन, चावल, गेहूं, भिन्न-भिन्न अनाज, औषधि, मछली, फल, घी, मसाले, सब्जियां आदि पर सेस का उपबंध था। यह ठीक था, लेकिन आज डब्ल्युटीओ के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। डब्ल्युटीओ के अंतर्गत एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर 1 जनवरी, 1995 से हुआ है और विश्व कृषि बाजार तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रही है। यहां कृषि क्षेत्र में 68 परसेंट आबादी को रोजगार मिला हुआ है। जी.डी.पी. का 25 परसेंट कृषि द्वारा प्राप्त होता है लेकिन विश्व कृषि व्यापार में भारत एक मार्जिनल प्लेयर, एक परसेंट ऑफ दी वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड रहा है। इसलिए आप निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों पर निर्यात शुल्क को खत्म करने के लिए यह बिल लाए हैं ताकि हमारे यहां एक्सपोर्ट और एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन मिले। वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी समिति इसके लिए बधाई की पात्र है। उसने इसके बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया। राज्य सभा के चेयरमैन महोदय और लोक सभा के अध्यक्ष महोदय से विचार करने के बाद यह बिल लेकर आए। सैस लॉ रिपीलिंग एंड अमैंडिंग बिल 2005 पहले लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय ने पहले कृषि मंत्रालय से विचार-विमर्श किया। यह तय हुआ कि कृषि संबंधी दो पुराने बिल के अनुसार जो सैस लगाने वाले हैं उसे समाप्त किया जाए। इसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा। दूसरे सैस एक्ट के बारे में आप क्या करेंगे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से संबंधित हैं। आप भली प्रकार उनसे परिचित होंगे। फिर भी मैं नाम पढ़ देता हूं।

[अनुवाद]

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण उपकर अधिनियम, 1985; तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975; मसाले उपकर अधिनियम, 1986, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 और कॉफी उपकर अधिनियम, 1942 इसमें हैं।

[हिन्दी]

ये सब कृषि से संबंधित हैं जिस में कॉफी, मसाले, समुद्री उत्पाद, तम्बाकू, फूड प्रोसैस हैं। उनके भी सैस एक्ट बने हैं जिन को समाप्त किया जाए ताकि विश्व व्यापार में कृषि महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके। भारत के किसानों के लिए आवश्यक है कि *[अनुवाद]* पहला क्षेत्र है बाजार तक पहुंच। दूसरा है घरेलू समर्थन। तीसरा है निर्यात सब्सिडी। तब जाकर बाजारोन्मुखी व्यापार व्यवस्था।

[हिन्दी]

लेकिन होता क्या है? महाराष्ट्र में प्याज हो गए। उन्हें बाहर भेजने की व्यवस्था नहीं हुई। इससे सारा प्याज सड़ गया। ऐसे समय में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए - चाहे आन्ध्र प्रदेश के किसान हों, कर्नाटक, पंजाब के किसान हों, पिछले दिनों आपने विशेष पैकेज विदर्भ के किसानों को दिया जिस के लिए आप बधाई के पात्र हैं। कहीं अकाल के कारण, दुर्भिक्ष के कारण या अन्य कारणों के किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। यह कृषि व्यापार के क्षेत्र में हिन्दुस्तान के लिए चुनौती है। आपने इस क्षेत्र में जो कदम बढ़ाया है, हम उसका समर्थन करते हैं लेकिन आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यहां पर सभी कुछ है। आप सभी चीजों की बात कर रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं भारत के लिए बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

आज जबकि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है, कृषि व्यापार हैंडिकैप्ड था और उसके निर्यात को प्रोत्साहन देनें में बड़ी भारी बाधा थी। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दृष्टि से अनुपयुक्त कानून था। अब आप उसे हटा रहे हैं जिस के लिए बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं श्री बृज किशोर त्रिपाठी का नाम बोलूंगा। कृपया संक्षिप्त और सारगर्मित बोलें क्योंकि विधेयक बहुत छोटा है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, मैं उपज उपकर विधि (उत्सादन) विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं। वास्तव में, उपकर विधि के उत्सादन के बारे में कहने को कुछ भी नहीं है। इसलिए, मैं उपज उपकर विधि (उत्सादन) विधेयक, 2006 का समर्थन कर रहा हूं।

एक बात कहनी है। देश को खाद्यान्न-उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में कृषक समुदाय के योगदान के लिए संपूर्ण देश उनका आभारी है। हम हरित क्रांति और श्वेत क्रान्ति दोनों में सफल

रहे हैं। अतः निरपेक्ष रूप से निर्यात पर नियंत्रण लगाने या बनाये रखने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि, हमें कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए और 1940 और 1966 के अधिनियमों के अधीन लागू प्रतिबंधों को हटाना चाहिए।

संपूर्ण कृषक समुदाय अब अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। इस अवसर पर, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे देश में किसानों के लिए पर्याप्त भण्डारण सुविधाएं नहीं हैं। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे किसानों का पर्याप्त भण्डारन सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अधिकाधिक निर्यात करने में समर्थ हों।

मैं यहां एक और बात की ओर संकेत करना चाहूंगा। कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात पर सीमा शुल्क आरोपण से आने वाला संपूर्ण धन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कृषि संबंधी अनुसंधान गतिविधियों पर खर्च किया जा रहा था। अब, इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार को यह धन नहीं मिलेगा और भा.कृ.अ.प. को अपनी अनुसंधान गतिविधियों के लिए धन नही मिलेगा।

अतः मैं माननीय कृषि मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भा.कृ.अ.प. को पर्याप्त मुआवजा देगी और कृषि अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए अधिकाधिक धन प्रदान करेगी क्योंकि कृषि में अनुसंधान अत्यधिक आवश्यक है और हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विश्व अधिकाधिक अनुसंधानों के साथ आगे बढ़ रहा है और विकसित देश अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर अधिकाधिक व्यय कर रहे हैं। अतः, हमारे देश में कृषि विकास का नुकसान नहीं होना चाहिए और सरकार को इस उपकर की समाप्ति से भा.कृ.अ.प. को हुए नुकसान का पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए।

मुझे इस अधिनियम के निरसन पर कोई आपत्ति नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का अंतर्मन से समर्थन करता हूं। यह कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। चूंकि यह विधेयक किसानों तथा उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, उसके विधेयक हित में है। वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ और 1940 से कृषि उपज उपकर चल रहा है। वर्ष 1966 में यह संशोधित नहीं हुआ। इतने वर्षों से किसानों के हितचिंतक हम सभी संसद में बैठे हैं, लेकिन इस पर किसी ने दृष्टि नहीं डाली। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को इसके लिए कोटिशः धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि वह कृषि उपज उपकर को समाप्त करने के लिए सदन में यह विधेयक लाये। उन्होंने इस विधेयक में पूर्ण रूप से चर्चा की है और जो किसानों द्वारा उत्पादित सामान है, जिसका आयात और निर्यात होता है, उसमें निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है, जो अब भी चल रही है। थोड़ी देर से ही सही, मगर कृषि के क्षेत्र में, किसानों के हित में यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

आपने इसमें आगे कुछ डाटा दिया है और कहा है कि कृषि के द्वारा देश की लगभग 67 प्रतिशत आबादी को रोजगार मिलता है। इसके बाद कहा है कि घरेलू उत्पाद में इसका 25 प्रतिशत योगदान है। इसके बाद आपने बताया कि व्यापार में इसका शेयर एक परसैन्ट से भी कम है। आगे भी बहुत सारे आंकड़े दिये हैं, मगर मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना सुझाव देना चाहता हूं कि जिस कृषि क्षेत्र पर देश की 67 प्रतिशत आबादी निर्भर करती है, रोजगार प्राप्त करती है और किसान देश को भोजन दे रहे हैं, उनके लिए और भी बहुत से उपाय हैं।

कई बार समय देकर आपने पार्लियामेंट में लम्बी बहस भी करवाई है। अलबत्ता उस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है लेकिन बहस बहुत लम्बी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसानों के सामान को निर्यात करने में यहां से जो भी सुविधा आप दे सकते हैं, माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं भी जानता हूं कि आज भी जो किसानों के अनाज हैं जिसके भंडारण की क्षमता जो गांवों और छोटी मंडियों में होनी चाहिए, वह बिल्कुल न के बराबर है। इसलिए भी किसानों का सामान औने-पौने भाव में जाता है और जो लागत उसे कृषि पर खर्च करनी पड़ती है, वह भी उसे ठीक से नहीं मिल पाती है। मैं अपनी ओर से सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कृषि के क्षेत्र में काफी दिलचस्पी रखते हैं। कई मामलों में इन्होंने इस पर कदम उठाए हैं लेकिन किसान के लाभकारी मूल्य पर, यद्यपि इस विधेयक में वह शब्द नहीं हैं लेकिन इस पर भी वह ऐसी कार्रवाही आगे करेंगे, इस सुझाव के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, उपज उपकर विधि (उत्सादन) विधेयक, 2006 जो माननीय कृषि मंत्री जी यह विधेयक लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। हम यह विचार कर रहे हैं कि कृषि उपजल उपकर अधिनियम 1940 और उपज उपकर अधिनियम 1966 का निरसन किया जाए।

जहां तक 1940 के उपकर अधिनियम में जो वस्तुएं ली गई हैं, उनमें हड्डियां, मक्खन, चावल, गेहूं और विभिन्न अनाजों में औषधि, मछली, फल, घी, खली, मसाले, सब्जियां, भेड़ या

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

मेमने या उनका ऊन या जानवरों के बाल या रौए, कपड़ा वस्तु उपकर अधिरोपित करने का इसमें उपबंधन है। अधिनियम 1966 में भारत में उत्पादित लाख और काजू की गुठली को भारत की सीमाओं से बाहर निर्यात किया जाए तो उपज की खेती करने और विपणन के तरीकों में सुधार और विकास के लिए उपकर अधिरोपित करने का उपबंधन इस विधेयक में है। हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि क्षेत्र में लगभग 67 प्रतिशत आबादी को रोजगार कृषि से मुहैया होता है। हमारे देश में कृषि निर्यात में समुद्री उत्पादों को भी लिया गया है। खली, चावल, गेहूं, चाय, काफी, काजू और चीनी का भी भाग इसमें रखा है।

जहां तक विदेश व्यापार नीति में 2004 और 2009 में विशेष कृषि उपज योजना नामक एक नयी स्कीम बनाई गई है और उसे लागू किया गया है जिसमें हमने फलों, सब्जियों, पुष्पों और लघुवनों से उत्पादित उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना - यह हमने अपनी व्यापार नीति में रखा है। जहां तक कृषि उत्पादों का निर्यात अलग-अलग अधिनियमों से अलग-अलग उपकरों से उद्ग्रहण के अधीन है, वे कृषि विभाग के अन्तर्गत आते हैं। कृषि उत्पादन उपकर अधिनियम 1940 में 0.5 प्रतिशत की दर से भी उपकर लगाने की व्यवस्था है।

अपराह्न 4.39 बजे

(श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

इसी प्रकार से उत्पादन उपकर अधिनियम 1966 में अलग वस्तुओं को दिया गया है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन नीति विकास प्राधिकरण, जो आयकर अधिनियम 1985 के अन्तर्गत है, तम्बाकू, उपकर अधिनियम 1975 और मसाला उपकर अधिनियम 1986 और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 1972 में स्थापित हुआ।

इसमें 0.3 प्रतिशत की दर से उपकर का भुगतान किया जाना है। कॉफी अधिनियम 1942 पर कराधान का भार हमने 1 प्रतिशत रखा है। काजू पर 1966 के अंतर्गत 1600 रुपये प्रति क्विंटल समग्र मूल के अनुसार हमने निर्धारित किया है, जबकि देखा जाए तो यूरोपीय देशों में कई देश अपने किसानों को भरपूर सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे यहां किसानों की स्थिति बहुत खराब है। जैसा इस सदन में कई बार हम लोगों ने चर्चा की कि चूंकि कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित यह देश है, इसलिए यहां किसानों को जितनी सुविधाएं हम दे सकें, देनी चाहिए। इस विधेयक के माध्यम से मैं कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि कृषि उपज उपकर को भी हटाया जाना चाहिए। किसानों को इसके अंतर्गत उनके उत्पाद का सही मूल्य हम दे सकें और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो भी सुविधा हम दे सकें, हमें देनी चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देश में बहुत से किसान तंबाकू का निर्यात और संवर्द्धन भी करते हैं। उनकी भी मदद करने के लिए कृषि उपज उपकर को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए चूंकि उनका भी यह रोजगार का आधार है।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि यह रिपील बिल है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेज एक्ट 1940 और 1906 के तहत विदेशों में हम जो सामान भेजते हैं, विदेश से कृषि उत्पाद वह तो सब्सिडी के साथ आता है मगर हम विदेश भेजने के लिए सैस लगाते हैं। अब बहुत देरी हो चुकी है। हमको कृषि उपज विदेश भेजने के लिए इंसैन्टिव देना चाहिए। यहां तो सैस रद्द कर रहे हैं यह अच्छी बात है, लेकिन कितना निर्यातकों के लिए बढ़ावा दें जिससे किसान अपनी उपज को विदेश भेजने में सक्षम हों और हमारी जो डिस्ट्रैस सेल हो रही है उसमें भी हमको बचना है। अभी तीन-चार और कानून सरकार रद्द करने जा रही है। मैं इसकी पूरी लिस्ट नहीं पढ़ूंगा जो हमारे साथी ने रखी है।

[अनुवाद]

कृषि उपज निर्यात विकास प्राधिकरण उपकर अधिनियम, 1985 का निरसन; मामले उपकर अधिनियम, 1986 का निरसन; तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975 में उपयुक्त संशोधन; समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 172 में उपयुक्त संशोधन और कॉफी अधिनियम, 142 में उपयुक्त संशोधन; ये सभी रिपील *[हिन्दी]* करने की बात अप्रूव हो चुकी है। हम चाहेंगे कि यह जल्दी हो जाए क्योंकि इसके माध्यम से 8.5 करोड़ रुपये हमको रेवेन्यू मिला है और वह जनरल रिसर्च में चला गया है। उस पर किसी कारण से फसल का कोई खास रिसर्च नहीं हुआ। हमको देना है रिसर्च के लिए। सैस से रिसर्च आगे बढ़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता लेकिन बीटी कॉटन और कई ऐसी चीजें आई हैं जिनके कारण हम उत्पादन बढ़ाकर विदेश भेज सकते हैं।

मैं मंत्री जी को कहूंगा कि हमें इंसैन्टिव देकर विदेश में जो कृषि उपज 1 परसैंट हमारे साथी रावत जी ने कहा है, उसको कम से कम 3 परसैंट पांच साल में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो जाए तो सैस के साथ रिपील का हम समर्थन करते हैं लेकिन कृषि उपज को विदेश में भेजने के लिए भी सुविधा दें और उसके लिए गोदाम की सुविधा भी दें। साधारण गोदाम इसके लिए नहीं

चलेंगे। जिनकी ड्यूरेबिलटी है, उसमें एयरकंडीशन होते हैं, अलग-अलग किस्म के गोदाम होते हैं, उसके लिए भी सुविधा मिले। इसके साथ ही मैं इस रिपील बिल का मैं समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। यह किसानों या कृषकों के लिए मददगार होगा। मैं केवल कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगी। स्वयं विधेयक में एक कमी है; अत: हमें इसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह एक सीमित विधेयक है। लेकिन, जब आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं माननीय कृषि मंत्री के ध्यान के लिए दो या तीन बिन्दु उठाना चाहूंगी।

पहला, यह अच्छा है कि आप संपूर्ण कृषि क्षेत्र को निर्यात की अनुमति दे रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। ठीक इसी समय हमें आयात पर भी ध्यान देना है।

आयात पर भी प्रतिबन्ध होने चाहिएं। यदि हम हमारे लोगों को उनके कृषि उत्पादों को बाहर बेचने की अनुमति देते हैं, तो वास्तव में उन्हें लाभ होगा लेकिन इसके साथ ही उन पर कुछ प्रतिबन्ध भी होने चाहिए। हमने पंजाब और अन्य राज्यों में हरित क्रान्ति लाई थी। मैं नामोल्लेख नहीं करना चाहती। हमें हमारे कृषि क्षेत्र पर गर्व है लेकिन इसमें संप्रेषण अंतराल है। यदि हम आयात पर प्रतिबंध रखें, विशेषकर कृषि क्षेत्र में, तो हम उत्पादन के सम्बन्ध में हमारे देश पर अधिक ध्यान दे सकते हैं।

डा. स्वामीनाथन और अन्य ने कहा है कि खाद्य संकट हो सकता है क्योंकि हमारे कृषि उत्पादन में संदेह है, और यह घट रहा है। कृपया संपूर्ण देश में सर्वेक्षण करायें कि खाद्य उत्पादन घट रहा है या बढ़ रहा है। मैं मानती हूं, यह एक बड़ा प्रश्न है। यह पहली बात है।

दूसरा, कृषि भूमि का अन्य कामों के लिए उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मेरे राज्य में भी यह बिना निविदा के किया जा रहा है। आप मुझसे इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने के लिए कह सकते हैं। मैं इसे कहां उठाऊंगा? यही वह मंच है जहां हम कुछ बातों का उल्लेख कर सकते हैं। अन्यथा, हमारे पास कोई मंच नहीं है।

मैं कह रहा हूं कि मेरे राज्य में 40,000 एकड़ कृषि भूमि जो पूरी तरह से अल्पसंख्यकों की थी वर्ज्य सूची के एक विशेष उद्योगपति को दे दी गई है। कृपया मुझे बतायें ऐसा कहां हो रहा है? कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। यहां कुछ कानून, कुछ प्रतिबन्ध होने चाहिए। मैं कंपनी का नामोल्लेख नहीं करना चाहती। यह इण्डोनेशियाई समूह है।...*(व्यवधान)*

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): क्या यह इस विधेयक के सुसंगत है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुमारी ममता बैनर्जी के भाषण के अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, अब बहुत हो गया। क्या मैं कृषकों की आशंकाओं का उल्लेख नहीं कर सकती? इसमें क्या हानि है? यह क्यों शोर मचा रहे हैं।

यह किसानों का ध्यान नहीं रखते। हमें किसानों का ध्यान रखने दें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)...*

कुमारी ममता बैनर्जी: कृपया एक चीज पता लगाइये। पश्चिम बंगाल सरकार और इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: महोदया, आप कृषि भूमि के बारे में बोलिए, उद्योग के बारे में मत बोलिए।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, मैं उनसे एक अपील करती हूं। सदभावना बनी रहनी चाहिए।...*(व्यवधान)* यह मेरा प्रश्न नहीं है। यह हम सबका प्रश्न है। कृषि भूमि का अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है और खाद्य उत्पादन घट रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह कृषि की बात कर रही हैं, उद्योग की नहीं।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी: हम अपनी जीविका कैसे कमाएं? ...*(व्यवधान)* इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: महोदया, आप उद्योग का उल्लेख किए बिना कृषि की बात कीजिये।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, कृषि मंत्री को जीवन का बहुत अनुभव है। उन्हें सम्पूर्ण देश में एक सर्वेक्षण कराना चाहिए कि क्या कृषि भूमि का अन्यत्र प्रयोग किया जा रहा है और इसका कैसे बचाव किया जाए...*(व्यवधान)* महोदय, हम किसानों की आजीविका बचाना चाहते हैं।

हमारे देश की मुख्य आबादी किसानों की है। इसलिए कृषि भूमि बचाने के लिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि मामले पर गम्भीरता से विचार करें और एक कानून लाएं।

दूसरी चीज घरेलू बाजार के बारे में है। मेरे पास पूरा ब्यौरा नहीं है परन्तु मुझे बताया गया है कि और चीजों की तरह चीन के बाजार ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया है। उदाहरणार्थ हमारे किसान अपना बासमती चावल 10 से 15 रुपए प्रति किलो की दर पर बांग्लादेश को भेजा करते थे परन्तु पूर्वोत्तर चीन की सीमा है और चीन 3 रुपए प्रति किलो की दर पर बांग्लादेश को अपना चावल भेज रहा है और इसके परिणामस्वरूप हमारे किसान भारी संकट में हैं। इसलिए हमारे भारतीय किसानों को कैसे संरक्षण दिया जाए यही मुख्य प्रश्न है। किंतु हमारे किसानों की रक्षा की जानी चाहिए।

महोदय, मैं यह नहीं कह रही हूं कि बाहर से कुछ भी नहीं आना चाहिए। हम भी सुधारों में विश्वास करते हैं; हम भी वैश्वीकरण में विश्वास करते हैं परन्तु हम यह भी मानते हैं कि यदि आम लोगों को इन सुधारों में शामिल नहीं करोगे तो वे सफल नहीं होंगे। इसलिए हम अपने भारतीय घरेलू बाजार की रक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से रास्ता निकालने और आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करती हूं...

मैं उनसे यह भी अनुरोध करती हूं कि कृषकों के खुदरा बाजार पर भी ध्यान देने की कृपा करें। यह किसानों के हाथों से नहीं निकलना चाहिए। यहां कुछ दल शोर मचा रहे थे कि खुदरा बाजार के लिए बड़े व्यापारियों अथवा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति न दी जाए। किंतु मेरे राज्य में दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि खुदरा बाजार का ध्यान रखें जो कि प्रत्यक्ष रूप से कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित है और इसकी रक्षा करें। मैं अपने मित्रों को बताना चाहती हूं कि मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं उपज उपकर विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं।

यह सही है कि इस समय अनेक कृषि उत्पादों का निर्यात विभिन्न अधिनियमनों के अधीन उपकर की उगाही के अध्यधीन है। जिन कानूनों को निरसन किया जाना है वे हैं: कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940 और उपज उपकर अधिनियम, 1966 और वे कृषि विभाग के दायरे में हैं। परन्तु अन्य कानून भी हैं। काफी अधिनियम, 1942; सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 है; कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम, 1985 है और गर्म मसाला उपकर अधिनियम, 1986 है; तंबाकू उपकर अधिनियम, 1975 है। इसलिए, ये सभी कानून हैं।

मैं मानता हूं कि ये सभी अधिनियमन कृषि विभाग की परिधि में नहीं हैं। वाणिज्य विभाग द्वारा इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। किंतु ये जुड़े हुए अधिनियम हैं। इसलिए वाणिज्य विभाग को इन अधिनियमनों के संबंध में कुछ निरसन और संशोधन लेकर आना चाहिए।

महोदय, विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में यह उल्लेख किया गया है कि इन राजसहायताओं का हमारे निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक शान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; कृषि उपज पर उपकर जारी रहने से निर्यात और अधिक महंगे तथा गैर-प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।

विश्व व्यापार परिदृश्य में अपने हिस्से के बारे में मुझे कुछ कहना है। विश्व व्यापार परिदृश्य में यह देखा गया है कि कमजोर और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के बावजूद जहां कृषि क्षेत्र लगभग 67 प्रतिशत आबादी को रोजगार प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 26 प्रतिशत योगदान करता है, भारत की विश्व कृषि व्यापार में बहुत कम हिस्सेदारी रही है।

वर्तमान में विश्व व्यापार में इसका हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है। इसलिए यदि यह स्थिति है तो हम यह आशा कैसे कर सकते हैं हम विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा हासिल करने जा रहे हैं? जहां तक निर्यात उपकर और अन्य चीजों का संबंध है तो उन्हें पहले ही बाहर कर दिया गया है और मंत्री जी इस अधिनियमन का निरसन कर रहे हैं। यह अच्छी बात है।

किंतु एक और पहलू है। घरेलू राजसहायताओं का क्या होगा? विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा केवल कृषि उत्पादों पर इस उपकर अधिनियम के निरसन पर निर्भर नहीं करती। यह घरेलू मामलों में भी प्रदान की जाने वाली राजसहायता पर निर्भर करती है।

विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था - एक के अंतर्गत हमारे देश ने पहले ही अल्प कृषि राजसहायता में कटौती कर दी है और यह विश्व व्यापार संगठन के कारण है। दूसरी ओर विकसित देशों ने अपने किसानों और उद्योगों की राजसहायता बढ़ा दी है। यह हालत है। कृषि राजसहायता: भारत बनाम आर्थिक सहयोग और विकास (ओ.ई.सी.डी.) देशों का संगठन "नामक अध्ययन दर्शाता है कि "भारत ने 1995 में सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत के राजसहायता स्तर को घटाकर वर्तमान में 1.3 प्रतिशत पहुंचा दिया है। अन्य देशों ने इसे 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है।" इसलिए मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री को स्वयं इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए।

इस संदर्भ में मैं वाणिज्य मंत्री श्री कमल नाथ को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक में जोरदार विरोध किया। ये देश के हितों के लिए, विकासशील देशों के हितों के लिए और कृषक समुदाय के हितों के लिए लड़े। विश्व व्यापार संगठन स्तर पर लड़ाई लड़ना ठीक है किंतु घरेलू मामलों में भी और राजसहायता दिए जाने की आवश्यकता है।

हमारी कृषि राजसहायता में दिनों दिन कमी हो रही है। इसलिए, विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा अर्जित करने के मामले में इन अधिनियमों का निरसन करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि कृषि में और राजसहायता प्रदान करना भी आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

माननीय मंत्री यहां पर हैं और मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए तथा हमारे देश के कृषक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह बहुत ही सरल और उचित विधेयकों में से एक है जिसे इस सम्माननीय सभा का पूर्ण समर्थन मिलना चाहिए क्योंकि इस विधेयक में निर्यात उपकर के रूप में भारत के किसानों की एक परेशानी को खत्म करने की कोशिश की गई है। इसलिए, इस निरसन विधेयक, उत्पाद उपकर कानून विधेयक से घरेलू किसानों और अन्य लोगों को बहुत से लाभ प्राप्त होंगे।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य दो पुराने अधिनियमों, जैसे - कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 और उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 को निरस्त करना है। आप जानते हैं कि इस निरसन का समाधान या प्रभाव यह होगा कि इसके अंतर्गत उन भारतीय किसानों के लिए तुलनात्मक लाभ की व्यवस्था होगी जो अपना उत्पाद विदेशों में निर्यात करने के इच्छुक हैं क्योंकि जब कभी कोई वस्तु निर्यात की जाती है तो शुल्क के रूप में उपकर लगाया जाता है।

अपराह्न 5.00 बजे

जब कभी भी उपकर लगाया जाता है, चाहे वह 0.5 प्रतिशत हो या 0.8 प्रतिशत, इसे उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा और इसे निर्यात लागत में भी जोड़ा जाएगा। आगे, जब इसका निर्यात किया जाता है तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य देशों के उन विशेष उत्पादों की कीमत स्थिर रहती है और इससे घरेलू उत्पादों की कीमत में वृद्धि होगी। हम कल्पना करें कि हमारे देश में मछली की कीमत 100 रुपये है और बाहर भी यह 100 है। यदि इस पर 50 रुपये का उपकर लगा दिया जाता है तो मछली की कीमत 150 रुपये हो जाती है। तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मछली की कीमत भी 150 रुपये हो जाती है। दूसरी ओर अन्य देशों द्वारा निर्यात की गई उसी उत्पाद की कीमत 100 रुपये रहती है। इसका परिणाम होगा कि हमारा उत्पाद बाहर के बाजार में नहीं बिकेगा। इसलिए, चाहे जितना भी छोटा या बड़ा हो, इस उपकर से उन लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना खत्म हो जाएगी जो इसका निर्यात कर रहे हैं। निर्यात की गई वस्तुओं के लिए इसका एक तरह का उल्टा परिणाम होगा। इसलिए, इसे समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। इसको समाप्त कर देने से लोगों को तुलनात्मक लाभ मिलेगा और प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ेगी।

मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने यह बात जानना चाहा था। इस कदम से कृषि उत्पादों के मामले में प्रतिस्पर्धा कैसे पैदा होगी जबकि देश के कुल निर्यात में इसका हिस्सा मात्र एक प्रतिशत का है? वास्तव में यहां प्रश्न यह नहीं है कि निर्यात कितना बड़ा या कितना छोटा है बल्कि यहां प्रश्न सिद्धांत का है। यह सिद्धांत है कि हम उन करों को समाप्त कर रहे है जो भारत के व्यापार सम्बंधी संभावनाओं तथा निर्यात की संभावनाओं में बाधक है। यह सब उस समय हो रहा है जब हम कृषि और विदेशों को कृषि निर्यात के विकास में गति लाने के लिए हम बड़ी राशि खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, हम जो भी दे सकते हैं उससे भारतीय किसानों की ताकत बढ़ेगी या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे देश के किसानों की सौदा करने की क्षमता में वृद्धि होगी। इसका मुख्य लाभ यही है।

दूसरी बात, यह भारत के उस कृषि सम्बंधी समझौते के अनुरूप होगा जिस पर भारत ने विश्व व्यापार संगठन में हस्ताक्षर किए है। हम उरुग्वे समझौते और विभिन्न अन्य समझौतों का

[प्रो. एम. रामदास]

एक हिस्सा हैं ताकि विश्व-व्यापार मुक्त-व्यापार के लिए खुल जाए। एक मुक्त व्यापार व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपूर्ति-पक्ष या मांग पक्ष में कोई विकृति नहीं है। यह गतिरोधों में से एक है और इसे दूर करके हम विश्व समझौतों के वैश्विक भागीदारों में से एक बनने जा रहे हैं। विश्व-व्यापार पर इसका भी काफी असर होगा।

तीसरी बात, कई देशों में किसानों को राजसहायता के रूप मे मदद दी जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में सरकार अपने सभी लागत-लाभों के साथ किसानों को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी दे रही है लेकिन हमारे यहां सब्सिडी की राशि बहुत कम है। चूंकि हम सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं है इसलिए हम उपकर तथा करों की लागत में से कम कर रहे हैं और उस हद तक हम इसमें बचत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम समुद्री मछली जैसे उत्पाद की चर्चा करें। मछली पकड़ने का उद्योग संकट में है और इस क्षेत्र के अधिकांश उद्योग खतरे में है और इस तथ्य के बावजूद कि इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर हैं। समुद्री निर्यात उत्पाद एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि इस उपकर के चलते मछुआरे संकट में है। वे अंतिम उत्पाद पर 0.8 प्रतिशत दे रहे हैं जिसका 0.3 प्रतिशत एम.पी.डी.ए. को चला जाता है और 0.4 प्रतिशत कृषि उत्पादों को जाता है। एक बार यदि हम इस उपकर को समाप्त कर देते हैं तो इन मछुआरों के हितों की रक्षा होगी और विदेशी निर्यात के लिए इनको परोक्ष रूप में प्रोत्साहन राशि हो जाएगी।

आज हम बागवानी फसलों को बढ़ावा देने की बात सोच रहे हैं। अब हम कृषि को जीवन-निर्वाह से व्यावसायिक कृषि की ओर ले जाने की बात सोच रहे हैं और बागवानी-उत्पाद, विशेषकर सब्जियों से अच्छी खासी विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त होता है। यदि उनको प्रोत्साहन दिया जाता है तो हम और अधिक विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात राजस्व पाने में सक्षम होंगे। इसलिए, इस विधेयक पर इन सभी दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिए तथा सभी लोगों द्वारा इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए।

चूंकि मंत्री जो इस उपकर को समाप्त कर रहे हैं, मैं उनके समक्ष दो बातें रखना चाहूंगा। जब 1940 का अधिनियम लागू हुआ था तब ऐसा माना गया था कि उत्पादों पर लगाये गये इस उपकर से प्राप्त आय अनुसंधान गतिविधियों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को देने से रोक लिया गया। कई वर्षों से भा.कृ.अ.प. को यह राशि सीधे तौर पर दी जा रही है जैसा कि हमने शिक्षा उपकर लगाया है और इससे प्राप्त राजस्व देश में शैक्षणिक गतिविधियों के विकास के लिए जाता है। इसी प्रकार, हमने भा.कृ.अ.प. में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यह उपकर लगाया था। इस कोष का क्या होगा? क्या सरकार भा.कृ.अ.प. के लिए अलग से कोई कोष बनाने जा रही है?

इसी प्रकार, 1966 के अधिनियम में यह कहा गया था कि प्राप्त राजस्व विपणन में सुधार के लिए खर्च किया जाएगा। यह बताया जाना चाहिए कि इसका ध्यान कैसे रखा जाएगा। एक बार यदि इन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो सभी और मैं भी इस पूर्ण विधेयक का समर्थन करेंगे।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय द्वारा एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम, जो लम्बे समय से लम्बित था, उठाने के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। क्यों यह एक स्वागत योग्य कदम है? इसका कारण, है कि जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने यहां उल्लेख किया है, यह न केवल एक उपकर है बल्कि निर्यात पर एक कर भी है।

एक ओर हम निर्यात के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं तो दूसरी ओर हम इस पर कर लगा रहे हैं। इसलिए, इस प्रकार की विसंगति को अब ठीक किया जा रहा है। संबंधित स्थायी समिति की सिफारिशों पर नकदी फसलों और मसालों के बारे में भी हमने ऐसा ही किया है। वस्तु बोर्ड की सहायता के लिए भी एक उपबंध लिया जाता था, और यह बोर्ड नकदी फसलें और मसालों जैसे उत्पादों का ध्यान रखता था अब ऐसा नहीं होता है। यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके साथ ही हमें एक बात पर ध्यान देना होगा जिसके बारे में यहां कहा गया है। यह मुख्य रूप से भा.कृ.अ.प. के अनुसंधान और विकास कार्यों में मदद पहुंचाने के लिए किया गया था। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

मैं आश्वस्त हूं कि श्री शरद पवार जैसे एक दूरदर्शी नेता कृषि क्षेत्र या फार्मिंग सेक्टर के हितों का ध्यान रखेंगे, वे अनुसंधान और विकास के महत्व को जानते हैं, विशेषकर कृषि क्षेत्र में।

अन्य कई तरह की विसंगतियां हैं जो अभी मौजूद हैं। काली मिर्च के मामले में विकास की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास है जबकि विपणन और निर्यात वाणिज्य मंत्रालय के पास है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस समय काली मिर्च सम्बंधी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है - वाणिज्य मंत्रालय कहता है कि विकास सम्बंधी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय की है। इस मामले में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि

जहां तक इस विशेष फसल का सम्बंध है इसके पुनः रोपण तथा इसके नवीनीकरण पर बहुत कुछ किया जाना है।

इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस विशेष विसंगति को दूर किया जाए और जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से या तो कृषि मंत्रालय को या वाणिज्य मंत्रालय को सौंपा जाए। इसलिए पुनः एक बार मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वे पर्याप्त धन की व्यवस्था करें। इस समय माननीय वित्त मंत्री भी यहां उपस्थित हैं जो कृषि क्षेत्र, कृषि उत्पादों के विकास तथा विपणन के लिए तथा अनुसंधान के मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए तथा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बहुत चिंतित हैं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी: महोदय, धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक द्वारा दो अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा - कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 और उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966।

उद्देश्यों और कारणों सम्बंधी विवरण में कहा गया है कि 1940 के अधिनियम को निरस्त करने के बाद इससे प्राप्त राजस्व भा.कृ.अ.प. को अनुसंधान और विकास कार्य हेतु जाएगा। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य उड़ीसा में केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान खस्ताहाल हैं और इसमें सुधार की जरूरत है। इस संस्थान की एक दूसरी शाखा पश्चिम उड़ीसा में स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि मंत्रालय को अब अतिरिक्त वित्तीय आवंटन मिलने जा रहा है। इसलिए, उचित स्थान के.वी.के. क्षेत्र में होगा जहां की मुख्य फसलें चावल, तिलहन और दालें हैं। हम उपभोक्ताओं का उपलब्ध कराने हेतु चावल, तिलहन और दालों के आयात पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। इसके कारण हमें विदेशी मुद्रा का काफी नुकसान होता है।

दाल की कीमत काफी बढ़ी है। इस दूसरे अधिनियम को निरस्त करके काजू और लाख को विकसित किया जा सकता है। लाख का व्यापार या लाख उद्योग पूरी तरह विलुप्त हो गया है। उड़ीसा में लाख का एक कारखाना है जो बहुत अच्छा चल रहा है। जिस पेड़ से लाख निकाला जाता है उसे कुसुम पेड़ कहते हैं। आजकल जंगलों के बड़े पैमाने पर सूखने के कारण और काटे जाने के कारण कुसुम पेड़ धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं वह कुसुम पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। लाख उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए के.वी.के. क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कुसुम पेड़ लगाए जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उड़ीसा मे काजू की भी खेती होती है। काजू-वृक्षारोपण क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित है। बागवानी मिशन में इसे पुनः शुरू किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे के.वी.के. क्षेत्र में बागवानी के तहत वृक्षारोपण के लिए सरकार काफी पैसा देगी।

यह विधेयक आवश्यक हो गया था क्योंकि उपकर लगाने सम्बंधी कानून में छूट देने सम्बंधी कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए इस सभा में इस प्रकार का विधान लाना पड़ा और इसीलिए, सरकार इस अधिनियम को निरस्त कर रही है। यह एक स्वागत योग्य अधिनियम है। यह निर्यात-शुल्क समाप्त करने जैसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत कृषि क्षेत्र में अन्य बड़े खिलाड़ियों, विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा जो कृषि उत्पाद के लिए अपने किसानों को हजारों-हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। उनके किसानों को उनके कृषि उत्पादों के विरुद्ध सब्सिडी। हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के सभी दौर की वार्ताओं में कृषि सम्बन्धी समझौते पर चर्चा करने में हम असफल रहे हैं। कालक्रम में हम उरुग्वे दौर की वार्ता से लेकर हांगकांग वार्ता तक सभी में असफल रहे हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह प्रत्येक सरकार फिर चाहे वह राजग हो या संप्रग, का दायित्व है कि वह किसानों को राहत प्रदान करे। जैसा कि सही रूप में सदस्यों द्वारा बताया गया कि केवल घरेलू सब्सिडी के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है क्योंकि घरेलू सब्सिडी ही किसानों की अर्थव्यवस्था में सहायता और सुधार कर सकती है।

दूसरे दिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी को मूल्य नीति पर सदन में बोलते हुए सुन रहा था। उपभोक्ताओं और उत्पादकों या उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक प्रकार का संतुलन रखा जाना आवश्यक है। अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कब इस ओर ध्यान देंगे और संतुलन बनायेंगे क्योंकि आज धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। क्या 10 रुपया प्रति क्विंटल किसानों या धान उत्पादकों की प्रतिपूर्ति कर पाएगा। यह असंभव है।

आज, हम समाचारों में सुनते हैं या पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि हमारे देश में अनुबन्ध कृषि आ रही है। कृपया ऐसा नहीं करें। यदि हमारे देश में अनुबन्ध कृषि आती है तो सभी छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ जाएगी तथा वे भीख मांगने को मजबूर हो जाएंगे जिससे भुखमरी, प्रवसन और गरीबी से जुड़ी अन्य समस्याओं को बढ़ावा मिलेगा। अतः कृपया हमारे देश में अनुबंध कृषि नहीं लायें। हमोदय आपके माध्यम से मंत्रीजी से मेरा यही निवेदन है।

[श्री बिक्रम केशरी देव]

विधेयक में विरोध करने को कुछ भी नहीं है क्योंकि यह किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधारों को प्रोत्साहित करने वाला विधेयक है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, शरद पवार जी जो बिल लाए हैं, यह सरकार का बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है। निर्यात पर सीमा शुल्क के बारे में सही नीति बनाने का प्रयत्न किया गया है। निर्यात में जो कठिनाइयां थीं, उसमें किसानों को किस तरह ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती है, उसके लिए इस बिल का बहुत ही अच्छा उपयोग हो सकता है। हमारा सोचना है कि महाराष्ट्र में हार्टीकल्चर की स्कीम बहुत अच्छी तरह चालू की गई है। महाराष्ट्र में हार्टीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मदद दी गई है। श्री शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे, तब मैं इम्प्लॉयमैंट गारंटी स्कीम का मंत्री था। तब हमने महाराष्ट्र के हजारों-लाखों किसानों की मदद करने का प्रयत्न किया था। यहां हार्टीकल्चर की स्कीम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ायी गयी है। हमारे पंढरपुर, शोलापुर की जो कांस्टीटूएंसी है वहां अनार का बहुत उत्पादन होता है। हमारा इतना ही कहना है कि जो किसान अनार, अंगूर और आम का उत्पादन करते हैं, हमारे कोंकण में हाफूज आम बहुत ही मीठा होता है। आपने कभी खाया हो तो आपको पता होगा। उस आम, अंगूर या अनार का उत्पादन करने वाले किसानों को डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा किस तरह फायदा हो, वह हमें देखना है। व्यापारी लोगों का व्यापार चलना चाहिए लेकिन उनको ज्यादा फायदा नहीं लेना चाहिए। हम किसानों को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकते हैं, इस बारे में हमारी यू.पी.ए. सरकार विचार कर रही है, जो एक अच्छी बात है।

सभापति महोदय, शरद पवार साहब एक किसान भी हैं। वे किसानों की समस्याओं को जानते हैं। इसलिए वह ये बिल लेकर आये हैं। यू.पी.ए. के कार्यकाल में यह अच्छा बिल आया है। हम एन.डी.ए. के कार्यकाल में अपेक्षा करते थे कि इस तरह का कोई बिल आयेगा लेकिन छः साल में आप एक भी ऐसा बिल नहीं लाये। यू.पी.ए. के कार्यकाल में इस तरह के रेवोल्यूशनरी कदम उठाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए मैं शरद पवार साहब का धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल के माध्यम से किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, मुझे इस बिल के बारे में कोई विशेष बात नहीं कहनी है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से और अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद दे रहा हूं। जब भी कृषि के बारे में हम पर संकट पड़ा है, मैं समझता हूं कि पवार साहब ने हमारे राजस्थान का संकट दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। यह बात सही है कि यह रिपील बिल 1940, 1966 में आना चाहिए था, आप देर से आये लेकिन आप जो कुछ भी लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इससे किसानों को राहत मिलेगी। इसलिए मैं आपके बिल का पुरजोर शब्दों में समर्थन कर रहा हूं क्योंकि आपने सीमा शुल्क को घटाया है। इसके अलावा काफी बातें सभी माननीय सदस्यों ने कही हैं। आपने खुद माना है कि 67 परसेंट किसानों को लाभ होता है। किसान इससे अपना रोजगार चलाते हैं।

मैं आपसे इतनी प्रार्थाना करना चाहता हूं कि इस तरह के अन्य बिल जो किसानों के हित में हैं, यदि वे आपके पास पैंडिंग्स पड़े हैं, तो आप जिस प्रकार से यह बिल लेकर आये हैं उसी प्रकार से उन बिलों को लाकर रिपील करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से किसानों को उसका लाभ होगा। मुझे दो बातें आपके सामने निवेदन करनी हैं, जिन्हें आप भली प्रकार से जानते हैं। पिछली बार राजस्थान में सरसों का संकट आया था। हमने आपसे इस बारे में प्रार्थना की थी। हम आपसे मिले भी थे। हमारा शिष्टमंडल भी आपसे मिला था। हमने कहा था कि आप भंडार की व्यवस्था करें। आपने उसे करने का प्रयास किया लेकिन उस प्रयास में काफी कमी रह गयी है। उस कमी को भी आप दूर करें। सरसों की खरीद के बारे में हमने आपसे कहा था कि हम खरीद रहे हैं, राजस्थान सरकार ने उसे खरीदा लेकिन पूरा पैसा नहीं मिला। अभी मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मेरी बहन वसुंधरा जी, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, वे आपसे मिलकर गयी हैं। आपने उस व्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया है। यदि आपने वह प्रयास कर दिया है, तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन भंडारण की व्यवस्था हो, इस संबंध में भी आपको विचार करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि आप भी किसानों के हितैषी हैं। किसानों को अच्छी रकम मिले, यह भी आपको देखना चाहिए।

मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है कि आपने ऑस्ट्रियन से गेहूं खरीद कर किसानों को साढ़े सात रुपये के हिसाब से देने का प्रयास किया। अगर आप किसानों को नौ या दस रुपये में दे देते तो भारत के किसानों को लाभ होता। आपने आस्ट्रियन कम्पनी जो ब्लैक लिस्ट में है, उससे गेहूं खरीदा। यह भी चर्चा का विषय रहा है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप उस संबंध में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे, तो मुझे और भारत की जनता को मालूम हो जायेगा कि किन परिस्थितियों में आपने गेहूं का आयात करने का प्रयास किया।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि आप किसानों के लिए हितकारी बिल लेकर आये हैं। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ इस तरह के जितने बिल आपके पास पैंडिंग पड़े हैं, उनको भी आप इसी प्रकार से लायें, तो मैं समझता हूं कि हमको भी बार-बार उसे रिपील करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार नहीं, जितनी बार आप बिल लायेंगे, उतनी बार हम आपको धन्यवाद देंगे। अगर आप कहें तो मैं इसके लिए आपको अग्रिम बधाई भी दे सकता हूं। मुझे और कोई विशेष बात नहीं कहनी है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यूं तो अन्य माननीय सदस्यों और मेरे भाई श्री रासा सिंह रावत ने आन्ध्र प्रदेश का जिक्र किया, भारत के कृषि प्रधान देश होने एवं अन्य बातों का जिक्र किया और आपके पास कौन-कौन से बिल भी पेंडिंग पड़े हैं, उनका भी जिक्र किया है। ऐसे पेंडिंग बिलों को भी आप जल्दी लाकर रिपील करने की कृपा करेंगे।

सभापति महोदय, आप मेरे नामराशि हैं, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: हां, हम दोनों के नाम एक जैसे हैं।

[अनुवाद]

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्रीजी को इन दो निरसित विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह निश्चित रूप से देश में करोड़ों कृषकों की सहायता करेगा। पहली बात जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि जब हमने सब्जियों और फलों का निर्यात शुरू किया था तभी से हम विभिन्न कारणों के चलते कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना कर रहे थे। उनमें से एक मुख्य यह थी कि हमारे पास पर्याप्त शीत भण्डारण क्षमता नहीं थी। हमें पूरे देश में आधिकाधिक बहुद्देश्यीय प्रशीतन भाण्डागारों की आवश्यकता है। दूसरे, हमारे उत्पादों का निर्यात करते समय फिर चाहे वह वायुयान द्वारा हो या जहाज द्वारा, हमें मालभाड़े में भारी अनियमितता का सामना करना पड़ता है। यदि हम वास्तव में इन कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से इस समस्या की ओर भी ध्यान देना होगा।

अन्य बिन्दु यह है कि इन खराब होने वाली वस्तुओं का जहाज द्वारा निर्यात करते समय हमें डिब्बों की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमें वातानुकूलित डिब्बों की जरूरत है। यह खेद का विषय है कि आजादी के 58 साल बाद भी हमारे पास अपने वातानुकूलित डिब्बे नहीं हैं। हमें उनकी आवश्यकता है। वर्तमान में हम इन डिब्बों की आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे देशों से आयात के माध्यम से कर रहे हैं। जो भी पदार्थ हम पश्चिम बंगाल राज्य से विश्व बाजार को निर्यात करते हैं, हम वातानुकूलित डिब्बे जर्मनी से आयात करते हैं। परिणामस्वरूप लागत मूल्य में वृद्धि हो जाती है। हमारे सामान को उचित मूल्य का बनाने हेतु हमें अपने वातानुकूलित डिब्बों की आवश्यकता है ताकि हम इस क्षेत्र में अन्य अग्रसर देशों से बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकें। अब, उदाहरण के लिए, हम पश्चिम बंगाल से आलू निर्यात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हमारे वैश्विक प्रतिस्पर्धी संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और हॉलैण्ड जैसे देश हैं। इस संबंध में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हम माननीय कृषि मंत्री जी के आभारी हैं क्योंकि पहली बार संप्रग सरकार द्वारा आलुओं के निर्यात के लिए परिवहन सहायता को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रोत्साहन ने हमें विश्व बाजार में प्रवेश में सक्षम बनाया है। लेकिन वातानुकूलित डिब्बों को आयात करने की समस्या अभी भी बनी हुई है।

महोदय, इन दो विधेयकों के निरसन का मुख्य उद्देश्य हमारे कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। हमारी स्थलाकृति ही इस प्रकार की है कि जो भी वस्तुएं हम हमारे देश में उत्पन्न करते हैं विश्व बाजार में उन्हें सहजता से स्वीकार किया जाता है। इसलिए, यदि सरकार हमारे उत्पादकों और निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के प्रति वास्तव में गंभीर है और दिलचस्पी रखती है तो उसे इन समस्याओं का समाधान अवश्य करना चाहिए। ये समस्याएं मुख्यत: कृषि-उत्पादों के निर्यात से जुड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब इस बहस का उत्तर दें तो हमें इन बिन्दुओं के संबंध में जानकारी अवश्य दें।

महोदय, माननीय महिला सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल में व्यापार की दशा के बारे में उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि, जैसा माननीय मंत्री जी पहले ही बता चुके हैं कि कृषि और उद्योग साथ-साथ चलने चाहिए। केवल कृषि उत्पादों का उत्पादन और उनके लिए बाजार तलाशना ही हमारे देश को प्रगति की ओर नहीं ले जाएगा। साथ ही साथ हमारे उद्योगों का भी समान रूप से विकास करने की आवश्यकता है। हमें उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता है और हमारी पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में सही निर्णय लिया है और हम बहुत आशान्वित हैं कि अब से कुछ ही वर्षों में पश्चिम बंगाल राज्य अपना खोया हुआ गौरव पुन: प्राप्त करेगा और कृषि और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अन्य राज्यों से आगे प्रयास करेगा।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अधिक समय नहीं लेकर केवल कुछ बातें मंत्री जी से कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के कृषि निर्यातकों और मूल रूप से किसानों की मदद करने के लिए उपकर समाप्त करने के लिए यह बिल सदन में पेश किया। संसद की स्थाई समिति की रिपोर्ट भी इस सम्बन्ध में रही है और उसने भी कहा था कि यह उपकर समाप्त होना चाहिए। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं दो बातें कहना चाहूंगा। कृषि हमारे देश में एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। यह जिंदगी जीने का तरीका रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रतिस्पर्धात्मक रूप लने से कृषि के तौर-तरीके में भी परिवर्तन आया है। इस कारण व्यापारिक खेती को बढ़ावा मिला है। यह एक नया कॉसेप्ट है और आगे बढ़ने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे देश में आज भी करीब 60-70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उन चीजों पर गौर करें, जो खेती से सम्बन्धित हैं। अतः उन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में ग्लोबल बिजनेस की प्रक्रिया चल रही है। विशेष रूप से खेती से सम्बन्धित जिंसों को इससे बढ़ावा भी मिला है, लेकिन यह ग्लोबल बिजनेस की प्रक्रिया कृषि उत्पादों को भी प्रभावित कर रही है। इस सम्बन्ध में हाल ही में एक विश्व स्तरीय बैठक भी हुई थी। हालांकि उसमें आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन एक फ्री ट्रेड वाली व्यवस्था का दौर शुरू हो गया है। उसके अंदर अगर हम अपने काश्तकारों को मजबूत करेंगे, तो वे वैश्विक व्यापार में अपने खेती के उत्पादों के साथ अन्य मुल्कों से कम्पीट कर सकेंगे, क्योंकि खेती से सम्बन्धित उत्पादों पर काफी प्रतिस्पर्धा भविष्य में होगी। इस वैश्विक व्यापार में हमारे काश्तकारों के लिए भी अपार सम्भावनाएं हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का बाजार काफी विस्तृत है। जैसे अभी हम 'साफ्टा' के अंतर्गत एशिया में इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और यहां ट्रेड एसोसिएशन बन रही है, इसमें बहुत से कृषि जिंसों का व्यापार एक महत्वपूर्ण भाग होगा। उसके बाद अफ्रीकी उपमहाद्वीप और अन्य उपमहाद्वीपों में भी हमारे कृषि उत्पादों के लिए अनेक सम्भावनाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है कि कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र में हमारे यहां प्रसंस्करण का अभाव है। आज हमारा किसान भी बायो टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ना चाहता है। वह भी नए-नए बीजों का एक्सपैरिमेंट करना चाहता है और विश्व स्तर पर अपने उत्पाद लाना चाहता है। इस सम्बन्ध में मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह आप उपकर हटा रहे हैं, जिससे निर्यात संवर्धन हो सके, उसके साथ ही आप खाद्य प्रसंस्करण के उपक्रम को भी मदद दें, जिससे उसे बढ़ावा मिल सके। इस सम्बन्ध में हम देखें तो चीन का अनुभव इस क्षेत्र में काफी रहा है। लो कॉस्ट और लेबर इंटेंसिव के कारण वहां के किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में वहां काफी अच्छा काम हुआ है। इसे हमारे यहां भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं आशा करता हूं कि आपके विशेष प्रयासों से कृषि सम्बन्धित प्रसंस्कृत किए हुए उत्पादों का भी निर्यात बढ़ेगा। इस बहाने हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे और किसानों को एक नई दिशा दे पाएंगे।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (बडोदरा): सभापति महोदय, माननीय शरद पवार जी द्वारा पेश किए गए कृषि उपजल उपकर अधिनियम, 1940 और उपज उपकर अधिनियम, 1966 का निरसन करने वाले विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी द्वारा यह एक स्तुत्य प्रयास है, क्योंकि इससे जो विसंगतियां थीं, उन्हें दूर करने की हिम्मत आपने दिखाई है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

भारतीय कृषकों द्वारा जिन गुड्स का उत्पादन होता है, उसका लाभकारी मूल्य उन्हें मिले, इसके लिए यह सैस लगाया गया था। इसका एक प्रावधान और उद्देश्य यह भी था कि हम इसके द्वारा किस तरह से किसान के उत्पाद का निर्यात प्रभावी ढंग से करें।

मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी कि 67 प्रतिशत उत्पाद, हमारे कृषक जो भारतवर्ष में करते हैं, उन उत्पादों को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के साथ जोड़ते हुए, हमारे वैज्ञानिकों ने जो एटॉमिक एनर्जी वेस्ट द्वारा कोल्ड पॉश्चुराइजेशन प्रोसेस संशोधित किया है, जिसका मूल्य बहुत ही कम पड़ता है, और यह जो संशोधन है, हमारे जो सारे बड़े पोर्ट्स हैं, उन पर इसको लगाया जाए। उसके बाद जैसे हमारे सी-फूड्स, मसाले और कृषि उत्पाद हैं या फल हैं, ऐपल है, पाइन-ऐपल है, फसल के रूप में उनका मूल्य किसान को उतना नहीं मिलेगा लेकिन अगर फलों को प्रोसैस करके जैम आदि बनाए जाएं, उनको अच्छी तरह से रखने के लिए यह जो संशोधन है, उसको काम में लाया जाए और हमारे सारे पत्तनों में उनको लगाया जाए तो किसानों को बहुत लाभ पहुंचेगा। यह जो प्रोसेस है, यह बहुत ही लाभकारी है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: सभापति महोदय, मैं प्रत्येक माननीय सदस्य का आभारी हूं, क्योंकि सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है, के द्वारा इस विधेयक का समर्थन किया गया है। वास्तव में, यह निरसित विधेयक है। जो भी निर्णय इस विधेयक में लिया गया है वह केवल निर्यात के प्रोत्साहन के लिए है क्योंकि इस अधिनियम के तहत उपकर निर्यातों पर एक कर है। वर्तमान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में, निर्यातों पर कर एक खराब आर्थिक व्यवस्था है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि निर्यात दिन प्रतिदिन बहुत प्रधिस्पर्धात्मक हो रहा है। पूरा विश्व जानता है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में हुई चर्चा में क्या हुआ। भारत को कड़ा रुख अपनाना पड़ा। मैं अपने साथी वाणिज्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने भारतीय कृषकों के हित के लिए संघर्ष किया। जैसे कि, संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देश इस बात पर कायम हैं कि वे राजसहायता (सब्सिडी) समाप्त नहीं कर रहे हैं, भारतीय प्रतिनिधि द्वारा भी एक अतिवादी रुख अपनाया गया। हम उस निर्णय के भागीदार नहीं हैं। अत: अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनेक देश हैं जो अपने कृषि उत्पादों को भारी सब्सिडी दे रहे हैं। इसके विपरीत हमारे देश में, ये दो अधिनियम, कृषि उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1940 और उत्पाद शुल्क अधिनियग, 1966 ने कृषि उत्पादों पर लेवी कर लगाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्यातों को हतोत्साहित किया है। ये कौन से पदार्थ हैं? ये हैं मक्खन, दुग्ध उत्पाद आदि।

बहुत कम लोग जानते हैं कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। हम संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन करते हैं। लेकिन दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसका एक कारण दुग्ध संसाधन और दुग्ध उत्पाद बनाने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना का अभाव है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की जा सके। लेकिन मक्खन पर एक कर था। दूसरी वस्तु दालें थीं। उसमें गेहूं और चावल शामिल हैं, उदाहरण के लिए चावल को लें। भारत चावल का मुख्य निर्यातक है। गत वर्ष हमारा चावल का कुल निर्यात लगभग 6000 करोड़ रुपये था। हम बासमती रोपन को बढ़ावा देना चाहते हैं और हम बासमती के वैश्विक बाजार में पैठ बनाना चाहते हैं जो निश्चित रूप से किसानों को अतिरिक्त धन प्रदान करेगा और हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार करेगा। परन्तु इस विधेयक के कारण एक कर था।

अब तीसरी वस्तु है मछली। भारत से समुद्री खाद्य पदार्थों का कुल आयात लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। फलों, घी, दालों, बीजों, मसालों, सब्जियों, गेहूं के आटे इत्यादि के साथ मछली पर भी कर लगाने का प्रावधान था। इसलिए ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर कर लगाने का प्रावधान था।

वस्तुत: मैं सभा को बताना चाहता हूं कि गत कुछ वर्षों के दौरान हम अधिकांश वस्तुओं पर कर नहीं ले रहे थे। गत वर्ष इस उपकर के कारण हमारी कुल आय 8 करोड़ 99 लाख रुपए थी। मुझे विश्वास है कि कर संग्रहण प्रभार हमारे द्वारा संग्रहित राशि से अधिक होना चाहिए। इसलिए हमने अंत में इन करों को समाप्त करने, इस विधेयक का निरसन करने और इस विधेयक से पीछा छुड़ाने और कृषि के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने का निर्णय लिया।

हमारे कुछ सहयोगियों द्वारा अनेक मुद्दे उठाये गए। अब उदाहरण के लिए, हम इस उपकर से जितनी भी राशि का संग्रहण कर रहे थे वह सम्पूर्ण राशि अनुसंधान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास भेज दी गई। जैसा कि मैंने कहा यह कुल राशि गत वर्ष 8 करोड़ 99 लाख रुपए थी। माननीय वित्त मंत्री जी यहीं पर हैं। मैं उनका अभारी हूं कि उनके कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए बजटीय प्रावधान जो कि लगभग 850 करोड़ रुपए था वह अब 1200 करोड़ रुपए हो गया है। इसलिए सरकार को जो भी सावधानी बरतनी थी वह उसने बरती और मेरा विश्वास है कि विशेषकर कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी।

अपराह्न 5.37 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

कुछ और मामले भी उठाये गए थे और मैं नहीं जानता कि वे इस विशेष विधेयक से कैसे संबंधित थे। यह सच है कि कुमारी ममता बैनर्जी ने खाद्य उत्पादन के बारे में प्रश्न उठाया है। उन्होंने यह प्रश्न भी उठाया कि अगले पांच वर्षों में खाद्य के मामले में क्या स्थिति होगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हमें इस पहलू का अध्ययन करना चाहिए। वस्तुत: हमने विस्तारपूर्वक विचार किया है और यह सच है कि समस्या है। हमारे अपने अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 2012 में इस देश में खाद्य की भारी कमी होगी और वर्ष 2020 तक यह कमी और 30 से 40 मिलियन टन हो सकती है। इसीलिए हमें बहुत से निर्णय लेने पड़े और हमने उपचारात्मक निर्णय लेने शुरू कर दिये हैं।

मैं चावल के उत्पादन के बारे में चिंतित नहीं हूं। ऐसे अनेक राज्य हैं जो चावल के क्षेत्र में बहुत से कदम उठा रहे हैं। मैंने पहले ही इस सम्माननीय सभा को कुछ आंकड़े बताये हैं और कुछ जानकारी दी है। दो वर्ष पूर्व तक हमारी चावल की कुल खरीद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थी। किंतु यदि आज आंकड़े देखें तो गत वर्ष के दौरान पंजाब

[श्री शरद पवार]

के बाद दूसरा राज्य जो आगे आया वह छत्तीसगढ़ था और तीसरा राज्य जिसने हमारे राष्ट्रीय भंडार में चावल का योगदान दिया वह था उड़ीसा। अगला है पश्चिम बंगाल और फिर बिहार तथा आंध्र प्रदेश। इसलिए हमने विकेंद्रीकृत तरीके से खरीद को शुरू किया है और मुझे खुशी है कि बहुत से राज्य अनेक कदम उठा रहे हैं और वे चावल की समस्या का समाधान करने के लिए आगे आ रहे हैं। किंतु गेहूं की स्थिति इससे अलग है क्योंकि हम गेहूं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से ही ले सकते हैं। पूरे दक्षिण भारत या पूरे पूर्वोत्तर अथवा पूर्वी क्षेत्र से गेहूं लेना संभव नहीं है। अथवा इसे पूरे पूर्वोत्तर या पूर्वी क्षेत्र में ले जाना संभव नहीं है। इसीलिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम अपना गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ा सकेंगे। यदि हमें अपना गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों तथा बिहार पर ध्यान देना होगा। मुझे विश्वास है कि हम सुधारक कार्यवाही कर पायेंगे। हम विशेष रूप से इन राज्यों के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू करेंगे। हम खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान कर पायेंगे।

उन्होंने यहां जो दूसरा मुद्दा उठाया है वह यह है। श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर ने भी कुछ अनुसंधान के बारे में इसे उठाया है। मुझे अपने परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा खाद्य को कैसे प्रसंस्कृत किया जाए, इस बारे में विकसित किए गए अनुसंधान की जानकारी है। जो वह बता रही थीं यह निश्चय ही लाभप्रद होगा। मैं स्वयं उसके बारे में और जानकारी एकत्र करूंगा। हम देखेंगे कि हम अपने परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा विकसित की गई नई प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे कर सकते हैं।

श्री भार्गव ने हमेशा की तरह सरसों का मामला उठाया है। वस्तुतः सरसों की खरीद किसानों द्वारा विशेषकर राजस्थान के किसानों और कुछ मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के किसानों द्वारा उठाया गया गम्भीर मामला था। मैं इस सभा को केवल इतना बताना चाहता हूं कि दो वर्ष पहले सम्पूर्ण देश में सरसों की कुल खरीद 120 करोड़ रुपए थी। गत वर्ष संप्रग सरकार ने केवल किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए 3000 करोड़ रुपए की सरसों खरीदी थी। इस वर्ष संभवतः हम 3200 करोड़ रुपए की खरीद को पार कर जायेंगे। हमें भारी घाटा हो रहा है परन्तु हमें उसकी चिंता नहीं है। हमने किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही यह निर्णय लिया।

मुझे पता है कि राजस्थान के किसानों के लिए कुछ पैसा बकाया है। मैंने राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री से विस्तृत चर्चा की थी। हम कुछ समाधान तलाशने जा रहे हैं। मैं इस सभा को और विशेषकर राजस्थान के किसानों को स्पष्ट रूप से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सम्पूर्ण मामले को एक या दो सप्ताह में हल कर लेंगे। मैं और समय नहीं लेना चाहता। यह मामला सीमित है।

अन्य अधिनियम भी हैं जैसे ए.पी.ई.डी.ए. सेस एक्ट, 1985; गर्ममसाला उपकर अधिनियम, 1986; तंबाकू उपकर अधिनियम, 1975; एम.पी.ई.डी.ए. एक्ट, 1972 और काफी अधिनियम, 1942 हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इन सभी अधिनियमों के द्वारा कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात से उपकर समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसलिए कोई समस्या नहीं होगी।

मुझे प्रसन्नता है कि जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। कृषि व्यापार, विपणन और निर्यात के क्षेत्र में जो भी दोष हैं हम उनको सही करने का प्रयास करेंगे।

केवल उसी विचार से मैं इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं माननीय मंत्री को कृषि के क्षेत्र में विशेषकर आधुनिकीकरण के संबंध में उठाये गए कदमों और किसानों को कुछ अन्य देशों में ले जाकर उनकी मदद करने के लिए बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि यह पहली बार है कि किसानों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश ले जाया गया है। यह अच्छा कदम है। मैं समझता हूं कि यह सही समय है जब हमें उन नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाना पड़ेगा जो कि विदेशों में प्रयोग की जा रही हैं। उन्हें हमारे देश में प्रत्यारोपित किया जा सकता है जहां हमारे पास जनशक्ति और अन्य सुविधाएं हैं। नवीनतम प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से हम उत्पादकता का सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं और हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।

दूसरे, मेरे राज्य केरल से संबंधित एक छोटी सी बात और है। केरल सरकार ने सिफारिश की है कि जब पैकेज की घोषणा की जाए तो दो और जिलों को इसमें शामिल करने पर विचार किया जाए। माननीय वित्त मंत्री भी यहां हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि विशेषकर इदुकी जिले में और पिछड़े जिले अलेप्पी में भी बहुत सारी आत्महत्याएं हुई हैं। जब किसानों के लिए पैकेज की घोषणा की जाए तो इन दो जिलों को ध्यान में रखा जाए। मंत्री महोदय आपने यह किसी अन्य राज्य के लिए किया है। हमें बहुत खुशी है। किंतु यह केरल राज्य के संबंध में भी किया जाए जहां किसान गहरे संकट में हैं विशेषकर उन जिलों में जहां बहुत सारी आत्महत्याएं हो रही हैं। यह कुछ लोगों की लापरवाही के कारण है। बात यह है कि कुछ सूचनाएं पहले आई थीं। मंत्रालय को उचित रिपोर्ट नहीं दी गई।

वास्तविक समस्या यह है कि कुछ जिलों को नहीं दिखाया गया और आत्महत्या की संख्या भी सही ढंग से नहीं दिखाई गई। यह अच्छी बात है कि कृषि मंत्रीजी ने वास्तविक आंकड़े एकत्र करने का कष्ट किया और हमें आशा है कि जहां तीन जिलों की पहले ही पहचान कर ली गई है वहीं इन दो जिलों जिनकी केरल सरकार द्वारा नए अध्ययन के बाद पहचान की गई है और जिनके लिए भारत सरकार से सिफारिश की गई है, को भी राहत हेतु विशेष पैकेज में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रो. रासा सिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने राजस्थान की सरसों के बारे में चर्चा की, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। लेकिन मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो विदेशों से पाम ऑयल वगैरह मंगाया जा रहा है, उसके कारण पिछले साल और इस साल की सरसों गोदामों में पड़ी हुई है और राजस्थान तथा सारे देश का तेल उद्योग, जिसे कोल्हू उद्योग कहा जाता है, जिसे सरसों के तेल का घानी उद्योग कहा जाता है, जिसमें सरसों को पेरकर उससे मस्टर्ड ऑयल निकाला जाता है, वह सारा उद्योग बंद पड़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सरसों के तेल को बाहर भेजने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए कम से कम विदेशी तेल पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस पर सौ परसैन्ट से भी ज्यादा ड्यूटी लगाई जाए, ताकि विदेशी तेल महंगा पड़े और देशी तेल सस्ता पड़े।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने दतीन प्रदेशों का चयन किया है, जिसमें हमारे बिहार प्रदेश के बारे में आपने चर्चा की है और कहा है कि आपके पास नई योजना है, लेकिन वह क्या योजना है, यह आपने नहीं बताया। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार के उत्पादकों को उत्साहित करने के लिए आप कौन सी योजना बना रहे हैं, ताकि वे अधिक उत्पादन करके देश को कंट्रीब्यूट कर सकें और आपकी परेशानी को कम कर सकें।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में सरसों की खरीद के लिए आपने नैफेड को चैनेलाइजिंग एजेन्सी बनाया है। श्रीलंका के माध्यम से जो वनस्पति तेल आ रहा है, उसका राजस्थान में अच्छा असर पड़ रहा है और किसानों को मूल्य भी मिलने लगा है। लेकिन अभी-अभी अखबारों में ऐसी खबरें भी आने लगी हैं कि श्रीलंका में काम करने वाली कंपनियों के वेस्टेड इंटरैस्ट हैं और वे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि नैफेड को इससे निकाल दिया जाए और कोई दूसरी एजेन्सी बना ली जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी, वहां से जो क्वांटिटी आती है, जब तक उसकी कोई लिमिटेशन या कोटा निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि वहां से अनलिमिटेड क्वांटिटि, करीब ढाई लाख टन के आसपास आती है। जहां मात्र दस फैक्टरियां हैं और हिन्दुस्तान की 250 फैक्टरियों में से लगभग 135-140 फैक्टरियां बंद हो गई हैं, लेकिन आपके इस निर्णय से कई फैक्टरियों में अब वापस जान आने लगी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि नैफेड को आप यथास्थिति में बनाये रखें और चैनेलाइजिंग एजेन्सी नैफेड को ही रखें, लेकिन आप कोटे को जरूर लिमिट करें।

श्री शरद पवार: यह बिल रिपील करने के बारे में था। एग्रीकल्चर आइटम्स पर जो टैक्स हैं, उसके खत्म करने की बात थी। लेकिन यहां जो सवाल उठाये गये हैं, वे इस बिल से बहुत दूर हैं। लेकिन जब यहां सवाल उठाये गये हैं तो मैं उनके बारे में कुछ मालूमात करने की अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। जहां तक नेपाल से हमारे एग्रीमैन्ट का संबंध है, उसके मुताबिक जो वनस्पति इम्पोर्ट होता है, उसका कुछ असर हिन्दुस्तान के वनस्पति उद्योग पर हो रहा है, यह बात हमारे सामने आई है। इसका रास्ता निकालने के लिए देश के वनस्पति उद्योग का ऐसा सुझाव था कि इसको चैनलाइजिंग करने की जिम्मेदारी आप नैफेड को दे दें। इसलिए इस तरह का कदम सरकार ने उठाया और यह बात सच है कि हमसे श्रीलंका का एक डेलिगेशन मिला था, जो चाहता था कि नैफेड को जो जिम्मेदारी देने का कदम आपने उठाया है, उसमें आप परिवर्तन करें। लेकिन इसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। हम क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। हमने नैफेड को चैनलाइजिंग करने की जो जिम्मेदारी दी है, हम उसमें बदलाव नहीं करना चाहते, लेकिन श्रीलंका से हमारा जो एग्रीमैन्ट हुआ है, हम उसे ऑनर करना चाहते हैं। इसके साथ-साथ डोमैस्टिक इंडस्ट्रीज और अपने किसानों के हितों की रक्षा करने के बारे में हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।

जहां तक केरल की बात यहां बतलाई गई कि केरल के तीन डिस्ट्रिक्ट्स में पैकेज देने का जो सुझाव वहां की सरकार की तरफ से आया था, इसे स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही इसमें दो नये डिस्ट्रिक्ट्स को भी शामिल करने का सुझाव आया है। पहला जो सुझाव है, उस पर हम अमल करेंगे और बाद में नये जिलों के बारे में जो कुछ सोच सकते हैं, वह सोचेंगे। इससे ज्यादा मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस बिल को माननीय सांसद स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कृषि उपकर अधिनियम, 1940 और उपज उपकर अधिनियम, 1966 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शरद पवार: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि मद संख्या 18, राजकीय प्रत्याभूति विधेयक, को कल चर्चा के लिए लिया जाए, हम मद संख्या 17 के समाप्त होती मद संख्या 19 लेंगे और उसके पश्चात् शून्य काल होगा। मैं इस बात से अवगत हूं कि अधिकांश माननीय सदस्य शून्य काल देर से होने पर प्रसन्न नहीं हैं, परन्तु मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, रात को दस बजे शून्य काल लिया जाता है। उस समय उसे कोई कवर नहीं करता है। अखबार वाले भी कवर नहीं करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से पूरी सभा मंत्री जी द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत है।

अपराह्न 5.52 बजे

स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) विधेयक, 2006

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या 17 पर चर्चा करेगी।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि स्पिरिटयुक्त निर्मित (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, स्पिरिटयुक्त निर्मित (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955, स्पिरिटयुक्त औषधीय और अन्य निर्मितियों के अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य पर लोक हित में कतिपय निर्बधनों का अधिरोपण करने के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम, ऐसे महानिषेधी राज्य को, जिसमें या जिसके किसी भाग में ऐल्कोहाली लिकर के उपभोग को विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट करने और ऐल्कोहल वाली किसी निर्मित को इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत स्पिरिटयुक्त निर्मिति के रूप में घोषित करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है।

केन्द्रीय सरकार ने, अन्य बातों के साथ विधि और विनियमों का पुनर्विलोकन करने और ऐसी विधियों तथा विनियमों के निरसन/संशोधनों के लिए सिफारिशें करने के उद्देश्य से 8 मई, 1998 को श्री पी.सी. जैन की अध्यक्षता के अधीन एक प्रशासनिक विधि पुनर्विलोकन आयोग का गठन किया गया था।

आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, स्पिरिटयुक्त निर्मित (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 के निरसन की सिफारिश की थी।

इस समय केवल गुजरात ही मद्यनिषेध नीति वाला राज्य है। गुजरात सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्होंने बम्बई मद्यनिषेध अधिनियम, 1949 के अधीन गुजरात स्पिरिटयुक्त निर्मितियां नियम 2005 तैयार किया है और इसलिए उस राज्य

सरकार को इस अधिनियम का निरसन किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

इन परिस्थितियों में स्पिरिटयुक्त निर्मित (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 अप्रचलित हो गया है। अतः केन्द्रीय सरकार यह समुचित समझती है कि इस अधिनियमक का निरसन किया जाए।

चूंकि स्पिरिटयुक्त निर्मित (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) विधेयक, 2006 पहले ही राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है इसलिए मैं यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करने तथा सदन से इसे पारित किए जाने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि स्पिरिटयुक्त निर्मित (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी द्वारा प्रस्तुत स्पिरिटयुक्त निर्मित (अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। वास्तव में भारत सरकार ने जो पी.सी. जैन की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक विधि पुनरावलोकन आयोग का गठन किया था, जिसको काम दिया गया था कि ऐसे विधि या कानूनों का पुनरावलोकन करें समीक्षा करें, संशोधन करें अथवा मनिरसन के लायक हों तो उसकी सिफारिश करें। उस आयोग ने सिफारिश की कि इस कानून की उपयोगिता खत्म हो गई है क्योंकि गुजरात ने अपना कानून बना लिया है और वहां पर बॉम्बे स्टेट का जो कानून था, उसे अपने यहां लागू कर दिया है। इसलिए इस कानून की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मंत्री जी इस कानून का निरसन करने का प्रस्ताव लाए हैं। प्रस्ताव का तो हम समर्थन करते हैं लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व हैं और उसमें जो मद्य निषेध की नीति थी, उसकी आजाद भारत के अंदर किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी जी के जो आदर्श थे, हमारे स्वाधीनता सेनानियों के जो आदर्श हैं कि स्वतंत्र भारत के अंदर शराब पर पाबंदी होगी, शराब का खुला व्यापार नहीं होगा, लेकिन आज विज्ञापनों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पर्यटन के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति का जिस प्रकार से दुष्प्रचार हो रहा है, पत्र-पत्रिकाओं और मीडिया के माध्यम से शराब का प्रचलन और बढ़ रहा है, जो लोग कभी शराब का सेवन नहीं करते थे, आज उन ऊंचे तबकों में शराब शान की चीज समझी जाती है, समाज के अंदर शराब पीने वालों की प्रतिष्ठा मानी जाती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस रिपील का तो हम समर्थन कर रहे हैं लेकिन देश के अंदर जो वस्तुस्थिति है मद्य निषेध को लागू करने की, उस पर सरकार ध्यान दे और कोई नया कानून लाना पड़े तो लाया जाए और मद्यपान की वृत्ति को कम करने का प्रयास किया जाए। हालांकि हमारा समाज कल्याण विभाग इसके लिए काफी प्रचार भी करता है। एक तरफ तो बोर्ड लगा होता है कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं और दूसरी तरफ शराब की दुकान पास में होती है, ठंडी बीयर की दुकान, कोआपरेटिव की दुकान, सस्ती शराब की दुकान पास में होती है। यह क्या हो रहा है? हम आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहेंगे कि गांधी जी का नाम लेने वाले, गांधी जी के आदर्शों पर चलने का दम भरने वाले महानुभावों से प्रार्थना है कि गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए मद्यपान पर कड़ाई से निषेध किया जाए। इस कानून का खात्मा हो रहा है, यह अच्छी बात है। हम इसके निरसन का समर्थन करते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): मैं तो सिर्फ दो चार बातें उनको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं।

[अनुवाद]

गुजरात एक मात्र राज्य है, जिसने वास्तव में मद्यनिषेध नीति का पालन किया है। भारत के अधिकांश राज्य मद्यनिषेध नीति को हटाना नहीं चाहते क्योंकि इसके माध्यम से अधिक से अधिक कर की वसूली की जाती है।

अपराह्न 5.58 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से रासा सिंह रावत जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को सेल्स टैक्स के बाद सबसे ज्यादा आय शराब से ही होती है। आज से करीब सात-आठ साल पहले उनकी आय 700 करोड़ रुपये थी और मैं मानता हूं कि आज वह आय दोगुनी होकर 1500 करोड़ रुपये से 2000 करोड़ रुपये के बीच होगी।...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश के अंदर भी यही परिस्थिति है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रासा सिंह रावत जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। हम आपको अलाऊ नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: *श्री मिस्त्री के अलावा कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।*

(व्यवधान)...*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: *मैं आपका समर्थन करूंगा यदि पूरे* देश की प्रदेश सरकारें इसको बंद करती हैं क्योंकि पूरे देश में जगह-जगह पर आंदोलन चले थे। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में भी दो-तीन साल बंद करने के बाद फिर शराब शुरू की गई।

सायं 6.00 बजे

केवल गुजरात को छोड़ कर सब स्टेट ऐसे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त होती है। गुजरात को बहुत सारे लॉस सहन भी करने पड़ते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स गुजरात के अंदर है। दिल्ली के बाद यही एक ऐसा स्टेट है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स है। मैं इसका समर्थन करता हूं और गुजरात स्टेट ने जो जवाब दिया है, कि उन्होंने रूल्स बना दिए हैं, इसकी वजह से उन्हें अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं रासा सिंह जी की भावना से सहमत हूं, लेकिन मैं उनसे यह जरूर कहूंगा कि जहां-जहां ऐसी सरकारें हैं, गैर कांग्रेसी सरकारें भी हैं और आपके पक्ष की भी सरकारें हैं, आपकी सरकार और आपके नेता उसमें पहल करें तथा इन सब राज्यों से शराब को हटाएं, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा बहुत कल्याण हो सके।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्पिरिचुअस निर्मिति (अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जैसा कि इस विधेयक में कहा गया कि अधिनियम, 1955 को निरसित करने के लिए यह विधेयक है। यह बात सत्य है कि तमाम देश के अंदर जितनी भी औषधियां हैं, आप कोई भी औषधि ले लीजिए, उसमें अल्कोहल के कुछ अंश जरूर होते हैं। जैसे हम गाड़ियों में स्पीड फ्यूल प्रयोग करते हैं, उसमें भी स्पिरिट की मात्रा मिलाई जाती है। इस प्रकार से तमाम वाणिज्यिक और व्यापारिक क्षेत्र में देखा जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर गन्ने, महुये का उत्पादन होता है और गन्ने से भी स्पिरिट बनाई जाती है, उसमें से भी अल्कोहल निकलता है। उत्तर प्रदेश में मेंथाल, पीपरमेंट बनता है। फ्यूल में जो स्पिरिट प्रयोग हो रहा है, उससे बहुत बड़ा फायदा है, उससे गाड़ी की स्पीड केपेसिटी बढ़ती है, उसमें पोल्यूशन नहीं होता और उसमें कार्बन नहीं निकलता तथा पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। इसलिए राज्यों द्वारा व्यापार करने पर जो रोक लगी थी, आपने इस विधेयक के द्वारा उस रोक को खत्म किया है, इसलिए यह बहुत अच्छा विधेयक है। तमाम वाणिज्यिक और व्यापारिक क्षेत्र में प्रयोग में आने वाले जो अल्कोहलिक पदार्थ हैं, क्योंकि अब यह लगभग सब जगह प्रयोग होता है, पहले कुछ राज्यों में इसकी बंदिश थी, जैसे अभी गुजरात में कहा गया, अब गुजरात ने भी इसकी सहमति व्यक्त कर दी है। अभी भी कुछ राज्यों में मद्य निषेध लागू है, मेरे ख्याल से मद्य निषेध का तो एक नाम रह गया है, उसका सही मायने में आज तक किसी भी राज्य में उपयोग नहीं हो पाया। आज जिस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं, हम तमाम व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा में हैं। यह जो विधेयक आया है, इससे हमें काफी तरक्की मिलेगी और हम विकास करेंगे।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। यह विधेयक राज्य सभा में पास हो गया है, इसलिए लोक सभा में भी इसे पास किया जाए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) विधेयक, 2006 लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने इसकी तकनीकी बातों की जानकारी अपने उद्देश्य और कारणों में बताई है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा, यह बात सही है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से बिक्री होने वाली सामग्री देश के पूरे प्रदेशों में आय का सबसे मुख्य स्रोत हो गई है।

सभापति महोदय, इससे कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। जब जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी और आदरणीय मोरारजीभाई देसाई प्रधान मंत्री बने, तो देश के लोगों के सामने एक कमिटमेंट थी कि शराबबन्दी करेंगे और उसके अनुसार कई राज्यों में शराबबन्दी हुई। हमारे बिहार राज्य में भी शराबबन्दी की गई, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य भी थे जिन्होंने शराबबन्दी नहीं की। हमारे बगल के उत्तर प्रदेश राज्य में शराबबन्दी नहीं की गई। इस सबके बावजूद देश में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से शराब की बिक्री होती रही और लोग शराब पीते रहे। इससे बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति भी होती रही और स्वर्गीय मोरारजीभाई देसाई का जो मूल परपज था, वह पूरा नहीं हो सका।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, आज माननीय रासा सिंह रावत जी ने जिन भावनाओं को सदन में रखा, मैं समझता हूं कि उनसे पूरा सदन सहमत है, लेकिन व्यावहारिकरूप में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। शराबबन्दी नहीं होने और लोगों द्वारा शराब पीने की वजह से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गरीब तबके के लोग, जो दिनभर खेत-खलिहानों में, सड़कों पर मेहनत और मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, उसे शाम को शराब पीकर गंवा देते हैं और अपने परिवार को एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाते हैं। लोगों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। गरीब तबके के लोगों और अधिकतर सफाई कर्मचारियों का सारा पैसा इसी में जाता है और कई तो ऐसे घर हैं जिनकी पूरी की पूरी कमाई इसी में चली जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए कि हम शराब पीने से लोगों को कैसे रोकें।

महोदय, शराबबन्दी हो, लेकिन इसमें जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए बल्कि इसके लिए अवेयरनैस पैदा की जानी चाहिए। सामाजिक रूप से ऐसा माहौल पैदा किया जाना चाहिए जिससे शराब पीने वालों के जहन में यह बात पैदा हो कि शराब पीने से शरीर और परिवार की बर्बादी के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। शराब पीकर लोग घर जाते हैं और पत्नी तथा बच्चों को पीटते हैं। इससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। शराब पीने के बाद लोग अपराध में संलिप्त हो जाते हैं। हर आदमी में दो तरह के इंसान होते हैं। एक अच्छा इंसान और दूसरा खराब इंसान। शराब पीने के बाद खराब इंसान आदमी पर हावी हो जाता है और वह अपराध कराता है। आज गरीब आदमी, दलित और जिन परिवारों के लोग शराब पीते हैं, वे तरह-तरह के क्राइम करते पाए जाएंगे।

महोदय, सभी लोग मानते हैं कि नीतिगत रूप से शराबबन्दी होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। इससे बहतु क्षति हो रही है। कई राज्यों में तो धन कमाने के लालच में वहां की सरकारों द्वारा स्कूल, धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के निकट शराब के ठेके खोलने के लाइसेंस दे दिए जाते हैं जिससे हर प्रकार के अपराध बढ रहे हैं और शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। मेरा आग्रह है कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो मूल अवधारणा थी कि देश में पूर्ण रूप से मद्यनिषेध हो, उसमें अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। हमें राष्ट्रपिता की मूल भावनाओं की कद्र करते हुए, देश में पूर्ण मद्यनिषेध पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और यदि ऐसा हम कर सके, तो निश्चितरूप से यह पूरे देश, समाज, दलितों और गरीबों के लिए सराहनीय और कारगर कदम होगा।

महोदय, माननीय रासा सिंह रावत जी, जब महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं, तो मैं चाहूंगा कि उन्हें राष्ट्रपिता की मूल भावना की भी कद्र करनी चाहिए। *...वे मद्यनिषेध की बात करें, तो उसका क्या औचित्य है, यह मेरी समझ से परे है। *...और ये यहां मद्यनिषेध की बात कर रहे हैं। यह उन्हें शोभा नहीं देता है। इनकी पार्टी के नेता ने अपनी किताब में स्वयं लिखा है कि वे आतंकवादियों और अपराधियों को छोड़ने कंदहार गए *...*(व्यवधान)*

इसलिए माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, इसकी आज के परिवेश में कोई महत्ता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोई ऐसा कारगर कदम उठाइए, जिससे देश के गरीब आवाम को बचाया जा सके। इसलिए इस पर निश्चित रोक लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना होगा, फिर चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जल्दी समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, आप तो नाराज हो रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। आप आसन को सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं तो हमेशा सहयोग करता हूं। मैं अपनी बात को समाप्त ही कर रहा हूं।

महोदय, जब तक समाज में इसके लिए जागरूकता नहीं आएगी, लोगों के मन में यह बात नहीं बैठ जाएगी कि शराब पीना अच्छी आदत नहीं है तब तक यह बंद नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, इस विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं।

महोदय, मद्यनिषेध हमारा सपना है और यह हमारे राष्ट्रपिता

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री ब्रह्मानन्द पंडा]

और संविधान की भावना है। माननीय सभापति महोदय मैं 1955 के अधिनियम के स्पिरिटयुक्त औषधीय और अन्य निर्मितियों के अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य पर लोक हित में कतिपय निर्बधनों का अधिरोपण करने के उपबंध के मूल उद्देश्यों को आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। अधिनियम, ऐसे मद्यनिषेधी राज्य को, जिसमें या जिसके किसी भाग में ऐल्कोहली लिकर के उपभोग को विधि द्वारा प्रतिबन्धित किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट करने और ऐल्कोहल वाली किसी निर्मित को इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत स्पिरिटयुक्त निर्मित के रूप में घोषित करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है।

यह इसका उद्देश्य है। इसे समझने के लिए मैं कतिपय बातों को उजागर करना चाहूंगा कि क्या उद्देश्य को बचाया जा सकता है अथवा नहीं। माननीय सभापति महोदय, मेरी आशंका है कि मद्यपान का प्रवाह बेरोकटोक आरम्भ हो जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात है उड़ीसा तथा कुछ अन्य राज्य अनुसूचित जाति बहुल हैं, और वे महुआ के फूलों से खंडिया और महुआ तैयार करने में कुशल हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मेरी शंका है कि भारत में निर्मित यह शराब उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और यह हानिकारक भी हो सकती है।

मेरी दूसरी शंका यह है कि क्या छोटे-छोटे राज्यों के हितों की इससे रक्षा की जा सकती है या नहीं, इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में मेरी तीसरी शंका यह है कि मद्यपान से त्रास्दियों को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं आज-कल पूरे देश में मद्यपान संबंधी त्रास्दियां एक सामान्य सी बात बन गयी है। ऐसा मद्यपान का प्रवाह बेरोकटोक होने से हुआ है।

हमें इस सांठगांठ पूर्ण, हानिकारक नकली मद्य के बाजार के बेरोकटोक प्रवाह को रोकना है। इसके लिए हमें अधिक जागरूक रहना होगा। जैसा कि आप जानते हैं हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। यद्यपि मद्यनिषेध गांधी जी का सपना था, परन्तु हम देखते हैं कि विद्यालय परिसरों तथा सार्वजनिक स्थानों के पास शराब की दुकानें खुली हुई हैं जिसके कारण यह प्रश्न चिन्ह लग गया है कि हम भारत को सुपर पावर बना सकते हैं अथवा नहीं। ऐसा कहा गया था कि वर्ष 2020 तक भारत विश्व में एक सुपर पावर होगा। इन परिस्थितियों के अंतर्गत मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सपने को साकार किया जा सकता है अथवा नहीं। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

कुछ राज्यों में हम पाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, किसानों को धान तथा अन्य फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें शराब के लिए अंगूर की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और यह एक सामान्य सी बात हो गयी है। अतः सुरक्षित आधुनिक भारत के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि जब हम इस अधिनियम का निरसन कर रहे हैं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 1955 के अधिनियम के मूल उद्देश्य इससे प्रभावित न हों।

मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय, स्पिरिटयुक्त निर्मिति (निरसन) विधेयक जो कि माननीय कृषि मंत्री द्वारा लाया गया है, एक प्रकार से एक अच्छा विधेयक है। लेकिन इसके साथ-साथ ही हमारा मानना है कि मदिरा एक सामाजिक बुराई के रूप में विभिन्न स्तरों पर उजागर होती रही है। इस विधेयक के द्वारा विगत के अधिनियम को पूरी तरह से समाप्त किये जाने का प्रस्ताव है ताकि अंगूर के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके और भारतीय शराब के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय शराब की तुलना फ्रेञ्च, कनाडा और दक्षिण अफ्रीकी शराब से की जाती है। यह भारतीय शराब के लिए वृहद् निर्यात क्षमता प्राप्त कर चुकी है। उसके लिए यह एक स्वागत योग्य कदम होना चाहिए।

लेकिन इसका अन्य रूप भी है जिसके बारे में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह एक सामाजिक बुराई है। कि मदिरा संबंधी विधियों तथा उत्पाद संबंधी विधियों का विनियमन मुख्य तौर पर राज्य द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्वर्गीय एन.टी. रामाराव ने, जब वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आंध्र प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन आदिवासियों में एक असंतोष था, जो ताड़ वृक्ष से ताड़ मदिरा का सेवन कर रहे थे, जो कि उनकी स्वाभाविक आदत थी, वह उनके लिए एक प्राकृतिक फल था। अतः वे स्वयं अपनी मदिरा तैयार कर सकते थे। इसकी अनुमति थी। इसी तरह, उड़ीसा में भी, आदिवासी क्षेत्रों में, पहले उन्हें उड़ीसा राज्य में बहुलता में पाये जाने वाले महुआ फूलों से पांच लीटर स्थानीय मदिरा बनाने की अनुमति दी गई और उनसे बहुत अधिक मदिरा बनाई जा रही है। लेकिन अन्य राज्यों के इन निजी शराब विक्रेताओं के शामिल होने से, जिन्हें मूल रूप से भट्टीवाला के रूप में जाना जाता है, यह बदतर हो गया है। वे आते हैं और उन क्षेत्रों में नियंत्रण करते हैं। यद्यपि यह राज्य सूची का विषय है, मुझे इसे

गरिमामय सदन की जानकारी में लाना है, कारण ये है कि उड़ीसा सरकार को भी मुद्दे के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए थी कि ये भट्टीवाले जाते हैं और आतंक का राज्य बनाते हैं। वे मुख्यतः बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड से हैं। उन्हें अपनी मदिरा आदिवासियों पर थोपनी नहीं चाहिए जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। यह भी वास्तविकता है कि इसके फलस्वरूप उत्पाद कर के रूप में अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां मैं जानना चाहता हूं कि शराब बन्दी हेतु राज्य सरकार कितना व्यय करती है। इसके लिए वे कितने विज्ञापन जारी करते हैं? कितने स्थानों पर वे ऐसा निषेध के लिए करते हैं? इसका कितना अधिक प्रचार किया जाता है? ऐसा नहीं होता है। गांधीजी द्वारा आह्वान किया गया था कि शराब मानव शरीर के लिए हानिकारक है।

विशेषकर यह हमारी जलवायवी स्थितियों में अधिक हानिकारक है। यह एक सामाजिक बुराई है। मुझे आशा है, इस विधेयक के उत्सादन के बाद, इसके निषेध के लक्ष्य और उद्देश्य प्रभावित नहीं होंगे। मैं गुजरात सरकार, इतने अधिक उत्पाद कर से प्राप्त होने वाले राजस्व को चिंता किये बिना राज्य में निषेध लागू करने के लिए, प्रशंसा करता हूं। आज, बिना मदिरा राजस्व के भी, गुजरात देश के अति विकसित राज्यों में से एक है। यह मदिरा से प्राप्त राजस्व के बिना भी, देश में प्रगतिशील आर्थिक व्यवस्था वाले राज्यों में से एक है और वे उन्नति कर रहे हैं। अतः विधेयक के विरोध का कोई प्रश्न नहीं है।

मेरा विचार है कि इस विधेयक के उन्मूलन के बाद मदिरा का मुक्त प्रवाह होगा जो गरीब लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। यह एक कारण है जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम असफल हो सकता था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के एक व्यक्ति को अपने गांव में श्रम आधारित काम में रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। यदि कोई भट्टीवाला या शराब विक्रेता है तो धन परिवार को नहीं मिलता है। यह शराब - विक्रेता के पास जाता है। अतः इन बुराइयों को उचित ढंग से रोका जाना आवश्यक है और राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र की सलाहानुसार कठोर कानून लाये जाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव - उपस्थिति नहीं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, स्पिरिटयुक्त निर्मिति के नियंत्रण के लिए जो विधेयक शरद पवार जी लेकर आए हैं, इसका हम सब लोग समर्थन कर रहे हैं, इसका समर्थन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बिल इतना अच्छा है। ये लोग महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने मद्यपान का विरोध किया था, इसलिए ये उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन गुजरात में दंगे के संबंध में यही लोग महात्मा गांधी जी को भूल रहे हैं। यह ठीक है कि मद्यपान से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोगों को इससे जिंदगी भी मिल रही है, इसलिए इसके बारे में भी हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। यह बात सही है कि समाज में मद्यपान से गरीब फेमिलीज हों या मिडिल क्लास के लोग हों, उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है। गुजरात में इस पर पाबंदी और नियंत्रण है, लेकिन अगर आप गुजरात में देखेंगे, तो उस राज्य में ज्यादा पीने वाले लोगों की संख्या है। इसी तरह महाराष्ट्र में वर्धा जिले में दारू की पाबंदी है, लेकिन अगर आप वहां जाकर देखेंगे, तो वहां पीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां इस तरह की स्थिति है। अगर वास्तव में इस पर पाबंदी लगाना है, तो इसके लिए सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। हम सब को मिलकर इस पर पाबंदी लगाने के लिए प्रयास करना होगा, केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। हम इस कानून का समर्थन करते हैं और हम सब को इसका समर्थन करने के लिए आगे आना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं आपकी परमीशन से माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। आज जो मुल्क की हालत है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे एक साथी हरियाणा की बात कर रहे थे, हरियाणा के लोग इतने जबरदस्त लंबे, चौड़े और खूबसूरत जवान हुआ करते थे और पंजाब में भी यही हाल था। वे सुबह उठकर लस्सी पीते थे।...*(व्यवधान)* मेरे कहने का मकसद यह है कि इससे लोग बरबाद हुए। आज डकैती, चोरी और बेईमानी इतनी बढ़ गयी है।

सभापति महोदय: बहुत से सदस्य जीरो ऑवर में बोलना चाहते हैं। आप अपनी बात जल्दी समाप्त करिए।

चौधरी लाल सिंह: मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज को जितना स्ट्रिक्ट किया जाए, उतना कम है। ये चीजें नहीं रुकेंगी, तो समाज की बुराइयां कभी नहीं रूक पाएंगी। अगर हम अपने-अपने स्टेट की बात है हमारी हर राज्य में अपनी गवर्नमेंट है। इससे हमारी इंकम होती है, लेकिन जितनी इंकम आती है, उतने ही हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। इससे लोगों को बीमारियां हो रही

[चौधरी लाल सिंह]

हैं, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं। अगर आप गांवों में जाकर देखें तो पता लगेगा कि शराब पीने की वजह से जो लोग मर जाते हैं, उनकी विधवाओं को ज्यादा पैंशन देनी पड़ती है। पहले देश के लिए जंग में मारे जाने की [illegible] से उनकी पत्नियां विधवा हो जाती थीं, लेकिन आजकल शराबी पतियों की वजह से औरतें विधवा हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि इसे रोका जाए, यह बहुत ही सीरियस मसला है।...*(व्यवधान)*

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों खासकर महात्मा गांधी जी का जो कहना है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी ने आपके सुझावों को नोट कर लिया है।

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मंत्री श्री शरद पवार जो बिल लाए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कानून से यह देश कभी नहीं सुधर सकता। हम कानून बना देंगे, लेकिन अगर हम सामाजिक व्यवस्था नहीं लाएंगे, तो यह देश नहीं सुधरेगा, क्योंकि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। वे स्पिरिट युक्त शराब नहीं पीएंगे तो दूसरी शराब पीएंगे। एक माननीय सदस्य शराब की बहुत सी वैरायटीज गिना रहे थे। हम भी टीवी में देखते रहते हैं कि जिस तरह शराब के एडवर्टाइजमैंट्स आते हैं, वह लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। निश्चित रूप से गुजरात सरकार ने ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): गुजरात सरकार ने इसे बिल्कुल बंद कर दिया है।

श्रीमती करुणा शुक्ला: महिलाएं चाहेंगी कि इसे बिल्कुल बंद कर दिया जाए।...*(व्यवधान)*

गुजरात सरकार ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, इसके लिए वह बधाई की पात्र है। देश के बाकी राज्य सरकारों को भी गुजरात सरकार से सबक लेना चाहिए, क्योंकि शराब से राजस्व बहुत कम आता है, लेकिन उसका देश पर जो प्रभाव पड़ रहा है, निश्चित रूप से माताएं और बहनें इससे ज्यादा प्रभावित हैं। शराबी शराब पीकर घर में आकर अगर किसी को पीटता है तो पत्नी ही पिटती है। निश्चित रूप से इस पर जो रोक लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप महिला सशक्तीकरण के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ स्पिरिट युक्त शराब ही नहीं बल्कि इस देश में जितनी तरह की शराबें बनती हैं, चाहे वह महुआ से बने, चाहे काजू से फैनी बने, और भी जो शराबें बनती हैं, मगर सब पर प्रतिबंध लगेगा, तो मुझे लगता है कि हम गांधी जी के इस देश को बचाने में सफल होंगे, एक अच्छा, शक्तिशाली, सुघड़, सम्पन्न और बुराइयों से वर्जित देश बनाने में सफल होंगे।

श्री शरद पवार: सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, मैं उन सबका आभारी हूं क्योंकि स्पिरीचुअस प्रिपरेशन्स कंट्रोल एक्ट, 1995 रिपील करने के लिए सदन के सब साथियों ने सहयोग देने की भावना व्यक्त की। मैं सोचता था कि शायद इस प्रस्ताव को सदन के सामने लाने के बाद प्रोहीबिशन के बारे में जिनके मन में आदर और शक्ति की भावना है, हमारे उन साथियों को समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यहां जितने भाषण हुए, उन सबको सुनने के बाद रिपील करने का जो प्रस्ताव यहां आया है, इसका पूरा स्वागत सभी सदस्यों ने किया। साथ ही यह भी बताया कि देश और अपने-अपने राज्यों में बड़ी सख्ती से प्रोहीबिशन करने की आवश्यकता है। यह बात सच है कि प्रोहीबिशन स्टेट सब्जैक्ट है और स्टेट इस मायने में कोई कदम उठाने की स्थिति में है। गुजरात जैसे राज्य ने इस बारे में बहुत अच्छा काम किया है और उसका जिक्र यहां सदस्यों ने किया। जब स्टेट को अधिकार है तो सैंटर को इस बारे में अलग कानून बनाने की क्या आवश्यकता है। देश के सभी राज्यों में, एक-दो राज्यों को छोड़कर, इस बारे में अलग तरह की नीति स्वीकार की है और एक अलग माहौल पैदा हुआ है जिसकी मालूमात सदस्यों ने सदन के सामने की। जब स्टेट को अधिकार दिया गया है तो वह कानून बनाने के लिए सक्षम है। कई राज्यों ने इस बारे में कानून बनाए हैं और उन पर अमल भी कर रहे हैं।

ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को एक अलग कानून की आवश्यकता नहीं थी और अलग कानून की आवश्यकता न देखकर ही यह बिल रिपील करने का प्रस्ताव सदन के सामने दिया। मुझे खुशी है कि इस बिल का सभी लोगों ने स्वागत किया है।

मद्यपान के बारे में सभी सैक्शन्स ने अपनी भावना अच्छी तरह से सदन के सामने रखी। यहां यह भी बताया गया कि वाइन के बारे में कोई बदलाव आ रहा है। यह बात सच है कि इस देश में इससे पहले वाइन का मार्केट नहीं था। आजकल इसमें परिवर्तन हो रहा है। जो कंट्रीलिकर है, जो देशी दारू

है, उस पर रोक लगाने की कोशिश कुछ राज्यों में हो रही है। कुछ लोग इसका सेवन करना चाहते हैं, तो उनके लिए और हमारे लिए समस्या न बने, इस क्वालिटी का माल तैयार करने का प्रौसेस आज कई राज्यों ने शुरू किया है। इसका फर्क आज हम मार्केट, होटलों और रेस्तरों में भी देखते हैं क्योंकि कंट्रीलिकर के माध्यम से कई परिवारों में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है जिसका जिक्र यहां किया गया। इसलिए इस बारे में कुछ करना हो, तो प्रेगमेटिक एप्रोच लेने की आवश्यकता है।

यहां बताया गया कि मंदिर, स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने की इजाजत को रोकने की आवश्यकता है। कई राज्य इस पर रोक लगाने के प्रयास भी कर रहे हैं। जहां शराब बेचने की इजाजत मिलती है वहां अच्छी क्वालिटी का मैटीरियल मिले ताकि उसका असर किसी व्यक्ति के शरीर पर न हो, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ राज्य इस बारे में ध्यान देते हैं। एक अच्छी बात है कि इसमें जो हीपोक्रेसी है, वह आजकल कम हो रही है। लोग साफ-साफ इस बारे में बोलने लगे हैं। कई राज्यों में इस बारे में कदम उठाये गये हैं, लेकिन उस राज्य के अंदर की परिस्थिति और राज्य सरकार की नीति में बहुत फर्क भी देखने को मिलता है।

सभापति महोदय, सदन को मालूम है कि मैंने तीन-चार बार एक राज्य की मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। एक दिन मैं अपने सब बजट प्रपोजल और इनकम प्रपोजल का रिव्यू कर रहा था, तो मेरे सामने एक्साइज के आंकड़ें आ गये। एक्साइज की इनकम में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, ऐसी रिपोर्ट भी हमारे सामने आयी। मैंने आउट ऑफ क्रियोसिटी में देखने की शुरुआत की कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमें सबसे ज्यादा इनकम होती है। महाराष्ट्र की सीमा जो गुजरात से मिलती है, वहां दादर-नागर हवेली नाम का एक अलग से हिस्सा है। वह केन्द्र शासित प्रदेश है। महाराष्ट्र से वहां आफिशियली सबसे ज्यादा शराब ट्रांसफर होती है। वहां से हमें इनकम ज्यादा होती थी। हमने बारीकी से देखा कि दादर-नागर हवेली की जो टोटल आबादी है, उस आबादी के हर व्यक्ति ने हर दिन शराब की दस बोतलें पीना शुरू कर दिया है। इस तरह हर दिन की जितनी आवश्यकता थी, उतनी बोतलें वहां जाती थी। हमने भी सोचा कि यह अजब है। इतनी छोटी आबादी है और वहां इतनी बोतलें जाती हैं। अब उसका पड़ोसी गुजरात है। इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इसमें प्रेगमेटिक का एप्रोच नहीं हुआ इसलिए इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है। इस बारे में समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। हमें यह देखना होगा कि गलत तरह से, गलत क्वालिटी की लिकर बनाकर पूरे परिवार को ध्वस्त करने का जो काम होता है, उनके शरीर खराब करने की जो परिस्थिति होती है, उस पर रोक लगाने के लिए कोशिश करनी होगी। इसके साथ-साथ इन सब क्षेत्रों को समाज में इज्जत नहीं मिलेगी, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना होगा।

इस पर ध्यान देने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, वह राज्य सरकारों के द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। यहां पर यह जो बताया गया, खास तौर पर श्री बी.के. देव जी द्वारा, कि इसका खुला प्रसार नहीं होना चाहिए, मगर क्वालिटी के बारे में कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। आज मैं इसके बारे में बोल सकता हूं। मुझे याद है कि वर्ष 1978 में जब मेरे पास मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र राज्य की जिम्मेदारी थी, उस समय हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी थे, जिन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया और मुझसे हमेशा प्रीति रखी। उनका नाम बीजू पटनायक था। जब कभी कोई भी मेजर इश्यु होता या कोई नीति तैयार करनी होती थी तो मैं बीजू दा के साथ बैठकर उनकी सलाह लेता था। मुझे याद है कि एक दिन मोरारजी भाई ने सभी चीफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें प्रधानमंत्री जी ने इसके प्रोहिबिशन के बारे में कुछ कहा। इस पर बीजू दा की जो राय थी, उसे बताने के लिए बीजू दा उठ गए और जो कुछ बात साफ थी, उन्होंने साफ तरह से कही। उन्होंने सीधी बात कही कि मैं इसका प्रसार नहीं करूंगा, मैं इसका प्रचार नहीं करूंगा, खुली तरह से सभी लोगों को यह उपलब्ध हो, ऐसे नीति नहीं बनाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं हिपोक्रेसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। जो बात सच है वह सच है। इसे रोकने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप इसे 100 प्रतिशत रोकने के लिए, कुछ रुकावट लगाने के लिए ऐसे ही कदम उठाएंगे तो लोग क्युरियॉसिटी में इस रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें देखना होगा कि लोगों तक गलत सामान न जाए और समाज के गरीब वर्ग के शरीर पर इसका कोई हानिकारक असर नहीं हो। इसे रोकने के लिए हम समाज में जागृति लाने की कोशिश करेंगे। ये काम मैं अपने राज्य में जरूर करूंगा, मगर साथ ही साथ मैं कभी भी किसी को यह नहीं कहूंगा कि हमने कभी जीवन में इसे हाथ नहीं लगाया है। यह बात कहने की कैपेसिटी बीजू दा में थी। तब यह बोलना बड़ा मुश्किल था आज सदन में लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, यह एक परिवर्तन और सुधार है।

मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारों द्वारा गंभीरता से इस बारे में कदम उठाने की जो आवश्यकता है, वे उस पर ध्यान देंगी। भारत सरकार द्वारा इस पर कोई भी कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह राज्य का विषय है और जब राज्य का सब्जेक्ट होता है तब अलग से एक कानून यहां से बना कर रखना जिस पर हम अमल नहीं करते हैं, ऐसे कानून

[श्री शरद पवार]

को बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इसे रिपील करने का प्रस्ताव इस बिल के माध्यम से सदन के सामने लाया गया है। मुझे विश्वास है कि सदन इसे एकमत से स्वीकार करेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सदन विधेयक पर खंड-वार विचार करेगा।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शरद पवार: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.41 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के कथित रूप से गायब हो जाने के बारे में न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग का प्रतिवेदन

सभापति महोदय: नियम 193 के अधीन आगे चर्चा करें।

श्री सुब्रत बोस

श्री सुब्रत बोस (बारासाट): सभापति महोदय, धन्यवाद। कल मैं जहां रुका था वहां से पुन: आरंभ करने हेतु यह अवसर पाकर मैं प्रसन्न हूं।

मैं केवल स्मरण कराऊंगा कि कल, मैंने संकेत किया था कि कैसे सरकारी फाइलों में विभिन्न टिप्पणियों के बावजूद, तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित नेहरू ने संसद में और सार्वजनिक रूप से यह कहना जारी रखा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विमान दुर्घटना में मर चुके हैं और यह भारत की जनता को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन अपने निजी पत्रों में उन्होंने कुछ और लिखा। उन्होंने लिखा कि उनके पास विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के सबूत नहीं हैं और वे यह भी मानते थे कि इसमें आगे जांच की जरूरत थी।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, सरकार की तरफ से मेरा आपसे निवेदन है कि श्री बोस के आज के भाषण की समाप्ति के पश्चात् हम 'शून्य काल' लें और तब बहस जारी रहे। हम कोई दूसरा दिन निर्धारित कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): मेरा एक अनुरोध है। मैं समझता हूं, यह चर्चा अगले सप्ताह भी जारी रहेगी क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है। मुझे कैबिनेट मीटिंग में शामिल होना है और कैबिनेट में केवल एक ही विषय है और वह मुझसे सम्बन्धित है। यदि आप अनुमति दें, तो मैं जा सकता हूं और राज्य मंत्री यहां रह सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गई सारी बातें रिकॉर्ड से पढ़ लूंगा।

श्री सुब्रत बोस: बेशक, मैं आपको आपके आवश्यक कार्य करने से नहीं रोकूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने कहा कि यह चर्चा जारी रहेगी। श्री बोस अपना भाषण आज पूरा करेंगे। तत्पश्चात्, मैं अनुरोध करूंगा कि यदि कोई अन्य सदस्य बोलना चाहता है तो इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे कि वे उसे अनुमति देंगे या नहीं। तत्पश्चात्, 'शून्य-काल' जारी रहेगा। चर्चा का शेष भाग अगले सप्ताह में पूरा होगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने के बाद स्पेशल मेंशन लिए जाएं, क्योंकि इस विषय पर काफी सदस्य बोलना चाहते हैं, अत: इसे अगले दिन के लिए स्थगित कर देते हैं, यह 193 आगे भी चलेगा।

सभापति महोदय: यह 193 आगे जारी रहेगा। सदन इससे

सहमत है इसलिए इस विषय को हम आगे भी जारी रखेंगे। माननीय सदस्य सुब्रत बोस अपना भाषण जारी रखें। यहां पर गृह राज्य मंत्री जी हैं, वह नोट कर लेंगे और सभी पाइंट्स बता देंगे।

[अनुवाद]

श्री सुब्रत बोस: जैसा कि मैं कह रहा था, मैं एक चौकाने वाला तथ्य सामने लाने के लिए पंडित नेहरू के समय की घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सभा के माननीय सदस्य इसे सुनकर आश्चर्यचकित रह जायेंगे। यह प्रधानमंत्री सचिवालय का एक नोट है। यह फाइल सं. 23 (II)/56-57/ पी.एम. दिनांक 2-12-1954 का है और इस नोट पर श्री एम.ओ. मथाई के हस्ताक्षर हैं। मैं उस नोट से उद्धृत करता हूं:

> "टोकियो में स्थित हमारे दूतावास से विदेश मंत्रालय को स्वर्गीय श्री सुभाषचन्द्र बोस की अस्थियों और अन्य अवशेषों के साथ 200 रुपये की छोटी राशि और कुछ अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। यह राशि विदेश मंत्रालय के पास रखी जा रही है।
>
> मैंने इस सम्बंध में प्रधान मंत्री से विचार-विमर्श किया है और वे इस बात से सहमत है कि इस राशि को आई.एन.ए. राहत कोष को हस्तांतरित किया जा सकता है। मंत्रालय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, 7, जंतर-मंतर रोड, नई दिल्ली से संपर्क करे और इस राशि को आई.एन.ए. राहत कोष को भेज दे। मंत्रालय के अभिलेख के लिए प्राप्त रसीद ले ली जाए।"

अर्थात 200 रुपये और कुछ और की राशि नकद थी। लेकिन स्व. सुभाषचन्द्र बोस की उन अस्थियों और अन्य अवशेषों का क्या हुआ जिसे टोकियो स्थित राजदूतावास से विदेश मंत्रालय, अर्थात तत्कालीन प्रधानमंत्री, द्वारा प्राप्त किाय गया था?

यदि अस्थियां भारत आईं भी और प्रधानमंत्री को सौंपी गईं थी, और जिन्हें रेनकोजी मंदिर में रखा गया था तो उन अस्थियों का क्या हुआ जो भारत में आई थीं? स्व. सुभाषचन्द्र बोस के अन्य अवशेषों का क्या हुआ जिन्हें प्रधान मंत्री को सौंपा गया था? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी हमें पहले कोई जानकारी नहीं था। इसलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, अस्थियों के बारें में पूरी घटना भारत सरकार द्वारा सृजित एक मिथक है। सभी माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे। मैं इस सम्बंध में भारत सरकार से एक स्पष्ट और सकारात्मक उत्तर सुनना चाहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य भी यही चाहेंगे।

अस्थियों को भारत में लाने और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को दफन करने का काम एक अंतराल के बाद भी कांग्रेस द्वारा जारी रहा जब कांग्रेस सत्ता में पुनः आई। वे रेनकोजी मंदिर से तथाकथित अस्थियों को लाने के प्रस्ताव को पुनः जीवित करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। भारत में उन अस्थियों का क्या हुआ किसी को भी पता नहीं, रेनकोजी मंदिर में किसकी अस्थियां हैं इसका उत्तर तो न्यायमूर्ति मुखर्जी के पास है। ये अस्थियां इचिरो ओकूरा नामक एक व्यक्ति की हैं।

इसलिए, देश में जब नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जन्मशती मनाने की तैयारियां चल रही थी, यद्यपि मन से वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, तो उनको एक अवसर मिल गया। लेकिन तत्कालीन सरकार ने अनुभव किया कि उसे कुछ करना है। इसलिए, वर्ष 1994 में केन्द्रीय जन्मशताब्दी समारोह समिति का गठन किया गया - यदि मैं गलत हूं तो कुमारी ममता बनर्जी इसे सही करेंगी - और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव उसके सभापति तथा तत्कालीन, सभा के नेता श्री प्रणव मुखर्जी उसके उप-सभापति बनाए गये। पहली बैठक में पहला एजेंडा था रेनकोजी मंदिर से अस्थियों को लाना तथा एक स्मारक बनाना। इस समिति में श्री नरसिंह राव और श्री प्रणव मुखर्जी के अतिरिक्त, अन्य सदस्य भी थे। इस समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता थे, परिवार के दो सदस्य तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।

रिकार्ड से पता चलता है कि जब इस एजेंडा पर विचार हो रहा था तब कुछ लोगों ने इसका जोरदार शब्दों में विरोध किया। मैं निश्चित तौर पर श्री अटल बिहारी जी का आभारी हूं जो उस समय, मैं समझता हूं, कि विपक्ष के नेता थे। मैं ममता बनर्जी का भी अभारी हूं जो उस समिति की सदस्या थीं। मैं स्व. श्री चित्त बसु और श्री समर गुहा को भी आभार व्यक्त करता हूं। इन सभी नेताओं ने इस प्रस्ताव के विरोध में आवाज उठाई थी। सभापति महोदय और उप-सभापति के पास इसे छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

मैं समझता हूं कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उस सभा में उपस्थित हूं जिसमें कुमारी ममता बनर्जी भी उपस्थित हैं। वे मेरी गलती सुधारेंगी यदि मुझ से कोई गलती होती है। कोई दूसरी बैठक नहीं हुई। सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रमों का आयोजन हुआ लेकिन इस समिति से कोई परामर्श नहीं लिया गया। कांग्रेस सरकार का चरित्र ऐसा ही था।

लेकिन कांग्रेस सत्ता से पुनः बाहर हो गई। राजग सत्ता में आया। इसी दौरान उच्च न्यायालय का एक आदेश आया कि इसके आगे भी जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की विधान सभा ने भी सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित कर भारत सरकार से अनुरोध किया कि आगे जांच हो। मेरी पार्टी, ऑल इंडिया

[श्री सुब्रत बोस]

फारवर्ड ब्लॉक और परिवार के सदस्यों ने भी सरकार से एक उचित जांच गठित करने का अनुरोध किया।

मैं समझता हूं कि मैं अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पाऊंगा यदि मैं तत्कालीन राजग सरकार को, विशेषकर माननीय प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी और तत्कालीन माननीय गृहमंत्री श्री अडवाणी और अन्य सहयोगियों तथा उस सरकार के गठबंधन के अन्य सदस्यों को जो 1999 में सरकार में शामिल थे को आभार न व्यक्त करूं। मैं समझता हूं कि सरकार ने 13 मई को एक अधिसूचना जारी की जिसमें न्यायपूर्ति एम.के. मुखर्जी को एक सदस्यीय जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया और उस आयोग को एक निश्चित विचारार्थ विषय दिया। महोदय मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूर्व की जांच समिति और जांच आयोग, जिनकी स्थापना क्रमशः 1956 और 1970 में कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी, की तरह इस बार प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वयं इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की बल्कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से इस आयोग के अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति मुखर्जी के नाम की सिफारिश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई थी। यही कारण है कि, यदि मैं ऐसा कहूं कि, इस आयोग के अध्यक्ष पद के लिए एक न्यायाधीश का नाम आया जो अपनी ईमानदारी, विद्वता और निष्ठा के लिए मशहूर थे और जिनके पास काफी धैर्य और अध्यवसाय था।

सबसे बढ़कर वे एक ईमानदार व्यक्ति थे। इसलिए, उन्होंने खुले दिमाग से जांच कार्य शुरू किया। शायद माननीय सदस्यों को याद होगा, कल मैंने कहा था कि मैंने आयोग के समक्ष गवाही दी थी। मैंने एक शपथ-पत्र दिया था। उस शपथ-पत्र में मैंने क्या कहा इसका महत्व नहीं है लेकिन मैंने अपनी और अन्य लोगों के विश्वास के बारे में किसी तरह के पूर्व भावना के बिना, उसमें यह प्रार्थना की थी कि मैं चाहता हूं कि अगस्त, 1945 में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के लापता होने की खुले दिमाग से जांच की जाए। उन्हें सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों की जांच करने दिया जाए। उन्हें उन सभी लोगों की बात सुनने दिया जाए जो कई तरह के और विभिन्न विचार रखते हैं। वास्तव में उस शपथ-पत्र में मैंने कहा था कि मुखर्जी आयोग का जो भी निष्कर्ष आयेगा हम उसे स्वीकार करेंगे।

एक आरोप था कि इस आयोग ने लम्बा समय लिया - साढ़े छह साल का समय। लेकिन संभवतः भारत सरकार भूल गई कि एक वर्ष तक तो आयोग के लिए उपयुक्त स्थान ही नहीं मिल पाया था। एक वर्ष के बाद पश्चिम बंगाल सरकार उनकी मदद के लिए आगे आई और तत्कालीन राज्य सरकार के कृषि मंत्री ने उदारतापूर्वक अपना कार्यालय खाली किया ताकि आयोग अपना काम शुरू कर सके। भारत सरकार को कभी इसकी चिंता नहीं हुई। कलकत्ता में उनका कार्यालय था। आयोग दिल्ली में एक संपर्क कार्यालय रखना चाहता था क्योंकि वे सदैव भारत सरकार से संपर्क में रहना चाहते थे। दो वर्ष के बाद इसे उपलब्ध कराया गया। शुरू से ही इस प्रकार का सहयोग दिया गया। यदि आयोग को साढ़े छह साल का समय, वास्तव में साढ़े पांच साल का क्योंकि एक वर्ष तो बर्बाद हो गया था, लगा तो इसका कारण था कि सरकार ने शुरू से ही असहयोग किया और सरकार का रवैया सहयोग पूर्ण नहीं था। यदि माननीय सदस्यों को रिपोर्ट के अंक 2ए और 2बी को पढ़ने का अवसर मिले तो वे पायेंगे कि इसमें केवल भारत सरकार का असहयोग ही दर्ज है। यह निंदनीय और शर्मनाक बात है। जी हां, आप कह सकते हैं कि उस पांच वर्ष की अवधि तक राजग सरकार सत्त में थी। लेकिन यह एक सत्य है। चूंकि मैं उनकी प्रशंसा करता हूं लेकिन उस जांच आयोग से सहयोग नहीं करने के लिए मैं उनकी निंदा भी करता हूं जिसकी स्थापना स्वयं उन्हीं लोगों ने की थी।

आयोग ताईवान जाना चाहता था। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने रिपोर्ट को पढ़ लिया होगा। मांग करने में कई महीने के बाद सरकार ने यह सुझाव दिया कि चूंकि ताईवान के साथ हमारा कोई राजनयिक सम्बंध नहीं है इसलिए आप ताईवान जाएं लेकिन आप यह दिखाएं की आप कहीं अन्यत्र हैं। स्वाभाविक था कि न्यायमूर्ति मुखर्जी इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं असत्य कहूं। इसलिए, पुनः कई माह के बाद आयोग को ताईवान जाने, ताईवान दौरे का कारण बताने तथा भारत सरकार के कोष से पैसे निकालने की अनुमति दी गई। भारत में उन्होंने कई लोगों के साक्ष्य लिए। यह संख्या सौ से ऊपर थी और उन्होंने विदेशों के चार दौरे किए।

सायं 7.00 बजे

सबसे पहले वे जापान गये, फिर इंगलैंड गए और ताईवान और अंत में रूस में गए।

जब आयोग ने जापान का दौरा किया तो उसके मन में दो बातें थीं। पहला रेनकोजी मंदिर का दौरा करना जहां कथित रूप से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की अस्थियां रखी गई थी। वे लोग उसका निरीक्षण करने के लिए गए थे। माननीय सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि दौरे का पूरा कार्यक्रम टोकियो स्थित

भारतीय दूतावास द्वारा तैयार किया गया था। मैं व्यक्तिगत हैसियत से अपने खर्च पर वहां गया था। मुझे वहां जाने का और आयोग की सुनवाई में भाग लेने का अधिकार था जहां आयोग गया। हम लोग रेनकोजी मंदिर गए। आयोग पुजारी का साक्ष्य लेना चाहता था लेकिन उसने कोई साक्ष्य देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे हमसे बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन लिखित रूप में कुछ भी नहीं कहेंगे। हम सहमत हो गए। इसका कारण था कि यदि कोई साक्ष्य देने के लिए इच्छुक न हो तो हम उसे बाध्य नहीं कर सकते।

पहले हम नीचे की सीढ़ियों पर गये। ऊपर की ओर एक बड़ा हॉल था जहां नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की अस्थियों वाला कलश कथित रूप से रखा हुआ है। हम ऊपर की सीढ़ियों पर गए। माननीय न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कलश को खोलने का अनुरोध किया और उसमें रखी वस्तु को देखना चाहा। उन्होंने अचानक एक-दूसरे की ओर देखा और लगभग दस मिनट के बाद वे आए और न्यायमूर्ति मुखर्जी को बताया कि उन्हें उस बात पर खेद है चूंकि कोई बढ़ई उपलब्ध नहीं था इसलिए वे अस्थिकलश को खोल नहीं सके। मैंने सोचा था कि यह लकड़ी से बना हुआ और शीशे से कवर किया हुआ था और एक साधारण मेज पर बैटन लगाई गई हैं तथा उनके पेंच कसे हुए हैं। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने नम्रतापूर्वक सुझाव दिया कि एक पेंचकस की मदद से खोला जा सकता है। उन्होंने सुझाव नहीं माना और कहा कि जापान में उस तरह का कुछ नहीं होता और केवल बढ़ई को ही इसे स्पर्श करने की अनुमति है और यह भी कि हम इसे खोल सकते हैं परन्तु हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। हम उसमें रखी वस्तु देखे बिना ही वापस आ गए। क्या कारण दिया गया? उस दिन जापान में राष्ट्रीय अवकाश था इसलिए बढ़ई काम पर नहीं आए थे। भारतीय दूतावास ने यह जानकर कि राष्ट्रीय अवकाश है आयोग के लिए रेनकोजी मंदिर की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। इसलिए, पहला उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

दूसरे, आयोग उस डाक्टर का साक्षात्कार लेने गया जिसका नाम मोशिमी था जिसने दावा किया था कि जब हवाई दुर्घटना में जलने के गम्भीर घाव से पीड़ित नेताजी सुभाषचंद्र बोस का अस्पताल में उपचार किया था। उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने नेताजी सुभाष बोस का उपचार किया था या नहीं। उनका उत्तर था 'नहीं'। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने किसका उपचार किया क्योंकि उन्होंने चंद्र बोस को कभी नहीं देखा था। वे उन्हें जापान में 'चंद्र बोस' कहते थे। उन्होंने कभी उनका फोटोग्राफ भी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि एक बुरी तरह जला हुआ व्यक्ति लाया गया था और वह नहीं जानते थे कि क्या वह चंद्र बोस थे। उन्हें जापानी सैन्य अधिकारी द्वारा केवल यह बताया गया कि वह महान भारतीय नेता चंद्र बोस थे। इस व्यक्ति ने अपना नाम नाकामूरा बताया हमने बाद में देखा कि नाकामूरा नामक व्यक्ति ने शाह नवाज समिति के समक्ष साक्ष्य दिया और जब मुखर्जी आयोग का गठन हुआ तो यह व्यक्ति जीवित नहीं था। किंतु जब शाह नवाज समिति द्वारा नाकामूरा से पूछा गया कि क्या वह चंद्र बोस को पहचानता था या नहीं तो उसका उत्तर था 'नहीं' और यह कि डा. मोशिमी ने उसे बताया था कि वह चंद्र बोस थे।

शाह नवाज समिति के समक्ष प्रस्तुत अन्य साक्षियों के बारे में मैंने कल कहा था और वह रिकार्ड में दर्ज हो गया।

दूसरे, भारत सरकार की फाइल में एक बहुत रोचक दस्तावेज है। किंतु उससे पूर्व मैं आपको बताता हूं कि डा. मोशिमी ने कहा था कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त को हुई थी। जब वह मृत्यु प्रमाण-पत्र तैयार कर रहे थे तो उन्हें नाकामूरा द्वारा इचिरो ओकूरा नाम देने के लिए कहा गया था क्योंकि वे इसे गोपनीय रखना चाहते थे। परन्तु ध्यान रखें कि पांच दिन पश्चात् वे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की घोषणा कर रहे थे। यह सैन्य अस्पताल था और उन्हें वहां आज्ञा का पालन करना पड़ा। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह एक झूठे प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा कि वह झूठे प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। मैंने भी अंत्येष्टि प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किए। उनके देश में मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ एक अलग अंत्येष्टि प्रमाण-पत्र होता है जिसमें अंतिम संस्कार के लिए शवदाह गृह से अनुरोध किया जाता है। वह भी इचिरो ओकूरा के नाम पर दिया गया। तब न्यायमूर्ति मुखर्जी को एक मजेदार दस्तावेज मिला कि भारत सरकार की एक फाइल से लिया गया था। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने डा. मोशिमी से पूछा, "क्या आपने कभी सुभाष चन्द्र बोस के नाम से कोई मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया?" उन्होंने कहा, "नहीं। मैं कैसे कर सकता था? मैंने वह प्रमाण-पत्र इचिरो ओकूरा के नाम पर जारी किया। और वह सुभाष चंद्र बोस का प्रमाण-पत्र माना गया।" उन्होंने यह बाहर निकाला और दिखाया कि यह डा. मोशिमी द्वारा सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर 1988 में जारी किया गया मृत्यु प्रमाण-पत्र था। यह बोस की मृत्यु के 43 वर्ष बाद की बात है। जब उन्होंने प्रमाण-पत्र दिखाया तो वह निरंतर हो गए। उन्होंने कहा कि वह भूल गए। उन्होंने कहा, "किन परिस्थितियों में आपने 43 वर्षों के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी किया और वह भी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। उन्होंने कहा कि एक भारतीय और एक जापानी उनके पास आए और उनसे एक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कहा क्योंकि भारत सरकार को अस्थियां वापस भारत ले जाने हेतु यह चाहिए। उन्होंने पूछा, "भारतीय कौन था"? उन्होंने कहा, "मैं भूल गया"। उन्होंने पूछा, "जापानी कौन था?" उन्होंने कहा, "मैं नाम भूल गया।" फिर वह रोकर न्यायमूर्ति मुखर्जी से अनुरोध करने लगे कि जापानी मेडिकल काउंसिल को न बताना क्योंकि उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। न्यायमूर्ति

[श्री सुब्रत बोस]

मुखर्जी ने कहा उन्हें बताना पड़ेगा और उन्हें जापान सरकार अथवा जापान मेडिकल काउंसिल से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा, "मुझे बताओ कि क्या 43 वर्ष पश्चात् मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करना उचित था?" उन्होंने कहा, "नहीं"। आखिरकार मृत्यु प्रमाण-पत्र व्यक्ति की मृत्यु के उचित समय के भीतर जारी करना चाहिए और 43 वर्ष को किसी भी तरह उचित समय नहीं माना जा सकता। इसलिए, आस्थियां लाने के लिए प्रयास जारी रहे। संभवतः यदि ममता बैनर्जी जैसे नेता पहली जन्म शताब्दी समारोह की बैठक में अस्थियां लाने के लिए सहमत थीं तो जहां तक भारत सरकार का संबंध है तो यह प्रमाण-पत्र सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु का सबूत होता। इस तरह से काम हो रहा था।

इसलिए, हम वापस आए और ब्रिटेन की यात्रा की। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम पब्लिक रिकार्ड ऑफिस जाएं और वहां से हमें सभी दस्तावेज मिल सकते हैं। जो भी दस्तावेज जारी किए गए थे और जिन्हें हमने इस विषय से संबंधित समझा उनकी प्रतियां एकत्र कीं। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के पत्र की प्रति जिससे प्रमाणित हुआ कि ताइवान सरकार की रिपोर्ट 1956 में सरकार को सौंप दी गई थी जो कि नष्ट कर दी गई। ब्रिटिश सरकार जो भी करती है खुलकर करना चाहती है। उन्होंने कहा, "हमारे पास यह है।"

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण): सरकार ने यह पत्र नष्ट कर दिया। मेरे पास एक प्रति है।

श्री सुब्रत बोस: यह बात करेंगी और मदद करेंगी। मुझे आशा है यह बात करेंगी।

उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में जानकारी है। किंतु उन्होंने कहा, "ये वर्गीकृत हैं और हम 2020 के पश्चात् उन्हें खोलेंगे।" उनकी मृत्यु अथवा भागने के पिचहत्तर वर्ष पश्चात्। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में आफिशियल सीक्रेट एक्ट है। इसलिए, तथ्य हैं। अभी भी तथ्य और जानकारी ब्रिटेन के पास है।

इस संदर्भ में मेरा यह भी कहना है कि ब्रिटिश सरकार की भांति भारत सरकार ने भी जांच आयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस संबंधी दो फाइलें अपने पास रोक कर रखी हैं। हमारे देश में भी शासकीय गुप्त बात अधिनियम है। और सरकार ने उसका लाभ उठाया। भारत के उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के कारण सरकार को आयोग को कारण बताना पड़ा कि वह इसे गोपनीय क्यों रखना चाहती है। मैं भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति मुखर्जी को दो फाइलों को क्लासीफाइड और गोपनीय रखने के जो कारण बताये गए उन्हें शब्दशः उद्धृत करता हूं। मैंने इन्हें इतनी बार पढ़ा है कि मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह मुझे याद हो गए हैं। मैं उद्धृत करता हूं:

> "इन फाइलों में अंतर्निहित जानकारी को यदि उजागर कर दिया जाता है तो यह मित्र देशों के साथ संबंधों को प्रभावित करेगी।"

मैं दोहराता हूं, सरकार ने जो कारण बताया है वह यह है:

> "इन फाइलों में अंतर्निहित जानकारी को यदि उजागर कर दिया जाता है तो यह मित्र देशों के साथ संबंधों को प्रभावित करेगी।"

क्या मैं यह मानकर गलती कर रहा हूं कि जहां तक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का संबंध है तो कुछ मित्र देशों, जिनकी मुझे जानकारी नहीं है, ने गैर-मित्रतापूर्ण कार्य किया और यदि उसका अब खुलासा हो जाता है तो वह मित्र देशों के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा क्योंकि भारत के लोग उनके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे? सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह कुछ मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों को प्रभावित करेगी। हमारा राष्ट्रीय नायक महत्वपूर्ण नहीं है किंतु मित्र देशों के साथ संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। यह भारत सरकार का जघन्य और शर्मनाक रवैया है।

अब मैं ताइवान की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर आता हूं। न्यायमूर्ति खोसला वहां गए थे। मैंने कल इसका उल्लेख किया था। वह सरकारी अधिकारियों से नहीं मिले थे। यहां मैं यह भी कहूंगा कि ताइवान में इंडो-ताइवान ट्रेड आर्गेनाइजेशन नाम का एक गैर-आधिकारिक संगठन है। उनसे भारत सरकार ने गैर-अधिकारिक तौर पर मदद के लिए अनुरोध किया गया था और उन्होंने मदद की थी। आयोग को ताइवान सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय द्वारा सुनवाई दी गई है।

उन्होंने न्यायमूर्ति मुखर्जी को स्पष्ट रूप से बताया कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि 18 अगस्त, 1945 को ताइवान में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। वह कहते हैं कि हमारे पास अपने रिकार्ड हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सितम्बर, 1945 में एक विमान दुर्घटना हुई थी। हम आपको रिकार्ड देंगे। यह अमरीकी युद्धबंदियों को ले जाने वाला अमरीकी विमान था। हमारे पास उन यात्रियों की सूची है जिनकी मृत्यु हुई और जो घायल हुए थे। किंतु वह भी ताइहोकू विमानपत्तन पर नहीं हुई थी, वह दक्षिणी ताइवान में हुई थी। न्यायमूर्ति मुखर्जी श्मसान स्थल पर गए थे। उन्होंने कहा कि यह श्मसान स्थल बहुत बाद में बना था और 1945 में यह श्मसान स्थल नहीं था। किंतु एक पुराना

श्मसान स्थल है जो अभी भी है। यह श्मसान स्थल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि यह सभी श्मसान स्थलों के कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जाता है और सभी रिकार्ड यहां उपलब्ध हैं। आप वहां जा सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि क्या 1945 के रिकार्ड उपलब्ध हैं। न्यायमूर्ति मुखर्जी वहां गए थे। उन्होंने कहा, "हां हमारे पास पूर्ण रिकार्ड हैं। परन्तु आप 59 वर्ष पुराने रिकार्ड मांग रहे हैं। इसलिए आपको हमें समय देना पड़ेगा और एक माह के भीतर आपको रिकार्ड मिलेंगे।" न्यायमूर्ति मुखर्जी ने उन्हें यह बताने के लिए कहा कि क्या सुभाष चन्द्र बोस अथवा इचिरो ओकूरा का 15 अगस्त और 25 अगस्त, 1945 के बीच में अंतिम संस्कार किया गया था और क्या जापानी सेना के एक उच्चाधिकारी ले. जनरल शिदेई भी उसी विमान में थे। जनरल शिदेई को भी उस दुर्घटना में मृत बताया गया है और मैं समझता हूं कि चीफ पायलट, जिसका नाम मैं भूल गया, उसे भी उस दुर्घटना में मृत बताया गया है और इसलिए न्यायमूर्ति मुखर्जी ने जानना चाहा कि क्या इन दोनों लोगों का अंतिम संस्कार किया गया था। श्मसान स्थल ने अपना वायदा पूरा किया और तीन सप्ताह के भीतर ही चीनी भाषा में और प्रमाणित इंग्लिश भाषा में अनुवाद सहित रिकार्ड न्यायमूर्ति मुखर्जी के पास पहुंच गया। उन्होंने देखा कि इचिरो ओकूरा का 22 अगस्त को दाह संस्कार किया गया था परन्तु उसकी मृत्यु 18 अगस्त को नहीं बल्कि 19 अगस्त, 1945 को हुई थी। ले. जनरल शिदेई का नाम वहां नहीं था और चीफ पायलट का नाम भी नहीं था। वे लाशें नष्ट हो गई थीं। उन्हें यह भी पता चला कि इचिरो ओकूरा उस अस्पताल में एक रोगी था। वह 19 अगस्त को हृदयाघात से मर गया था। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को दफनाने अथवा अंतिम संस्कार करने के लिए एक लाश की आवश्यकता थी। लाश के बिना वे कैसे कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु हुई थी और संस्कार किया गया था? इसलिए, इचिरो ओकूरा की लाश का प्रयोग किया गया था। उसकी मृत्यु 19 अगस्त को हुई थी। जापानी रिवाजों के अनुसार तीसरे दिन अंतिम संस्कार होता है। इसलिए यह 22 अगस्त को किया गया। हबीबुर्रहमान ने 20 अगस्त की तारीख दी थी। इसलिए 22 अगस्त को इचिरो ओकूरा का अंतिम संस्कार किया गया था। जापानी रिवाजों के अनुसार हमारे भारतीय रिवाजों के विपरीत हड्डियां रखी जाती हैं। इसलिए वहां कुछ हड्डियां होनी चाहिएं। इसीलिए न्यायमूर्ति मुखर्जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे।

[अनुवाद]

रिपोर्ट में अन्य बातें भी है लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता इचिरो ओकूरा की भस्म और हड्डियां वहां हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में जानकारी देगी। मुझे इसकी उम्मीद है।

वहां जो कुछ है उसके डी.एन.ए. परीक्षण की व्यवस्था न्यायमूर्ति मुखर्जी ने क्यों नहीं की, ये इचिरो ओकूरा के अवशेष हैं या नहीं। आखिरकार इस बात का पता डी.एन.ए. परीक्षण से ही पता चलेगा। न्यायमूर्ति इसके खिलाफ नहीं थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने हम सबसे कहा, "मैं वैज्ञानिक तरीकों का पूरा लाभ उठाना चाहूंगा।" उन्होंने हैदराबाद के संस्थान से भी पूछा। उस वक्त हैदराबाद संस्थान ने बताया कि उसके पास डी.एन.ए. परीक्षण के लिए उपकरण नहीं थे। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने उनसे जापानी या विदेशी विशेषज्ञों के नाम बताने का अनुरोध किया। उन्होंने नाम बताया, उन्होंने जापानी और जर्मन विशेषज्ञों के नामों की सिफारिश की। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने यह कहते हुए उल्लेख किया "वहां कुछ अवशेष हैं। उनका दाह-संस्कार 1945 में हुआ था। क्या आप इस बात का पता लगाने के लिए डी.एन.ए. परीक्षण करेंगे कि वे किस परिवार के थे? कोई भी किसी व्यक्ति को पहचान नहीं सकता। जर्मन और जापानी, दोनों, विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसा "नहीं" हो सकता। इसका कोई फायदा नहीं है या कोशिश करने योग्य भी नहीं है क्योंकि इन अस्थि-भस्मों की गुणवत्ता समाप्त हो गई है। क्योंकि जब एक शव को आग में जला दिया जाता है तो अस्थि-भस्म ही नहीं बल्कि हड्डी भी एक बार जलने के बाद डी.एन.ए. परीक्षण के लिए अपेक्षित गुणवत्ता खो देती है। बहुत कहने के बाद जापानी सरकार तैयार हुई। उसने कहा "हम मंदिर के अधिकारियों से बात करेंगे कि क्या वे इसे केवल जापानी विशेषज्ञों द्वारा जांच किये जाने के लिए देंगे।" वे पहले से ही टोकियो में थे। मंदिर के अधिकारियों ने कहा, "हमारे धार्मिक रिवाजों में किसी के अंतिम अवशेष को किसी मानव को देने की मनाही नहीं है।" बाद में जब न्यायमूर्ति मुखर्जी के आयोग ने सुनवाई बंद कर दी तब वे तैयार हो गये थे। जापानी विशेषज्ञों ने कहा था, "नहीं, आप लोग मुझे बाध्य कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इससे कुछ भी नहीं मिलेगा।"

अब हम रिपोर्ट के खंड-I के पृष्ठ संख्या 22 से 31 की चर्चा करें। चूंकि पुस्तक यहां है मैं सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। विषय उसके डी.एन.ए. परीक्षण से सम्बंधित है। उन्होंने व्याख्या की कि उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन इस विषय में कुछ नहीं हो सका। वे तैयार थे यद्यपि विशेषज्ञ ने कहा था कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। यही कारण है कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि डी.एन.ए. परीक्षण नहीं किया गया, फिर भी वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि उस विमान दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे क्योंकि अगर जापानी डाक्टर के साक्ष्यों को ध्यान में रखें तो कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला है और इस निर्णय पर पहुंचे। मैं रिपोर्ट के पृष्ठ

[श्री सुब्रत बोस]

संख्या 107 पर अंतिम वाक्य पढ़ना चाहता हूं। मैं रिपोर्ट से उद्धृत करता हूं।

> "उस पृष्ठभूमि पर विचार करने के बाद, मृतक के अवशेषों का डी.एन.ए. परीक्षण करने में आयोग की असमर्थता, जो उसके नियंत्रण के बाहर था, इस संबंध में उसके निष्कर्ष निकालने में उसके रास्ते में बाधा नहीं बना - और एक मजबूत परिस्थितिजन्य लिखित साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया।"

उन्होंने ऐसा कहा है। कोई भी इसका अध्ययन कर सकता है। मैं समझता हूं कि न्यायमूर्ति मुखर्जी की रिपोर्ट का अंतिम भाग जो पृष्ठ 100 से 107 तक है, उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है कि सरकार ने निश्चित रूप से इसे पढ़ा भी होगा। उन्हें कुछ नहीं कहना है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बोस, आप कितना समय लेंगे?

श्री सुब्रत बोस: मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैंने काफी समय ले लिया है।

महोदय, एक बात है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन जब मैं बीती शाम में बोल रहा था तो संसदीय कार्य मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए परिवार में मतभेदों की बात की थी। आप को भी और माननीय सदस्यों को भी याद होगा कि जब मैंने बोलना शुरू किया तब मैंने कहा, जी हां, मैं परिवार का एक सदस्य हूं लेकिन नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का प्रतिनिधित्व का अधिकार एकमात्र मेरा ही नहीं है। वे राष्ट्र के थे और भारत के जन-जन के थे। मैं आज यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सौभाग्य से एक बार पुनः इस संसद का सदस्य हूं। लेकिन चूंकि उन्होंने उल्लेख किया है, मैं भी जानता हूं कि यह उनके लिए एक मुद्दा होगा जिस पर वे बोलेंगे इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है यद्यपि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था।

वे श्रीमती कृष्णा बोस का उल्लेख कर रहे थे जो इस सभा की पूर्व संसद सदस्या थीं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने विचार रखने के अतिरिक्त भारत सरकार को भी लिखा था। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि रिपोर्ट की बातों पर ध्यान दिए बिना अस्थि-भस्म को लाना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को केवल बताना चाहूंगा कि चूंकि न्यायमूर्ति मुखर्जी बहुत ही खुले दिमाग के व्यक्ति थे उन्होंने श्रीमती कृष्णा बोस और उनके पति स्व. डा. सिसिर बोस, दोनों, से आयोग के समक्ष उपस्थित होने तथा वे जो कुछ भी जानते और सोचते थे उसे बताने के लिए कहा था। इसलिए, आयोग ने उन सभी को सुनना चाहा।

स्व. डा. सिसिर बोस ने आयोग को लिखा और कहा: "इस विषय में हमारे पास कोई तथ्य या सही जानकारी नहीं है। इसलिए, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि आयोग को मुझ से कोई फायदा नहीं होगा।" तब, स्वाभाविक था कि आयोग कहता कि उन्होंने लिखा है कि उनके पास कोई तथ्य नहीं हैं।

जब श्रीमती कृष्णा बोस को बुलाया गया तो उन्होंने लिखित उत्तर भेजा और कहा, "मेरे पास सुभाषचन्द्र बोस की मृत्यु के सम्बंध में कोई तथ्य या जानकारी नहीं है। तब 1945 में मैं एक बच्ची थी जब माना जाता है कि उनका अंत हुआ लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी अस्थि भस्म वहां हैं क्योंकि मेरे पति स्व. डा. सिसिर बोस इस बात पर विश्वास करते थे। इसलिए, लिखित रूप में जो कुछ भी है उसके बारे में उनके पास कोई तथ्य या जानकारी नहीं थी। भारत सरकार न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट में से सारी बातें देख सकती है जो अब उसकी अभिरक्षा में है। इसलिए, आज उनके मत का विचारार्थ कोई महत्व नहीं है।"

कुमारी ममता बैनर्जी: लेकिन यह कोई पारिवारिक मामला नहीं है।

श्री सुब्रत बोस: महोदय, जैसा कि मैंने कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभा मुझसे इस बात पर पूरी तरह सहमत होगी जब मैं यह कहता हूं कि वे विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे या मैं मुखर्जी आयोग के निष्कर्षों से सहमत हूं। यह सभा तय करेगी और सरकार को अपनी राय देगी और तब सरकार इसके बारे में तय करेगी। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे कहना चाहिए और मैंने वैसा ही किया।

इसलिए अंत में मैं कुछ आरोप लगाता हूं। पहला, मैं भारत सरकार पर 1947 से ही तथ्यों और जानकारियों को जानबूझकर दबाने का आरोप लगाता हूं।

महोदय, मैं सरकार पर उन फाइलों को नष्ट करने या उन्हें गुम करने का आरोप लगाता हूं जिनमें सम्बंधित जानकारियां, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तथा उनके लापता होने या जैसा कि सरकार कहती है उनकी मृत्यु से सम्बंधित सामग्री थीं।

मैं सरकार पर न्यायमूर्ति मुखर्जी की अध्यक्षता वाले जांच आयोग के साथ लगातार सहयोग न करने का आरोप लगाता हूं।

सरकार पर केवल मैं ही आरोप नहीं लगा रहा हूं, न केवल न्यायिक कठघरे में ही या आरोप लग रहा है बल्कि मैं सोचता

हूं कि भारत की जनता के न्यायालय में भी उस पर यह आरोप लगेगा।

मैं मांग करता हूं कि सरकार उस 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' को वापस लेती है जो उन्होंने पेश की है। मेरी मांग है कि भारत सरकार मुखर्जी जांच आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार करे। यह सरकार के लिए अपनी भूल सुधारने का एक मौका होगा और पिछले 59 वर्षों से सरकार द्वारा किये गए मनमानी पूर्ण दुर्व्यवहार को ठीक करने का अवसर होगा। मेरी मांग है कि भारत सरकार को तत्काल जापान सरकार को सूचित करना चाहिए कि वह जापान के रेनकोजी मंदिर में रखे गए अस्थि-भस्म से सम्बंधित नहीं है। मैं यह भी मांग करता हूं कि भारत सरकार रेनकोजी मंदिर के रखरखाव के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता को भी तत्काल वापस ले ले।

यहां मैंने सिर्फ यह कहा कि सरकार किस प्रकार इस मामले से कतरा रही है। रेनकोजी मंदिर यह कह कर कि 'हम आपके लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थि-भस्म की रखवाली करते हैं और आप लोग हमें वित्तीय सहायता दें' 'और मंदिर के पास पैसा नहीं है' हमसे वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। हमारा वित्त विभाग इस बात पर आपत्ति करता है क्योंकि नेताजी की मृत्यु पर संदेह है। ये किसकी अस्थियां हैं? यह संदेहास्पद है। आप धन कैसे दे सकते हैं। लेकिन आप सामान्य शीर्ष के अंतर्गत अर्थात् 'विवेकाधीन वित्तीय शीर्ष' जो राजदूत के लिए है, धन दे सकते हैं। धन को इस रूप में दीजिए जैसे आप मंदिर को दान कर रहे हैं। वे इसी प्रकार पैसा दे रहे हैं। आधिकारिक तौर पर वे इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि ये अस्थि-भस्म नेताजी के हैं।

फाइलों में दूसरी ही बात लिखी हुई हैं। इसलिए इसे वापस ले लिया जाए। भारत सरकार सही कदम उठाए जिसकी भारत की जनता उससे अपेक्षा करती है। मैं समझता हूं कि वर्षों तक सरकार ने जो गलती की है, भारत की जनता उदार है और वह उसे उसके लिए माफ कर देगी। लेकिन यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि भारत की जनता नेताजी के प्रति असम्मान दिखाने तथा उनके प्रति गलत प्रचार करने और उनके बारे में झूठी खबर फैलाने के लिए सरकार को माफ नहीं करेंगी। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह माननीय सदस्य से हमें कुछ जानकारी हासिल करने का और निष्कर्ष तक पहुंचने का अच्छा अवसर होगा।

उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा दिये गये वक्तव्य जिसमें कहा गया है कि वे समिति तथा आयोग द्वारा दिये गए निष्कर्षों पर विश्वास नहीं करते का उल्लेख किया है। क्या मुखर्जी आयोग को वह दस्तावेज उपलब्ध था जिसका मोरारजी देसाई ने जिक्र किया था तथा यदि किसी प्रकार के दस्तावेज या फाइल का कोई संदर्भ उपलब्ध नहीं था और यदि उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह कौन सा दस्तावेज था जिसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए था?

श्री सुव्रत बोस: महोदय, माननीय गृह मंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है लेकिन क्या यह मुखर्जी आयोग का कर्तव्य था या भारत सरकार का कर्तव्य था कि वह पता करे कि प्रधान मंत्री ने किस प्रकार सभा में यह वक्तव्य दिया?

महोदय, मैं एक बात बता दूं, इस संसद की कार्यवाही में लिखा गया और इसे पढ़ा भी गया था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि एक नई जानकारी सामने आई है जिससे विमान दुर्घटना की कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो गया है। विधानसभा और संसद के थोड़े से अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं, मुझे माननीय गृह मंत्री या बहुत से माननीय सदस्यों जो यहां उपस्थित है की तरह अनुभव नहीं है। जब प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य देते हैं तो क्या उन्हें किसी फाइल का उल्लेख करना पड़ता है? मैं समझता हूं कि ऐसा प्रथा के अनुरूप किया जाता होगा कि यदि आप किसी तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे हों तो आपके पास इसके समर्थन में दस्तावेज होने चाहिए। कोई भी माननीय प्रधानमंत्री और मंत्री बिना किसी सबूत के नहीं बोलते। न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग ने सरकार से अनुरोध किया था कि उस समर्थन-दस्तावेज को उसे दिया जाए जिसके आधार पर प्रधान मंत्री ने बयान दिया था। इसकी खोज की गई। सर्वप्रथम विदेश मंत्रालय को लिखा गया। मुझे ज्ञात नहीं ऐसा क्यों किया गया। फिर गृह मंत्रालय और बाद में प्रधान मंत्री कार्यालय को लिखा गया। यह सभा पर निर्भर करता है कि वह इस पर विश्वास करे या न करे, अंततः प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, "समर्थन में कोई भी दस्तावेज नहीं हैं, प्रधान मंत्री अवश्य अपने मन से यह बात बोले होंगे।"

न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग को प्रधानमंत्री कार्यालय से यह जबाव मिला था। मुझे बताया गया है कि न्यायमूर्ति मुखर्जी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय कागजातों को नष्ट नहीं करता है। क्या प्रधानमंत्री जी द्वारा कागजों के समर्थन के बिना तारांकित प्रश्न का दिया जा रहा उत्तर विश्वसनीय है? वह कह सकते हैं कि हमने अनेक फाइलों को नष्ट कर दिया है; अनेक फाइलें खो गई हैं। लेकिन यह समझना कि प्रधानमंत्री जी कुछ बातें अपने मन से कह रहे थे, मैं समझता हूं कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय का अपमान है, अन्यथा यह श्री मोरारजी देसाई का जो भारत के प्रधानमंत्री बने, बड़ा अपमान है। मुझे और कुछ नहीं कहना है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बहुत से माननीय सदस्य स्पेशल मेंशन के लिए इंतजार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): मैं यहां माननीय मंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब मुझे केवल दो मुद्दों का जवाब देना है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब जवाब होगा, उस समय आपका स्पष्टीकरण आएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आज माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यह उनका प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन था, अभी जवाब नहीं हो रहा है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: पांडा जी आप तो पुराने सदस्य हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा: केवल एक मिनट।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं एक नयी प्रकार की बहस की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

सभापति महोदय: यदि सदन सहमत हो, तो इस चर्चा को आगे लिया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम विशेष उल्लेख पर चर्चा करेंगे?

श्री अलीमाऊ चर्चिल। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री अलीमाऊ चर्चिल (मारमुगाओ): सभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10-6-2006 से 15-8-2006 तक तटीय क्षेत्रों में जलपोतों और नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। लेकिन, यह आश्चर्य की बात है कि मल्पी और कारवाड में बड़े जलपोत और नौकाएं छोटे छेदों वाले जाल द्वारा मछली पकड़ रहे हैं। गोवा में भी बड़ी-बड़ी मशीनीकृत नौकाएं छोटे-छोटे छेद वाले जाल से मछली पकड़ रही हैं।

मैं आग्रह करता हूं कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबन्ध के विरुद्ध इस मत्स्यन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये। वास्तव में, जो मछुआरे इस प्रतिबंध का पालन कर रहे हैं, वे कष्ट झेल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): सभापति महोदय, दिनांक 11-07-2006 से रामपुर हाट, जो बंगाल में पड़ता है और बरहवा रेल खंड के बीच पाकुड़ स्टेशन से गुजरने वाली मेल/एक्सप्रैस एवं सवारी गाड़ियों का आवागमन पूर्णतः बंद हो गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र के लाखों लोगों का देश के विभिन्न भागों से सम्पर्क टूटा हुआ है। इसकी वजह से उस इलाके में जनता का काफी आन्दोलन चल रहा है। रामपुर हाट और सेतिया के बीच एक पुल क्षतिग्रस्त हो जाने से रेलवे आवागमन पूरा ठप्प हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची से जोड़ने वाली जो एकमात्र वनांचल एक्सप्रैस है, वह भी बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते काफी लोगों को कठिनाई हो रही है।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उस रेल खंड को अविलंब चालू करवाने के लिए पहल की जाए।

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): सभापति महोदय, मलेशिया में, एक ऑटोमोबाइल स्पेयर्स विनिर्माण कंपनी ने 68 भारतीयों की भर्ती की है। जिनमें 31 तमिलनाडु के हैं और शेष पश्चिम बंगाल के हैं। उन्हें इस समझौते के तहत भर्ती किया गया था कि उन्हें 600 सिंगापुर डॉलर प्रतिमाह मिलेगा लेकिन कम्पनी ने भर्ती से लेकर अब तक केवल 320 डॉलर प्रतिमाह का भुगतान किया है। जब उन्होंने इस समझौते के अनुपालन की मांग की तो कंपनी ने पुलिस से शिकायत कर दी और इन सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल के 37 लोगों को मलेशिया से वापस लाने के लिए कदम उठाए लेकिन तमिलनाडु के 31 लोग जो अपने हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिना भोजन किये कष्ट झेल रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उन्हें समझौते के अनुसार कंपनी से उनका सारा बकाया दिलवाने हेतु और उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, यह विषय रेलवे से संबंधित है। भारतीय रेल में सन् 1955 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा खान-पान सेवा प्रारंभ की गई थी और कमीशन वैंडर्स के रूप में एक नई व्यवस्था तय की गई, जिन्हें रेलवे द्वारा राशन, तेल, नमक, सब्जी आदि दी जाती थी। उनके द्वारा सामान्य यात्रियों को सस्ती दर पर पूरी और आलू की सब्जी उपलब्ध करवाई जाती थी। वह व्यवस्था अभी तक चली आ रही थी, लेकिन रेलवे द्वारा उसमें कोई स्पष्ट नीति नहीं तय की गई और कमीशन वैंडर्स 65, 75 साल की उम्र के हो गए। रेलवे मंत्रालय द्वारा इस उम्र में कम्पलसरी रिटायरमैंट के नाम पर उनका राशन बंद कर दिया गया और उन्हें रियायरमैंट दी जा रही है। कोई नीतिगत सेवा शर्त तय नहीं होने के कारण इस उम्र में बिना किसी सेवा लाभ के उन्हें कहा जा रहा है कि आपकी रिटायरमैंट हो गई जो कतई गलत है। यदि उन्हें इस उम्र में हटाया जाना जरूरी है, तो हटाने वाले वैंडर के एक आश्रित को तत्काल वैंडिंग की अनुमति दी जाए और इस समय जो मृतक वैंडर हो गए हैं, उनके एक आश्रित को भी वैंडिंग की अनुमति दी जाए। दूसरी ओर रेलवे कैटरिंग और कैंटीन का जो कार्पोरेशन बनाया गया है, उसकी रोज शिकायतें आ रही हैं कि जमीन पर पूरियां बेली जा रही हैं और उन्हें कोचेज में सर्व किया जा रहा है, अखबार इसे रिपोर्ट कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

हमारी मांग है कि अगर रेलवे उन कमीशन वैंडर्स को रिटायरमैंट दे रहा है तो उन्हें उसके लाभ दिए जाने चाहिए, जैसे अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं। अगर उन्हें रिटायर कर रहे हैं और लाभ नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उनके एक आश्रित को कमीशन वैंडिंग की अनुमति प्रदान की जाए और ऐसे ही मृतक आश्रित के लिए किया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): महोदय, पिछली सदी के नब्बे के दशक में माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने उत्तरी बंगाल के निर्धन लोगों के वित्तीय साधनों में निर्धारित समय में मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच जलपाईगुड़ी में स्थापित करने की अनुमति दी थी।

हाल ही में, माननीय विधि मंत्री ने मुझे अपने पत्र दिनांक 20 जून, 2006 के द्वारा सूचित किया था कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति कार्यकारी आदेश द्वारा जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट ब्रांच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। माननीय मंत्री जी ने भी मुझे यह भी आश्वस्त किया था कि इस संबंध में राष्ट्रपति के आदेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे।

महोदय, उत्तरी बंगाल की जनता जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट ब्रांच के औपचारिक उद्घाटन की बेसब्री से इन्तजार कर रही है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में अविलंब कार्यवाही की जाए।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): चेन्नई हवाई अड्डे का विस्तार किये जाने की आवश्यकता है और इस उद्देश्य के लिए सितम्बर के अंत तक अधिकांशत: खाली पड़ी जमीन प्राप्त करने का एक प्रस्ताव था। तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने लगभग 1457 एकड़ भूमि हस्तांतरित किये जाने की घोषणा भी की थी। दिसम्बर के अंत में एक नया प्रस्ताव आया जिसके अनुसार एक नया भू-क्षेत्र जो अनकापुथुर, पॉलीचलर, पम्मल, पंचायत यूनियन के अधीन है, दिया जाना है। नये प्रस्ताव के अधीन नया भू-क्षेत्र रिहायशी क्षेत्र है जिसमें 4629 मकान, 9 ओवरहैड टैंक, पब्लिक वाटर टैंक, 8 सरकारी बिल्डिंग, 5 विनिर्माण कंपनी, 23 मंदिर, 2 चर्च हैं। इस क्षेत्र में लगभग 25,000 लोग सैंकड़ों वर्षों से रहते हैं।

हम सभी चेन्नई हवाईअड्डे के विस्तार के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं लेकिन साथ ही हमें वहां अनेक वर्षों से रह रहे लगभग 25,000 लोगों के जीवन में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से पहले के प्रस्ताव को लागू करने का आग्रह करता हूं जिसमें केवल खुली भूमि ही अधिगृहीत की जानी थी। अन्यथा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्री पेरांबुदुर से परे चेन्नई के बाहरी क्षेत्र में, जहां बहुत बड़ा खुला मैदान है, बनाया जा सकता है। हजारों लोगों के जीवन और सपनों को चूर-चूर करने के बजाय, सरकार चेन्नई हवाई अड्डे के विस्तार के लिए विस्तृत खुले मैदान का उपयोग कर सकती है।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बदूर): महोदय, श्री मोहन ने जो कुछ भी कहा है, डी.एम.के. पार्टी की ओर से मैं भी स्वयं को उससे सम्बद्ध करता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है, आपका नाम सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश की कोयला राजधानी धनबाद जिला के झरिया की ओर दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि झरिया शहर के आस-पास के कोयला खानों में अग्नि एवं गैस का प्रकोप है। पिछले वर्ष इस सदन में कोयला मंत्रालय से आश्वासन मिला था कि इस ऐतिहासिक शहर को कोई खतरा नहीं है और कोयला मंत्रालय इसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर रहा है, परन्तु भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

पिछले सप्ताह में झरिया शहर के आस-पास सुअराटॉड, बोका पहाड़ी/इमाम पहाड़ी, कुकुर तोपा, राम नगर लोहार पट्टी आदि अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में भू-धसान होने के कारण करीब एक हजार परिवार के जान-माल पर खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही बगल के राजा शिव प्रसाद कालेज जो कोयलांचल का एकमात्र कालेज एवं कोयलांचल में जलापूर्ति हेतु बृहत् जलागार अवस्थित है, पर खतरा उत्पन्न हो गया है।

हम सरकार से जानना चाहते हैं कि उस पर एक हजार परिवार को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर बसाने एवं अग्नि को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है जिससे झरिया शहर को सुरक्षित रखा जा सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

[अनुवाद]

डा. के. धनराजू (टिंडिवनाम): महोदय, भारी मन और दु:ख के साथ मैं यह विशेष उल्लेख करता हूं कि अभी हाल ही में 16 भारतीय, विशेषकर तमिलनाडु के रहने वाले, बहरीन में हुई श्रमिक शिविर स्थल पर हुई आग दुर्घटना में मारे गये हैं। तमिलनाडु के लिए यह बहुत ही दु:ख और परेशानी का समाचार है। उन 16 लोगों में से 8 मेरे जिले विल्लूपुरम के रहने वाले थे और अन्य लोग पास के जिलों, कुड्डालोर और पेरबलूर के रहने वाले थे। सभी शवों को वापस लाया गया है और उन्हें शोक संतप्त परिवारों को सौंप दिया गया है। इस त्रासदी के बाद सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के लिए मैं उसे धन्यवाद देता हूं।

उन परिवारों की कहानी सुनने के बाद यह सचमुच में कष्टदायक लगा कि वे कैसे वहां गये, वे क्यों वहां गये और किसलिए वहां गये थे और किन लोगों के माध्यम से वे वहां पहुंचे थे।

भारत में फर्जी एजेंसियां काम कर रही हैं। उनकी विदेशी एजेंसियों के साथ कुछ साठ-गांठ है और वे सरकार को उचित सूचना दिए बिना लोगों को वहां भेजते हैं। वे लोग गरीब अशिक्षित ग्रामीण लोगों को लालच देते हैं।

सभापति महोदय: आपकी मांग क्या है?

डा. के. धनराजू: इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर नजर रखने के लिए कि ये एजेंसियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं और ऐसे कार्यों को रोकने के लिए तथा भारत में इस प्रकार की त्रासदी पर पूर्ण विराम लगाने के लिए एक शासी निकाय गठित करे। मैं चाहता हूं कि प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय तत्काल कार्रवाई करें।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी जी के सक्षम नेतृत्व वाली संप्रग सरकार को इस माह से अगले एक वर्ष तक के लिए एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ युद्ध-विराम की अवधि को बढ़ाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। हम इसका स्वागत करते हैं। हमें आशा है कि पड़ोसी राज्यों की संक्षीय सीमाओं को किसी तरह की हानि पहुंचाए बिना नागा समस्या स्थायी समाधान निकल आएगा। मेरे विचार में यह संप्रग सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सम्मिलित है। इस बात का कोई कारण नहीं दिखता की नागा समस्या का कभी समाधान नहीं होगा।

इस बीच मैं केन्द्र सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे राज्य, मणिपुर का भारतीय संघ में विलय 15 अक्तूबर, 1949 को हुआ था जिसमें एक स्पष्ट प्रादेशिक सीमा निर्धारित की गई थी। मणिपुर के लोग यह चाहते हैं कि मणिपुर के 1949 के उस मानचित्र को ज्यों का त्यों रखा जाना चाहिए और केन्द्र सरकार द्वारा उसकी उचित सुरक्षा की जानी चाहिए तथा मणिपुर की प्रादेशिक अखंडता पर किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। यह पूर्व राष्ट्र, मणिपुर का गर्व है।

एक बार पुन: मैं विनम्रतापूर्वक केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नागा समस्या का एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान शीघ्र खोजे लेकिन यह पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): महोदय, मैं कर्नाटक में बाढ़ की स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह साल एक अच्छे मानसून का साल रहा, लेकिन इसके साथ कर्नाटक के उत्तरी भाग - बेलगाम, बीजापुर, बिदर, गुलबर्ग और बागलकोट जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। स्थिति बद से बदतर हो गई है क्योंकि 2.5 लाख क्यूसेक पानी महाराष्ट्र के कोइना बांध से छोड़ दिया गया। अलमाटी

बांध में भी पानी का स्तर बढ़ रहा है। बेलगाम जिले तथा शेष तालुकों के बहुत से गांवों में निचले क्षेत्रों के पुल पहले ही पानी में डूब गये हैं। गुलबर्ग और रायचूर जिलों में 100 से ऊपर गांव प्रभावित हुए हैं।

कर्नाटक की सरकार ने यह पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। महाराष्ट्र और सीमावर्ती जिलों में वर्षा में वृद्धि होने से कर्नाटक के नदी तटवर्ती क्षेत्रों में और तबाही होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में कोईना बांध से और पानी का छोड़ा जाना भी देश में कुल जल भंडार में समुचित प्रबंधन का प्रश्न खड़ा कर दिया है।

महोदय, इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी जब इस प्रकार की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तब कर्नाटक की सरकार ने इन जिलों के 100 गांवों को सदा के लिए निकट के क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की मांग की थी और इसके लिए उन्होंने 300 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन वह फाईल अभी भी लम्बित है।

चूंकि वर्षा अभी भी जारी है इसलिए भारी तबाही होने वाली है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के अधिकारियों की एक बाठक बुलायें और एहतियाती कार्रवाई करें ताकि आगे और बर्बादी से बचा जा सके।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह इन गांवों को स्थायी रूप से स्थानांतरित करने के लिए 300 करोड़ रुपये जारी करे।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, उत्तर मध्य रेलवे के अन्तर्गत झांसी से कानपुर तक सिंगल रेलवे लाइन है। उस रेलवे लाइन की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। इस 200 किलोमीटर के अन्तराल में गाड़ियां कम से छः-छः घण्टे का समय लेती हैं। पुष्पक एक्सप्रेस जैसी ट्रेन जो लखनऊ से बम्बई जाती है, वह कानपुर से झांसी के बीच में सात-सात घण्टे का समय लेती है। उरई से चलने वाले यात्री या तो कानपुर से या झांसी से रिजर्वेशन कराते हैं। जब वे इन ट्रेनों में बैठकर झांसी की ओर या कानपुर की ओर यात्रा करते हैं तो सिंगल लाइन होने की वजह से गाड़ियां इतनी लेट हो जाती हैं कि जिन गाड़ियों के लिए वे रिजर्वेशन कराते हैं, वे गाड़ियां उन्हें समय से नहीं मिल पाती हैं।

उस आरक्षण का कोई फायदा नहीं होता और वह बेकार चला जाता है। मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग है कि इस सिंगल लाइन को डबल लाइन किया जाए और साथ ही उसका विद्युतीकरण भी किया जाए। इससे उस क्षेत्र के लोग सही समय पर यात्रा कर सकेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक): आदरणीय सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में टोंक जिले का मुख्यालय है। टोंक जिला राजस्थान के अन्य जिलों की अपेक्षा एक पिछड़ा हुआ जिला है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है। यद्यपि टोंक जिले के पिछड़े होने के कई अन्य कारण हैं। परन्तु एक मुख्य कारण इस जिले के जिला केन्द्र टोंक नगर का रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं होना है। टोंक जिला धीरे-धीरे अब एक औद्योगिक नगरी के रूप में उभर रहा है। यहां पर गलीचा, मिर्च तथा खाद्य तेल उत्पादन का विकास हो रहा है। टोंक जिले के विकास हेतु इसका रेल लाइन से जोड़ा जाना अति आवश्यक है।

टोंक जिला मुख्यालय को रेलवे से जोड़ने की मांग वर्षों पुरानी है। जयपुर-सवाईमाधोपुर ब्राडगेज लाइन डालने से पूर्व रेलवे विभाग द्वारा सन् 1990 एवं 1991 में सर्वे भी कराए गए थे, लेकिन तब मीटर गेज से ब्राडगेज में बदलने का लागत मूल्य अधिक होने एवं धनाभाव के कारण इस परियोजना को पेंडिंग में डाल दिया गया था। सर्वे के बाद जयपुर-सवाईमाधोपुर तक ब्राडगेज लाइन डल चुकी है, लेकिन इस लाइन से टोंक को लिंक नहीं किया गया है। वर्तमान में जयपुर-सवाईमाधोपुर वाली ब्राडगेज लाइन टोंक मुख्यालय से इसरदा-सिरस स्टेशन बिन्दु से मात्रा 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। जिला मुख्यालय आसानी से इससे जुड़ जाएगा।

वर्तमान में हो रहे अजमेर कोटा के सर्वे में देवली टोंक रेल लिंक की नई लाइन के निर्माण की प्रस्तावना भी है, जिसे थोड़ा घुमाव देकर टोंक को जोड़ा जा सकता है।

टोंक में रेलवे का कम्प्यूटरीकृत बुकिंग आरक्षण केन्द्र है, जिसका जिले के यात्रियों द्वारा भरपूर लाभ उठाया जा रहा है और आय भी पर्याप्त हो रही है। लेकिन यह केन्द्र दिन में दस बजे से एक बजे तक मात्र तीन घंटे ही खुलता है। इसकी आमदनी बढ़ाने और जनसुविधा में वृद्धि करने हेतु ये चार बातें आवश्यक हैं - (1) केन्द्र का समय प्रातः आठ से रात्रि आठ बजे तक बढ़ाया जाए, इससे यात्री तत्काल आरक्षण सेवा का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। (2) आरक्षण केन्द्र में लोकल इंक्वायरी भी चालू की जाए। (3) उपकरणों की सुरक्षा हेतु ए.सी. लगवाया जाए और (4) केन्द्र का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, एक बड़े संघर्ष के बाद नेपाल में प्रजातंत्र की बहाली हुई है और वहां पर श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में सात राजनीतिक दलों ने सत्ता सम्भाली है। भारत सरकार ने भी इस प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और नेपाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता भी दी है। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि वहां जो सरकार बनी है, उसमें माओवादियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि उन्होंने तीन महीने के लिए वहां सीजफायर की घोषणा की है। लेकिन वहां जो हिन्दुस्तानी कारोबार कर रहे थे और रह रहे थे, उन्हें नेपाल से चले जाने का अल्टीमेटम दिया है। माओवादियों ने उन्हें 24 घंटे की मोहलत देते हुए कहा है कि अगर इस बीच उन्होंने नेपाल को नहीं छोड़ा तो उन पर हमले किए जाएंगे। इस पर वहां जो हिन्दुस्तानी रह रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने भारतीय राजदूत मि. मुखर्जी से सम्पर्क किया है और बात की है। मुखर्जी साहब ने हमारे गृह मंत्रालय से बात की है, लेकिन भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं की है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां अतिशीघ्र इस माहौल को खराब होने से रोकने के लिए हमारी सरकार को पहल करनी चाहिए, जिससे वहां बसे हुए हिन्दुस्तानियों की सुरक्षा हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं इस विषय पर स्वयं को माननीय सदस्य के साथ सम्बद्ध करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, इस विषय पर मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

रात्रि 8.00 बजे

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति जी, कोल-इंडिया की डब्ल्यू.सी.एल. इकाई में नया प्रोजैक्ट शुरू होने जा रहा था तथा कोल खदान के लिए गांव की भूमि आवंटित करने का प्रोग्राम था। इस आवंटन के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कोल-इंडिया के अधिकारियों ने जबरन जाकर वहां की भूमि पर राज्य की पुलिस के सहयोग से, जिसमें 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और 100 से ज्यादा स्टेट पुलिस कर्मचारी थे, कब्जा कर लिया। यह 129 घरों का गांव है। 29 लोगों को बंदी बनाकर पुलिस स्टेशन में रखा गया। लोगों की 250 एकड़ भूमि पर बुलडोजर चलाकर जमीन को ध्वस्त कर दिया गया और कोल-इंडिया के द्वारा इन लोगों पर अत्याचार किये गये। कोल-इंडिया के खिलाफ गांव वालों ने दो दिन तक अनशन किया। परन्तु हमने जब उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम गांव के लोगों को नौकरी देंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन लोगों को कोल-इंडिया में ही नौकरी दी जाए, साथ ही जो खेती की भूमि का नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई की जाए।

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): सभापति जी, मैं भारत के कोने-कोने में व्याप्त समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पूरे भारत में लोग भांग, चरस, अफीम, ब्रॉउन-शुगर, देसी और विदेशी दारू के नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं, जिससे देश में असंतोष फैल रहा है। नशे में ये लोग घरों में मारपीट करते हैं इनके घर उजड़ रहे हैं और ये अपने बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के इलाज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। नशे के कारण ही वे आतंक की ओर प्रेरित हो रहे हैं, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और इस कारण पूरा देश आतंक की ओर बढ़ रहा है, लोग आतंकवाद और नक्सलवाद की ओर बढ़ रहे हैं। गांवों में स्थिति बिगड़ रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि स्थिति में सुधार के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए जिससे इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। जो राष्ट्रीय श्रम मूलक योजना है, उसे पूरे देश के जिलों में लागू किया जाए। ऐसे पांच लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने पर डेढ़ लाख रुपया सरकार देती है, जिसे वापस जमा नहीं करना पड़ता है, जिससे गरीब आदमी ऊपर उठ सके। ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। नशा त्यागने वाले लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जाए।

सभापति महोदय: आप बैठ जाइये। डा. करण सिंह यादव, आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले: सरकार एक अभियान चलाए।

सभापति महोदय: डा. करण सिंह यादव।

[अनुवाद]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा का तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान स्थानीय भारतीय वनस्पति उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले: नशा त्यागने वाले लोगों को सरकार कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए। भारत सरकार अगर पूरे

देश में नशा मुक्ति अभियान चलाए, तो मैं अपने पद से त्याग-पत्र देकर, लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार को सहयोग दूंगा।"...

सभापति महोदय: आपका भाषण रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। डा. करण सिंह यादव, आप अपना भाषण जारी रखिये।

[अनुवाद]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान स्थानीय भारतीय वनस्पति उद्योग तथा देश के तेल-बीज उत्पादक किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मोहले जी, आपका भाषण रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। आपको चेयर के साथ कोओपरेट करना चाहिए। आप बैठ जाइये।

श्री पुन्नूलाल मोहले: *...*

[अनुवाद]

डा. करण सिंह यादव: मैं माननीय वाणिज्य मंत्री का ध्यान इस देश के वनस्पति उद्योग तथा तेल बीज उत्पादक किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसका कारण पूर्व सरकार और श्रीलंका के बीच किया गया मुक्त व्यापार समझौता है। वनस्पति का बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है और यही कारण है कि तेल बीज जैसे सरसों उत्पादक किसानों के समक्ष समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि उनके उत्पाद को यहां कोई खरीदने वाला नहीं है।

इसलिए, सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह इस आयात के कोटे को सीमित करे। हाल ही में उन्होंने इस आयात को नेफेड के माध्यम से अन्य आयातों के साथ सरणीबद्ध दिया है जिसे जारी रखना चाहिए। एक सशक्त लॉबी है जो एक गार्गदर्शक एजेंसी के रूप में कार्य करने नेफेड को कम करने से रोकना चाहती है। मेरा अनुरोध है कि नेफेड को मार्गदर्शक एजेंसी के रूप में बनाये रखना चाहिए और कोर्ट को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ताकि भारतीय वनस्पति उद्योग और तैल बीज उत्पादक किसान इस देश में फल-फूल सकें।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: भार्गव साहब तो पीएचडी किए हुए हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: महोदय, पीएचडी तो क्या, मैंने बी.ए. भी नहीं किया है।

सभापति महोदय: आप अपनी बात कीजिए, टोका-टोकी में मत पड़िए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: महोदय, मेरा सौभाग्य है कि जिनसे मेरा संबंध है, उन्हीं के संबंध में, क्योंकि वे मेरे पड़ोसी है, बात उठा रहा हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत समस्त भारतवर्ष के 600 जिलों में से 200 को सम्मिलित किया गया है। उसमें से राजस्थान के 32 जिलों में से 6 को ही लिया गया है। राजस्थान जनसंख्या, क्षेत्रफल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राजस्थान, पहाड़ी और घनत्व वाला प्रदेश है। राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या 29.8 प्रतिशत है। यहां की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है और वर्षा पर खेती निर्भर करती है। सम्पूर्ण भारत वर्ष के उपलब्ध पानी में से एक प्रतिशत पानी राजस्थान को उपलब्ध है और राजस्थान की सीमा पाकिस्तान की सीमा से सटी हुई है।

मैं अन्य प्रदेशों की तुलना में न जा कर जो राजस्थान में हर दृष्टि से अधिक उनको 6 जिले बहुत ही कम मिले हैं। रोजगार योजना के अंतर्गत 6 जिले बांसवाड़ा, डुंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, करोली चयनित किए गए हैं। इनमें एक भी जिला रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं है। उनको इस योजना में चयनित किया गया है। जहां रेगिस्तान है, उनको इस योजना में चयनित किया जाना अनिवार्य था। इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में बेरोजगारी एक भयंकर समस्या है।

राजस्थान योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण राजस्थान को लिया जाए, क्योंकि राजस्थान की विशेष परिस्थिति होने पर भी इसको गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत धनराशि नहीं दी जा रही है। राजस्थान को भी उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम और उत्तरांचल की भांति अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। विशेष श्रेणी के राज्यों में इसका दर्जा होना चाहिए।

मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि सम्पूर्ण राजस्थान में इस योजना को लागू करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जो मान्यवर श्री कैलाश मेघवाल ने जो प्रपोजल रेलवे के संबंध में डिग्गीपुरी यात्रा वाले विषय से संबंधित रखा है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वह रेल लाइन डाली जाए।

सभापति महोदय: आपको पहले ही उनसे संबद्ध कर दिया था।

श्री कैलाश मेघवाल: महोदय, मुझे भी श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध किया जाए और मरुस्थल के जितने भी जिले हैं, उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीम रोजगार गारंटी योजना में शामिल किया जाए।

सभापति महोदय: श्री कैलाश मेघवाल को श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं केरल के मराठी समुदाय की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 1952 से इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया था। वास्तव में केवल कर्नाटक और केरल ही ऐसे राज्य थे जहां इस समुदाय को इस सूची में सम्मिलित किया गया था। पूर्ववर्ती सरकार ने संसद में एक संशोधन लाकर बिना किसी समुचित सत्यापन और आकलन के उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया है। इस बात की जानकारी होने के बाद केरल के प्रतिनिधियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने केन्द्र सरकार से उनको सूची में शामिल करने के लिए जोरदार मांग की है। अल्पसंख्यक आयोग ने भी उस स्थान का दौरा किया उन्होंने इस समुदाय को सूची में सम्मिलित किये जाने की पुरजोर सिफारिश की। उन्हें अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध होती रही हैं लेकिन अब इस समुदाय के छात्रों, किसानों और अन्य लोगों को पूर्व में दिए जा रहे लाभों से वंचित कर दिया गया है। इसलिए, सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस मुद्दे पर विचार करे तथा इस संबंध में एक संशोधन लाए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य जागरूक मेला लगाने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार को लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आठ लाख रुपए खर्च करके स्वास्थ्य जागरूक मेला लगाने का निर्देश दिया गया था जिससे वहां के आम गरीबों को लाभ पहुंचाया जाए। यह एक अच्छी योजना है। इस तरह की योजना ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता प्रदान करने के लिए है जिससे पूरी जानकारी मिलती है। इस योजना के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र पटना के लिए आठ लाख रुपए की राशि दी गई थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में लाख प्रयास के बाद भी आठ लाख रुपए की राशि खर्च नहीं हो सकी है। यह बहुत गम्भीर मामला है। वहां के जिलाधिकारी स्तर पर बैठक करके इस राशि को खर्च करना था ताकि गरीबों को लाभ पहुंच सके लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे मेले पहले भी होते रहे हैं लेकिन मूल रूप से पैसा खर्च नहीं हो सका है। मेरे संसदीय क्षेत्र की गरीब जनता को, खासतौर पर जिस परपस के लिए पैसा दिया गया था वह परपस सॉल्व नहीं हो सका है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। आप इसमें अविलम्ब हस्तक्षेप करें। मेरे संसदीय क्षेत्र सहित बिहार के अन्य दूसरी जगहों को, जहां आठ लाख रुपए खर्च करने के लिए पैसा दिया गया था, खर्च नहीं हो सका है। उसे खर्च कराए ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके और स्वास्थ्य मेला लगाया जा सके। भारत सरकार के माध्यम से पैसा दे दिया गया। 11 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक पैसा खर्च नहीं हुआ है।

सभापति महोदय: आपकी बात आ गई है। आपका गम्भीर मामला है। आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया। यहां हैल्थ मिनिस्टर नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव: मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं। वह कम से कम सूचना ग्रहण करें। इसमें सरकार हस्तक्षेप करे।

सभापति महोदय: सरकार ने सूचना ग्रहण कर ली है।

श्री राम कृपाल यादव: आप डायरैक्शन दें ताकि पैसा खर्च हो क्योंकि अलग से पैसा नहीं देना है।...*(व्यवधान)* वहां हमारे पक्ष की सरकार नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है।

सभापति महोदय: मैं कम्पैल नहीं कर सकता हूं, लेकिन सरकार ने सूचना ग्रहण की है।

श्री राम कृपाल यादव: मैं निवेदन कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* यह सदन किस लिए है और हम यहां चुन कर किस बात के लिए आए हैं?

सभापति महोदय: आप बैठ जाएं। अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं।

[अनुवाद]

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): महोदय, 6 मई, 2006 को मणिपुर के चूड़ा चांदपुर जिले के जोमी समुदाय के इक्कीस निर्दोष लोगों को म्यांमार सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आज तक म्यांमार में बंदी बनाकर रखा गया। सीमा

के दोनों ओर मणिपुर तथा म्यांमार के क्षेत्रों में क्षेत्र उसी जोमी समुदाय के लोग रहते हैं। सीमा क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय जनजातीय लोग अपनी आजीविका की खोज में सीमा के दोनो ओर बिना किसी व्यवधान के आते-जाते थे और रोज ही काम समाप्त होने पर अपने-अपने घरों को लौट जाते थे।

महोदय, गिरफ्तार किये गये लोग चूड़ा चांदपुर जिले के निर्दोष ग्रामवासी हैं और वे लोग म्यांमार के जेल में यातना सह रहे हैं तथा यह सूचना मिली है कि जेल के कैदियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। ऐसी सूचना है कि म्यांमार जेल में कैदियों को भोजन नहीं दिया जाता और कैदियों को अपने भोजन का प्रबंध स्वयं करना पड़ता है जो व्यावहारिक रूप से असंभव कार्य है।

महोदय, मैंने गृह मंत्री तथा विदेश मंत्री, दोनों, को 26 जून, 2006 को लिखित रूप में इस विषय में अवगत कराया है। तथापि कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है।

इसलिए, मैं इस सम्माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इन 21 निर्दोष कैदियों की रिहाई के लिए म्यांमार सरकार के साथ इस विषय पर वार्ता करने के लिए गृहमंत्री तथा विदेश मंत्री पर दबाव डाले।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की अनुसूचित जाति जमाति की लिस्ट में शामिल करने की पचास साल पुरानी मांग की ओर मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आर्टिकल 342 के अंतर्गत अगर किसी जाति को किसी स्टेट की एस.टी. लिस्ट में इनक्लूड करना है तो उसके लिए प्रोसिजर है कि उस स्टेट से रिकमैन्डेशंस आनी चाहिए। उसके बाद आर.जी.आई. और कमीशन की रिकमैन्डेशंस आनी चाहिए, तब भारत सरकार उसे लिस्ट में सम्मिलित करती है। वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे के साथ अपनी सारी रिकमैन्डेशंस भारत सरकार के पास भेज दी थी। लेकिन उसके बाद आर.जी.आई. ने उसे 12 साल तक अपने पास पैन्डिंग रखा और 2003 में यह कहकर वापस कर दिया कि आपका सर्वे पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप ठीक से पुनः सर्वे कराकर भेजिये। मैं जानना चाहता हूं कि पचासों सालों से उत्तर प्रदेश का बंजारा समाज झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहा है और दर-दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है।

सभापति महोदय: आप सरकार से मांग करिये।

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं जानना चाहता हूं कि पचास साल के बाद क्या अब उसे एस.टी. की लिस्ट में इनक्लूड करने के लिए विचार होगा। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछले तीन सालों से इस रिपोर्ट को दबाकर बैठी है और कोई डिसीजन नहीं ले रही है। यदि उन्हें यह नहीं करना है तो न कर दें लेकिन कम से कम रिकमैन्डेशंस भेज दें। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को ऐसा प्रोसीजर बनाना चाहिए। ये लोग पिछले पचासों सालों से एस.सी., एस.टी. की लिस्ट में अपने को इनक्लूड करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार उन्हें इनक्लूड नहीं कर रही है। यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

सभापति महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं, अब आप बैठिये।

श्री हरिभाऊ राठौड़: मेरी मांग है कि आप सरकार को इस बारे डायरेक्टिव दीजिए कि इसका पीरियड तय किया जाए। कम से कम उन्हें हां या न का निर्णय तो बताया जाए। पचास सालों से ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज के अलावा और बहुत सी ऐसी जातियां हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी बात रिकार्ड पर आ गई है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्रीमती करुणा शुक्ला के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र के कोरबा जिले के ग्राम धनरास में एन.टी.पी.सी. के राखड़ बांध के फूट जाने से उत्पन्न हुई समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। हमारे क्षेत्र में कोरबा जिले के ग्राम धनरास में एन.टी.पी.सी. का राखड़ बांध फूट गया है। यह बांध 1481 एकड़ जमीन पर स्थित है। इस बांध के फूटने से उस ग्राम के एक आदमी जगदीश देवांगन की मौत हो गई और बहुत सारी भैंसें, बकरियां आदि दब गये। मैं स्वयं उस स्थल पर गई थी। एन.टी.पी.सी. के अधिकारियों ने 150 की जनसंख्या वाले ग्राम धनोट के लोगों तथा आसपास के प्रभावित ग्रामों के लोगों को लिए कोई व्यवस्था

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती करुणा शुक्ला]

नहीं की है। वहां राखड़ बांध से पानी का रिसाव होता है, जिसके कारण नदी, नाले और तालाब प्रभावित होते हैं। फलस्वरूप गांव के लोग गंदा पानी पीने के लिए बाध्य हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि एन.टी.पी.सी. विभाग ने वहां के ग्रामीणजनों के लिए कुछ नहीं किया है। मेरी मांग है कि वहां के लोगों के व्यवस्थापन के लिए बिजली, पानी तथा घरों की सुविधा प्रदान करने के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए तथा जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए।

जिनके जन और धन की हानि हुई है, उनको उचित मुआवजा दिलवाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान विनाशकारी भारी बारिश के कारण गुजरात में पैदा हुई गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। गुजरात में हाल ही में हुई भारी बारिश ने विशेषकर गुजरात के दक्षिणी और मध्य-वर्गी भागों में तबाही मचा दी है इसकी वजह से करोड़ों रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्ति का नुकसान हुआ है। इससे गरीब लोग और किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मानसून से पहले अपने खेतों में फसल के लिए जो मेहनत की थी और कीमती बीज बोए थे वे बेकार हो गए हैं, इसके अलावा उनके आवास भी नष्ट हो गये हैं। किसानों की कृषि भूमि को भृदा अपरदन के कारण भारी नुकसान हुआ है। यह प्रलयकारी भारी वर्षा से अब तक 44 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल भी इस क्षेत्र में नुकसान हुआ था। गुजरात राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने सराहनीय कार्य किया है लेकिन लोगों को विशेषकर मध्यवर्गीय और गरीब लोगों को हुए नुकसान के भुआवजे के लिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि गुजरात में भारी वर्षा से हुए नुकसान के आकलन के लिए एक विशेष दल भेजा जाए और प्रभावित लोगों को शीघ्र आवश्यक राहत प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

श्री रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, इस वर्ष के प्रारम्भ में ए.सी.ए.ई.आर. द्वारा देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की दुकानों के जरिए हो रही मिट्टी के तेल की धांधली, उसके दुरुपयोग तथा कालाबाजारी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी गई थी। उद्योग चैम्बर 'एशोचैम' ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित मिट्टी के तेल के एक तिहाई हिस्से की कालाबाजारी हो रही है। इसके चलते भारत सरकार को 11,700 करोड़ रुपये की चपत लग रही है। सरकार मिट्टी के तेल को सस्ते दामों पर बेचने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है, जिसका कुछ भाग बजट में और कुछ भाग कई कंपनियां उठाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार 38.6 प्रतिशत आबंटित केरोसिन की डीजल और पैट्रोलियम में मिलावट की जाती है, 18.1 प्रतिशत गैर घरेलू कार्यों के लिए, 17.9 प्रतिशत मिलावट के काम में और 2.6 प्रतिशत बिना राशन कार्ड वालों को मिलता है। इस गोरख धांधली में राशन की दुकानों के मालिक ही सबसे अहम भूमिका निभाते हैं और वित्त मंत्रालय, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मंत्रालय के सम्यक प्रयासों के बगैर केरोसिन की बिक्री में हो रही धांधली को रोकना बहुत ही मुश्किल है। अगर लक्षित समूहों तक केरोसिन पहुंच जाता है तो सरकार का बोझ कम हो जाएगा। 1970 दशक के ये आंकड़े हैं और 1970 के दशक की शुरुआत में 32.8 लाख टन केरोसिन की खपत थी। वर्ष 2004-2005 में 94 लाख टन खपत हो गई है और रसोई गैस की खपत 1.8 लाख टन से बढ़कर, साठ गुना अधिक होकर, 102 लाख टन हो गई है जबकि रसोई गैस की खपत में बढ़ोतरी के साथ केरोसिन की मांग कम होनी चाहिए लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। 11,000 टन केरोसिन का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि केरोसिन की कालाबाजारी को रोकने, पैट्रोलियम और डीजल में केरोसिन की मिलावट को रोकने और लक्षित समूहों तक केरोसिन तेल पहुंचने हेतु सख्त कार्रवाई करते हुए उस रिपोर्ट पर भी तुरंत कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर इस केन्द्र सरकार के गृहमंत्री का ध्यान महाजन आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

हाल ही में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री विलास राव देशमुख के नेतृत्व में एक सर्वदलीय शिष्टमण्डल ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है जिसमें बेलगाम जिला, 865 गांव, बेलगाम वे छः शहरों, कारवार, निप्पानी, खानपुर, बीदर और बाल्की को महाराष्ट्र राज्य में शामिल करने की मांग की गई है। महाराष्ट्र सरकार के इस कार्य ने बेलगाम और कर्नाटक के दूसरे भागों में खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है।

वर्ष 1957 में कर्नाटक के एकीकरण के बाद, पुराने बम्बई राज्य के चार कन्नड़ भाषी जिले महाराष्ट्र में मिला दिए गए। अब, चार जिले सात जिले बन चुके हैं। तभी से महाराष्ट्र सरकार और मराठी-भाषी राजनीतिक नेता निहित स्वार्थों के कारण प्रत्येक वर्ष इसे सीमा विवाद बना रहे हैं।

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि बेलगाम उत्तरी कर्नाटक की शैक्षणिक और वाणिज्यिक राजधानी है।

वहां बहुत विकास हुआ है। महाराष्ट्र सरकार नापाक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संकीर्ण और विघटनकारी भावनाओं को उकसा रही है। वे इस राजनीतिक समस्या का न्यायिक समाधान ढूंढने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस कार्य ने मुंबई शहर में रहने वाले 30 लाख कन्नड़ लोगों के मन में असुरक्षा और भय की भावना पैदा कर दी है। कर्नाटक राज्य ने यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपना विरोध दर्ज किया है कि सीमा विवाद के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 में इस संबंध में संसद को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है। अतः, मैं भारत सरकार से गहाराष्ट्र सरकार को, अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए क्षुद्र राजनीति न करने की चेतावनी देने का अनुरोध करता हूं।

महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बेलगाम जिला कर्नाटक का एक अभिन्न अंग है। इस संवेदनशील मुद्दे को प्रत्येक वर्ष उठाने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केरल के कन्नड़ भावी क्षेत्र कासरगोड और मंजेश्वर को कर्नाटक राज्य में शामिल किया जाए।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, हमें इस पर आपत्ति है। जहां तक केरल के बारे में उनकी टिप्पणी का संबंध है, हम उनसे सहमत नहीं हैं। कासरगोड केरल का एक अभिन्न अंग है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जो भी असंगत बात होगी, वह प्रोसीडिंग्ज का पार्ट नहीं बनेगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदय, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन एक्सप्रैसवे का उन्नयन होने जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में उसका सर्वे भी प्रारंभ हो गया है। सर्वे टीम ने सीमांकन प्रारंभ कर दिया है। इससे क्षेत्र के मालथौन, बरोदिया, रजवांस, बांदरी, मेहर, गौरझामर और सुर्खी आदि गांवों एवं कस्बों सहित अन्य दूसरे राज्यों के वह सभी गांव एवं कस्बे जो इस मार्ग में आ रहे हैं, वहां आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के मकान एवं दुकान होने से वे लोग भयभीत हो रहे हैं कि उनकी जिन्दगी भर की कमाई से बने मकान एवं दुकानें चली जाएंगी और वे सड़क पर आ जाएंगे। फिर नये सिरे से परिवार की रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि मुआवजे के रूप में जो राशि मिलने वाली है वह भी बहुत कम होती है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह से शहरों के बाहर से बाय पास होकर एक्सप्रैस हाइवेज का निर्माण किया जा रहा है, उसी प्रकार गांवों एवं कस्बों के गरीबों का ध्यान रखते हुए वहां भी बाय पास मार्गों का निर्माण कराएं।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): हमारे देश में, अभिभावक शिक्षक संघ स्कूल संचालन का एक अभिन्न अंग है। स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ के कई कार्य हैं। अभिभावक शिक्षक संघ अभिभावकों का शिक्षकों और स्कूलों के अन्य कर्मचारियों से सम्पर्क करवाता है और उनके संरक्षितों की शैक्षणिक, सामाजिक और व्यावहारिक उन्नति के बारे में चर्चा करता है। अभिभावकों को शिक्षण सम्बन्धी निर्णय-निर्माण और प्रशासन में भागीदारी के लिए तथा इस प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अभिभावक विद्यालयों में, जब आवश्यक हो और जहां भी संभव हो समय, निपुणता और संसाधन के मामले में स्वैच्छिक रूप से योगदान दे सकते हैं। वे ऐसे विद्यालय और सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जो अभिभावकों को शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। अभिभावक शिक्षक संघ अपने बच्चे का कार्य, उपस्थिति और विद्यालय द्वारा अपेक्षित व्यवहार के लिए उत्तरदायी बता सकते हैं तथा उन्हें व्यक्ति, सम्पत्ति, सुरक्षा तथा दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा दे सकते हैं।

इसके बावजूद भी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली ने 2002 में देश भर में केन्द्रीय विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ को समाप्त कर दिया। विभिन्न क्षेत्रों से बार-बार अभ्यावेदनों के बावजूद भी अभी तक इस संघ का पुनर्गठन नहीं किया गया है। महोदय, केरल में केन्द्रीय विद्यालय की सी.बी.एस.ई. की पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं है। जबकि, उत्तर-भारत में इन पुस्तकों की बिक्री विद्यालय खुलने से पहले ही हो चुकी है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् केरल में केन्द्रीय विद्यालयों और सी.बी.एस.ई. विद्यालयों के विद्यार्थियं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस वर्ष अप्रैल, 2006 में विद्यालय पुनः खुले गए हैं और एक सत्र लगभग पूरा होने जा रहा है।

सभापति महोदय: आपकी मांग क्या है?

डा. के.एस. मनोज: इसलिए, मेरा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से निवेदन है कि संपूर्ण भारत में केन्द्रीय विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ को पुनर्गठित करने हेतु शीघ्र कदम उठायें ताकि विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और केरल में केन्द्रीय विद्यालयों में सी.बी.एस.ई. की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायें।

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल पटले (भण्डारा): सभापति जी, महाराष्ट्र के भंडारा एवं गोंदिया जिले में चिकनगुनिया नाम की बीमारी का प्रमाण काफी बढ़ रहा है। सदन में पिछले हफ्ते इस पर काफी चर्चा भी हुई लेकिन इस बीमारी का प्रमाण पिछले तीन महीने से इन जिलों में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस बीमारी की चपेट में पूरे गांव आ गए हैं। जिला अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इन्हें एडमिट करने के लिए भी जगह नहीं है। इतनी भारी संख्या में वहां लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे अस्पतालों में इन रोगियों के लिए डाक्टरों की कमी, दवाईयों की कमी एवं ठीक से ट्रीटमेंट करने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण उनकी मृत्यु की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। अभी तक भंडारा एवं गोंदिया जिले में मरने वालों की संख्या सौ से ऊपर पहुंच गई है और विदर्भ में भी तीन सौ से ज्यादा रोगियों की मृत्यु हुई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में डाक्टर्स एवं दवाइयां न होने के कारण, इन्हें अपने घर के आभूषण एवं बर्तन बेच कर, दवा खरीद कर इलाज कराना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा दवाईयां मुहैया कराई जाएं। जिला अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की जो कमी है, उन्हें फौरन भरा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों के कारण जो बीमारी होती है, इसके लिए गरीब लोगों को सरकार द्वारा मच्छरदानियां प्रोवाइड की जाएं, सरकार से मैं यह मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री निहाल चन्द (श्रीगांगानगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर (राजस्थान), अंतर्राष्ट्रीय भारत-पाक सीमा पर पड़ता है। राजस्थान प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में 1991 में, भारत-पाक सीमा पर कंटीली तार लगाई गई थी, जिसमें किसानों की एक एकड़ से लेकर डेढ़ एकड़ भूमि कंटीली तार में आ गई है। पूरे राजस्थान प्रदेश में कंटीली तार की दूरी 1070 किलोमीटर लम्बी है। उस कंटीली तार की वजह से किसान अपनी जमीन में खेती एवं सिंचाई नहीं कर सकता, जहां कंटीली तार लगी है, वह उसके अंदर भी नहीं जा सकता। वह अपनी फसलों को भी नहीं बो सकता। इस कारण राजस्थान प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के किसान परेशान हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जिस तरीके से केन्द्र सरकार ने पंजाब प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में जिन किसानों की जमीन कंटीली तार में आई थी, उनको मुआवजा जारी कर दिया है, उसी प्रकार से राजस्थान की 1070 किलोमीटर लम्बी लाईन में किसानों की जो एक, डेढ़ एकड़ भूमि कंटीली तार में आई है, उसका एस्टीमेट बना कर, केन्द्र सरकार उसका भी कम्पनसेशन किसानों को जारी करे, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यही निवेदन है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा कल 4 अगस्त, 2006 पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 4 अगस्त, 2006/श्रावण 13, 1928 (शक) पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री सुनिल कुमार महतो	161
2.	श्री एन. जनार्दन रेड्डी	162
3.	श्री एस.के. खादवेनथन श्री अर्जुन सेठी	163
4.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी श्री प्रभुनाथ सिंह	164
5.	श्री काशीराम राणा श्री एम. अंजनकुमार यादव	165
6.	श्री जोवाकिम बखला श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	166
7.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	167
8.	श्री ई.जी. सुगावनम	168
9.	श्री अशोक कुमार रावत श्री सज्जन कुमार	169
10.	श्री मो. ताहिर श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	170
11.	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	171
12.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री हरिकेवल प्रसाद	172
13.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री हंसराज जी. अहीर	173
14.	श्री रामदास आठवले श्री हरिसिंह चावड़ा	174
15.	श्री निखिल कुमार श्री अधीर चौधरी	175
16.	श्री बिक्रम केशरी देव	176
17.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	177
18.	श्री उदय सिंह	178
19.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	179
20.	श्री मोहन रावले	180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1257
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1295, 1336, 1355, 1365
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1223, 1278, 1300
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1317, 1341, 1347, 1373
5.	अजय कुमार, श्री एस.	1269
6.	आठवले, श्री रामदास	1293, 1393
7.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	1215, 1301, 1318, 1327
8.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	1355
9.	बारड, श्री जसुभाई धानाभाई	1224, 1292, 1341, 1350
10.	बर्मन, श्री हितेन	1241
11.	बखला, श्री जोवाकिम	1285
12.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1355, 1374
13.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1286

1	2	3
14.	बोस, श्री सुब्रत	1255
15.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1307, 1340, 1357
16.	चटर्जी, श्री सांताश्री	1228, 1258, 1294
17.	चिन्ता मोहन, डा.	1341
18.	चौधरी, श्री पंकज	1270, 1318
19.	चौधरी, श्री अधीर	1305
20.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1275
21.	देवरा, श्री मिलिन्द	1213, 1249, 1252, 1356
22.	धनराजू, डा. के.	1280
23.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1368
24.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1302, 1353
25.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1249, 1250, 1309, 1329
26.	गांधी, श्रीमती मेनका	1244
27.	गंगवार, श्री संतोष	1231, 1319
28.	गीते, श्री अनंत गंगाराम	1249
29.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1243, 1306
30.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	1282
31.	हुसैन, श्री अनवर	1253
32.	जगन्नाथ, डा. एम.	1259, 1313
33.	जय प्रकाश, श्री	1341
34.	जिन्दल, श्री नवीन	1233, 1335
35.	कनोडीया, श्री महेश	1238, 1262
36.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1335
37.	खां, श्री सुनील	1299, 1354, 1371, 1376
38.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	1363
39.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1218
40.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1212, 1291, 1312, 1333
41.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1367
42.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1237, 1335
43.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1247, 1309
44.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1224, 1229, 1250, 1325
45.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1279
46.	महतो, श्री सुनिल कुमार	1223
47.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1220
48.	महताब, श्री भर्तृहरि	1234, 1249, 1326, 1352, 1362
49.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1298
50.	माने, श्रीमती निवेदिता	1249, 1250
51.	मनोज, डा. के.एस.	1277
52.	मसूद, श्री रशीद	1214, 1242, 1370
53.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1280
54.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	1251, 1310
55.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1353
56.	मो. ताहिर, श्री	1249, 1280, 1283, 1334

1	2	3
57.	मोहिते, श्री सुबोध	1227
58.	नायक, श्री अनन्त	1272, 1352
59.	निखिल कुमार, श्री	1267, 1305
60.	ओराम, श्री जुएल	1362
61.	ओवेसी, श्री असादूदीन	1212
62.	पलनिसामी, श्री के.सी.	1219, 1289, 1348
63.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1258
64.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1211, 1236, 1301
65.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	1235
66.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1266, 1316, 1345, 1359, 1366
67.	पटैरिया, श्रीमती नीता	1274, 1323
68.	पाठक, श्री हरिन	1251, 1307, 1310, 1365
69.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1265, 1315, 1344
70.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	1280
71.	पिंगले, श्री देविदास	1254, 1311
72.	राजगोपाल, श्री एल.	1209, 1321, 1351, 1361
73.	राव, श्री के.एस.	1222, 1247, 1298
74.	रावले, श्री मोहन	1256, 1343, 1355
75.	रावत, श्री अशोक कुमार	1280, 1283, 1318, 1341
76.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1287, 1335
77.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1273, 1322
78.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1260
79.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1240, 1335
80.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1248, 1263, 1300
81.	साई प्रताप, श्री ए.	1226
82.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1217
83.	शर्मा डा. अरुण कुमार	1261
84.	सत्पथी, श्री तथागत	1365
85.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1304, 1338, 1355, 1372
86.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1249, 1282
87.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1236, 1249, 1301, 1330, 1336
88.	शिवन्ना, श्री एम.	1245
89.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1249, 1280, 1283, 1318, 1334
90.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1287
91.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1239, 1303
92.	सिंह, श्री लक्ष्मण	1276
93.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1272
94.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1221, 1314, 1338
95.	सिंह, श्री दुष्यंत	1250
96.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1250, 1329

1	2	3
97.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1324
98.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	1281, 1328
99.	सिंह, श्री राकेश	1216
100.	सिंह, श्री सीमाराम	1230
101.	सिंह, श्री सुग्रीव	1232, 1296, 1346, 1364, 1374
102.	सिंह, श्री उदय	1297, 1342, 1358
103.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	1290, 1332
104.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1238, 1262
105.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1225, 1369
106.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1260, 1288, 1331, 1356
107.	सुमन, श्री रामजीलाल	1247, 1309, 1341
108.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1210
109.	थामस, श्री पी.सी.	1264
110.	ठुम्मर, श्री वी.के.	1248
111.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1298
112.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1271, 1320, 1349, 1360, 1375
113.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1246, 1308
114.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1268, 1355
115.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1236, 1249, 1330, 1363
116.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1284, 1337
117.	यादव, श्री बालेश्वर	1365
118.	यादव, श्री गिरिधारी	1278
119.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1249, 1280, 1283, 1318
120.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1355

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	163, 164, 165, 178
संस्कृति	:	
रक्षा	:	167, 170, 177, 179
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	162, 166
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	161, 172, 173, 174
रेल	:	169
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	171, 175, 176, 180
पर्यटन	:	168.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन		1213, 1215, 1233, 1263, 1284, 1292, 1301, 1306, 1323, 1324, 1327, 1335, 1344, 1352, 1361, 1372, 1374, 1375
संस्कृति	:	1214, 1226, 1310, 1329, 1330, 1351
रक्षा	:	1218, 1236, 1240, 1241, 1267, 1268, 1273, 1279, 1283, 1285, 1286, 1291, 1296, 1298, 1299, 1304, 1312, 1314, 1319, 1321, 1322, 1338, 1339, 1342, 1354, 1359, 1363, 1367, 1370, 1371, 1376
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	1222, 1225, 1246, 1266, 1271, 1276, 1315, 1316, 1320, 1346, 1357
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	1265, 1275, 1300, 1334, 1349, 1364
अल्पसंख्यक कार्य	:	1237, 1290, 1308
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1210, 1219, 1231, 1232, 1256, 1257, 1261, 1272, 1277, 1278, 1297, 1302, 1309, 1341, 1350, 1353, 1355, 1358, 1360, 1362, 1366
रेल	:	1212, 1216, 1220, 1223, 1224, 1227, 1228, 1229, 1230, 1234, 1239, 1243, 1245, 1251, 1252, 1253, 1254, 1258,

1262, 1269, 1270, 1274, 1280, 1287, 1288, 1294, 1295, 1303, 1305, 1307, 1311, 1313, 1318, 1325, 1326, 1328, 1331, 1332, 1333, 1336, 1340, 1345, 1347, 1348, 1365, 1368, 1369, 1373

सामाजिक न्याय और अधिकारिता : 1209, 1211, 1217, 1221, 1238, 1242, 1244, 1247, 1317

पर्यटन : 1235, 1248, 1249, 1250, 1255, 1259, 1260, 1264, 1281, 1282, 1289, 1337, 1343, 1356.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।